लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

10th Lok Sabha

III- Session

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 3 मार्च, 1992/13 फाल्गुन, 1913(शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
(1)	14	"नायित्व" के स्थान पर "दायित्व" पढ़िये।
102	नीचे से 11	"श्री दाऊ दयात जोशी" के स्थान पर "श्री दाऊ दयाल जोशी" पढ़िये।
103	नीचे से 10	"श्री गोविन्दराव निकाल" के स्थान पर "श्री गोविन्दराव निकाय" पढ़िये।
104	6	शीर्षक में "काली" के स्थान पर "वाली" पढ़िये।
104	16	"श्री रामचन्द्र वीरणा" के स्थान पर "श्री रामचन्द्र वीरप्पा" पढ़िये।
107	11	"श्री विजय कृष्ण हांन्डिक" के स्थान पर "श्री विजय कृष्ण हान्डिक" पढ़िये।
110	नीचे से 7	"श्री प्रबीर डेका" के स्थान पर "श्री प्रबीन डेका" पढ़िये।
113	16	"श्री सती वसुन्धरा राजे" के स्थान पर "श्रीमती वसुन्धरा राजे" पढ़िये।
121	नीचे से 10	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" अंत: स्थापित कीजिए।
134	नीचे से 7	"काइने" के स्थान पर "लाइने" पढ़िये।
190	नीचे से 4	"(च)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
	नीचे से 10	"कलकला" के स्थान पर "कलकत्ता" पढ़िये।

220	नीचे से 7	"डा०खुशाराम डुंगरोमल जेस्वाणी" के स्थान पर "डा०खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी" पढ़िये।
229	4	"डा०विद्यानाथम कैनिथी" के स्थान पर "डा०विश्वनाथम कैनिथी" पढ़िये।
382	9	"श्री श्रार्ज फर्नाण्डीज" के स्थान पर "श्री जार्ज फर्नाण्डीज" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 3 मार्च, 1992/13 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—38
*तारांकित प्रश्न संख्या : 81 से 83, 85 से 87 और 91 और 92	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	38—278
तारांकित प्रश्न संख्या : 84, 88 से 90, 93 से 98 और 100	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 924 से 960, 962 से 1145 और 1147 से 1163	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	278—280
लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक —पुरःस्थापित	280—281
लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992	281
तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया श्री कमल नाथ	
राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	281
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक—पुरःस्थापित	281—282
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992	282
तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया श्री रामेश्वर ठाकुर	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	282—285
(एक) कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले को "उद्योगविहीन" घोषित करने और सारे जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	282—283
(दो) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	283
(तीन) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आन्त्रशोथ के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए वहां औषधियों के साथ विशेषज्ञों का दल भेजने की आवश्यकता	
श्री मानकूराम सोडी	283
(चार) एक अलग "उत्तरांचल" राज्य के गठन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	
श्री भुवन चन्द्र खंडूरी	283—284
(पांच) तमिलनाडु के पेरून्दुराई और भवानी कस्बों के लिए डाक वैन सेवाएं समाप्त करने के प्रस्ताव को स्थगित करने की आवश्यकता	
श्री पी० जी० नारायणन	284
(छह) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता	
डा० रमेश चन्द्र तोमर	284—285
(सात) उत्तरी बिहार में दरभंगा फोरबेसगंज पार्श्व सड़क को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	285
मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	285—313
और	
मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव	
श्री मोहन सिंह	285—287
श्री इन्द्रजीत गुप्त	287—292
श्री गिरधारी लाल भार्गव	292—294
श्री एम० एम० जैकब	294—313

विषय	पृष्ठ
मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव—वापस लिया गया	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	
मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	313—417
श्री पी० एम० सईद	313—323
श्री पवन कुमार बंसल	323—394
श्री जसवन्त सिंह	394—407
श्री रवि राय	407—417

लोक-सभा

मंगलवार, 3 मार्च, 1992/13 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.01 म० पू०

वृक्षों की अवैध कटाई

[हिन्दी]

*81. **श्री ललित उरांव** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने को रोकने तथा वनों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ क्या सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) क्या बिहार तथा अन्य राज्यों में प्लाईवुड उद्योगों द्वारा हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार वृक्षविहीन हुई वन भूमि पर पुन: वन लगाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम और तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और वनों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किये हैं तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को दिशा-निर्देश दिये हैं। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने 1986-87 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान अब तक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को 9.03 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है और वर्ष 1992-93 के लिये 3.25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि प्लाईवुड उद्योगों द्वारा वनों से हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। अन्य राज्यों में भी प्लाईवुड उद्योगों द्वारा वन भूमि से पेड़ों के काटे जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और वनों की सुरक्षा के लिये अनेक उपाय किये हैं तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को दिशा-निर्देश दिये हैं। किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का प्रमुख उद्देश्य मुख्यतः प्राकृतिक पर्यावरण में वृद्धि सहित वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, अनुरक्षण तथा सतत उपयोग करना है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लेना इस प्रमुख उद्देश्य से गौण होना चाहिए।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और 1981 में इसका संशोधन वनों के संरक्षण में एक मुख्य उपलब्धि रही है। किसी वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी होती है।

(3) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित "जैविक हस्तक्षेप के विरुद्ध वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास" नामक स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके वनों की सुरक्षा करने और वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करती रही है।

(4) भारत सरकार ने इमारती लकड़ी के स्थान पर पी० वी० सी०, इस्पात, एल्युमिनियम, आर० सी० सी० तथा कृषि अपशिष्ट से बनने वाले मध्यम घनत्व वाले रेशा बोर्ड जैसे गैर-काष्ट उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन दिया है।

(5) वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों की सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :—

(1) प्राकृतिक वनों की कटाई न करना तथा जहां इस प्रकार की कटाई फसल की बहाली अथवा अन्य वनवर्धन प्रयोजनों के लिए अपरिहार्य हो, वहां इसे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 10 हे० तक तथा मैदानी इलाकों में 25 हे० तक सीमित रखा जाये।

(2) कम से कम कुछ वर्षों के लिए 100 मी० से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(3) पहाड़ियों और पहाड़ों पर ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जहां वनों की कटाई को रोकने की आवश्यकता है तथा जहां बड़े पैमाने पर तत्काल वनरोपण की आवश्यकता है।

(4) भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जैवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप में रखना।

(5) वनों की अग्नि से सुरक्षा के उपाय करना।

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार हरे और फलदार वृक्षों की कटाई पर भी क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्लाईवुड फैक्ट्री पूर्णतः हरे वृक्ष की कच्ची लकड़ी पर ही निर्भर है ?

श्री कमल नाथ : सर, जो प्लाईवुड इण्डस्ट्री है वह अपनी रिकवायरमेंट इम्पोर्ट से या जो लकड़ी नान फोरेस्ट पर है उन्से पूरा कर रही है। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट न बिहार से न कोई दूसरे राज्य से है, जो पेड़ों की कटाई प्लाईवुड इण्डस्ट्री के लिए हो रही है।

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह हैं मैंने यह पूछा है कि अधिनियम के तहत हरे वृक्ष और फलदार वृक्ष की कटाई वर्जित है लेकिन इन फैक्ट्रियों को हरे वृक्ष की कच्ची लकड़ियां नहीं मिलतीं तो फिर वह चलती कैसे हैं, चाहे वह रेतीली भूमि पर हो या जंगल की भूमि पर हो ?

श्री कमल नाथ : सर, इनका प्रश्न फोरेस्ट लैंड का था और यह पूछ रहे हैं कि क्या कटाई गैर फोरेस्ट लैंड पर होती है, गैर फोरेस्ट लैंड पर जिस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर वृक्ष जरूर कटते हैं उस पर इंडस्ट्री भी वृक्षारोपण कर रही है, अपनी रिकवायरमेंट पूरा करने के लिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में ऐसे बहुत से उपायों का उल्लेख किया है जिन पर सरकार ने भारी धनराशि भी खर्च की है। लेकिन महोदय आम धारणा यह है कि कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत उन्होंने जो कदम उठाये हैं, उनको कोई भौतिक अथवा कोई मूर्त प्रमाण उनके पास है। क्या राजस्थान व देहरादून के शिवालिक तथा शाहजहांपुर खण्डों में कार्य कर रहे पारिस्थितिकी कार्यदल से सम्बन्धित कोई वास्तविक मूर्त प्रमाण इनके पास है ?

श्री कमल नाथ : प्रत्येक वर्ष बहुत से वृक्ष रोपण और पौध रोपण कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं, परन्तु कई बार संदेह होता है कि यह सब वास्तविक रूप से नहीं हो रहा है। इसके आलोक में, ऐसे संदेह को दूर करने तथा मंत्रालय से इसकी पुष्टि करवाने के लिए, मैंने स्वयं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि विगत आठ महीनों में किए गए पौधरोपण के जिलावार, खण्डवार और पंचायतवार आंकड़े उपलब्ध करायें। और मैंने यह सोचा है कि इस सभा के माननीय सदस्यों, विधायकों तथा जनता को इस बात की व्यापक जानकारी करा दी जाये—16 राज्यों से पौध रोपण सम्बन्धी यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई हैं। कुछ राज्यों ने यह सूचना नहीं भेजी है। यह सूचना 11 राज्यों ने अभी तक नहीं भेजी है। लेकिन उन्होंने यह वायदा किया है कि वे बहुत जल्द यह सूचना उपलब्ध करा देंगे।

जब सन्देह दूर करने के लिए हमारे द्वारा तैयार किये गये प्रारूप के आधार पर सूचना तैयार हो गई कि जो पौधे लगाये जाते हैं, वे केवल फाइलों पर और आंकड़ों में ही होते हैं, तो यह फाइल मुझे प्राप्त हुई है। मैं इस संसद के ग्रंथालय में रख दूंगा, ताकि प्रत्येक सदस्य यह जान सके कि इसके अपने जिले, खण्ड और पंचायत में इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है।

श्री के० पी० सिंह देव : पारिस्थितिकी कार्यदलों के बारे में बताएं ?

श्री कमल नाथ : पारिस्थितिकी कार्य-दल ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पारिस्थितिकी कार्य-दल पर अन्य सभी कार्यक्रमों से अधिक खर्च होता है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस अधिक खर्च को किस तरह से कम किया जा सकता है। इस कार्यदल की स्कीम की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तमिलनाडु सरकार ऐसे कदम उठा रही है की, कि राज्य में वृक्षों की विशेषरूप से चन्दन के वृक्षों अवैध कटाई, को वीरप्पा और इसके गिरोह जैसे कुख्यात तस्करों से बचाया जा सके। हमारी तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता और मदद की आवश्यकता है। माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगी कि इस बारे में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में वनों को अवैध कटाई से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं।

श्री कमल नाथ : मैंने स्वयं तमिलनाडु में जाकर चन्दन के वृक्षों की अवैध कटाई के धन्धे में लगे गिरोहों के बारे में पूछताछ की है। वनों और जीवमण्डल को संरक्षित रखने, बचाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की एक योजना हमारे पास है। इस स्कीम के अन्तर्गत हम तमिलनाडु प्रदेश को सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस प्रदेश के बारे में अब विशिष्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। परन्तु वर्ष 1991-92 में, हमने सभी राज्यों को 1,74,50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की है। इसके अन्तर्गत जीपों, मोबाइल वाहनों, स्टेरिक वायरलेस सैटों, बन्दूकों तथा राइफलों आदि के लिए किए जाने वाला खर्च शामिल है। चन्दन को लकड़ी की तस्करी में लगे कई संगठित गिरोहों की समस्या के बारे में हमें बताया गया है। इस बारे में एक कार्यनीति तैयार की जा रही है।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार को हैलीकप्टरों की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मूल प्रश्नकर्ता को जो जवाब दिया है, वह थ्यूरिटिकल ज्यादा है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रश्नकर्ता ने सवाल पूछा है और हम लोग भी जब कभी उस इलाके में जाते हैं तो वहां की जो दुर्दशा है, उसको देखकर रोना आता है। इतनी तेजी से वहां पर जंगल की कटाई चल रही है, इसके लिए सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए जो प्रावीजन किए गए हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि जंगल की कटाई रुक सके और वह क्षेत्र फिर से हरा-भरा हो सके। क्या इसके लिए आप कोई नई स्कीम बना रहे है या नहीं। आप स्वयं उस इलाके में जाकर देखेंगे, रांची और छोटानागपुर का इलाका है, वहां पर जंगलों की क्या स्थिति हो गई है, आपको पता चल सकेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न न हुआ। आप तो भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लैक्चर की तो कोई बात नही है, आज तो टी० वी० भी नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। उस इलाके की यह वेदना है कि वहां पर जंगल एक तिहाई भी नहीं बचा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह से बोलते रहे तो मैं इस प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं पूछना चाहता हूं कि जंगल की कटाई रोकने के लिए सख्ती से मेजर्स को लागू करने और बड़े पैमाने पर एफारस्टेशन चलाने के लिए क्या तत्काल उपाय किए जाएंगे ?

श्री कमल नाथ : माननीय स्पीकर साहब, यह हो सकता है कि कहीं कटाई हो रही हो। मैं यह नहीं कहता कि ऐसी बात नहीं होती, चोरी नहीं होती। ऐसा हो सकता है। स्वाभाविक है कि हो और हमें जानकारी न हो। माननीय सदस्य अदस्य अगर कोई मुझे ऐसी खास जानकारी दें तो मैं उस पर जरूर जांच करूंगा जैसे मैंने कहा कि हमने पिछले 9 महीनों में हर राज्य से आंकड़े मंगवाए हैं कि क्या उन्होंने प्लांटेशन की है पिछले 9 महीनों में। इसमें बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक हमें आंकड़े नहीं भेजे। अभी हाल ही में वन मन्त्रियों की कांफ्रेंस में मैंने निवेदन किया था कि आंकड़े भेज दें। जैसे ही बिहार राज्य के आंकड़े आ जायेंगे, मैंने जैसे पहले कहा कि लाईब्रेरी में उसको जरूर रखूंगा ताकि माननीय सदस्य उसको देख सकें। अन्य योजनाएं जो फारेस्टेशन के लिए हैं, फारेस्ट प्लांटेशन के लिए हैं उन पर कोई खास जानकारी यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं दे दूंगा।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक दवाएं और डाक्टर

*82. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के विकास और उनकी गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए तथा आयुर्वेदिक डाक्टरों के बेहतर/उज्जवल भविष्य हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे; और

(ख) आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माताओं तथा डाक्टरों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री माखनलाल फोतेदार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार ने आयुर्वेदिक औषधों के विकास और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनेक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयां की हैं। अयुर्वेदिक डाक्टरों की वृत्तिका अवसरों में सुधार करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं

ये कदम इस प्रकार हैं :—

1. शुरू में 1962 में आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति का गठन।
2. बिक्री के लिए आयुर्वेदिक औषधों के विनिर्माण को विनियमित करने के लिए आयुर्वेदिक औषधों को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1964) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना।

3. (I) आयुर्वेदिक औषधों के गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए मानक तैयार करने और (II) प्रयोगशाला को भेजे जाने वाले आयुर्वेदिक औषधों के नमूनों की जांच करने लिए गाजियाबाद में भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला की स्थापना करना।

4. पर्याप्त कच्ची सामग्री की सप्लाई हेतु आयुर्वेदिक औषधों के विनिर्माताओं की मदद करने के लिए उन्हें औषधीय पादपों की खेती करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

5. असली और अच्छी किस्म की आयुर्वेदिक औषधों के उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु इंडियन मेडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना करना।

6. आयुर्वेद के मूलभूत और व्यावहारिक पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की स्थापना करना।

7. आयुर्वेदिक डाक्टरों के वृत्तिका अवसरों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 1-1-1986 से पूर्व कार्यरत समूह "ख" ग्रेड (600-1200 रुपये) के सभी आयुर्वेदिक फिजीशियनों को 1-1-86 से समूह "क" ग्रेड (2200-4000 रुपये) में नियुक्त किया गया है।

(II) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत आयुर्वेदिक डाक्टरों के वृत्तिका अवसरों में सुधार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की गई और इसकी सिफारिशों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर आयुर्वेद में 36 पदों का दर्जा बढ़ाया गया है। 33 आयुर्वेदिक डाक्टरों को वरिष्ठ फिजीशियन के ग्रेड (3000-4500 रुपये) में तथा 5 को 5-12-91 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड (3700-5000 रुपये) में पदोन्नत किया गया है।

(III) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं में आयुर्वेदिक डाक्टरों के वृत्तिका अवसरों में सुधार करने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(IV) आयुर्वेदिक डाक्टरों की अविछिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की एक योजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

श्री परशुराम गंगवार : श्रीमान् जी, क्या केन्द्र सरकार सभी राज्यों को यह निर्देश देगी कि आयुर्वेद चिकित्सकों को वेतन और सुविधाएं एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के बराबर दें। क्योंकि उनकी योग्यता एम० बी० बी० एस० के समान है। एम० बी० बी० एस० के कोर्स के लिए पांच साल लगते हैं लेकिन आयुर्वेदिक कोर्स के लिए छः साल लगते हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को मालूम है कि हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है। जो एलोपैथिक डाक्टर के समान वेतन देने का सवाल है वह हम सिर्फ सैंटर में दे सकते हैं, स्टेटस में नहीं दे सकते हैं। हाल ही में आपको मालूम होगा कि हमने दिसम्बर में करीब 38 डाक्टरों को बैनेफिट दिया सी० जी० एच० एस० में। उनका पे-स्केल रिवाइज किया। इसमें एम० ओ० का पे

स्केल जो एलोपैथिक फिजिशियन के लिए है वही आयुर्वेदिक फिजिशियन के लिए भी रखा गया। यानि 2200-4000 तक का जो पे स्केल है वह आयुर्वेदिक डाक्टरों के लिए रखा। इसी तरह सीनियर एम० ओ० के लिए, जो एलोपेथिक डाक्टर के लिए पे स्केल है वही हमने आयुर्वेदिक डाक्टर के लिए भी रखा। इसी तरह सी० एम० ओ० का जो पे स्केल है 3700-5000 तक वही हमने आयुर्वेदिक डाक्टर के लिए रखा बशर्ते वहां कोई वैकेंसी एविलएबल हो। इसी तरह से हमने ग्रेड्स ऐसे बनाए हैं जिससे कि इंडीजिनियस सिस्टम आफ मैडिसिन्ज, आयुर्वेद सिस्टम है, उन डाक्टरों को लाभ मिले। यह आर्डर निकलने से जितने भी आयुर्वेदिक डाक्टर हैं वे सैटिसफाई है और बहुत खुश हैं।

श्री परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, वेतन के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश देंगे क्या ? साथ सी साथ जो केन्द्र द्वारा थर्ड एम० ओ० लगाए गए थे उनको 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनको वेतन देने के लिए आप क्या सोच रहे हैं और कब तक देंगे ? थर्ड एम० ओ० केन्द्र द्वारा लगाए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार ने क्या कहा ?

श्री परशुराम गंगवार : थर्ड एम० ओ० केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए थे, उनको 10 महीने से वेतन नहीं मिला। इस पर सरकार क्या सोच रही हैं ?

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि थर्ड एम० ओ० केन्द्र द्वारा यू० पी० सरकार में लगाए गए हैं। इसकी तरफ मैं देखूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो आयुर्वेद के डाक्टर हैं उनके बारे में आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ लें। यह प्रश्न आप उत्तर प्रदेश सरकार से कर सकते हैं।

श्री राजवीर सिंह : जो केन्द्र द्वारा दिए गए हैं और 10 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। यह तो आपको जवाब देना है।

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, जहां ऐसी बात हो कि, जहां केन्द्रीय सरकार को देना हो तो आप नोटिस दीजिए, मैं इसकी तरफ देखूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए तमिलनाडु का योगदान सदैव सराहनीय रहा है। इसलिये वहां बहुत अच्छे आयुर्वेदिक अस्पताल और डाक्टर हैं। अब केरल जिन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से एक समस्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और पौधों का मिलना भी है। देश के विभिन्न भागों में अब जो वृक्षों को काटने/गिराने की प्रक्रिया चल रही है, उससे समस्याएं अधिक जटिल हो गई हैं। इसलिए, इस आधार पर केरल सरकार ने सहायता के लिए अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। आप अपने प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं पूछते ताकि आपको स्पष्ट उत्तर मिल सके ?

प्रो० के० पी० थामस : केरल सरकार ने आयुर्वेदिक अस्पतालों और संस्थानों के आस-पास जड़ी-बूटियों को उगाने व छोटे-छोटे बगीचे शुरू करने के लिए पर्याप्त सहायता दिए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। क्या केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी ?

श्री एम० एल० फोतेदार : गत वर्ष हमने गुजरात, हिमाचल-प्रदेश और केरल राज्यों को कुछ सहायता प्रदान की थी । गत वर्ष हमने केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर के नियन्त्रक को जड़ी-बूटियां उगाने, उनके संरक्षण और सिंचाई कार्य के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की थी।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार राज्य के अमझोर में जो भारत सरकार का खाद का कारखाना है तो वहां के अधिकारियों ने सिद्धान्त रूप में यह लिखकर दिया है कि हमें आयुर्वेदिक डाक्टरों की आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको ऐसी जानकारी है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है । केवल उत्तर-प्रदेश तथा गुजरात, इन दो राज्यों की राज्य सरकारों ने ऐसा किया है, जबकि इन राज्यों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक आयुर्वेदिक डाक्टर होता है । बिहार सरकार भी इनमें शामिल है ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर आयुर्वेदिक डाक्टरों···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं । अगला प्रश्न—श्री विजय नवल पाटिल ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा ।

(**व्यवधान**)**

पर्यावरण की दृष्टि से विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

+

*83. **श्री विजय एन० पाटील** :

श्री गंगाधर सानीपल्ली : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई विकास परियोजनाओं का राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति हेतु 29 फरवरी, 1992 को लम्बित पड़ी विकास परियोजनाओं का राज्यवार एवं परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बित पड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पहली मार्च, 1991 से अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं की सूची दर्शाने वाला ब्यौरा (विवरण-I) संलग्न है।

(ख) और (ग) 29 फरवरी, 1992 तक पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं की कारण सहित सूची दर्शाने वाला ब्यौरा (विवरण-II) संलग्न है।

(घ) परियोजनाओं का मूल्यांकन, पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य-योजनाएं प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जाता है और ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय अधिकतम 3 महीने की अवधि के भीतर ले लिया जाता है। अपेक्षित आंकड़ों को शीघ्र मंगवाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

विवरण-I

1-3-91 से 29-2-91 तक कि परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई उनकी सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1.	**खनन परियोजनाएं**
	आन्ध्र प्रदेश
1.	रामागुण्डम ओ० सी० पी०-2 परियोजना, सिंगरेनी कालियरीज कम्पनी लिमिटेड।
2.	दक्कन सीमेंट लि० की भवानीपुरम चूना पत्थर की खदानें।
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
3.	मध्य अंडमान में रनगट में तरणरोध के निर्माण से सम्बन्धित खुदाई कार्य।
	बिहार
4.	भारत कोकिंग कोल लि० का ब्लाक-2 ओ० सी० पी०।
5.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० का करकटा ओ० सी० पी०।
6.	चुने हुए धोरी ओ० सी० पी०, सी० सी० एल।
	मध्य प्रदेश
7.	एन० एम० डी० सी० के बैलाडिला डिपोजिट--5 के लिए फाइन ओर हैंडलिंग स्कीम।
8.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की टांडसी कोयला खान परियोजना।
9.	भदरपुर चूना पत्थर खदान, मैहर सीमेंट।
	महाराष्ट्र
10.	ग्राम गैरोला आर० एफ० जामदी, जिला भंडारा में पावरी कायनाइट खदान।
11.	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की मुनोली ओ० सी० पी०।
12.	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की पदमपुर ओ० सी० पी०।

1	2

13. गोडेगांव ओ० सी० पी०, वैस्टर्न कोलफील्ड्स ।

14. बैलोरा ओ० सी० पी०, चरण-1, वैस्टर्न कोलफील्ड्स ।

उड़ीसा

15. अनन्त ओ० सी० पी०, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ।

16. कलिंग कोल प्रिपेरेशन प्लांट, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ।

17. लाजकुरा ओ० सी० पी०, एस० ई० सी० एल० ।

18. लखनपुरा ओ० सी० पी०, एस० ई० सी० एल० ।

19. सामलेश्वरी, ओ० सी० पी०, एस० ई० जी० एल० ।

20. भरतपुर ओ० सी० पी०, एस० ई० सी० एल० ।

पश्चिम बंगाल

21. बकुलिया अंडरग्राउण्ड प्रोजेक्ट (ई० सी० एल०) ।

22. जे० के० नगर अंडरग्राउण्ड प्रोजेक्ट, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ।

23. नारराकोंडा यू/जी प्रोजेक्ट, ई० सी० एल० ।

2. **ताप विद्युत परियोजनाएं**

आन्ध्र प्रदेश

24. जागुरपाडु, आंध्र प्रदेश में गैस आधारित परियोजना (200 मेगावाट)

25. चांडिल टी० पी० एस० (2 × 20 मेगावाट)

कर्नाटक

26. मंगलौर टी० पी० एस० (2 × 210 मेगावाट)

महाराष्ट्र

27. ट्राम्बे में गैस आधारित टी० पी० एस० (180 मेगावाट)

उड़ीसा

28. नेल्को में कैप्टिव पावर प्लांट (2 × 210 मेगावाट)

तमिलनाडु

29. पिल्लई पेरूनल्लूर में गैस आधारित परियोजना (200 मेगावाट)

30. विद्यमान इकाइयों का एन० एल० सी० का आधुनिकीकरण कार्यक्रम (600 मेगावाट)

त्रिपुरा

31. रोखिया (विस्तार) गैस आधारित परियोजना (चरण 2 एवं 3) (2 × 8 + 2 × 8 मेगावाट)

1 2

32. त्रिपुरा में रामचन्द्र नगर में नापको का गैस टबकौइन प्रोजेक्ट (4 × 21 मेगावाट)

पश्चिम बंगाल

33. बज-बज टी० पी० एम० (2 × 250 मेगावाट)

34. बालागढ़ टी० पी० एस० (3 + 250 मेगावाट)

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

35. कार निकोबार अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में डी० जी० सैट (3 मेगावाट)

36. नील दीपसमूह में डी० जी० सैट (9.256 मेगावाट)

37. कौड्डल दीपसमूह में डी० जी० सैट (0.048 मेगावाट)

38. हैवलॉक दीपसमूह में डी० जी० सैट (0.512 मेगावाट)

39. कामोर्टा दीपसमूह में डी० जी० सैट (0.75 मेगावाट)

3. **औद्योगिक परियोजनाएं**

असम

40. असम समझौते के अन्तर्गत नुमालीगढ़ आई० बी० पी० कम्पनी लि० में पेट्रोलियम रिफाइनरी।

41. बंगाई गांव रिफाइनरीज एवं पेट्रो कैमिकल्स लि० में सुधारक एवं एल० पी० जी० सुविधाओं में गत्यावरोध दूर करने के लिए रिफाइनरी का विस्तार।

42. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन नौगांव तथा कधार पेपर परियोजना।

आंध्र प्रदेश

43. 0.4 एम० टी० से 1.4 एम० टी० तक भारतीय सीमेंट कारपोरेशन के येरगुंराला सीमेंट संयंत्र का विस्तार।

44. गोदावरी बेसिन में रावा तट दूर क्षेत्र से तेल/गैस का उत्पादन एवं सुराश्यामान में तटदूर टर्मिनल सुविधा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

45. प्रोपलीन रिकवरी यूनिट, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०

बिहार

46. बोकारो इस्पात संयंत्र का 1.7 से 4.00 एम० टी० विस्तार एवं कन्वर्टर शाप एट हॉट स्ट्रीप मिल का आधुनिकीकरण, भारतीय इस्पात लि०

गुजरात

47. कान्डला बन्दरगाह में एल० पी० जी० आयात की सुविधा, भारतीय तेल निगम लि०

48. इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० कागंधार पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स

49. गंधार आयल फिल्ड विकास चरण 1 और 2, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

1	2

50. गुजरात के नवगाम में उत्तरी गुजरात के 6.7 एम० एम० टी० पी० ए० कच्चे तेल के संसाधन के लिए डिसाल्टिंग संयंत्र की स्थापना, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

51. भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० द्वारा वड़ौदा में कार्बन फाइबर पायलट प्लांट (12 टी० पी० ए०/उत्पादन उपयोग विकास केन्द्र, पोली प्रोपलीन एवं बोली-ब्यूटाडीन रबर संयंत्र की स्थापना

52. कच्छ की खाड़ी में दूसरा सिंगल ब्यूआर्स मूरिंग सिस्टम, भारतीय तेल निगम लि०

53. गुजरात के कवास-हजीरा क्षेत्र में रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लि०/रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि० द्वारा रसायन परिसय की स्थापना ।

हरियाणा

54. गुड़गांव में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इंजीनियर्स इंडिया लि०

कर्नाटक

55. विश्वेश्वरण आयरन एंड स्टील लि०, भद्रावती में ब्लास्ट फर्नेस काम्पलैक्स

केरल

56. कोचीन रिफायनरी का 4.5 से 7.5 एम० एम० टी० पी० ए० तक विस्तार, कोचीन रिफायनरी लि०

मद्रास

57. सालेम स्टील संयंत्र में हॉट रोलिंग सुविधाओं की स्थापना

58. कावेरी बेसिन में डिस्टिलेशन सुविधाओं की स्थापना मद्रास रिफायनरीज लि०

59. कोयम्बटूर मुरूगन मिल में 144 पुराने लमों के स्थान पर 48 हाई-टेक शटललेस लूमों की स्थापना, नेशनल टैक्स्टाइल कार्पोरेशन लि०

महाराष्ट्र

60. थाणे बेलापुर में नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लि० की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना

उड़ीसा

61. उड़ीसा सेण्ड काम्पलैक्स, इंडियन रेयर अर्थस लि०

62. दामन जोड़ी में एल्यूमिना रिफायनरी की क्षमता में 0 8 से 1.35 एम० एम०टी० पी० वाई० तक विस्तार एवं अंगुल में अल्युमिनियम प्रागालक की क्षमता में 0.218 से 0.345 एम०एम० टी० पी० वाई० तक का विस्तार, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लि०

उत्तर प्रदेश

63. जी० जे० ग्लास लि० ऋषिकेस के ग्लास यूनिट का आधुनिकीकरण एवं विस्तार (45,000 एम० टी० पी० ए० + 200 मिलियन बायल)

1	2

64. लाल तापर में शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख सूखे फल एवं सब्जी यूनिट (200 टी० पी० ए०) की स्थापना, फलेक्स फूडस लि०

65. मौजूदा क्यूपोला फर्नेस के स्थान पर इन्डक्शन फर्नेस लगाना, मेसर्स दिवान चन्द सूरज प्रकाश जैन, आगरा

66. बुलन्दशहर में ओरल पोलियों वैक्सीन यूनिट की स्थापना, भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल कारपोरेशन लि०

67. दैवाला चीनी मिल की क्षमता में 900 टी० सी० डी० से 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि०

प० बंगाल

68. शर्तों में सुधार, दामोदर सीमेंट एवं स्लैग लि०

69. तटदूर एवं तटपर ब्लाकों से तेल की खुदाई (अकम्बीय सर्वेक्षण)

70. स्पर-4 गैस पाइप लाइन परियोजना, जी० ए० आई० एल०

4. नदी घाटी परियोजनाएं

मध्य प्रदेश

71. विद्युत यूनिट—गांधी सागर, चरण-2, 4 × 40 मेगावाट की स्थापना

मिजोरम

72. सरलियू—बी जल विद्युत परियोजना

गोवा

73. अन्जुनेम लघु जल-विद्युत स्कीम

74. सलौली सिंचाई परियोजना

5. परमाणु ऊर्जा परियोजना

कर्नाटक

75. कंगा परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 3-6 (4 × 235 मेगावाट)

तमिलनाडु

76. पलायाकयाल में नया जिर्कोनियम सोंज परियोजना

77. पलायाकयाल में टिटेनियम परियोजना

6. अन्य परियोजना

आंध्र प्रदेश

78. विशाखापत्तनम पतन में अन्दरूनी बन्दरगाह में एक बहु-उद्देशीय बर्थ का निर्माण

1	2

गुजरात

79. कांडला पत्तन में पूर्ण कंटेनर उठाई-धटाई सुविधाओं में विकास

गोवा

80. मर्मू गोवा पत्तन में एक अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण

81. हैडलैंड, बास्को में अन्टार्कटिका अध्ययन केन्द्र का निर्माण

कर्नाटक

82. करवार में सी-बर्ड नौ सेना अड्डा

केरल

83. केरल के कन्नानौर जिले में मोपला की खाड़ी में मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण-पर्यावरणीय मंजूरी

84. केरल के कालीकट जिले में क्विलैडी में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण पर्यावरणीय मंजूरी

85. केरल में पोन्नानी मालापुरम में मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण-पर्यावरणीय मंजूरी

86. केरल के कोट्टूर-पोल्लाथाई में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण-पर्यावरणीय मंजूरी

87. केरल में अर्थुंगल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण-पर्यावरणीय मंजूरी।

88. केरल के अम्बोल के मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण पर्यावरणीय मंजूरी

महाराष्ट्र

89. महाराष्ट्र के शोलापुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम का निर्माण।

90. एलिफैन्टा आई लैंड में नए एवं हर-मौसम में काम करने वाले जेटी का निर्माण

91. सैसून मत्स्य बन्दरगाह-भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा सुविधाओं का निर्माण।

92. बम्बई पत्तन न्यास द्वारा सबमेरिन पाइप लाइई का प्रतिस्थापना।

93. कलाम्बोली, बम्बई में सीमेंट की अधिकाधिक परिवहन एवं वितरण के लिए प्रायोगिक परियोजना हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

उड़ीसा

94. परादीप पत्तन में बहु-उद्देशीय कार्गो बर्थ का निर्माण।

तमिलनाडु

95. तमिलनाडु में सलेम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम का निर्माण।

उत्तर प्रदेश

96. इलाहाबाद, नैनी में यमुना नदी के ऊपर पुल का निर्माण।

पश्चिम बंगाल

97. केन्द्रीय अन्तरदेशीय जल परिवहन निगम लि० द्वारा हल्दिया और कलकत्ता के बीच सुपर फास्ट पैसेंजर फैरी सर्विस चलाने के लिए एक होवर क्राफ्ट का अधिग्रहण।

विवरण-II

(29-2-91) को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मन्त्रालय को पहली बार भेजने की तारीख	लम्बित पड़ी होने के कारण
1	2	3	4
I.	**खनन परियोजनाएं**		
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	रामागुंडम शाफ्ट ब्लाक-I सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (एस सी सी एम)	16-10-1989	अपेक्षित पर्यावरणीय और कार्य योजनाओं की या तो प्रतीक्षा है या परियोजना प्राधिकारियों से हाल ही में प्राप्त हुई है।
2.	चरेल खुली खदान परियोजना एस सी सी एल	09-08-90	—वही—
3.	मेढापल्ली खुली खदान परियोजना एस सी सी एल	09-01-91	—वही—
4.	एस सी सी एल की गोतम खनी परियोजना	01-02-92	—वही—
5.	एस सी सी एल की पदमावती खानी परियोजना	01-2-92	—वही—
	बिहार		
6.	राजरप्पा खुली खदान परियोजना केन्द्रीय कोलफील्ड्स लि० (सी सी एल)	13-5-88	—वही—
7.	अमझौरे खनन परियोजना, पाइराइट्स, फास्फेस्ट्स एन्ड केमिकल्स लि० (पी पी सी एल)	15-3-88	—वही—
8.	नोआमुंडी आयरन ओर माइन्स, मै० टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० (टिसको)	7-3-90	—वही—
9.	टोपा (पुनर्गठन) खली-खदान परियोजना, सी सी एल	3-12-90	—वही—

1	2	3	4
10.	के० डी० हेसालांग परियोजना, सी सी एल	1-12-91	—वही—
11.	उरामर्रा खुली खदान परियोजना, सी सी एल	1-12-91	—वही—
12.	चुरी अन्डर ग्राउण्ड परियोजना, सी सी एल	1-11-91	—वही—
13.	चापरी हिन्दुस्तान कापर लि० की चापरी सिद्धेश्वर खान परियोजना	27-1-92	—वही—
14.	केदला वाशरी परियोजना, सी सी एल	3-2-92	—वही—
	मध्य प्रदेश		
15.	रोघाट ग्रायरन ओर परियोजना, भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी)	8-6-87	—वही—
16.	दक्षिण पूर्वा कोलफील्ड्स लि० की शीतलधारा अन्डर ग्राउण्ड खान (एस ई सी एल)	1-11-90	—वही—
17.	डिपोजिट नम्बर 10/11 ए और 11बी बैलाडिला ग्रायरन और परियोजना, एन एम डी सी	1-2-92	—वही—
	महाराष्ट्र		
18.	पिम्पलगांव खुली खदान परियोजना, एच सी एल	8-2-90	—वही—
	राजस्थान		
19.	सलादीपुरा पाइराइट्स खनन परियोजना, पी पी सी एल	16-9-88	—वही—
	उड़ीसा		
20.	एक्सपेंसन आफ इंटिग्रेटिड, एल्युमिनियम काम्पलैक्स, नालको	23-12-91	—वही—
21.	तल्चर एंड ड्यूलबेरा यू/जी माइन आफ एस ई सी एल	23-1-92	—वही—

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
22.	जमबाद ओ० सी०पी०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० सी० एल०)	28-2-91	—वही—
23.	चिनाकुरी I एंड II माइन, ई० सी० एल०	18-11 89	—वही—
24.	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लि० (पंथल जिला, ऊधमपुर के पास) की पंथल मेग्नेसाइट परियोजना	1-5-90	—वही—
II.	**ताप विद्युत परियोजनाएं**		
	दिल्ली		
25.	बवाना गैस बेस्ड (टी० पी० एस०) दिल्ली	अक्तूबर 1991	—वही—
26.	आई० पी० पावर प्लांट (आर० एण्ड एम० कार्यक्रम)	जनवरी 91	—वही—
	गुजरात		
27.	कैपिटव पावर प्लांट आफ जी० एस० एफ० सी०, गुजरात	जनवरी 91	—वही—
	हरियाणा		
28.	कैपिटव पावर प्लांट आफ मारुति उद्योग लि०, 20 मे० वा० हरियाणा	जून 91	—वही—
	कर्नाटक		
29.	कैपिटव पावर प्लांट (डी जी सैट) आफ० के० आई० सी० ओ० एल० 48.5 मे० वा०, कर्नाटक	जनवरी 91	—वही—
	केरल		
30.	कयाकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना 2 × 210 मे० वा० एन० टी० पी० सी०, केरल	जुलाई 1991 में पुनः खोली गई	—वही—
	राजस्थान		
31.	धौलपुर ताप विद्युत स्टेशन, 3 × 250 मे० वा०, आर एस ई बी राजस्थान	मई 91	—वही—

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
32.	तमिलनाडु इण्डस्ट्रीज कैप्टिव पावर क० लि०, 1 × 210 मे० वा० पुनः खोली गई तमिलनाडु	जनवरी 91 में	—वही—
III.	**औद्योगिक परियोजनाएं**		
	आंध्र प्रदेश		
33.	हैदराबाद में सरकारी टकसाल	9-9-91	—वही—
	असम		
34.	लवका में एल० पी० जी० रिकवरी सुविधाएं	9-4-91	—वही—
	गुजरात		
35.	भारतीय तेल निगम कं० गुजरात तेल शोधनालय का विस्तार	20-9-91	—वही—
	हरियाणा		
36.	कृषि भारत कोआपरेटिव लि० की पलवल में उर्वरक परियोजना	13-2-91	—वही—
37.	मारुति उद्योग लि० का विस्तार	अगस्त 1991	—वही—
38.	हरियाणा में नई तेलशोधन शाला	20-9-91	—वही—
	जम्मू एवं कश्मीर		
39.	पंथाल में डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट परियोजना	18-9-91	—वही—
	कर्नाटक		
40.	मंगलौर में पेलेटीजेशन संयंत्र कुद्रेमुख आयरन आयर कम्पनी लि०	अक्तूबर 1990	—वही—
41.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कं० द्वारा मंगलौर में एल० पी० जी० भंडारण की सुविधायें	7-2-91	—वही—
	मध्य प्रदेश		
42.	भिलाई स्टील का विस्तार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	मई 1989	—वही—

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
43.	यू० एस० ए० आर० में एल० पी० जी० रिकवरी संयंत्र	14-8-91	—वही—
44.	जी० ए० आई० एल० द्वारा बम्बई में प्राकृति गैस का वितरण	18-1-92	—वही—
	उड़ीसा		
45.	राउरकेला संयंत्र का आधुनिकीकरण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	मार्च, 1991	—वही—
46.	तालचर उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीरण/ पुनर्वास-भारतीय उर्वरक निगम	अक्तूबर, 1991	—वही—
	राजस्थान		
47.	सलादीपुरा में फास्फेटिक उर्वरक परियोजना-पी० पी० सी० एल०	20-3-91	—वही—
	तमिलनाडु		
48.	सलेम इस्पात संयंत्र, विस्तार, एस० ए० आई० एल०	जुलाई, 1989	—वही—
	उत्तर प्रदेश		
49.	ओरैया में गैस क्रेकर परिसर, भारतीय गैस प्राधिकरण लि०,	अक्तूबर, 1989	—वही—
50.	एन्टीबायोटिक यूनिट में डी० जी० सेटों की स्थापना-इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि०, ऋषीकेश	अप्रैल, 90	—वही—
51.	मै० रोड मास्टर इंडस्ट्रीज, ऋषीकेश द्वारा इस्पात संयंत्र का विस्तार	27-3-91	—वही—
52.	छोटे जेनेरेटर्स एवं बहु-उद्देशीय इन्जन-मैसर्स बिरला यामाहा, देहरादून	20-12-91	—वही—
	पं० बंगाल		
53.	आई० आई० एस० सी० ओ०, बर्नपुर का आधुनिकीकरण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	मई, 1988	—वही—

1	2	3	4
	अन्य		
54.	एच० बी० जी० पाईपलाइन का उन्नयन-भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	7-3-91	—वही—
55.	हजीरा गैस ट्रंक पाईपलाइन में वित्तीय बेस एवं तट दूर की सुविधाओं में विस्तार—ओ० एन० जी० सी०	जुलाई, 91	—वही—
56.	दिल्ली से मारुती उद्योग लि० तक पाईपलाइन-जी० ए० आई० एल०	18-9-91	—वही—
57.	आर-15, ढांचा-ओ० एन० जी० सी०	18-1-92	—वही—
IV.	नदी घाटी परियोजनाएं		
58.	राथान्यू जल विद्युत परियोजना (सिक्किम)	अगस्त, 1991	—वही—
59.	कच्छ ज्वारीय परियोजना (गुजरात)	फरवरी, 1990	—वही—
60.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना (म० प्र०)	अगस्त, 1991	—वही—
61.	जामरानी परियोजना (म० प्र०)	अप्रैल, 1989	—वही—
62.	उकाई ककरापार आधुनिकीरण परियोजना (गुजरात)	जनवरी, 1991	—वही—
63.	मोंगरा परियोजना (म० प्र०)	जनवरी, 1991	—वही—
	V. परमाणु ऊर्जा परियोजना		
64.	रावत भाटा में, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 5—8, (राजस्थान)	20-8-89	—वही—
65.	एन० एफ० सी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में नया यूरेनियम ईंधन संयोजन संयंत्र आन्ध्र प्रदेश)	26-11-90	—वही—
66.	छत्रपुर (गंजाम), उड़ीसा के उड़ीसा सैंट काम्पलैक्स में नया थोरियम संयंत्र (उड़ीसा)	नवम्बर, 1991	—वही—

1	2	3	4
VI.	**अन्य परियोजनाएं**		
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
67.	पोर्टब्लेयर में बर्थ न० 3 तथा 4 हैडो का निर्माण	16-9-91	—वही—
68.	कार निकोबार द्वीपसमूह के मसलक्का एवं टी टाप में पैसेन्जट हाल एवं कार्गो शेड का निर्माण	7-11-91	—वही—
69.	कछाल में पोर्ट कंट्रोल टावर एवं स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	7-11-91	—वही—
70.	टेरेस्न में पोर्ट कंट्रोल टावर, पैसेंजर-व-कार्गो शेड और आपरेशनल स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	7-11-91	—वहीं—
71.	चौरा में पोर्ट कंट्रोल टावर, पैसेंजर-व-कार्गो शेड एवं आपरेशनल स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	7-11-91	—वही—
72.	अबरदीन में रैम्प एवं पोर्ट ब्लेयर में जेटी का निर्माण	5-12-91	—वही—
73.	पोर्ट ब्लेयर में दो नम्बर ट्रान्सिट गोदाम का निर्माण एवं चट्टाम कोजवे तक क्षेत्र का विकास	19-12-91	—वही—
74.	पोर्ट ब्लेयर में फैनिक्स बे में पैसेंजर हाल एवं टिकट काउन्टर का निर्माण	20-12-91	—वही—
75.	होप टाउन में खतरनाक कार्गो शेड रैम्प, सम्प एवं पम्प हाउस एवं बर्कशाप भवनों का निर्माण	21-1-92	—वही—
76.	पोर्ट ब्लेचर के हैडो में गोदाम का निर्माण	13-1-92	—वही—
	आंध्र प्रदेश		
77.	श्रीकाकुलम में एफ० सी० आई० के गोदाम का निर्माण	16-1-91	—वही—

1	2	3	4
78.	तुगलकाबाद में इंलैंड कान्टेनर डिपो का स्थान निर्धारण	8-10-91	—वही—
	जम्मू एवं कश्मीर		
79.	जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल में अनाज गोदाम	4-9-90	—वही—
	केरल		
80.	थट्टापल्लाई में मतस्य बन्दरगाह का निर्माण	जनवरी, 92	—वही—
	कर्नाटक		
81.	कर्नाटक के बलानी में अनाज गोदाम का निर्माण	11-11-01	—वही—
	उड़ीसा		
82	पारादीप बन्दरगाह में कोयले की उठाई-घटाई की सुविधाएं	22-11-90	—वही—
	प० बंगाल		
83.	कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की यान यातायात प्रबन्ध प्रणाली	11-11-91	—वही—

श्री विजय एन० पाटिल : इसका उत्तर अस्पष्ट और अधूरा है। जिस समय मैंने विकास परियोजनाओं के बारे में पूछा था तब इससे अभिप्राय क्या केवल गोदामों, पुलों और सड़कों के निर्माण से ही है ? क्या कृषि भूमि की सिंचाई और कृषि के विकास के लिए जो बांधों का निर्माण किया जाता है क्या वह सब इसमें सम्मिलित नहीं है ? यदि ये सब इसमें सम्मिलित हैं तब क्या मंत्री महोदय लम्बित परियोजनायें जैसे हर राज्य में बांधो और तालाबों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में मुझे उत्तर देंगे ?

अपने उत्तर में उन्होंने लम्बित पड़ी हुई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय को भेजे गये प्रथम पत्र की दिनांक आदि का जिक्र किया है। परन्तु मैं उन परियोजनाओं के बारे में जानना चाहता था जिन्हें मंजूरी नहीं दी गई हैं। कब से वे लम्बित पड़ी हुई हैं और वे कब तक स्वीकृत की जायेंगी ?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और मेरे विचार से बांधों के बारे में बोलते समय संभवत: वह वन सम्बन्धी परियोजनाओं की स्वीकृति के बारे में कह रहे होंगे। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं और जैसाकि माननीय सदस्य ने अनुरोध किया था। मैंने सभा पटल पर उन परियोजनाओं के नामों का ब्यौरा रख दिया है जो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनें हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं ।

श्री विजय एन० पाटील : मैं उन सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं के बारे में चाहे वे विकास संबंधी परियोजनायें हों जानना चाहता था, जो मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह वन परियोजनाओं और पर्यावरण सम्बन्धी परियोजनाओं की स्वीकृति में अन्तर बता रहे हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति से बिल्कुल अलग है। आपको इस अन्तर को समझना है। अब आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री विजय एन० पाटील : जब कोई परियोजना वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मन्त्रालय द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उसको मंजूरी प्रदान करने में औसतन कितना समय उसमें लग जाता है?

श्री कमल नाथ : यदि हर प्रकार से पूरे आंकड़े भेजे जाते हैं, इसमें तीन माह से अधिक समय नहीं लगता। परन्तु यदि आंकड़े पूरे नहीं भेजे जाते, तब इसमें समय लगता है। अतएव यदि हर प्रकार से पूरे आंकड़े भेजे जाते हैं तब इसमें तीन तीन माह से अधिक समय नहीं लगता।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली : मुझे ज्ञात हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में सांसदों के साथ मुख्यमन्त्री महोदय की हुई बैठक में हमें यह बताया गया था कि वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दो मामले लम्बित पड़े हैं जिनमें से एक मामला 220 कि० वा० की ट्रांसमिशन लाईन से सम्बन्धित है, जो वर्ष 1986 से ही लम्बित पड़ा हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से इस मामले विशेष में विलम्ब होने के कारण नहीं पूछ रहा हूं परन्तु मैं विस्तार में जानना चाहता हूं कि सामान्यतः ऐसे मामलों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं।

श्री कमल नाथ : वह पुनः वन सम्बन्धी परियोजना की स्वीकृति के बारे में पूछ रहे हैं। उनका वन सम्बन्धी परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब किये जाने से सम्बन्धित है। यद्यपि यह प्रश्न विशेषकर वन सम्बन्धी परियोजना को स्वीकृति से सम्बन्धित नहीं है और मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां ऐसे मामले भी आये हैं जिनके बारे में हमें हर प्रकार से पूर्व प्रस्ताव मिले हैं और जिन्हें अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक निपटाया जाता है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें पांच, छः अथवा सात वर्ष तक लग गये हैं, क्योंकि उनसे सम्बन्धित नक्शे नहीं हैं। पर्यावरण व्यवस्था सम्बन्धी योजना नहीं भेजी गई है अथवा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ नहीं भेजी गई है, जिससे हमें निर्णय लेने में समय लग जाता है। इस समय राज्य सरकारों ने हमें सही, उचित और पूर्ण जानकारी भेजना शुरू कर दिया है और यदि पूर्ण जानकारी हमें भेजी जाती है तो इसमें अब विलम्ब भी नहीं किया जायेगा।

श्रीमती शीला गोपालन : निःसन्देह कयमकुलम विद्युत तापीय परियोजना की स्वीकृति का मामला कई वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 1991 में इस पर पुनः विचार किया गया था। परन्तु केरल की समस्या यह है कि वहां पर बिजली की काफी कमी है। केरल में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अखिल भारतीय स्तर पर 280 की तुलना में 165 यूनिट है। अतः हमारे यहां बिजली की स्थिति काफी शोचनीय है और कयमकुलम के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लम्बित पड़ी हुई है। रोगना जलविद्युत परियोजना को नामंजूर कर दिया गया है और इसको नामंजूर करने के कारण हैं। मूक घाटी परियोजना को भी नामंजूर कर दिया गया था डा० एम०जी०के०मैनन ने कहा था कि यदि वर्ष 1991 तक किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाती तब केरल का भविष्य अंध कारमय हो जायेगा और हमारी कई परियोजनायें जैसे कयमकुलम तापीय परियोजना और कई परियोजनायें पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में लम्बित पड़ी हुई हैं। इससे केरल के भविष्य को भी अहित हो सकता है और केरल के औद्योगिक विकास के साथ भेदभाव बरता जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि कयमकुलम विद्युत तापीय परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है । यदि आपके पास इसका उत्तर है तो आप अभी दे सकते हैं अथवा आप लिखित में दे सकते हैं ।

श्री कमल नाथ : मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की व्यग्रता की प्रशंसा करता हूं । कयमकुलम विद्युत तापीय परियोजना को पहले नामंजूर कर दिया गया था, मामला बन्द कर दिया गया था, परन्तु जुलाई1991 में राज्य सरकार द्वारा निवेदन करने पर इस पर पुन विचार किया गया इसे भी नामंजूर कर दिया गया था । वहां पर इसके लिए विशेषरूप से एक दल भेजा गया था । मैंने उस स्थल का दौरा करने के लिए और इसके पुन: स्थापना की संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए विशेष रूप में एक दल भेजा था । जब हम नामंजूरी की बात करते हैं तो मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे अभिप्राय स्वयं परियोजना को ही नामंजूर करने से नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय उस स्थान को नामंजूर करने से हैं । स्थल को बदला जा सकता है उसे हटाया जा सकताहै । उसे स्थानान्तरित किया जा सकता है । अत: दल वहां पर गया था और यह सुझाव भी दिया था कि बिजलीघरों की राख का पुन: इस्तेमाल और उनका निपटान करने लिए तथा मात्सियकी विकास के लिए तटीय क्षेत्र की सुरक्षा करने लिए उस प्रस्तावित विद्युतघर की राख का निपटान करने वाले स्थान पर विद्युतघर स्थापित किया जाना चाहिए और अभी हाल ही में लगभग दस अथवा पन्द्रह दिन पूर्व मैंने केरल के विद्युत मन्त्री के साथ इस मामले पर चर्चा की थी और मैंने उनसे इस विद्युत ताप घर को उस बिजलीघर की राख का निपटान जिस स्थान पर किया जाता है उस क्षेत्र में उसको स्थापित करने के लिए उनकी सहमति मांगी थी । उन्हें इस मामले पर अभी अपनी सहमति देनी है । जैसे ही मुझे उनसे कुछ उत्तर मिलता है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इस मामले को सर्वोच्च वरीयता देंगे । हम भी इस परियोजना का महत्व जानते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह सहायता करने को सहमत हैं ।

श्रीमती सुशीला गौतम : महोदय, इस परियोजना को परिसर के अन्दर दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित करने में और अधिक क्षति पहुंचेगी क्योंकि यह क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला है । इसका अभिप्राय यह है कि आप केरल की इस परियोजना की नामंजूरी से इन्कार कर रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं इस मामले को देख रहा हूं । इस पर हम ध्यान दे रहे हैं ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यह प्रश्न केवल पर्यावरणीय स्वीकृत के बारे में हैं । हमें माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 76 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है और 83 परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं । अतएव यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय कितनी परियोजनाओं को मन्जूर नहीं किया गया है । और इसमें वन स्वीकृति शामिल नहीं है । अत: यह मानना अधिक ठीक होगा कि औसतन 200 तक ऐसी विकास परियोजनाएं मन्त्रालय की सहमति अथवा स्वीकृति हेतु उसके पास भेजी जाती हैं । मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि मन्त्रालय द्वारा उसी अवधि में कितनी परियोजनाओं को नामंजूर किया गया है ।

दूसरे, विशेषज्ञों की चाहे कुछ भी राय हो, कार्मिक अथवा प्रणाली विज्ञान कुछ भी हो, क्या किसी अधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रस्तावित, तैयार किये गये अथवा पहले ही जिस प्रस्ताव पर निर्णय दे दिया गया हो उस पर मन्त्रालय द्वारा पुन: अपना निर्णय लिया जाता हैं ? यहां पर नौसैनिक अड्डे, उर्वरक संयंत्र, विद्युत तापीय परियोजनाएं । नदी घाटी परियोजनाए तथा सिंचाई परियोजनाएं इत्यादि हैं । इन सभी को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ अभिकरणों द्वारा इन्हें तैयार

किया जाता है। यहां पर आणविक शक्ति सम्बन्धी परियोजनाएं हैं। मैं मन्त्रालय से यह जानना चाहूंगा कि उसके पास कितने विशेषज्ञ और मानव शक्ति है, जो इन सभी विभिन्न परियोजनाओं पर अपना निर्णय मन्त्रालय देता है और उदाहरण के लिए आणविक शक्ति परियोजनाओं के बारे में यह अपना निर्णय कैसे देता है। मन्त्रालय ने मुझे उत्तर में सूचित किया है कि इसके पास कोई क्षमता नहीं है ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आणविक ऊर्जा के तकनीकी पक्ष का निर्णय नहीं करते हैं। वे उसके पर्यावरणीय पक्ष के बारे में निर्णय करते हैं।

श्री जसवंत सिंह : जहां तक नाभिकीय अथवा आणविक विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है उन्होंने मुझे सूचित किया है और मन्त्रालय का इस सम्बन्ध में मेरे पास लिखित में उत्तर है कि वह इस सम्बन्ध में अपना कोई टीका-टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस विषय में किस प्रकार से निर्णय किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं। यहां पर एक ऐसा मन्त्रालय है जिसे विभिन्न प्रकार के विषयों पर निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की हुई हैं। उसे जो कुछ भी विशेष शक्तियां, विशेष तकनीकी क्षमता और मानव शक्ति दी गई हों, क्या उसे इस प्रकार से निर्णय करने का अधिकार है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि यह मन्त्रालय एक वैज्ञानिक मन्त्रालय है और इसकी अनेक मूल्य निर्धारण समितियां हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे जल संसाधन प्रबंधन, परिस्थितिकी प्रणाली प्रबंधन, कृषि विज्ञान, वन परिस्थिति विज्ञान, अभियांत्रिकी, सिविल, खनन, रसायन अभियांत्रिकी तथा समाज विज्ञान आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं। विद्युत ताप घरों के लिए अलग से मूल्य निर्धारण समितियां होती हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए और उद्योग, खनन तथा जल विद्युत के लिए अलग से मूल्य-निर्धारण समितियां होती हैं। प्रारम्भिक संवीक्षा मन्त्रालय के सम्बन्धित तकनीकी संभाग द्वारा की जा रही है और स्वयं संभाग में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं जो परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहते हैं।

तब विशेषरूप से गठित इन विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों द्वारा परियोजना का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मंत्रालय के पास ऐसे विशेषज्ञ न हों। इसके पास विशेषज्ञ होते हैं। इसके पास निपुणता होती है। वैज्ञानिक इसके पास होते हैं। इसके पास इंजीनियर भी होते हैं और आप्रेशनों के पूरे क्षेत्र की जांच करने की क्षमता भी इसके पास मौजूद है।

जहां तक देरी का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं कि कई मामलों में देरी हुई होगी। किन्तु प्रथम जुलाई, 1991 से लेकर मेरा प्रयास यह रहा है कि परियोजना अधिकारियों अथवा राज्य सरकारों, जैसा भी हो, से यह कहा जाता रहा हैं कि सूचना हमें भेजी जाए ताकि हम शीघ्र निर्णय ले सकें। बहुत से निर्णय इसलिए नहीं लिए जा सके क्योंकि पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, और यदि उपलब्ध होते तो कोई न कोई निर्णय लिया जा सकता था। अब आंकड़े मिलने प्रारम्भ हो गये हैं।

अब हमने यह नीति अपनाई है कि जिस मामले में पर्याप्त सूचना उपलब्ध न हो, इसे देखते ही रद्द कर दिया जाना चाहिए बजाये इसके कि इसे लम्बित मामलों की सूची में रखा जाए। इस प्रकार राज्य सरकारों से हुई इन पारस्परिक क्रियायों सहित मैंने पर्यावरण मन्त्रालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों के साथ सभाएं की है; प्रयास यह है कि परियोजना अधिकारियों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाए और वे समझता हूं कि हम इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आबादी में वृद्धि को रोकने के लिए संशोधित कार्य-योजना

*85. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आबादी में वृद्धि की दर को नियंत्रित करने के लिए कोई संशोधित कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसमर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में सुधार करना, (2) 90 खराब कार्य निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 या इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए विविधतापूर्ण नीति तैयार करना, (3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक जन्म दर में कमी के आधार पर उपलब्ध करने के लिए तन्त्र तैयार करना, (4) जन्म अन्तराल की विधियों का तेजी से संवर्धन करके युवा-आयु दम्पतियों की कवरेज में वृद्धि करना, (5) नये गर्भनिरोधक शुरू करना और गर्भनिरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना, (6) शहरी क्षेत्रों विशेषरूप से गन्दी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, (7) चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को पुनर्जीवित करना जिसमें प्रेरक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जायेगा, (8) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण, (9) सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को जीवन के मुद्दों और पारस्परिक संचार की गुणवत्ता पर केन्द्रित करने के लिए अभिमुख करना, (10) कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना, (11) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना, और (12) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्च स्तरीय अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना।

(ग) और (घ) जनसंख्या सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद की एक सात सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(i) सामाजिक और जनांकिकीय आयामों, सामुदायिक स्तर पर मौजूदा और अपेक्षित आधारभूत ढांचे और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकताओं की पुनरीक्षा करना;

(ii) धार्मिक और अन्तर-क्षेत्रीय आधार पर बृहत और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपचारी नीतियों का निर्धारण करना;

(iii) सभी वर्गों के नेतृत्व की प्रतिबद्धता और सहयोग प्राप्त करने और सभी स्तरों पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र सुझाना;

(iv) लोगों विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, सभी श्रेणियों के स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों, व्यापार और उद्योग, श्रम, संगठित और सहकारी क्षेत्र तथा संचार माध्यमों आदि जैसी लोक संस्थाओं के माध्यम से भागीदारी प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सिफारिश करना;

(v) महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उत्थान, साक्षरता और स्वास्थ्य परिचर्या में लिंग भेद को समाप्त करने और मां और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण को जनसंख्या कल्याण कार्यक्रम के अनिवार्य निदेशों (इंपुट) के रूप में बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करना ।

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रम की वित्त पोषण पद्धति में उपयुक्त परिवर्तनों की पुनरीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना ।

(vii) उपर्युक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लिए उपयुक्त सूत्रों के बारे में सुझाव देना ।

(viii) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और उसमें संस्तुत की गई उपचारी नीतियों के कार्यान्वयन की सतत पुनरीक्षा और अनुवीक्षण करने के लिए उपयुक्त तंत्र/तंत्रों का निर्धारण करना और उनके बारे में सिफारिश करना; और

(ix) कोई भी ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो या तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को तैयार करने अथवा जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हो सकती है ।

[हिन्दी]

श्री आनंद रत्न मौर्य : देश की गंभीर समस्याओं के बीच प्रमुख समस्या हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी है और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का सरकार कोई कड़ा, कारगर कदम नहीं उठा पा रही है । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म की आड़ लेकर भारत का एक बड़ा वर्ग जनसंख्या वृद्धि कर रहा है और परिवार नियोजन को नहीं मान रहा है ? ऐसी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कड़े उपाय करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, माननीय सदस्य से मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमें हमारा जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, धर्म, अथवा क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर मतभेद नहीं चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, वास्तविकता को तो ध्यान में रखना होगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन्हें उत्तर देने के लिए कहें।

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि विषय की गम्भीरता के बारे में मुझे जानकारी है। मैं व्यापक राष्ट्रीय हित में माननीय सदस्य से विनम्र और भावपूर्ण अनुरोध करूंगा कि धर्म अथवा जाति के नाम पर इस मुद्दे पर मतभेद न हों। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के कारण हम समाज के सभी वर्गों को भले ही कोई भी जाति हो अथवा कोई भी धर्म हो, इसमें शामिल करना चाहते हैं। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि स्वेच्छा से लाया जाना है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए आप जोर-जबरदस्ती के तरीके नहीं अपना सकते। केवल प्रेरणादायक तरीके ही अपनाने होंगे। देश में जन चेतना पैदा करनी होगी ताकि भारत के सभी लोग इस कार्यक्रम को अपना ही कार्यक्रम मानें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मेरा दूसरा प्रश्न है कि सन् 1990-91 और 1991-92 की तुलनात्मक रिपोर्ट में जनसंख्या प्रतिशत किस ओर है। जनसंख्या प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है? यदि वह बढ़ रहा है तो क्या उसमें फिर धर्म की आड़ है?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं यह नहीं बताना चाहता कि मेरे मन में क्या है। माननीय सदस्य को मैं यह बता सकता हूं कि यह केवल एक ही पक्ष का प्रश्न नहीं हैं बल्कि सदन के इस पक्ष की ओर से भी है। हमें धर्म के आधार पर कार्यक्रम पर मतभेद नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य को मैं यह कह सकता हूं कि इसके लिए धर्म कोई आधार नहीं है।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनम : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सरकार को संशोधित कार्य योजना अपनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या यह सच है कि परिवार नियोजन योजना का उद्देश्य डाक्टरों तथा अधिकारियों की जालसाजी से झूठे कागजात व आंकड़े तैयार करने के कारण, असफल हो रहा है?

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि संशोधित कार्य-योजना की क्या आवश्यकता थी। जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जिस ढंग से देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यह बहुत ही भयावह है और यह बहुत ही गंभीर मामला होने जा रहा है। जब से यह सरकार आई है, हमने यह सोचा कि हमें एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जोकि आवश्यकता पर आधारित हो और जोकि लोगों की अपनी ही योजना हो। जब से हमने कार्यभार संभाला है,

हमने राज्य सरकारों से परामर्श किया है और राज्य-सरकारों के अनुभव के आधार पर ही कार्य-योजना तैयार की गई थी। बाद में फिर यह कार्य-योजना सभी राज्य-सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सामने रखी गई और प्रत्येक ने इसका समर्थन किया और कार्य-योजना पर हस्ताक्षर भी किये। अब इसमें कुछ विकृतियां भी है जिन पर ध्यान दिया जाना है। माननीय सदस्य ठीक कह रहें है कि अतीत में नसबंदी कार्यक्रम में कुछ गलत कार्य भी होते रहे हैं। हमें इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध लाभ-प्रोत्साहनों और इससे होने वाली हानियों आदि बातों को सुधारना है। हमने एक समिति गठित की है जो कि इस बात लगायेगी कि सुधारात्मक नये प्रोत्साहन तथा हानियां आदि क्या होनी चाहिए। हम इन सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। जैसे ही, इस मामले को अन्तिम रूप दिया जाता है, तो मैं सदन के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश में बहुत बड़ी विभीषिका का रूप धारण कर लिया है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो सब पर समान रूप से, नसबन्दी के मामले में, लागू हो। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या कोई ऐसा कानून बनाने का उनका विचार है। यदि आप एक कानून बना देंगे तो फिर इधर उधर बचने का रास्ता नहीं रहेगा। अभी मन्त्री जी ने बार-बार जैसा कहा, धर्म इसमें आड़े आ रहा है, नसबन्दी के मामले में, लेकिन धर्म तो कहीं आड़े आता नही हैं। जहां दूसरे धर्म हैं, वहां भी नसबन्दी लागू है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मन्त्री जी ने ऐसा नहीं कहा।

श्री राजबीर सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि देश में समान रूप से लागू करने के लिए क्या मन्त्री जी कोई कानून बनाएंगे, जो सब नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में ऐसा कोई कानून का सरकार का विचार है या नहीं।

श्री एम० एल० फोतेदार : इस देश में जो भी कानून बनेगा और जिस कानून को यह पार्लियामैंट पास करेगी, वह हर भारत के नागरिक पर, हर व्यक्ति पर लागू होगा, इसलिए शंका की कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में, क्या कोई कानून बनाया जायेगा, मैं सब कानूनों की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री स्वरूप उपाध्याय : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बहुसंख्यक समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदाय दोनो ही के धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रख कर, उन व्यक्तियों के लिए जो परिवार नियोजन उपायों को अपनाते हैं, वार्षिक आधार पर अथवा मासिक आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रणाली लागू करेगी ताकि हमें प्रत्येक प्रणाली का सही अनुमान हो सके और परिवार नियोजन उपायों को अपनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि दे सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठायेगी अथवा नहीं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं प्रश्न को ठीक ढंग से नहीं समझ सका। दोबारा यही कहूंगा कि कृपया परिवार नियोजन कार्यक्रम में धर्म को न लाएं। हमें इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यवाही करनी

चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक—चाहे पुरुष हो अथवा महिला हो—इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय आवश्यकता मानकर इसे स्वीकार करें।

क्षयरोग प्रतिरोधी औषधियां

*86. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने क्षयरोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता देने और क्षयरोग प्रतिरोधी औषधियों/उपकरणों की आपूर्ति में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार राज्य की औषधों की व्यापक आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना में परिवर्तित करने की इच्छुक है।

(ग) योजना आयोग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम को 50 : 50 के आनुपातिक आधार पर जारी रखा जाए। राजस्थान सरकार को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त सहायता प्राप्त हो रही है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष जी, क्षयरोग को रोकने के लिए राजस्थान की राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्षों में उन्होंने कितनी वित्तीय सहायता राज्य सरकार को दी और आगामी वर्षों में केन्द्रीय सरकार क्षयरोग को रोकने के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है।

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राजस्थान के सम्बन्ध में पूछना चाहते हैं। पिछले तीन वर्षों में बजट एलोकेशन इस प्रकार रहा—वर्ष 1989-90 में 44 लाख रुपये का एलोकेशन था, जबकि एक्चुअल एक्सपैंडीचर 51.65 लाख रुपये था, वह दिया गया, वर्ष 1990-91 में एलोकेशन 50 लाख रुपये था, जब कि एक्चुअल एक्सपैंडीचर राजस्थान राज्य सरकार ने 42.01 लाख रुपये किया और वर्ष 1991-92 में, यानी इस साल, 53 लाख रुपये का बजट एलोकेशन था, और एन्टीसिपेटिड एक्चुअल एक्सपैंडीचर भी 53 लाख होगा। इसके अलावा इसमें हमने मैटीरियल एसिस्टैंस काफी दी है। उसके अतिरिक्त हमने ईक्विपमैंटस भी दिए हैं और 6 डीजल जीप्स भी राजस्थान राज्य सरकार को दी हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने उपकरणों के लिए जो राशि दी है, मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जनसंख्या और सारे डैजर्ट एरिया को देखते हुए वहां यह रोग काफी है। आपने जो सहायता दी है क्या उसमें और वृद्धि करने पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री एम० एल० फोतेदार : राज्य सरकारों को इस बारे में जो सहायता दी जानी है वह 50-50 बेसेस पर है यानि इसके लिए जो इक्विपमैंट की जरूरत होती है वह केन्द्र सरकार देती है, जो ड्रग्स की जरूरत है वह केन्द्र सरकार देती है, जो इनफास्ट्रक्चर है वह स्टेट गवर्नमैंट को देना है । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यदि राजस्थान का ज्यादा खर्च हो जायेगा तो उस पर विचार करेंगे ।

श्री डाऊ दयाल जोशी : क्या यह सही है कि क्षय रोग का एक बहुत बड़ा कारण सीमेंट के कल कारखाने भी हैं । राजस्थान में लघु और वृहद सीमेंट कारखाने बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं । हिन्दुस्तान को सीमेंट सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा उद्योग राजस्थान हैं । जहां-जहां सीमेंट उद्योग स्थापित हैं वहां के लिए क्या आप राज्य सरकारों को विशेष निर्देश देकर क्षय रोग से लड़ने के लिए कोई अनुदान सहायता देने का विचार रखते हैं ?

श्री एम० एल० फोतेदार : मेरे पास ऐसी कोई इनफार्मेशन नहीं है कि सीमेंट कारखाने खोलने से ऐसी बीमारी फैलती है । मेरे सामने ऐनवायरनमैंट मन्त्री बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वहां पर जो भी पौल्यूशन है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करें ।

संरक्षित वनों के बारे में सर्वेक्षण

*87. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षित वनों में हुई कमी के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून हर दो वर्षों के बाद वनों के उपग्रह प्रतिबिंबिकी के दृश्य विवेचन के आधार पर देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रहा है और इसकी रिपोर्ट, "स्टेट फारेस्ट रिपोर्ट" के रूप में प्रकाशित की जाती है । 1987-89 की अवधि से सम्बन्धित तीसरा और नवीनतम वन आवरण मूल्यांकन अभी-अभी पूरा किया गया है और इसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । मूल्यांकन के अनुसार, उक्त अवधि में देश के वास्तविक वन आवरण में 28,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री स्वामी सुरेशानन्द : आपने बताया है कि दो वर्षों बाद मूल्यांकन किया जाता है, 1987-89 में जो मूल्यांकन किया गया है उसको आप अन्तिम रूप कब तक दे देंगे, इसके लिए क्या आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

श्री कमल नाथ : जैसे मैंने जानकारी दी है, यह सर्वे हो चुका है । इसकी रिपोर्ट जो स्टेट आफ दी फौरेस्ट रिपोर्ट कहलाती है, तैयार है । मुझे उम्मीद है कि अगले दो महीनों में फाइनल होकर इसे पेश कर सकेंगे । जो मूल्यांकन किया गया है इसके आंकड़े यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं दे सकता हूं ।

श्री स्वामी सुरेशानन्द : आपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 28 हजार हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। क्या यह बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश राज्य में भी हुई है ? यदि हुई है तो कहां-कहां हुई है ?

श्री कमल नाथ : सैटेलाइट इमैजरी से हमें जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश में जो फौरेस्ट

कवर है वह घटा है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां फौरेस्ट की संख्या कम हुई है। 1985-87 के कम्पैरीजन में 18 स्क्वैर किलोमीटर कम है।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सभी वनों का सर्वेक्षण व उनकी गणना पूरी कर ली गई है और क्या भारत सरकार द्वारा रिकार्ड में इस आशय की प्रविष्टियां कर दी गई हैं। दूसरे, जैसा कि सीमा-शुल्क विभाग में सरकार इस व्यक्ति को ईनाम देती है जो तस्करी के बारे में सरकार को सूचित करता है, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जोकि वनों की अवैध कटाई के बारे में सरकार को सूचित करते हैं, ईनाम देने के बारे में विचार करेगी।

श्री कमल नाथ : 'इण्डियन फोरस्ट रिपोर्ट 1987 के अनुसार 1985-86 में देश का कुल वन क्षेत्र 75.22 मीलियन हैक्टेयर था जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.8 प्रतिशत है। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल 0.1 हैक्टेयर है जबकि विश्व की औसत वन भूमि एक हैक्टेयर है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 86.2 प्रतिशत भूमि वन भूमि है जबकि हरियाणा राज्य में यह न्यूनतम है जो कि इसके क्षेत्रफल का केवल 3.2 प्रतिशत ही है। वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनका अपने पहले उत्तर में भी मैंने उल्लेख किया है। हम वनों की अवैध कटाई को रोकने तथा अधिक व्यापक वनारोपण कार्यक्रम लागू करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या हाल ही में सरकार ने मुख्य आंचलिक वन संरक्षकों को पांच हैक्टेयर तक की भूमि के अपवर्तन के प्रस्तावों को उन्हीं द्वारा अनुमोदित करने और राज्य सलाहकार समिति के परामर्श के पांच से 20 हैक्टेयर तक की भूमि अपवर्तन के प्रस्तावों को अनुमोदित करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया था? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सलाहकार समिति का स्वरूप क्या है; क्या इसका कार्य केवल सलाह देना ही है? यदि ऐसा है, तो क्या, विकेन्द्रीकरण के बजाय, केन्द्रीय सरकार के एकता अधिकारी के हाथों में शक्तियां अधिक केन्द्रित नहीं हो जायेंगी और क्या इससे शक्तियों के दुरुपयोग को बढ़ावा नहीं मिलेगा और क्या हमारी वन सम्पदा में वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई के फलस्वरूप और कमी नहीं आयेगी?

श्री कमल नाथ : महोदय, हाल ही में वन मंत्रियों के सम्मेलन में मैंने इस उदारीकरण से हट कर कतिपय विकेन्द्रीकरण की घोषणा की हैं। माननीय सदस्य इससे चिंतित हैं कि इससे वनों का अवांछित विनाश हो सकता है, परन्तु यह कोई ढील नहीं दी गई है, यह तो केवल अनुमोदन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है। अब तक, केवल मुख्य आंचलिक वन संरक्षकों को केवल एक हेक्टेयर तक आंचलिक-स्तर पर स्वीकृति देने की अनुमति थी। पिछले पन्द्रह दिनों से, राज्य के वन मंत्रियों की बैठक के बाद, उनसे विचार-विमर्श करके और मेरे वन सचिवों, प्रधान मुख्य वन संरक्षकों और वन मंत्रियों से हुए विचार-विमर्श के बाद मैंने निर्णय लिया है कि यह शक्ति, जिसे राज्य के मुख्यालय स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है, आंचलिक मुख्य वन संरक्षकों को दे देनी चाहिए और एक हैक्टेयर की इस शक्ति को पांच हेक्टेयर कर दिया गया है। माननीय सदस्य इस मुद्दे पर सही हैं। यह मुद्दा छोटे तालाबों आदि जैसी परियोजनाओं के विकास से सम्बन्धित है, और जहां तक पांच हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर का

सवाल है, हमारी मंशा यह है कि परियोजना प्राधिकारी, राज्य सरकार प्राधिकारी अथवा जो भी हों, मुख्य आंचलिक वन संरक्षकों से सम्पर्क रखें जो एक सलाहकार समिति, जिसमें राजस्व प्राधिकारी, वन प्राधिकारी और परियोजना प्राधिकारी सम्मिलित होंगे, की राय के आधार पर राज्य सरकार के मंतव्यों का ब्यौरा देगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एक शिकायत थी कि केन्द्र सरकार से व्यवहार करने में काफी अधिक समय लगता है। इस राज्य सलाहकार समिति में उन्हें शामिल करने का प्रावधान है, ताकि जब एक निर्णय ले लिया जाता है, तो कोई ऐसा दोषारोपण न हो कि यह निर्णय अकेले ही लिया गया है अथवा अन्य पहलुओं की अनदेखी की गई है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या इस समिति का कार्य केवल सलाह देना है।

श्री कमल नाथ : यह समिति राजस्व, परियोजना प्राधिकारियों से ब्यौरा प्रदान करने के लिए है, जिससे अन्यथा विहीन रह सकते थे।

यह समिति केन्द्रीय सलाहकार समिति को भूमि अपवर्तन को पांच हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर किए जाने की अपनी सिफारिशें भेजेगी। 5 हेक्टेयर तक यह अपवर्तन आंचलिक-स्तर पर होगा।

अध्यक्ष महोदय : लम्बे-लम्बे भाषण प्रभावहीन होते हैं।

विदर्भ क्षेत्र में नयी रेल लाइनें

*91. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में नयी रेल लाइनें बिछाने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान कई सर्वेक्षण कराए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भोकर-दरवाह मोतीबाग (82 कि० मी०), जालना-खामगांव (155 कि० मी०) और अमरावती-नरखेड़ (138 कि० मी०) नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ग) अमरावती-नरखेड़ लाइन को औचित्यपूर्ण पाया गया है।

इस लाइन के निर्माण का प्रस्ताव योजना आयोग को, उनके अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है।

आगे की कार्रवाई, योजना आयोग के अनुमोदन और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि विदर्भ में तीन नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया गया है जिनमें से केवल 'अमरावती-नरखेड़' लाइन का प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया है। जालना-खामगांव रेल लाइन, जिसके सर्वेक्षण किये जाने का मन्त्री महोदय ने जिक्र किया है, 155 कि०मी० लम्बी रेल लाइन परियोजना है। लेकिन यह मात्र एक ऐसी रेल लाइन होगी जो महाराष्ट्र-विदर्भ और मराठवाड़ा दो अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ेगी।

अतः, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वे कौन से मापदण्ड हैं और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जालना-खामगांव रेल लाइन, जोकि पिछड़े क्षेत्र से गुजरती है, के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना आयोग को नहीं भेजा गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस सर्वेक्षण के पश्चात्, हमने इस लाइन के प्रतिफल पर विचार किया। जालना-खामगांव (155 कि० मी०) लाइन का प्रतिफल ऋणात्मक है। इसके विपरीत, अमरावती-मरखेड़ जोकि 138 कि० मी० की लाईन है, का प्रतिफल 10.41 है। इस आधार पर इसे योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

श्री मुकुल वासनिक : रेल बजट प्रस्तुत करते समय, माननीय रेल मन्त्री, श्री जाफर शरीफ ने कहा था। कि चार नई रेल लाइनों के प्रस्ताव योजना आयोग की स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे और ऐसा कहते समय उन्होंने विशेषतौर पर यह कहा कि ये रेल लाइनें देश के कुछ अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगी। अतः, मुझे विश्वास है कि इस सरकार का पिछड़े क्षेत्रों में रेल को प्रोत्साहित कर पिछड़े क्षेत्रों के विकास का वायदा है और रेल लाइनों से प्रतिफल कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण मापदण्ड नहीं है।

मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जालना-खामगांव की यह रेल लाइन उस अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगी जहां रेल सेवा की कमी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की कमी के कारण कोई उद्योग नहीं है।

क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष के दौरान जालना-खामगांव रेल लाइन का प्रस्ताव योजना आयोग की स्वीकृति हेतु भेजने पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसाकि मैंने इस सभा को पहले ही सूचित कर दिया है, इस वर्ष जालना-खामगांव की इस रेल लाइन को योजना-आयोग की स्वीकृति के लिए भेजना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव देवराव पाटील : भोकर-दरवाह रेलवे लाइन के बारे में बताया है कि सर्वेक्षण के उपरांत उसको औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि पुरानी रेलवे लाइन पर ही नई रेल-लाइन बिछाई जा सकती है। क्या इस तथ्य को भी सर्वेक्षण के समय ध्यान में रखा गया ? इसके बावजूद इस रेलवे लाईन के नामंजूर और औचित्यपूर्ण न होने के क्या कारण हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, कारण तो यही हैं कि सर्वे के दौरान यह पाया गया कि इसकी रिटर्न माइनस 2.1 है।

नवोदय विद्यालय खोलने पर खर्च

*92. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष शिक्षा के लिए आवंटित कुल बजट में से सरकार ने देश में नवोदय विद्यालय खोलने पर कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों में दाखिल किये गये गरीबी की रेखा से नीचे के बच्चों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) नवोदय विद्यालय के प्रत्येक छात्र पर प्रति वर्ष औसतन कितना धन खर्च होता है;

(घ) नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के राज्यवार कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ङ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल केन्द्रीय बजट की तुलना में नवोदय विद्यालयों पर किया गया कुल व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	नवोदय विद्यालय समिति को जारी किया गया कुल अनुदान	कुल शिक्षा (केन्द्रीय) बजट	योजनागत तथा योजनेतर (दोनों)
1988-89	79.30 करोड़	1581.85 करोड़	
1989-90	80.78 करोड़	1578.42 करोड़	
1990-91	100.38 करोड़	1710.49 करोड़	

निर्माण लागत को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्षवार प्रति छात्र औसतन व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	प्रति छात्र औसत व्यय
1988-89	9,582.00 रुपए
1989-90	8'499.00 रुपए
1990-91	7.474.00 रुपए

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से दाखिल छात्रों से सम्बन्धित कोई आंकड़े नहीं रखें जाते । तथापि, वर्ष 1989-90 में 223 नवोदय विद्यालयों से एकत्रित सूचना के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों से आये जिनकी वार्षिक आय 6,000 से कम थी ।

साथ-साथ पर होने वाली रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है । इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए मुख्य समाचार पत्रों/रोजगार समाचार में विज्ञापनों सहित भरसक प्रयास किए जाते हैं । तथापि सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को रिक्त पदों को तदर्थ/अंशकालिक आधार पर भरने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई की हानि न हो।

विवरण

दिनांक 1-1-92 की यथास्थिति के अनुसार नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रम सं०	राज्य का नाम	रिक्त पद
1.	आंध्र प्रदेश	70
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12
3.	पांडिचेरी	15
4.	लक्षद्वीप	3
5.	कर्नाटक	55
6.	केरल	45
7.	मध्य प्रदेश	213
8.	उड़ीसा	93
9.	उत्तर प्रदेश	179
10.	बिहार	161
11.	हरियाणा	58
12.	राजस्थान	151
13.	दिल्ली	9
14.	पंजाब	24
15.	हिमाचल प्रदेश	44
16.	जम्मू और कश्मीर	135
17.	चंडीगढ़	3
18.	महाराष्ट्र	124
19.	गुजरात	68
20.	गोआ	7
21.	दमन और दीव	13
22.	दादरा और नगर हवेली	6
23.	मेघालय	20

1	2	3
24.	त्रिपुरा	14
25.	मिजोरम	13
26.	अरुणाचल प्रदेश	35
27.	नागालैंड	14
28.	मणिपुर	61
29.	सिक्किम	5
		1650

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि 1990-91 में 171.49 करोड़ रुपए का प्रावधान था और इनको खर्च किया गया तथा प्रति छात्र 7774 रुपए खर्च हुए। नवोदय विद्यालयों में छात्रों पर जो व्यय होता है, उसमें उनको किस प्रकार का खाना दिया जाता हैं, कपड़ा दिया जाता है, क्या इसकी कभी समीक्षा की गई है। नवोदय विद्यालय रांची में, जिला मधुबनी में मैंने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और पाया कि जिस घटिया किस्म का खाना और कपड़ा वहां पर छात्रों को दिया जा रहा है, उससे उनके ऊपर मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक दृष्टि से कुप्रभाव पड़ रहा है तथा उनकी पढ़ाई पर इसका प्रतिकूल असर हो रहा है। इस बारे में मन्त्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विशेष विद्यालय के बारे में माननीय सदस्य ने यहां पर जानकारी दी है, उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर में माननीय सदस्य को सूचित करूंगा और यदि वे चाहेंगे तो सदन को भी सूचित करूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : दूसरी जो मैंने राज्यवार शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में जानकारी चाही थी, उसके बारे में मन्त्री महोदय ने बिहार में 161 तथा देश में 1650 प्राध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी दी है। इससे पढ़ाई पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा ? 1990 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो इस तरह से करोड़ों रुपए व्यय होने के बावजूद शिक्षा पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार कौन से कारगर कदम उठाना चाहती है।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं, वे निश्चित-रूप से चिंता का विषय हैं और भर्ती की सामान्य प्रक्रिया अपनाने में विलम्ब होता है, इसको देखते हुए नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक समिति बनाई गई है। जिले के कलेक्टर उस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा प्रिंसीपल और शिक्षा-अधिकारी उनके माध्यम से एडहाक रूप से, तदर्थ रूप से शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा का नुकसान न हो। ये जो आंकड़े हैं, विधिवत रूप से जो नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उनके बारे में हैं और जो आलरेडी एडहाक नियुक्तियां की गई हैं, उनको यदि देखें तो वे आंकड़े बहुत कम हैं।

[अनुवाद]

श्री थाइमा सिंह थुमनाम : प्रश्न (घ) के उत्तर में, माननीय मन्त्री महोदय ने आंकड़े 61 बताए हैं। जब अन्य छोटे राज्यों से तुलना की गई, तो मणिपुर में रिक्तियों की संख्या अधिक लगी। माननीय मन्त्री महोदय ने दिये गये विवरण में यह कहा है कि इस रिक्तियों को भरने में विलम्ब से बचने के लिए प्रधानाचार्यों को इन रिक्तियों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि प्रधानाचार्यों की क्या प्रतिक्रिया है और इन रिक्तियों को अतिशीघ्र क्यों नहीं भरा जाता ?

दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्थानीय उम्मीदवारों को रिक्तियों के भरने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर चाहते हैं, तो आपको संक्षेप में बताना होगा।

श्री थाइमा सिंह थुमनाम : मेरा प्रश्न यह है कि क्या रिक्तियों को भरने में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी और क्या तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की सेवाओं को निकट भविष्य में नियमित कर दिया जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह : स्पष्ट है कि स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि स्थानीय रोजगार कार्यालय से आई सूची ही इसका आधार है। इस सूची में से ही तदर्थ नियुक्तियां की जाती है। स्वाभाविक है कि सूची स्थानीय उम्मीदवारों की सूची है और इसका उन्हें लाभ मिलेगा ही।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन पाठ्यक्रम

[अनुवाद]

*84. **श्री बी० धनंजय कुमार** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययन पाठ्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितना खर्च किये जाने का अनुमान है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इन बातों पर बल दिया गया है कि शिक्षा के प्रति बाल केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, शिक्षक की भूमिका सुकर बनाने वाले की होनी चाहिए, रटकर शिक्षा ग्रहण करने की परम्परा बदली जानी चाहिए, व्याख्यान और सूचना शिक्षण की परस्पर विचार-विमर्श की ऐसी प्रणाली द्वारा दी जानी चाहिए जिसमें "सीखने" पर बल हो और जो विषयों के अध्ययन को रोचक और सुग्राह्य बनाने के लिए उत्सुकता जागृत करे। वर्ष 1990 में, सरकार द्वारा गठित एक समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित किया था।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। 14 नवम्बर, 1991 को मानव संसाधन विकास मन्त्री ने स्कूली बच्चों का शैक्षिक भार कम करने के सरकार के निश्चय की घोषणा की। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में अब एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है जो स्कूल स्तर पर सभी बच्चों और खासतौर से छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम के भार को कम करने के उपाय के सम्बन्ध में सलाह देगी। इस सम्बन्ध में होने वाला संभावित व्यय समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं और प्रणालियों पर निर्भर करेगा। समिति के अन्य सदस्य हैं।

(i) प्रो० कृष्ण कुमार,
दिल्ली विश्वविद्यालय

(ii) प्रो० टी० एस० सरस्वती,
विभागाध्यक्ष, बाल विकास,
एम० एस० विश्वविद्यालय,
बड़ौदा

(iii) सुश्री दीना गुहा,
मनोवैज्ञानिक,
बम्बई

(iv) श्रीमती वी० पार्थसारथी,
प्रधानाचार्या,
सरदार पटेल विद्यालय,
नई दिल्ली

(v) डा० वी० जी० कुलकर्णी,
निदेशक,
होमी भाभा विज्ञान केन्द्र,
टी० आई० एफ० आर०,
बम्बई

(vi) प्रो० पोरोमेश आचार्य,
आई० आई० एम०,
कलकत्ता

(vii) डा० जी० एल० अरोरा,
सदस्य सचिव,
निदेशक, राज्य शै० अ० प्र० प०,
नई दिल्ली

समिति छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र

*88. **श्री सुधीर सावंत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं;

(ख) क्या सरकार का कोंकण क्षेत्र में, इस प्रकार के अध्ययन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए परामर्श तथा पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अब तक 193 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के मानदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नामांकन;

(ii) उपयुक्त आवास तथा शैक्षिक परामर्शदाताओं की उपलब्धता; और

(iii) पिछड़े तथा दूरवर्ती क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं।

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्रों की संख्या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है।

(ख) से (घ) इन्दिरा गान्धी—राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अब तक पुणे में एक क्षेत्रीय केन्द्र और महाराष्ट्र में 19 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा कोंकण क्षेत्र में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस क्षेत्र में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न इसकी व्यवहारिकता पर निर्भर करता है।

चीनी कारखानों के कार्यकरण में सुधार

[हिन्दी]

*89. **श्री देवी बक्स सिंह** :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कारखानों के कार्यकरण में और गन्ने की खेती में सुधार करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष के लिए गन्ने के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ङ) समग्र रूप में देश के लिए ऐसे किसी अध्ययन दल का गठन नहीं किया गया है। तथापि, विशेष रूप से आसाम में मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के पुनरुद्धार तथा गन्ने जो खेती में सुधार के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल गठित किया गया है। दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30-4-92 तक का समय दिया गया है। अध्ययन दल का गठन एवं विचारार्थ विषय दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(च) चालू चीनी वर्ष 1991-92 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 230 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

विवरण

आसाम में गन्ने की खेती में सुधार तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के
पुनरुद्धार के लिए गठित अध्ययन दल के गठन एवं
विचारार्थ विषय दर्शाने वाला विवरण

I. गठन

(1) श्री राम कुमार निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	अध्यक्ष
(2) श्री विक्रम सिंह, मुख्य तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, नई दिल्ली	सदस्य
(3) श्री जे० जे० भक्त, मुख्य चीनी प्रोद्योगिकीविद्, राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, नई दिल्ली	सदस्य
(4) डा० बी० के० त्रिपाठी, सहायक महा निदेशक (वाणिज्य फसलें) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
(5) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(6) डा० एस० आर० बरूआ, निदेशक (कृषि) सेवा निवृत्त आसाम सरकार	सदस्य

(7) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सदस्य
(एन० सी० डी० सी०), नई दिल्ली
का एक प्रतिनिधि

(8) श्री आर० पी० सिंहल, संयोजक
निदेशक (शर्करा तकनीकी)
शर्करा निदेशालय, खाद्य मंत्रालय,
नई दिल्ली

II. विचारार्थ विषय

1. आसाम में सभी मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के प्लांट एवं मशीनरी की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना ।

2. इस समय गन्ने की खेती, भावी संभावनाएं तथा चीनी इकाइयों को गन्ने की उपलब्धता का मूल्यांकन करना ।

3. निम्नलिखित पर व्यापक कार्य योजना के लिए सुझाव देना :—

(क) मौजूदा संस्थापित क्षमता के अनुरूप चीनी उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्लांट एवं मशीनरी में उचित परिवर्धन एवं परिवर्तन करना;

(ख) गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाकर तथा साथ ही साथ गन्ना क्षेत्र में वृद्धि करके गन्ने के मौजूदा उत्पादन में सुधार करना; और

(ग) संभावित गन्ना उत्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान चीनी इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार; और

4. उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन ।

[अनुवाद]

नर्सिंग होमों का पंजीकरण

*90. **श्री रामविलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन गैर-पंजीकृत नर्सिंग होमों को अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर रहा है;

(ख) क्या ऐसा करना नियमों के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) दिल्ली उपचर्यागृह पंजीकरण अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राइवेट उपचर्यागृहों का पंजीकरण करने के लिए सक्षम है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन अपने सदस्यों को अपने निजी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर

रहा है । पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रारूप का गलत अर्थ लगाया जा सकता है और इसलिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है । स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने 26-12-1991 को दिल्ली चिकित्सा संघ को पहले ही सूचित किया है कि ऐसे पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना, दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के विपरीत है और उन्होंने इस कानून के प्रभावकारी प्रवर्तन में उनका सहयोग मांगा है ।

सुन्दरबन के मैन्ग्रोव वन

*93 **श्री सलत कुमार मंडल :**

श्री गुरुदास कामत : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के घने मैन्ग्रोव वन धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं;

(ख) विश्व में तापमान में इस समय हो रही वृद्धि का इन वनों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययन से इस क्षेत्र में डेल्टाक्षेत्र के धीरे-धीरे डूबने और इस क्षेत्र के वनों के नष्ट होने जैसे तथ्यों का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो सुन्दरबन को विश्व में बढ़ रहे तापमान के खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1985-87 और 1987-89 की अवधि के लिए उपग्रह प्रतिबिंबकी के जरिए किए गए अध्ययनों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के कच्छ वनस्पति वनों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है । विश्व के गर्म होने और उसके प्रभाव के बारे में निश्चित वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध न होने के कारण सुन्दरबन के कच्छ वनस्पति वनों पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों के बारे में किसी प्रकार का अनुमान लगाना असामयिक होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सुन्दरबन की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि-कटाव नियन्त्रण, संरक्षण तथा पारि-विकास गतिविधियां शुरू की गई हैं । ये उपाय ग्लोबल वार्मिंग के सम्भावित प्रभाव से निपटने में भी सहायक होंगे ।

राज्यों को खाद्यान्नों और चीनी का आवंटन

*94. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री पवन कुमार बंसल : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अक्तूबर, 1991 से अब तक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने माह-वार कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, चावल और चीनी की मांग की तथा उन्हें कितना-कितना आवंटन किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में सम्बद्ध राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा इनकी कितनी-कितनी मात्रा उठायी गई;

(ग) सम्पूर्ण मात्रा को न उठाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों तथा चीनी का कोटा आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले तीन विवरण सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान गेहूं और चावल का उठान आवंटन का क्रमश: 84 तथा 88 प्रतिशत था। उठान की यह मात्रा संतोषजनक समझी जाती है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, सामान्यतया आवंटित की गई पूरी मात्रा का उठान कर लिया जाता है।

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति, मौसमी उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी के आवंटन 1-10-1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए कम से कम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्डों के आधार पर किए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 1989, 1990 और 1991 के लिए चावल और गेहूं की राज्यवार मांग आवंटन और उठान को बताने वाली विवरण

चावल—I

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1989			1990			1991		
	मां०	आ०	उ०	मां०	औ०	उ०	मां०	औ०	उ०
आन्ध्र प्रदेश	2120.0	850.0	867.7	1765.0	1330.0	1208.6	2328.0	2383.0	2251.6
अरुणाचल प्रदेश	101.9	87.9	67.9	96.0	92.0	87.2	104.4	112.9	86.4
असम	744.0	420.0	397.5	744.0	430.5	410.8	758.0	460.6	419.4
बिहार	390.0	150.0	59.1	205.0	117.0	26.6	260.0	131.0	69 9
गोआ	60.0	47.1	45.2	60.0	48.9	44.8	63.0	57.0	49.4
गुजरात	480.0	350.0	242.0	475.0	330.0	278.9	400.0	324.0	311.1
हरियाणा	45.0	30.0	18.0	47.0	35.4	13.4	40.0	40.0	20.4
हिमाचल प्रदेश	86.5	78.0	59.8	78.0	78.0	51.1	79.2	80.6	71.7
जम्मू तथा कश्मीर	281.0	245.0	227.8	410.0	410.0	204.6	445.0	459.0	240.7
कर्नाटक	900.0	810.0	501.9	900.0	598.0	530.7	900.0	602.0	576.5
केरल	2400.0	1270 0	1264.8	1960.0	1575.0	1504.5	1920.0	1760.0	1723.9
मध्य प्रदेश	540.0	310.0	220.4	1300.0	290.0	193.7	1440.0	310.0	234.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	1150 0	675.0	659.6	759 0	569.5	537 6	744.0	570.0	580.4
मणिपुर	85.0	78.0	55.1	96.0	84.0	67.5	110.7	100.5	56.3
मेघालय	180.0	116.0	116.0	180.0	114.9	117.8	188 0	137.5	109.4
मिजोरम	107.0	90.0	90.1	102.0	90.0	93.0	105 0	109.5	84.5
नागालैण्ड	108.0	86.0	79.8	122.5	113.25	117.3	159.25	146.0	130.4
उड़ीसा	899.0	342.6	176.5	384.0	267.5	171.6	435.0	349.0	254.4
पंजाब	18.0	15.0	2.3	18.0	17.7	2.6	18.0	20.0	5.5
राजस्थान	48.0	39.2	7.4	48.0	38.4	13.3	55.0	42.2	22.1
सिक्किम	54.0	54.0	24.1	56.5	54.0	29.7	58.5	58.0	34.1
तमिलनाडु	1140.0	605.0	613.2	1080.0	736.8	695.8	1075.0	944.48	949.7
त्रिपुरा	174.0	151.63	131.9	184.05	169.20	141.6	164.2	186.2	141.0
उत्तर प्रदेश	705.0	405.8	325.8	482 0	397.0	258.9	560.0	363.0	341.8
पश्चिम बंगाल	1820.0	810.0	560.3	1800.0	854.0	592.5	1700.0	853.0	692.8
अ० तथा नि० द्वीपसमूह	21.5	19.5	15.8	18.0	18.0	9.4	18.0	18.0	16.8
चंडीगढ़	6.0	5.0	4.1	6.1	4.8	3.8	6.0	11.3	4.5
दा० तथा न० हवेली	5.8	6.0	2.3	6.0	6 0	1.9	6.0	8.0	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दमन और दीव	7.2	5.45	1.0	7.2	5.4	2.6	7.2	7.65	0.9
दिल्ली	349.2	260.5	208.5	420.0	240.0	168.3	420.0	268.0	172 8
लक्षद्वीप	5.5	5.5	4.5	5.5	5.5	3.7	6.3	6.3	4.2
पांडिचेरी	29.3	35.0	16.9	32.5	24.0	10.1	36.0	28.0	3.2
	14560.90	8113.78	7067.3	13847.25	9144.75	7593.9	14661.75	10946.73	9660.7

मां० = मांग

आ० = आवंटन

उ० = उठाव

(हजार मीटरी टन में)

II—गेहूं

राज्य/सं० रा० प्र०	1989			1990			1991		
	मा	आ०	उ०	मां	आ०	उ०	मां	आ०	उ०
आन्ध्र प्रदेश	235.0	136.0	115.8	360.0	280.0	110.2	420.0	338.0	150.0
अरुणाचल प्रदेश	16.9	11.88	7.1	15.3	9.6	7.7	12.0	10.32	7.5
असम	504.0	191.5	176.7	456.0	200.0	201.1	511.0	344.0	268.2
बिहार	1450.0	675.0	632.3	1144.0	512.0	428.3	1250.0	561.3	523.9
गोआ	51.0	24.64	21.1	57.0	46.5	29.0	52.6	45.0	36.4
गुजरात	1090.0	750.0	490.7	1070.0	725.0	551.0	1175.0	944.3	823.2
हरियाणा	344.0	291.0	55.9	180.0	120.0	14.8	350.0	257.0	154.4
हिमाचल प्रदेश	150.0	131.0	109.3	120.0	120.0	69.9	130.0	127.0	116.7
जम्मू तथा कश्मीर	257.0	247.0	142.9	255.0	250.0	71.2	240.0	238.0	127.1
कर्नाटक	305.0	231.5	221.3	350 0	320.0	294.4	600.0	496.0	456.3
केरल	300.0	211.5	203.2	315.0	240.0	231.0	400.0	342.0	333.8
मध्य प्रदेश	600.0	392.1	279.0	1900.0	360.0	248.9	1790.0	481 5	380.7
महाराष्ट्र	2410.0	1219.5	1192.0	1390.0	1165.0	1069.3	1635.0	1390.0	1372.2
मणिपुर	29.0	27.2	14.4	36.0	36.0	31.4	36.0	35.7	33.8
मेघालय	30.0	25.4	23.9	30.0	26.4	26.7	30.0	31.25	29.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मिजोरम	14.84	13.3	12.5	16.0	15.0	14.2	15.0	15.88	14.0
नागालैण्ड	70.5	58.2	53.1	85.5	76.75	72.9	104.75	77.15	74.5
उड़ीसा	365.0	257.0	242.9	370.0	285.0	257.5	420.0	327.5	283.3
पंजाब	132.0	61.75	7.2	105.0	60.0	4.3	210.0	187.5	86.7
राजस्थान	1180.0	790.0	619.4	960.0	840.1	571.1	1480.0	957.5	853.4
सिक्किम	6.25	5.85	2.8	7.6	6.4	4.6	8.0	7.14	6.1
त्रिपुरा	30.0	30.3	14.1	30.0	30.0	16.1	30.7	29.75	17.5
तमिलनाडु	360.0	363.0	231.7	360.0	360 0	204.4	350.0	357.0	213.4
उत्तर प्रदेश	830.0	715.5	497.2	750.0	600.0	266.8	1110.0	779.0	688.6
पश्चिम बंगाल	1560.0	995.5	903.3	1560.0	1080.0	898.4	1516.0	1111.0	910.3
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	11.2	9.8	7.9	8.4	8.4	4.0	8.4	8.4	8.0
चंडीगढ़	29.4	24.2	19.6	30.5	21.6	17.6	35.0	26.2	22.4
दादर तथा नागर हवेली	1.32	1.22	0.8	1.4	1.4	0.2	2.4	2.38	न्यूण्य
दमन और दीव	2.4	1.87	0.4	2.4	1.8	0.6	2.4	1.78	0.4
दिल्ली	768.0	685.6	622.0	900.0	840.0	566.4	900.0	868.8	739.6
लक्षद्वीप	0.1	0.1	2.4	0.1	0.1	नगण्य	0.2	0.2	नगण्य
पांडिचेरी	3.0	3.02	1.4	5.75	5.5	2.0	9.1	8.92	नगण्य
जोड़	13135.92	8580.83	6924.5	12870.95	8652.55	6284.5	14833.45	10408.37	8731.2

मां० = मांग
आ० = आवंटन
उ० = उठान

विवरण-II

अक्तूबर, 1991 से जनवरी, 1992 तक के महीनों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की मांग, उन्हें किए गए आवंटन और उनके उठान को बताने वाला विवरण

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		अक्तूबर, 1991			नवम्बर, 1991		
		मां०	आ०	उ०	मां०	आ०	उ०
आन्ध्र प्रदेश	चा०	280.0	280.0	166.0	125.0	125.0	190.5
	गे०	20.0	20.0	14.1	20.0	20.0	11.4
अरुणाचल प्रदेश	चा०	8.0	7.5	6.3	8.0	7.5	6.5
	गे०	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.5
असम	चा०	72.0	42.3	39.6	64.0	40.3	36.6
	गे०	52.0	30.0	27.1	42.0	30.0	16.5
बिहार	चा०	25.0	15.0	9.9	25.0	15.0	9.2
	गे०	100.0	47.0	49.2	100.0	47.0	39.7
गोवा	चा०	6.0	5.5	4.1	6.0	5.5	3.8
	गे०	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5

1		2	3	4	5	6	7
गुजरात	चा०	35.0	31.0	24.1	40.0	31.0	30.8
	गे०	100.0	67.0	51.3	100.0	67.0	56.9
हरियाणा	चा०	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	1.6
	गे०	30.0	30.0	11.1	45.0	30.0	20.2
हिमाचल प्रदेश	चा०	6.5	7.15	6.1	7.1	7.15	7.3
	गे०	10.0	10.0	7.5	15.0	10.0	9.3
जम्मू तथा कश्मीर	चा०	40.0	43.5	32.7	40.0	43.5	29.0
	गे०	20.0	20.0	8.9	20.0	20.0	7.0
कर्नाटक	चा०	75.0	56.0	62.6	75.0	56.0	54.9
	गे०	50.0	40.0	44.0	50.0	40.0	39.4
केरल	चा०	160.0	150.0	146 6	160.0	150.0	155.7
	गे०	30.0	30.0	30.1	50.0	30.0	30.7
मध्य प्रदेश	चा०	120.0	34.0	29.9	120.0	34.0	28.2
	गे०	180.0	35.0	38.7	180.0	35.0	38.2
महाराष्ट्र	चा०	65.0	53.0	61.8	65.0	53.0	42.0
	गे०	120.0	121.0	127.5	150.0	121.0	103.6
मणिपुर	चा०	9.3	10.5	4.7	9.3	11.5	3.2
	गे०	3.0	3.0	5.2	3.0	3.0	1.0

1		2	3	4	5	6	7
मेघालय	चा०	15.0	14.0	10.1	19.0	14.0	13.4
	गे०	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	1.6
मिजोरम	चा०	7.5	10.0	6.7	10.5	10.0	8.5
	गे०	1.25	1.25	1.4	1,25	1.25	0.4
नागालैंड	चा०	15.0	13.25	15.0	15.0	13.25	13.1
	गे०	10.0	6.0	4.7	10.0	6.0	2.6
उड़ीसा	चा०	45.0	40.5	28.2	45.0	45.0	24.5
	गे०	35.0	25.0	20.7	35.0	25.0	19.5
पंजाब	चा०	1.5	2.0	0.8	1.5	2.0	0.6
	गे०	25.0	25.0	16.8	25.0	25.0	13.1
राजस्थान	चा०	50.0	4.2	3.1	5.0	4.2	2.6
	गे०	150.0	75.0	73.2	200.0	75.0	66.1
सिक्किम	चा०	5.0	5.5	3.0	5.5	5.5	4.7
	गे०	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4
तमिलनाडु	चा०	100.0	81.0	98.0	100.0	81.0	78.6
	गे०	30.0	30.0	21.9	30.0	30.0	18.8
त्रिपुरा	चा०	12.85	16.85	10.2	12.86	20.85	15.6
	गे०	2.5	2	1.1	2.85	2.5	1.1

1		2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	चा०	50.0	35.0	37.0	50.0	40.0	33.0
	गे०	100.0	55.0	51.3	100.0	60.0	55.7
पश्चिम बंगाल	चा०	95.0	83.0	72.5	150.0	75.0	58.7
	गे०	108.0	90.0	69.6	130.0	90.0	75.8
अण्डमान तथा निकोबार	चा०	4.5	4.5	1.2	—	—	3.3
द्वीपसमूह	गे०	2.1	2.1	0.8	—	—	4.0
चंडीगढ़	चा०	0.5	2.0	0.2	0.5	2.0	0.2
	गे०	3.0	1.8	1.0	3.0	1.8	1.7
दा० तथा न० हवेली	चा०	0.5	1.0	—	0.5	1.0	—
	गे०	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—
दमन और दीव	चा०	0.6	1.0	—	0.6	1.0	—
	गे०	0.2	0.15	—	0.2	0.15	—
दिल्ली	चा०	35.0	27.0	23.0	35.0	27.0	14.1
	गे०	75.0	72.0	76.9	75.0	72.0	49.2
लक्षद्वीप	चा०	—	—	1.1	—	—	0.6
	गे०	—	—	—	—	—	नग०

1		2	3	4	5	6	7
पांडिचेरी	चा०	3.0	3.0	0.4	3.0	3.0	0.4
	गे०	0.8	0.75	नग०	0.8	3.75	नग०
जोड़ सभी	चा०	1300.75	1003.25	907.9	1278.35	923.75	871.1
	गे०	1265.75	847.15	765.9	1395.50	850.05	688.0
राज्य/संघ शासित प्रदेश							

चा० = चावल मां० = मांग उ० = उठान

गे० = गेहूं आ० = आवंटन नग० = नगण्य (50 मीट्री टन से कम)

दिसम्बर, 1991			जनवरी, 1992		
मां०	आ०	उ०	मां	आ०	उ०
125.0	170.0	155.2	2280.0	170.0	145.5
20.0	18.0	14.0	20.0	18.0	12.8
8.0	11.5	6.3	8.0	8.0	6.8
1.0	0.72	0.4	1.0	0.72	0.4
64.0	40.3	34.3	64.0	35.3	38.8
42.0	29.0	26.2	42.0	25.0	19.3
25.0	15.0	9.8	25.0	15.0	10.8
100.0	42.3	46.8	100.0	42.3	51.3
6.0	5.5	4.3	6.0	4.5	5.5
3.5	3.5	3.0	3.5	3.15	2.7
50.0	28.0	27.3	50.0	28.0	24.5
100.0	60.3	56.3	100.0	60.3	49.6
4.0	3.0	1.6	4.0	3.0	1.7
45.0	27.0	26.3	45.0	27.0	22.5
7.1	6.5	7.6	7.1	6.5	6.8
15.0	9.0	12.3	15.0	10.0	9.5

8	9	10	11	12	13
40.0	35.0	30.0	40.0	35.0	22.3
20.0	18.0	13.0	18.0	20.0	8.0
75.0	45.0	43.1	75.0	50.0	48.1
50.0	36.0	34.9	50.0	36.0	35.1
160.0	150.0	149.5	130.0	150.0	146.0
50.0	27.0	25.9	50.0	27.0	26.6
120.0	23.0	23.6	120.0	23.0	16.4
180.0	31.5	24.2	180.0	31.5	31.5
75.0	45.0	45.1	75.0	82.0	58.7
150.0	108.0	103.2	150.0	121.0	114.4
9.3	9.5	10.9	9.3	7.0	9.1
3.0	2.7	3.9	3.0	2.7	2.3
19.0	14.0	11.9	15.0	10.0	14.0
2.5	3.75	4.5	2.5	2.25	2.0
10.5	10.0	6.6	10.5	6.0	8.3
1.25	2.13	2.2	1.25	1.25	1.1
15.0	13.25	12.5	15.0	9.25	15.5
10.0	6.9	10.9	10.0	6.0	3.0

8	9	10	11	12	13
45.0	25.0	20.5	30.0	25.0	22.0
35.0	22.5	18.7	35.0	22.5	18.1
1.5	1.5	0.6	1.5	1.5	0.4
25.0	22.5	15.0	25.0	22.5	19.2
5.0	3.0	2.0	5.0	3.0	2.1
200.0	67.5	67.0	200.0	72.5	72.4
5.5	4.5	4.5	5.5	4.5	2.2
0.7	0.54	0.4	0.7	0.54	—
100.0	91.0	84.7	100.0	81.0	66.5
30.0	27.0	21.1	30.0	27.0	12.6
12.85	16.85	13.9	12.85	16.85	11.8
2.85	2.25	2.3	2.85	2.25	0.4
50.0	28.0	33.5	50.0	28.0	26.1
100.0	54.0	54.7	100.0	54.0	55.1
150.0	69.0	76.4	150.0	69.0	56.2
130.0	81.0	55.9	130.0	81.0	71.0
—	—	3.0	4.5	4.5	0.6
—	—	—	2.1	2.1	नग०

8	9	10	11	12	13
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3 0	1.6	1.2	3.0	1.6	1.9
0.5	0.5	—	0.5	0.5	—
0.2	0.18	—	0.2	0.18	—
0.6	0.5	0.1	0.6	0.5	0.3
0.2	0.13	0.1	0.2	0.13	0.1
35.0	20.0	9.1	35.0	20.0	17.4
75.0	64.8	66.8	75.0	64.8	74.2
—	—	0.7	—	—	0.6
—	—	नग०	—	—	नग०
2.0	2.0	0.4	3.0	2.0	0.4
0.8	0.67	नग०	0.3	0.67	नग०
1288.35	886.9	829.5	1302.85	899.4	78.95
1395.5	770.47	711.3	1397.60	783.94	717.1

विवरण-III

1-2-1987 से जनवरी, 1992 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लेवी चीनी के कोटे, 5 प्रतिशत की तदर्थ अतिरिक्त वृद्धि और त्यौहार कोटे को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मासिक सामान्य कोटा	5 प्रतिशत की तदर्थ मासिक वृद्धि (अगस्त 91 से मार्च, 92 तक अनुमति दी गई)	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25281	1264	7614
2.	अण्डमान तथा निकोबार	247	12	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	16	94
4.	असम	9617	481	2896
5.	बिहार	33459	1673	10078
6.	चण्डीगढ़	372	19	112
7.	दादर तथा नगर हवेली	51	3	14
8.	दिल्ली	8721*	436	2316
9.	गोआ	500	25	150
10.	दमन	24	1	12
11.	दीव	15	1	
12.	गुजरात	16194	810	4878
13.	हरियाणा	6386	319	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	101	608
15.	जम्मू तथा कश्मीर	2884	144	868
16.	कर्नाटक	17769	888	5350
17.	केरल	11953	598	3600
18.	लक्षद्वीप	71	4	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	1252	7536

1	2	3	4	5
20.	महाराष्ट्र	29938	1497	9014
21.	मणिपुर	694	35	208
22.	मेघालय	662	33	200
23.	मिजोरम	261	13	78
24.	नागालैंड	426	21	128
25.	उड़ीसा	12393	620	3730
26.	पांडिचेरी	305*	15.2	64
27.	कारीकल	73	3.7	18
28.	माहे	15	0.7	4
29.	यनम	7	0.4	2
30.	पंजाब	7945	397	2392
31.	राजस्थान	16914	846	5092
32.	सिक्किम	165	8	50
33.	तमिलनाडु	22547	1127	6790
34.	त्रिपुरा	1001	50	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	2646	15936
36.	पश्चिम बंगाल	25888	1294	7796
	जोड़	333068	16654	99,950

*इसमें मई, 1990 और उसके बाद से दिल्ली के कोटे में 1032 मीटरी टन तथा पांडिचेरी के कोटे में 108 मीटरी टन की वृद्धि शामिल है।

टिप्पणी : लेवी चीनी के आबंटन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांगों पर आधारित नहीं होते हैं।

मलेरिया का प्रकोप

*95. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मलेरिया के राज्यवार कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या भारत में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाएंगे तथा इस प्रयोजनार्थ 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि रखी गई है;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि विश्व से मलेरिया का उन्मूलन नहीं किया जा सकता बल्कि इसे नियन्त्रित किया जा सकता है;

(च) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रोग पर नियन्त्रण हेतु कोई समेकित नीति का सुझाव दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारत ने इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता मांगी है; और

(झ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सूचित मलेरिया रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि 1976 में मलेरिया की 64.7 लाख घटनाएं हुई थीं, तथापि पिछले कुछ वर्षों में ये काफी कम होकर लगभग 20 लाख के आस-पास स्थिर हो गई हैं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान रोग की स्थानिकमारिता, कीट-नाशकों के इस्तेमाल में रोगाणु प्रतिरोधन क्षमता और परजीवी में प्रतिरोधन क्षमता के आधार पर रोगाणु रोधी और परजीवी रोधी उपायों का मलेरिया के विभिन्न क्षेत्रों में विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके एक चुनिन्दा दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है। कठिन पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी लोगों के लिए एक ऐसी कार्यनीति लागू करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत मलेरिया परजीवी के संचरण को रोकने के लिए रोगियों का रोग को आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने और उपचार करने पर बल दिया जाएगा तथा मच्छर नियन्त्रण के लिए पर्यावरणिक रूप से सफल विधियां अपनाई जायेंगी। शिक्षा तथा सामुदायिक स्वयंसेवकों को इस काम में शामिल करके और समुदाय में से ही कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करके तथा प्रशिक्षित करके सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रयोगशाला सेवाओं और निगरानी कार्यों को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। जैविक, पर्यावरणिक और वैयक्तिक सुरक्षा विधियों के द्वारा मलेरिया नियंत्रण के वैकल्पिक उपाय भी अपनाए जायेंगे।

वर्ष 1992-93 में मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए केन्द्रीय हिस्से में 50 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ङ) से (झ) मलेरिया की स्थिति की विश्वव्यापी समीक्षा करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन

ने निम्नलिखित चार व्यापक घटकों के आधार पर मलेरिया नियन्त्रण की कार्यनीति निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है :—

—रोगियों का शीघ्र निदान और उपचार

—प्रभावी रोगाणु नियन्त्रण

—महामारी रोकथाम और नियन्त्रण

—प्रभावी कार्यक्रम प्रबन्ध

मलेरिया नियन्त्रण के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने, सामूहिक शैक्षिक कार्यकलाप चलाने और आवश्यक आपूर्ति की खरीद के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की जाएगी।

विवरण

महामारी विज्ञान सम्बन्धी स्थिति

क्रम सं०	राज्य का नाम	2989			1990 (अनन्तिम)			1991		
		पाजीटिव रोगी	पी० फाल्सी-मौतें पेरम रोगी		पाजीटिव रोगी	पी० फाल्सी-मतें पेरम रोगी		पाजीटिव रोगी	पी० फाल्सी मौतें पेरम रोगी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	82,510	32,815	2	1,04,483	41,659	5	75,793	30,322	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	20,865	2,725	—	18,227	2,205	1	4,262	429	अप्राप्त
3.	असम	62,274	39,757	6	60,282	34,633	16	80,640	53,528	9
4.	बिहार	40,001	21,710	13	27,227	17,315	2	24,158	13,161	अप्राप्त
5.	गोवा	4,495	588	—	4,890	871	1	2,681	438	शून्य
6.	गुजरात	5,98,653	1,84,137	60	5,15,926	1,42,391	84	3,92,756	1,17,281	10
7.	हरियाणा	23,711	678	—	59,381	3,616	—	33,936	1,130	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	8,589	14	—	14,379	30	—	19,696	12	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	3,068	101	—	5,481	223	—	4,608	10	शून्य
10.	कर्नाटक	1,06,683	29,420	—	74,012	23,209	—	31,985	6,768	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	केरल	5,126	157	1	6,411	209	1	5,596	212	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	2,52,886	1,04,811	16	2,24,502	1,09,477	3	96.871	53,720	26
13.	महाराष्ट्र	1,22,314	37,724	8	1,13,266	35,596	6	1,27,861	43,910	7
14.	मणिपुर	957	395	2	601	275	—	566	281	शून्य
15.	मेघालय	10,701	7,767	—	8,207	5,691	—	5,445	4,148	शून्य
16.	मिजोरम	18,517	9,208	17	13,825	6,125	8	7,161	4,322	10
17.	नागालैंड	3,051	843	—	1,603	332	—	1,886	434	अप्राप्त
18.	उड़ीसा	2,60,815	2,23364	118	2,37,994	2,01,218	147	2,76,802	2,31,257	15
19.	पंजाब	32,146	833	2	29,336	579	—	36,640	365	शून्य
20.	राजस्थान	1,12,316	24,069	1	85,864	19,479	65	63,022	10,638	अप्राप्त
21.	सिक्किम	30	5	—	17	4	—	26	4	शून्य
22.	तमिलनाडु	90,478	4,244	—	1,20,029	7,039	—	1,20,591	0,611	शून्य
23.	त्रिपुरा	5,991	1,726	5	6,633	5,063	4	2,805	1,487	अप्राप्त
24.	उत्तर प्रदेश	1,01,1815	6,601	—	1,03,222	7,645	—	1,98,109	8,688	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	18,822	5,820	19	27,531	3,690	4	25,874	5,072	अप्राप्त
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2,655	560	1	2,391	427	—	1,450	243	शून्य
27.	चण्डीगढ़	15,405	65	—	26,813	94	—	25,638	31	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	दादर और नगर हवेली	4,741	68	—	5,015	189	—	2,947	53	शून्य
29.	दमन और दीव	784	46	—	801	55	—	1,010	33	शून्य
30.	दिल्ली	10,761	32	—	12,044	89	—	8,491	24	अप्राप्त
31.	लक्षद्वीप	4	शून्य	—	6	शून्य	—	4	—	अप्राप्त
32.	पांडिचेरी	541	1	—	389	1	—	450	1	शून्य
22.	कोयला क्षेत्र	104	12	—	97	5	—	12	4	शून्य
	कुल	20,22,809 अथवा 20 लाख	7,46,236 अथवा 7.5 लाख	268	19,01,987 अथवा 19 लाख	6,69,439 अथवा 6.7 लाख	348	15,81,762 अथवा 16 लाख	5,96,597 अथवा 6 लाख	86

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

*96. **श्री साईमन मरान्डी :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1991 से जोनवार कौन-कौनसी रेल दुर्घटनायें हुई;

(ख) ये दुर्घटनायें किन-किन कारणों से हुई;

(ग) उक्त अवधि में हुई रेल दुर्घटनाओं/पटरी से गाड़ी उतरने के मामलों में जन-धन की कितनी हानि हुई;

(घ) मृतक और घायल व्यक्तियों के परिवारों को कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति दी गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं और पटरी से गाड़ी उतरने के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1-11-1991 से 15-2-92 तक की अवधि के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की रेलवे-वार और कोटि वार स्थिति नीचे दी गई है :—

रेलवे	टक्कर	पटरी से उतरना	समपार दुर्घटनायें	गड़ियों में आग	जोड़
मध्य प्रदेश	2	14	1	1	17
पूर्व	1	13	—	1	15
उत्तर	2	13	1	1	17
पूर्वोत्तर	—	5	3	—	8
पूर्वोत्तर सीमा	—	14	—	—	14
दक्षिण	—	19	5	2	26
दक्षिण मध्य	1	18	1	2	22
दक्षिण पूर्व	1	24	1	—	26
पश्चिम	1	8	2	--	11

(ख) ये दुर्घटनायें मुख्यत: रेल कर्मचारियों की गलती, उपस्कर की खराबी, सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही और तोड़-फोड़ के कारण हुई ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 73 व्यक्तियों की जानें गईं, जिनमें 29 यात्री शामिल हैं, रेल सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान 5.42 करोड़ रुपए लगाया गया है ।

(घ) रेलों द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि रेल दावा अधिकरण ने अभी तक अपना कोई पंच-निर्णय नहीं दिया है ।

(ङ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरण लगाना, संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन और बार-बार निरीक्षण करना, नाजुक संरक्षा-कोटियों के कर्मचारियों, जैसे ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना, परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक जांच तथा उन्हें गहन प्रशिक्षण देना, यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने के सम्बन्ध में अचानक जांच करना, बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क चक्षुओं की व्यवस्था करना तथा सड़क उपयोगकर्त्ताओं व गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार करना शामिल है।

उद्योगों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपाय

*97. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री राम लखन : क्या पर्यावरण तथा वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के पर्यावरण मन्त्रियों की हाल ही में हुई बैठक में क्या निर्णय लिए गए;

(ख) क्या उद्योगों द्वारा प्रदूषण निमंत्रण उपायों को अपनाने की तारीख को 31 दिसम्बर, 1991 से आगे बढ़ाने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिन इकाइयों ने 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने के आदेशों का पूरी तरह पालन किया है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) 18 और 19 फरवरी, 1992 को पर्यावरण राज्य मन्त्री तथा संघ क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गर्वनरों के साथ हुए विचार-विमर्श के विषय :—

(1) देश के पर्यावरणीय मुद्दों के दबाव वाले क्षेत्रों के लिए 1992-93 के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करना।

(2) प्रदूषण के उपशमन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति के निर्माण और कार्यान्वयन दोनों में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी।

(3) पर्यावरण पर गम्भीर प्रभाव डालने वाले मामले, जैसे तेजी से समाप्त हो रहे प्राकृतिक संसाधन, प्रजातियों का विलुप्त होना, जल और वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, राख निपटान, एनोरोबिक डाइजेशन तथा परसंकट अपशिष्ट प्रबन्ध।

(4) पर्यावरण और विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रति दृष्टिकोण।

(5) सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राख की कारगर उपयोगिता के लिए कार्रवाई योजना में इस शताब्दी के अन्त तक 50 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त की जानी चाहिए, जबकि मौजूदा उपयोगिता 3 प्रतिशत है। कार्रवाई योजना राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को तीन माह की अवधि के भीतर बना लेनी चाहिए।

(6) सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि राज्य सरकारें और संघ क्षेत्रों के प्रशासन वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। शोर प्रदूषण को रोकने तथा उसे कम से कम करने, विशेषकर, अस्पतालों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों जैसे स्थानों पर, के बारे में भी सहमति व्यक्त की गई।

(7) जल और भूमि प्रदूषण के उपशमन के साथ-साथ कार्बनिक अपशिष्टों से गैस/बिजली और खाद तैयार करने के लिए एनरोबिक डाइजेशन को प्रोत्साहन देने के बारे में सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई।

(8) राज्यों द्वारा एक कार्रवाई योजना बनाई जायेगी जिसमें आन साइट तथा आफ साइट योजनायें तैयार करना, परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान स्थल निर्धारण और जल (प्रदूषण नियन्त्रण और निवारण) उपकर अधिनियम, 1977 का कार्यान्वयन शामिल है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) कोई ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 को अथवा इससे पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने विनिर्दिष्ट मानकों को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने का, सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31-12-93 तक पूरा करेगा।

(2) ऐसा कोई उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 के बाद किन्तु 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने विनिर्दिष्ट मानकों को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने का सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31-12-92 तक पूरा करेगा।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभिनिर्धारित क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणियों की ऐसी बड़ी और मझोली इकाइयों की संख्या, जिन्होंने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपायों का अनुपालन किया है या कदम उठा लिए है, नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य	उन इकाइयों की संख्या, जिन्होंने अनुपालन पूरा कर लिया है या अनुपालन की कार्रवाई शुरू कर दी है
1.	मध्य प्रदेश	94
2.	गुजरात	193
3.	पश्चिम बंगाल	58
4.	चण्डीगढ़	1

1	2	3
5.	उत्तर प्रदेश	701
6.	मेघालय	4
7.	तमिलनाडु	914
8.	केरल	28
9.	कर्नाटक	114
10.	हिमाचल प्रदेश	34
11.	उड़ीसा	76
12.	महाराष्ट्र	461
13.	राजस्थान	27
14.	पंजाब	48
15.	दमन और दीव	1
16.	दिल्ली	5
17.	आन्ध्र प्रदेश	165

[अनुवाद]

परिवार नियोजन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य

*98. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवार नियोजन की सफलता के लिए कोई साधारण एवं प्रभावी गर्भनिरोधक का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस मामले में शल्य चिकित्सा का सहारा न लेना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री हाकम लाल फोतेदार) : (क) से (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आधारभूत, नैदानिकीय और प्रचालनात्मक अनुसंधान-कार्य चलाने के लिए पिछले 2 वर्षों के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को प्रदान की गई धन-राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की कापर-टी, संयुक्त मुख सेव्य गोलियों, नेट-ओइन जैसे इन्जेक्टेब्लस और नार प्लान्ट इत्यादि जैसे आरोपणों के बारे में नैदानिकीय परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त, वे चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन के गैर-शल्य

चिकित्सीय तरीको के बारे में अनुसन्धान/परीक्षण कर रहे हैं और उपलब्ध प्रौद्योगिकी और जानकारी के उपयोग, गर्भ निरोधन/पुनरोत्पादक जीव विज्ञान के लिए आधारभूत अनुसन्धान और परिवार कल्याण सेवाओं में सुधार करने के लिए अन्य सम्बन्धित अध्ययनों के लिए अनुसन्धान जारी है ।

केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित की गई एक नान-स्टेरायडल साप्ताहिक मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोली पहले ही दिल्ली क्षेत्र में लाई जा चुकी है । इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न गैर-शल्य चिकित्सीय गर्भ निरोधक तरीकों/विधियों के बारे में अनुसन्धान चलाए जा रहे हैं। इनमें (i) पुरुषों के शुक्राणुओं को रोकने के लिए वासो-आक्लूसिव डिवाइस (ii) शुक्राणु नाशक क्रीम (iii) पुरुषों/महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक टीके (iv) महिला नसबन्दी के लिए क्वानाकिश्न पैल्लेट्स शामिल हैं । केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली मुख सेव्य गर्भ निरोधक अभिकारकों की जांच और भेषज विज्ञानीय अध्ययन भी कर रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष ए० सी० (iv) के० केप्सूल, प्पिलयादी योग और बन्ध्यावरी (विक्काइन्डिका) पर अध्ययन किए जा रहे हैं ।

विवरण

1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली, केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ को अनुसन्धान के लिए प्रदान की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

संगठन का नाम	के दौरान प्रदान की गई धनराशि		योग
	1989-90	1990-91	
1. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1000.00	588.00	1588.00
2. केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान लखनऊ	49.99	49.00	98.99
3. भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसन्धान	21.40	15.36	36.76
अनुसन्धान पर कुल खर्च	1071.39	652.36	1723.75

मानव अंगों का व्यापार

*100. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद से सम्बद्ध कुष्ठ संस्थान आगरा में कुछ समय से सुनियोजित ढंग से मानव अंगों का व्यापार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग) 16 जनवरी, 1992 के टाइम्स आफ इण्डिया के नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित इस आरोप की कि केन्द्रीय जाल्मा संस्थान, आगरा में गरीब और असहाय कुष्ठ रोगियों की आंखें और गुर्दे निकाले जाते है और धन प्राप्त करने के लिए इन अंगों को बेचा जाता है और उनका व्यापार किया जाता है, जांच की गई है और यह बिलकुल निराधार, दुःसाहसपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण पाया गया है। संस्थान के पास अंग निष्कासन प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा के लिए न तो अपेक्षित तकनीकी क्षमता है और न ही भौतिक आधारभूत ढांचा। यह केवल उपचारात्मक और स्वाध्यकारी शल्य चिकित्सा प्रदान कर सकता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका (सिविल) संख्या 1991 का 1095—श्री सुशील कुमार वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य की वाद विषय वस्तु हैं।

[हिन्दी]

मिरज के लिए आरक्षण

924. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और गोवा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों को केवल मिरज तक ही आरक्षण-की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोवा तक जाने वाले यात्रियों को मिरज में पुनः आरक्षण प्राप्त करना होता है; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण कार्यालय, दिल्ली द्वारा दिल्ली-गोवा यात्रा के लिए आरक्षण प्रभार किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 2702/2704 गोवा एक्सप्रेस गाडियों में दिल्ली तथा अन्य स्टेशनों से वास्को तक विभिन्न स्टेशनों पर निर्धारित थ्रू कोटे की सीमा थ्रू आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2702 गाड़ी में आरक्षण कोटे में से कुछ स्थान केवल मिरज तक उपलब्ध है।

(ग) 2702 गोवा एक्सप्रेस गाड़ी के लिए निजामुद्दीन से मिरज तक तथा 2704 गोवा एक्सप्रेस गाडी के लिए मिरज से वास्को तक यात्रा करने वाले यात्रियों की समूची यात्रा को एक यात्रा मानते हुए उन्हें एकल आरक्षण-एवं-यात्रा टिकट जारी किया जाता है तथा सामान्य नियमों के अनुसार किराये वसूल किए जाते हैं।

विकास योजनाओं से प्रभावित आदिवासियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

925. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में बांध परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की योजनाओं के अन्तर्गत प्रभावित आदिवासियों और अन्य परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आदिवासियों के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) विस्थापित तथा तेंदू पत्ता, माल लकड़ी आदि इकट्ठा करने से वंचित आदिवासियों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई अन्य लाभोन्मुखी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खेल स्टेडियम

926. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में क्रिकेट/फुटबाल तथा अन्य खेलों के छोटे-बड़े स्टेडियमों की राज्यवार संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : विभाग की "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत जिन क्रिकेट/फुटबाल तथा अन्य खेल स्टेडियमों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है तथा जो पूर्ण हो चुके हैं, उनकी राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	पूरे किए जा चुके स्टेडियमों की संख्या
1.	बिहार	1
2.	गुजरात	4
3.	हरियाणा	6
4.	हिमाचल प्रदेश	4
5.	कर्नाटक	8
6.	केरल	4
7.	महाराष्ट्र	10
8.	मिजोरम	2
9.	राजस्थान	2
10.	सिक्किम	3
11.	तमिलनाडु	3
12.	उत्तर प्रदेश	37
13.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल :	80

अम्बाला-पुआ में उपरिपुल

927. **श्री टी० बे० अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्लेपी कायमकुलम रेल लाइन पर अम्बाला-पुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) चैनेज 10616 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर 2.5 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है जिसका रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ग) अनुमान स्वीकृत किए जाने और ठेका दिये जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ।

[हिन्दी]

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी लाइन

928. **श्री नवल किशोर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण तथा हदबन्दी तथा उसके लिए भूमि का अधिग्रहण का कार्य 1984 में पूरा कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त लाइन का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी है ।

(ग) 1984 में किए गए सर्वेक्षणों तथा 1991 में किए गए सर्वेक्षणों के अद्यतन से पता चला है कि इस परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी ।

[अनुवाद]

होटलों में स्वच्छता

929. **श्री महेश कनोडिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के होटलों की स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में होटलों को कोई प्रमाण-पत्र दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो राजधानी में ऐसे कितने होटल हैं जिन्हें ऐसे प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे किसी होटल के मालिक अथवा अधिकारियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में लापरवाही करने के लिए दण्डित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

लावारिस शवों से नेत्र निकालने के लिए कानून

930. **श्री राम नाईक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक्टरों को अस्पतालों में लावारिस शवों से नेत्र निकालने की अनुमति देने हेतु किसी कानून पर विचार कर रही है;

(ख) क्या भारतीय नेत्र बैंक संघ ने इस विषय के सम्बन्ध में किसी कानून का प्रारूप भेजा है;

(ग) इस कानून से क्या लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(घ) यह कानून कब तक लागू किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा अधिकांश राज्यों में कार्निया सम्बन्धी कानून लागू किया गया है । यह कानून क्रमशः संसद तथा राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित किया गया है ।

(ख) जी, हां । भारतीय नेत्र बैंक संघ का विचार है कि राज्य विधान मण्डलों तथा संसद द्वारा पारित मौजूदा कार्निया रोपण अधिनियम अधिक दान किए गए नेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इन अधिनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए अथवा ऐसे नये अधिनियम पारित किए जाएं जो इन अधिनियमों की कमियों को पूरा कर सकें । उन्होंने राज्य सरकारों को भेजने के लिए एक नमूना कार्निया रोपण अधिनियम भेजा है ताकि वे और अधिक प्रभावशाली कानून बना सकें ।

(ग) इससे अस्पतालों के शवपरीक्षा केसों तथा दावा न किए गए मृतकों जो कि दान किए गए नेत्र का एक बहुत विशाल स्रोत हो सकता है, से और अधिक दान किए गए नेत्र प्राप्त करने की व्यवस्था होगी ।

(घ) इस सम्बन्ध में, विधि मन्त्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की भलीभांति जांच करने के उपरांत कोई निर्णय भी लिया जा सकता है । इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

मामल्लापुरम स्थित स्मारक

931. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के समीप मामल्लापुरम स्थित स्मारकों में कुछ दरारें आ गयी हैं और इनमें से कुछ बहुत ही जीर्ण क्षीर्ण स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक औषधियां

[हिन्दी]

932. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल में भूकम्प पीड़ितों के लिए भेजी गई जीवन रक्षक औषधियां अच्छी गुणवत्ता वाली थी और पुरानी नहीं थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गढ़वाल में भूकम्प पीड़ितों को कोई जीवन रक्षक औषधें सप्लाई नहीं की हैं।

अररिया में आंगनवाड़ी केन्द्र

933. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अररिया क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या छटापुर में आंगनवाड़ी की मंजूरी दिए जाने के बावजूद यहां कोई आंगनवाड़ी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) अररिया जिले में तीन स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनायें हैं, अर्थात रानीगंज, जोकीहाट और भारगवाज जिनमें क्रमशः 180, 100 और 132 स्वीकृत आंगनवाड़ियां हैं।

(ख) छटापुर ब्लाक में कोई भी स्वीकृत आई० सी० डी० एस० परियोजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिक्किम में पनबिजली परियोजना

934. **श्री पीयूष तौरकी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पर्यावरणविदों ने उत्तरी सिक्किम के आदिवासी क्षेत्र में पनबिजली परियोजना के विरुद्ध आपत्तियां प्रकट की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इस परियोजना के निर्माण से पैदा होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी नहीं, उत्तर सिक्किम के आदिवासी क्षेत्र में स्थित पनविद्युत परियोजनाओं के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) उत्तर सिक्किम से कोई भी परियोजना पर्यावरण अथवा वानिकी दृष्टि से मंजूरी के लिए लम्बित नहीं पड़ी है।

बच्चों में थालसेमिया रोग

935. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान देश में अलग-अलग कितने नवजात बच्चों को क्रमशः "थालासेमिया जीन" और "थालासेमिया मेजर" रोग था; और

(ख) उन बच्चों की मदद के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) आम जनता में 2-3 प्रतिशत की जीन आवृत्ति का ध्यान रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष थैलासीमिया के लगभग 6,000 नए रोगी पैदा होते हैं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उसने अपने बम्बई स्थित प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान संस्थान में थैलासीमिया के प्रसवपूर्व निदान के लिए एक संकाय की स्थापना की है। यह परिषद, जीन आवृत्ति को कम करने तथा इस रोग की घटनाओं में कमी लाने के लिए जीन आवृत्ति का अध्ययन करने और प्रसवपूर्व निदान में सुधार करने के लिए यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडीकल साइंसेज, दिल्ली में एक परियोजना को सहायता भी प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली प्रशासन में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को आरक्षित रिक्तियां

936. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को कितनी रिक्तियां विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित घोषित की गई थी;

(ख) इनमें से कितने पद भरे गए; और

(ग) सभी पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्रमशः 383 और 260 रिक्तियां वर्ष 1991 में घोषित की गई थीं। इनमें से 225 और 64 पद विशेष भर्ती अभियान में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों द्वारा भरे गए थे।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उपयुक्त पात्रों की अनुपलब्धता तथा दिल्ली प्रशासन के वित्त विभाग के विचाराधीन होने के कारण 1991-92 में भरी जाने वाली रिक्तियों को अन्तिम

रूप देने में देर होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी पद नहीं भरे जा सके।

नई रेलवे कालोनियों का निर्माण

937. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई रेलवे कालोनियों का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर रेलवे के अन्तर्गत कौन-कौन से स्थानों पर ये कालोनियां विकसित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में शायिकाओं के आरक्षण के लिए स्वविवेकाधीन-प्रदत्त कोटा

938. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे बोर्ड, उत्तरी रेलवे और किसी अन्य प्राधिकरण की विभिन्न रेलगाड़ियों में शायिकाओं के आबंटन हेतु स्वविवेकाधीन-प्रदत्त कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कोटे में से शायिकाओं के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या तत्सम्बन्धी मानदण्डों का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या ऐसे आबंटन के फलस्वरूप वास्तविक और जरूरतमंद यात्री रेल आरक्षण से वंचित रह जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली क्षेत्र में स्थित स्टेशनों से बनकर चलने वाली अथवा वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में उच्च अधिकारियों की मांगों, अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य तात्कालिक अनुरोधों को पूरा करने के लिए कुछ शायिकायें आपातकालीन कोटे के रूप में रखी गई हैं। यह कोटा रेल मन्त्रालय तथा उत्तर रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है।

(ख) से (च) आपातकालीन कोटे से शायिकायें प्रदान करने के लिए विभिन्न वर्गों से अनुरोध प्राप्त होते हैं जो सामान्य तौर पर यात्री के ओहदे, सरकारी ड्यूटी, गमी, बीमारी आदि जैसे तात्कालिक कारणों को ध्यान में रखकर वास्तविक और जरूरतमंद यात्रियों को ही दी जाती हैं। इस मानदण्ड का नियमित रूप से अनुपालन किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सीय आपूर्ति

939. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में अस्पतालों, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को,

पर्याप्त चिकित्सीय आपूर्ति और औषधियां उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति उपकेन्द्र प्रतिवर्ष 2000 रुपये की दर से दवाईयां खरीदने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। जहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों का सम्बन्ध है, दवाइयों तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्तियां राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। क्षय रोगी औषधें, कुष्ठ रोग-रोधी औषधें, मात एवं शिशु स्वास्थ्य चरिचर्या कार्यक्रम आदि के लिए औषधों तथा वैक्सीनों जैसी कुछ औषधियां राज्यों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

प्रतिबन्धित औषधियों की बिक्री

940. **श्री शंकरराव काले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा कुछ औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये औषधियां बाजार में बेची जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का कौन से निवारण उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक सूचित किया है कि कुछ देशों ने भिन्न-भिन्न समय अवधियों में 44 औषधों को बाजार से वापस उठाने की तरजीह दी है। इन 44 औषधों में से 26 औषधों को देश में बेचने के लिए कभी भी स्वीकृति नहीं दी गई थी। 11 औषधों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और 7 औषधों को कुछ मामलों में विशेषज्ञों और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे निकायों के परामर्श से "सावधानियां" अंकित करके बेचते रहने की अनुमति दी गई थी।

भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित औषधों और जिन औषधों को विशेषज्ञों के परामर्श से बेचते रहने की अनुमति दी गई थी उनके नाम कारणों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित औषधें : सूचना का स्रोत-विश्व स्वास्थ्य संगठन

1. नियालामाइड
2. फ्रैक्टोलाल
3. सोडियम बोरेट (बोराक्स)
4. ड्यूगीनान, सेक्रोडाइल, आदि—हारमोनल गर्भ की जांच प्रिपरेशन
5. एमिडो पाइरीन
6. फेनासेटिन

7. मेथापायरीलीन

8. टेट्रासाइक्लीन लिक्विड ओरल डोजेज प्रिपरेशन

9. मोथाक्यूलोन

10. प्रोपानिडिड

जिन औषधों को भारत सरकार द्वारा बेचते रहने की अनुमति दी गई उनके नाम :

सूचना का स्रोत विश्व स्वास्थ्य संगठन

क्रम सं०	औषध का नाम	लगातार बेचते रहने के कारण
1.	हाइड्राक्सिक्यूनोलाइन (क्लिओक्यूनाल एन्टेरोक्यूनाल आदि)	विशेषज्ञों ने पाया कि यह औषध एमिबिक अतिसार/पेचिश जो देश में व्याप्त है के उपचार के लिए बहुत सस्ती और प्रभावकारी है। भारत में "स्मोन" की घटना, जिससे आप्टिक न्यूरोपैथी और दृष्टिहीनता हो जाती है जैसे कि जापान से सूचना मिली है, कभी भी नहीं देखी गई है।
2.	फेनफॉर्मिन (डी०बी०आई०)	विशेषज्ञों की राय थी कि इस औषध के कारण होने वाला मेटोबोलिक लेक्टिक एसिडोसिस जैसा कि पश्चिम यूरोप से सूचना मिली है, भारतीय जनसंख्या में आम नहीं है और इस औषध को प्रभावकारी मुखसेव्य मधुमेह रोधी औषध के रूप में पाया गया।
3.	नाइट्रोफ्यूरान मिश्रण का (क) फ्यूराजोलीडोन	विशेषज्ञों ने इस औषध को जठरांत्र शोथ, जो देश में एक आम बीमारी है, के उपचार के लिए काफी प्रभावकारी पाया।
	(ख) नाइट्रोफ्यूराजोन क्रीम	विशेषज्ञों ने नाइट्रोफ्यूराजोन की टापिकल क्रीम को कृत्रिम घावों, जले हुए घावों और त्वचा संक्रमणों के लिए उतना ही उपयोगी पाया।
4.	लाइनेस्ट्रोनाल	विशेषज्ञों ने इस औषध को मासिक धर्म सम्बन्धी विकारों के लिए अधिक उपयोगी पाया।
5.	पिपरेजाइन	विशेषज्ञों ने इस औषध को गोलकृमि और थ्रेडवार्म इन्फेस्टेशन जो भारत में बहुत आम बीमारियां हैं, के उपचार के लिए

1	2	3
		सस्ती और बहुत प्रभावकारी पाया। यह औषध विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य औषध सूची में शामिल थी।
	6. आक्सीफेनबुटाजोन/फेनाइलबुटाजोन	विशेषज्ञों ने इस औषध को अल्पकालिक प्रदाह विकारों के लिए काफी सुरक्षित और प्रभावकारी पाया। विशेषज्ञों ने इन औषधों को एंकिलोजिंग स्पाईडिलाइटिस और गाऊटी आर्थरीटिस के लिए पसंद की प्रथम औषध के रूप में पाया।
	7. एनलजीन (डाइपायरोन)	विशेषज्ञों ने इस औषध को एक बहुत ही प्रभावकारी जान-एडिक्टिंग पीड़ा हारक के रूप में पाया जिसे मुख से और इंजेक्शन द्वारा दोनों तरीकों से दिया जा सकता है। वोस्टन यूनिवर्सिटी स्टडीज और मानीटरिंग ए डी आर ने बाजार में बेची जा रही अन्य पीड़ाहारक औषध के मुकाबले इस औषध की अल्पकालिक चिकित्सा के फल-स्वरूप बोनमैरों डेप्रेस्सन की किसी "अतिरिक्त" घटना से इन्कार किया था।

"फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड" द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपाय

941. **श्री पी० सी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में "फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड" के कोचीन डिवीजन ने चिचिरापुजा नदी को इससे निकलने वाले अपशिष्टों और रसायन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय कर लिए हैं, जैसा कि इस मन्त्रालय ने अपने निर्देश में इस कार्य के लिए उसे दिसम्बर, 1991 तक का समय दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) उन किसानों को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है जिन्हें "फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड" से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को चिचिरापुजा नदी में प्रदूषण होने के कारण हुआ है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड कोचीन डिवीजन ने अपनी बहिःस्राव शोधन सुविधाओं को बढ़ा लिया है। इस उद्योग ने निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया है।

(ग) बताया जाता है कि खेती को हुए नुकसान का मूल्यांकन किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए आबंटन

942. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की है;

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष 1991-92 के लिए प्रौढ़ों की संख्या के राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय सेक्टर में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कोई विशिष्ट आबंटन किया नहीं किया जाता । प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा रखी गई आवश्यकताओं के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं । तथापि, प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में लगे राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य एजेंसियों को अब तक स्वीकृत की गई धनराशि को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है । वर्ष 1991-92 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए राज्य सेक्टर में किए गए आबंटनों को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है ।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत जिन स्वैच्छिक एजेंसियों ने वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त की है, उनके नामों को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नौसिखीयों के नामांकन के राज्यवार लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण-IV संलग्न है ।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य एजेंसियों को जारी की गई अनुदान राशि को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई अनुदान राशि
1.	आंध्र प्रदेश	564.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.43
3.	असम	54.14
4.	बिहार	226.66
5.	गोवा	—

1	2	3
6.	गुजरात	254.18
7.	हरियाणा	158.50
8.	हिमाचल प्रदेश	31.00
9.	जम्मू और कश्मीर	32.00
10.	कर्नाटक	513.08
11.	केरल	21.59
12.	मध्य प्रदेश	301.19
13.	महाराष्ट्र	426.35
14.	मेघालय	10.01
15.	मणिपुर	23.63
16.	मिजोरम	4.15
17.	नागालैंड	146.56
18.	उड़ीसा	414.38
19.	पंजाब	96.20
20.	राजस्थान	350.60
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	649.93
23.	त्रिपुरा	5.13
24.	उत्तर प्रदेश	490.09
25.	पश्चिम बंगाल	656.28
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.71
27.	चंडीगढ़	10.23
28.	दादरा और नागर हवेली	3.29
29.	दमन और दीव	0.27
30.	दिल्ली	33.34
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	11.00

विवरण-II

वर्ष 1991-92 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य सेक्टर में किए गए आबंटनों को राज्य वार दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि लाख रुपये में
1.	आंध्र प्रदेश	195.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.00
3.	असम	300.00
4.	बिहार	1200.00
5.	गोवा	40.00
6.	गुजरात	300.00
7.	हरियाणा	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	50.00
9.	जम्मू और कश्मीर	111.00
10.	कर्नाटक	332.00
11.	केरल	25.00
12.	मध्य प्रदेश	550.00
13.	महाराष्ट्र	297.00
14.	मणिपुर	65.00
15.	मेघालय	89.00
16.	मिजोरम	15.00
17.	नागालैंड	27.00
18.	उड़ीसा	310.00
19.	पंजाब	101.00
20.	राजस्थान	115.00
21.	सिक्किम	6.00
22.	तमिलनाडु	345.00
23.	त्रिपुरा	58.00

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	340.00
25.	पश्चिम बंगाल	450.00
संघ शासित क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.00
27.	चंडीगढ़	5.00
28.	दादरा और नागर हवेली	2.50
29.	दमन और दीव	2.25
30.	दिल्ली	40.00
31.	लक्षद्वीप	3.00
32.	पांडिचेरी	8.00

विवरण-III

वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों के राज्यवार नामों को दर्शाने वाला विवरण

आंध्र प्रदेश

श्री वीरा ब्रह्म, एजूकेशनल सोसायटी,
आंध्र प्रदेश-515212, से मंदिर, आंध्र प्रदेश-515212
रायल सीमा सेवा समिति, तिरूपति-517501,
जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश
डाउन ट्राडन एण्ड कम्युनिटी डवेलपमेंट, सोसायटी
कडपा-516002
महर्षि संबामूर्ति इंस्टीटयूट आफ सोशल एण्ड डवलेपमेंट स्टडीज,
असिस्ट इण्डिया, जिला, गुंटूर-522616
प्रकाशन नगर महिला मंडली, गुंटूर-522001
झांसी महिला मंडली मणिपुरम, गुंटूर-522001
इंदिरा किरन महिला, मंडली गुंटूर-522002
श्री गजपति वीकर सेक्शन महिला मंडली, गुंटूर-522033
श्रीराम महिला मंडली, पोतडाका, जिला गुंटूर

सौजन्य महिला मण्डली कृष्णा स्ट्रीट प्रकाशम नगर

श्री इंदिरा महिला मण्डली जिला गुंटूर-522002

अभ्युदय यूथ एसोसिएशन, जिला वारंगल-506346

गुड समरिलन्स रूरल डवेलपमेंट सोसायटी, आंध्र प्रदेश

कंप्रेहेन्सिव रूरल आपरेशन्स सर्विस सोसायटी (क्रास), हैदराबाद-501507 (आंध्र प्रदेश)

आंध्र महिला सभा कालेज, कैम्पस, हैदराबाद-500007

एकादमी आफ रूरल डवेलपमेंट एण्ड रिसर्च, जिला-गुंटूर।

एस० आर० सी० फार एडल्ट एजूकेशन, लिटरेसी हाउस आंध्र महिला सभा हैदराबाद-500007

उदयाश्री महिला समाजम्, मैडुपेट, गुंटूर-522007

आदर्श सेवा संगम, ताड गोंडा, जिला करीम नगर

विवि सीमा दीना जन, संक्षीमा समिति, जिला कृष्णा

नेताजी यूथ एसोसिएशन, वातापागू, पालकोंडा
जि०-श्रीकाकुलम, महिला मण्डली राजम्

असम

विश्व ज्योति महिला समिति, बजली डवे० ब्लाक, जिला बरपेटा (असम)

पापुलर प्रोगेसिव यूनिट, इलकुरा, पो० आ० इलकुरा, जिला-धुबरी।

दारुसलाम, हफीजी ओ०-केरिआना इस्लामियक, मदरसा कमेटी, जिला नवगांव (असम)

टोटल रूरल डवेलपमेंट, प्रोजेक्ट, जिला-नलबाड़ी।

बिहार

दि चैरिटेबल, एसोशिएशन फार रूरल, एजूकेशन एण्ड डवेलपमेंट जिला पश्चिम चंपारन

श्री दुर्गा पुस्तकालय मानपुर, दुर्गा स्थान, जिला-गया-823003

विकास भारती, जिला कुमला-835331

सेंट इग्नेटिअस उच्च विद्यालय, जिला-कुमला-835207

नव भारत जागृति केन्द्र, जिला-हजारीबाग

मिथिला ललित कला-संस्थान, जिला-मधुबनी (बिहार)

श्रम भारतीय खादीग्राम जिला, मुंगेर

बिहार दलित विकास समिति, बिहार-803213

स्टेट रिसोर्स सेंटर, दीपायतन, पटना,800001

जन विकास केन्द्र, बरियात, रांची-834009

जे० पी० सरैसा सेवाश्रम, जिला समस्तीपुर।

अल्टरनेटिव फार इंडिया, डवेलपमेंट मद्रास-600056, तमिलनाडु

जैवियर चाबासा, सेंट जैवियर हाई स्कूल, चाइबासा-833101

भारतीय जन उत्थान परिषद, नालंदा (बिहार)-803001

जन जागरण संस्थान, जिला नालंदा, बिहार-803101

गुजरात

पाटनी शोरी सेवा संघ, अहमदाबाद-380001

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380001

लोक सेवक मण्डल, पालडीड अहमदाबाद-380007

गुजरात स्टेट क्राइम, प्रिवेन्शन ट्रस्ट, अहमदाबाद-380027

स्टेट रिसोर्स सेंटर फार एडल्ट एजूकेशन गुजरात विद्यापीठ,
सर्व मंगलम, पालनपुर-385001

ग्राम निर्माण केल्वानी मण्डल, गुजरात,

दि न्यू प्रोग्रेसिव, एजूकेशन ट्रस्ट, मेहसाणा-384002

श्री सिद्धार्थ श्रपजीवी विकास ट्रस्ट, पाटन-384265

भील सेवा मण्डल, गुजरात-389001

मानव सेवा मण्डल ट्रस्ट, राजकोट-360001

शांति निकेतन, जिला साबर कंठा-385001

श्रमिक विद्यापीठ, सूरत-395003

गुजरात राज्य हरिजन समाज सेवा सेवा संघ, सूरत

लोक विद्यालय, जिला भावनगर-364250

श्री सर्वोदय केलबानी, मण्डल, जिला भावनगर, सारस्वतम, कच्छ ।

कपडवंज तालुका, युवक मण्डल एसोसिएशन, जिला खेड़ा-38 7635

आनन्द तालुका युवक मण्डल एसोसिएशन, आनन्द-388001

सुरेन्द्र नगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल डवेलपमेंट ट्रस्ट सुरेन्द्रनगर-363001

वाराणसी सेवा परिषद, आनन्द निकेतन आश्रम, उदयपुर जिला बड़ोदरा

एजूकेशन सोसायटी, छिपाडी-387635 जिला खेड़ा ।

थासरा तालुक युवक मण्डल एसोसिएशन, जिला-खेड़ा

श्री संस्कार राष्ट्रीय, केल्वानी मण्डल, जिला-खेड़ा-387635

हरियाणा

जनता कल्याण समिति, जिला महेंदर गढ़

लकी एजुकेशन सोसायटी, महम, जिला रोहतक

विद्या महासभा कन्या गुरुकुल, महाविद्यालय, खारखोड़ा, जिला-सोनीपत

कर्नाटक

फाउंडेशन फार एजुकेशनल इनोवेशन्स इन एशिया (एफ० ई० डी० ए० एन० ए०)

बंगलौर-560030

दि भारत स्काउट्स, एण्ड गाइड्स, चिकमगगूर-577101

श्री कर्नाटक एजुकेशन सोसायटी, धारवाड-580008

कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल, ट्रस्ट अरसीकेरे-573103, जिला-हसन

श्री आदिचुंचनागिरि, शिक्षण ट्रस्ट, जिला मंडिया-571811

स्टेट रिसोर्स सेन्टर फार एडल्ट, एजुकेशन कर्नाटक स्टेट एडल्ट एजुकेशन

काउंसिल, 501, कुवेमपूमागर, मैसूर-570023

केरल

हरिजन सेवक संघ, शांति निकेतन, पो० आ० कट्टाक्कडा, जिला त्रिवेंद्रम ।

मध्य प्रदेश

भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंदौर

दिशा ट्रस्ट, मध्य प्रदेश-492007

महाराष्ट्र

पार्थ विद्या प्रसारक मण्डल, जिला अहमदनगर

सोसायटी फार ऐक्शन इन क्रिएटिव एजुकेशन एण्ड डिवलमेंट (सेक्रेड),

औरंगाबाद-431001 (महाराष्ट्र)

श्री योगानन्द शिक्षण प्रसारक मण्डल महाराष्ट्र-431501

सर्वोदय शिक्षण मण्डल, जिला नागपुर

समाज कल्याण मण्डल, नागपुर

विदर्भ प्रादेशिक शासन समिति, नागपुर-440012

कमेटी आफ रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स फार पास प्रोग्राम आफ लिटरेसी, मुम्बई-400019

नेशनल सेन्टर फार रूरल डिवलपमेंट, नागपुर-440010

ग्राम विकास शिक्षण संस्था, नान्देड़ ।

रामाबाई अम्बेडकर, शिक्षण प्रसारक मण्डल, महाराष्ट्र-431401

नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था, जिला-परभानी

महाराष्ट्र मासम वर्ग, सेवा संघ, जिला परभानी

इंडियन इस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, पुणे-411029

भारतीय समाज उन्नति मण्डल, शोलापुर (महाराष्ट्र)-413003

लेट मैतीराम नायक, एजुकेशन सोसाइटी, जिला थिआतमल

श्री विशुद्ध विद्यालय, जिला थिआतमल

मणिपुर

मणिपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ, इम्फाल

समेकित ग्रामीण विकास सोसायटी, इम्फाल

ग्रामीण विकास सोसायटी, भौबल, जिला, मणिपुर-795148

उड़ीसा

बालासोर जिला नारी संघ, जिला बालासोर (उड़ीसा)

युवा कृषक संघ, जिला, बालंगीर

आर्थिक-ओ-सामाजिक-हितायोग (आशा) बालंगीर

श्रीराम युवक संघ, जिला बोलंगीर, उड़ीसा-767030

ग्राम मंगल पथागार, बोलनगीर, उड़ीसा-767067

रामजी युवक संघ, जिला बालंगीर

सर्वोदय सेवा समिति, उड़ीसा-753001

नेता जी युवक संघ, रामपुर, जिला-कालाहंडी (उड़ीसा)

लोकदृष्टि, खैरियार, जिला कालाहंडी

जागृत श्रमिक संगठन, जिला कालाहंडी

डारसीन श्रमिक संघ, जिला कालाहंडी

गणपति युवक संघ, जिला कटक, उड़ीसा

जाग्रति युवक संघ, तालुक-तल्चर, जिला-धेनकैनाल

एन० वाई० एस० सी० ए० पी० (नेशनल युवा संसद फार कम्युनिटी ऐक्शन प्रोग्राम), जिला धेनकैनाल

डेंगाबोरी महिला समिति, धेनकैनाल

एन० वाई० एस० ए० एस० डी० आर० आई० वाया गोंडिया, जिला-धेनकैनाल

मून लाइट क्लब, जिला धेनकैनाल

सल्लीकोट मर्दराज, संस्कृतिका परिषद, जिला-गंजम

फेंडस एसोसिएशन फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जिला कालाहांडी (उडीसा)

विद्युत क्लब, जिला पुरी-752060

स्टेट रिसोर्स सेंटर फार एडल्ट एजुकेशन, भुवनेश्वर, जिला पुरी

पंजाब

लोकल कमेटी, द चीफ खालसा दीवान, तरन तारन, अमृतसर

पंजाब बैंकवर्ड क्लासेज, डिवलपमेंट बोर्ड 1143,36-सी, चण्डीगढ़

सर्व भारत श्री रविदास प्रचार फाउंडेशन, चंडीगढ़-160036

राजस्थान

अजमेर प्रौढ़ शिक्षका समिति, अमेजर-305006

श्री हरिकृष्ण शिक्षा प्रसार, समिति, अलवर-301001

बीकानेर एडल्ट एलकेशन एसोसिएशन बीकानेर-334001

प्रयास, जिला-चित्तौडगढ़

गांधी विद्या मन्दिर, सरदर्शहार

महिला लोक जागृति समिति, जयपुर-302015

राधा बाल मन्दिर विद्यालय समिति जोधपुर

ग्रामीण बाल विकास संस्था, पीपड शहर, जोधपुर

जैन विश्व भारती पो० आ० लडनुन, जिला नागौर

सेवा मन्दिर, उदयपुर-313001

स्टेट रिसोर्स सेंटर फार एडल्ट एजुकेशन, राजस्थान एडल्ट एजुकेशन, एसोसिएशन।

तमिलनाडु

दुरई स्वामी जेनेरम, सोशल एजुकेशन एसोसिएशन जिला चेंगल पटटू

श्री विवेकानन्द, चौरिटीस एण्ड एण्डोमेन्टस, धर्मापुरी-637701

तमिलनाडु बेसिक एजुकेशन, सोसायटी, मदुरई-626702

गांधी निकेतन आश्रम जिला मदुरई

वैलफेयर एसोसिएशन फार दि रूरल मास, जिला नार्थ आरकट

तिरुपुत्तूर रूरल, अपलिफट प्रोजेक्ट एसोसिएशन जिला पसुम्पन

मृथुराम लिंगम, तमिलनाडु-623215

यंग वूमैन क्रिश्चन एसोसिएशन, मद्रास-6000084

वूमैन वालन्टरी सर्विस, आफ तमिलनाडु मद्रास-600031

वूमैंस इंडियन एसोसिएशन, मद्रास-600028

कन्डास्वामी केन्द्रर्स ट्रस्ट बोर्ड, बेलूर, जिला सालेप

मधुर नाला थोन्डु निरूवनप, जिला दक्षिण आर्कट

क्रिश्चन एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी, विल्लूपुरम, जिला साउथ आरकट

कांग्रेगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ चावानाहे, टीप्पाकुलम, तिरूचरापल्ली

आरनाड वेलालर संगम, तिरूचरापल्ली-620005

खाजामलाई लेडिल एसोसिएशन, जिला तिरूचरापल्ली पंजाब एसोसिएशन

रोयापेटटाह, मद्रास-600014

जय प्रकाश यूथ, रिसर्च सेन्टर, मद्रास-600090

एस० आर० सी० फार नान फार्मूल एण्ड एडल्ट जुकेशन, तमिलनाडु

बोर्ड आफ कान्टीनुइंग एजुकेशन, तमिलनाडु-600020

उत्तर प्रदेश

भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान, उ० प्र०-221502

विनोबा आदर्श शिक्षा समिति नैनी जिला-इलाहबाद

श्री काशी प्रसाद ग्राम विकास संस्थान, इलाहबाद

अखिल भारतीय निर्वन विकास संस्थान, जिला-फरूखाबाद-209732

जे० पी० सेवा समिति, जिला फर्रूखाबाद

शांती समाज सेवा समिति, जिला-फर्रूखाबाद

ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, इलाहबाद

नेहरू बाल मण्डल, इलाहबाद-211001

सर्वोदय शिक्षा सदन, जिला-इलाहबाद

ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान, जिला इलाहबाद-212403

डा० अंबेडकर समाज सेवा मण्डल, जिला-इलाहबाद, उ० प्र०-221508

बाघम्बरी आवास शिक्षा समिति, इलाहबाद

समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहबाद-211003

श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, जिला-इलाहबाद

श्रमिक विकास सेवा आश्रक, इलाहाबाद

महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद-211003

जन शिक्षण अकादमी, इलाहाबाद

जनपद बिकास एवं समाज कल्याण समिति, जिला आजमगढ़-276001

असोदर ग्रामोद्योग सेवा मंडल, जिला बहराइच-271801

नारी विकास संस्था, जिला-बिजनौर

माहिला सेवा संस्थान, जिला-बिजनौर

जनता आदर्श इन्टर कालेज, जिला-फर्रुखाबाद-209625

नैशनल हरिजन स्कूल, जिला-गाजीपुर

आर० वी० असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान जिला-गौण्डा

उर्मिला ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला-गौण्डा, उ० प्र०

सर्वोदय आश्रम, जिला-हरदोई

अमर शहीद नरपति सिंह स्मारक समिति, जिला हरदोई, उ० प्र०-241302

आशा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिला-हरदोई

सुधार समिति, जिला-जौनपुर

नेहरू सेवा संस्थान, कानपुर, उ० प्र०

सामाजिक उत्थान समिति, कानपुर

स्वर्गीय श्री बेनी सिंह सेवा सदन, जिला कानपुर

इंडियन वीमेंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रिहैबीलिटेशन,
लखनऊ (उ० प्र०) पिन-226017

न्यु पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ

सामाजिक एवं आर्थिक बिकास संस्थान, लखनऊ

ग्राम सेवा निकेतन, लखनऊ-226003

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, लिटरेसी हाऊस, पो० आ० आलम बाग, लखनऊ

मियाना ग्रामोद्योग सेवा संस्था, गोमती प्रयोग जन कल्याण परिषद
जिला-चमोली

अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, देवरिया

मानव सेवा संस्थान अथारा, जिला-देवरिया

सुमन टेक्निकल इंस्टीट्यूट

इंडियन अकादमी, एटा (उ० प्र०)

राम सेवाश्रम, एटा (उ० प्र०)

स्वर्गीय राम चरन शिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, इटावा
उ० प्र०-206122

श्री हरी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, इटावा, उ० प्र०-206001

सघन विकास क्षेत्र समिति, उ० प्र०-224132

इंस्टीट्यूट आफ सोशल हैल्थ वैल्फेयर रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, फेजाबाद

रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला-फैजाबाद

फुलवती देवी बालिका विद्यालय, जिला-फर्रुखाद

अखिल भारतीय अनाथ आश्रम सेवा संस्थान, जिला-बुलन्दशहर

श्रीमहिला उद्योग समाज उत्थान समिति, जिला-मथुरा

ग्रामोद्योग विकास मण्डल, मेरठ

इरशाद अमादमी, मेरठ, उ० प्र०

बनवासी सेवा आश्रम, जिला-मिर्जापुर (सोनभद्र)

विश्वनाथ नर्सरी, विद्यालय समिति, मिर्जापुर

महिला पुनरोत्थान समिति, जिला-मिर्जापुर

स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर

विद्या शिक्षा समिति, मिर्जापुर

सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र बहजोई, जिला-मुरादाबाद

आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फर नगर

निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

उ० प्र० राणा बेनीमाधव जनकल्याण समिति, रायबरेली

ग्रामीण समाज कल्याण समिति, जिला-सहारनपुर

विनोबा सेवा आश्रम, जिला-शाहजहांपुर

समाज कल्याण सेवा समिति, जिला-सुलतानपुर

युवक मंगल दल जिला-उन्नाव

पश्चिम बंगाल

रामकृष्णन विवेकानन्द मिशन, जिला 24-परगना

श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, कलकत्ता-35

स्टेट रिसोर्स सैन्टर फार एडल्ट एजूकेशन, कलकत्ता-700009

दिल्ली

जन जागृति एजूकेशनल सोसाइटी, दिल्ली-110083

महिला चेतना केन्द्र, नई दिल्ली-110003

डा० ए० वी० बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली-110002

विवरण-IV

वर्ष 1991-92 के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नौसीखियों के नामांकन के लक्ष्य

(लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	93.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.37
3.	असम	5.55
4.	बिहार	31.38
5.	गोआ	1.00
6.	गुजरात	6.00
7.	हरियाणा	2.56
8.	हिमाचल प्रदेश	0.72
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1.28
10.	कर्नाटक	16.71
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	17.50
13.	महाराष्ट्र	11.60
14.	मणिपुर	0.97
15.	मेघालय	0.33
16.	मिजोरम	0.14

1	2	3
17.	नागालैंड	0.24
18.	उड़ीसा	28.49
19.	पंजाब	1.62
20.	राजस्थान	4.32
21.	सिक्किम	0.07
22.	तमिलनाडु	9.48
23.	त्रिपुरा	1.37
24.	उत्तर प्रदेश	23.61
25.	पश्चिम बंगाल	28.06
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.06
27.	चंडीगढ़	0.09
28.	दादरा तथा नगर हवेली	0.06
29.	दमन व दीव	0.01
30.	दिल्ली	0.99
31.	लक्षद्वीप	0.03
32.	पांडिचेरी	0.15

पठानकोट से बैजनाथ के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

943. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के पठानकोट से वैजनाथ, कांगड़ा घाटी सैक्शन के लिए कितनी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलायी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर दूसरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक जोड़ी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की कमी के कारण ।

"पोलियोमाईलिटिस एंड मीस्ल, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन" पर विश्व सम्मेलन

944. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पोलियोमाइलिटिस गण्ड मील्स, वैक्सीन एण्ड इंयूनाइजेशन" सम्बन्धी विश्व सम्मेलन में आने वाले विभिन्न देशों के विशेषज्ञों से बच्चों की जान लेवा और अपंग करने वाली मुख्य बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इन्टरनेशनल कम्पेरेटिव वीरोलाजी आर्गेनाइजेशन, कनाडा ने 7 से 12 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में "पोलियो और खसरे के बारे में विश्व सम्मेलन, टीके और रोग प्रतिरक्षण" नामक एक बैठक का आयोजन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त हुए कार्यवृत्त के प्रारूप पर आधारित उपर्युक्त सम्मेलन के बारे में रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :—

1. पोलियो

इस सम्मेलन ने अमेरिका यूरोप और अरब देशों में वर्तमान अनुमोदित कार्यनीतियों का उपयोग करते हुए विश्व पोलियो उन्मूलन में हुई प्रगति पर ध्यान दिया। चीन और भारत से रोग प्रतिरक्षण कवरेज के ऊंचे स्तरों और रोग की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी की भी सूचना दी गई। पोलियो के उन्मूलन में देरी अथवा उसे रोकने जैसी मुख्य बाधा सीमित स्रोत संसाधन विशेषतौर से टीके खरीदने के लिए धन और ऊंचे खतरे वाले क्षेत्रों में अनिवार्य जन अभियानों को कार्यान्वित करने के लिए और बचे-खुचे रोगों को समाप्त करने सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की कमी थी। सम्भावित रोगियों का शुरू में ही पता लगाने के लिए पोलियो निगरानी की महत्ता और नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाशील उपायों को चलाने की बात पर जोर दिया गया। कार्यनीतियों पर नजर डालते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का उपयोग करने की महत्ता पर जोर दिया गया।

इस समय उपलब्ध पोलियो टीकों के उपयोग पर विचार-विमर्श केन्द्रित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात से आश्वस्त रहा कि स्थानिकमारी वाले देशों में विषाणु के उन्मूलन के लिए मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन (ओ० पी० वी०) एक उत्तम टीका है। उन देशों, जिनमें जंगली विषाणु संचरण, अच्छी निगरानी की बात का पता नहीं है और जहां टीकों की लागत एक अवरोधक घटक नहीं है, में संयुक्त अनुसूचियों में अक्रियाशील पोलियो टीके (आई० पी० वी०) के लिए स्थान है।

पोलियो विषाणु प्रयोगशाला नेटवर्क और पोलियो के उन्मूलन के सन्दर्भ में जंगली विषाणुओं के पर्यवरणात्मक नमूनों के विकास की बात पर भी विचार-विमर्श हुआ।

2. खसरा

इस बात पर ध्यान दिया गया कि रोग प्रतिरक्षण कवरेज के स्तर विश्व भर में बढ़ने पर भी खसरा बचपन में ही मृत्यु होने का एक प्रमुख कारण बना रहा। गन्दे शहरी पर्यावरण में रहने वाले एक उच्च जोखिम वाले समूह के थे और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी।

अन्य ऊंचे खतरे वाले समूहों में कम कवरेज वाले क्षेत्रों, अस्पतालों में दाखिल और शरणार्थी शिविरों में रहने वाले बच्चे थे । खसरे के बाद की जटिलताओं का शुरू में ही उपचार करके शिशु-मृत्यु दरों को रोका जा सकता है ।

बहुत से औद्योगिक देशों में बड़े बच्चों को कवर करने के लिए दो खुराकों वाली एक खसरा तालिका का उपयोग करते हुए कार्यनीतियों के बारे में अध्ययन प्रस्तुत किए गए । तथापि, इस बात पर ध्यान दिया गया कि दी हुई जानपदिक रोग विज्ञान सम्बन्धी स्थिति में अभीष्टतम कार्यनीति के मूल्यांकन के लिए आगे और अनुसंधान करने की आवश्यकता थी ।

इसके साथ-साथ इस सम्मेलन ने खसरे के टीके की सुरक्षा की बात पर ध्यान दिया । यद्यपि इस लक्ष्य से सम्बद्ध बहुत सारी समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया फिर भी खसरे के उन्मूलन होने की बात को सम्भव माना गया ।

आदिवासी छात्रों में विद्यालय छोड़ने की ऊंची दर

945. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी छात्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तरों पर दूसरों की तुलना में विद्यालय छोड़ने की ऊंची दर के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार ने विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाली की दरों का सामाजार्थिक घटकों से पता लगाया जा सकता है; जो इस प्रकार हैं :—

—परिवार की आय की प्रतिपूर्ति के लिए अन्यथा अपने अभिभावकों की सहायता करने के लिए बच्चों को काम करने की आवश्यकता होती है ।

—लड़कियों को घरेलू काम-काज पर ध्यान देना और छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती है ।

—स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाओं का होना और मूल आधार भूत सामग्री की अपर्याप्तता ।

—अभिभावकों में बच्चों को स्कूलों में भेजने के प्रति उदासीनता ।

(ख) स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दरों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय हैं :—

—लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों, वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें, उपस्थिति, छात्रवृत्तियों जैसी प्रेरणाओं का प्रावधान और मध्यान्ह भोजन, छात्रावास सुविधाओं आदि का प्रावधान ।

—ओपरेशन ब्लेक बोर्ड की योजना के अन्तर्गत सुविधाओं में सुधार ।

—उन बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम जो दिवा स्कूलों में नहीं जा सकते ।

—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में नये स्कूल खोलना ।

(ग) इन उपायों के परिणामस्वरूप उनके पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वालों की दर में धीरे-धीरे कमी आ रही है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन

946. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को और अधिक सक्रिक एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किन्हीं उपायों तथा प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए राज्यों को दिये जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इस दिशा में अधिक आगे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) (I) परिवार कल्याण कार्यक्रम पर नये सिरे से बल देने और उसे गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के परामर्श से परिणामोन्मुख और सोद्देश्य कार्य योजना तैयार की गई है जिसे कार्य रूप दिया जा रहा है ।

(II) जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और प्रभावी जनसंख्या नियन्त्रण नीतियों और कार्य नीतियां तैयार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया गया है । जिसमें केरल, राजस्थाम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री, केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री, डा० फारुख अब्दुल्ला, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, जम्मू व कश्मीर और प्रो० जे० एस० बजाज, सदस्य योजना आयोग शामिल हैं । अपेक्षित आदेश संलग्न हैं । (विवरण-I)

(III) गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के नये फार्मूला का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी कर दिया है । संशोधित फार्मूला के अनुसार केन्द्रीय सहायता का 7.5 प्रतिशत का वितरण जनसंख्या नियन्त्रण सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य निष्पादन के आधार पर किया जायेगा ।

(IV) परिवार कल्याण कार्यक्रम में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए किन्हीं अन्य नये प्रोत्साहनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) जन्म दर के मामले में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों (अखिल भारतीय औसत से कम जन्म दर वाले राज्य) की एक सूची संलग्न है । (विवरण-II)

विवरण-I

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन

संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक : 19 फरवरी, 1992

आदेश

विषय :—जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति का गठन

राष्ट्रीय विकास परिषद की 23 और 24 दिसम्बर, 1991 की हुई बैठक में जनसंख्या पर

राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति का गठन करने का निर्णय लिया ।

2 जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति का गठन तदनुसार नीचे दिए गए के अनुसार किया गया है :—

1. श्री के० करुणाकरण, मुख्य मन्त्री, केरल —अध्यक्ष
2. श्रीमती मार्गरेट एल्वा, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मन्त्री —सदस्य
3. डा० फारुख अब्दुल्ला, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जम्मू व कश्मीर —सदस्य
4. श्री भैरों सिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री, राजस्थान —सदस्य
5. डा० जे० जयललिता, मुख्य मन्त्री, तमिलनाडु —सदस्य
6. श्री माखन लाल फोतेदार, स्वास्थ्य और प० क० मन्त्री —सदस्य
7. प्रो० जे० एस० बजाज, सदस्य योजना आयोग —सदस्य सचिव

3. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने से सम्बन्ध सामाजिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं समुदाय स्तर पर मौजूदा और अपेक्षित आधारित संरचना और प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकताओं की समीक्षा करना ।

(i) वृद्ध और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर, समग्र और अन्तरक्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या नियन्त्रण के लिए प्रभावी कार्यनीति का चयन ।

(iii) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों और सभी वर्गों के नेतृत्व की वचनबद्धता और समर्थन के लिए तंत्र का सुझाव ।

(iv) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों जैसे जन संस्थाओं, व्यापार और उद्योग, श्रम, संगठित और सहकारी क्षेत्र तथा प्रचार आदि के माध्यम से लोगों विशेषकर महिलाओं और युवाओं की सहभागिता प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना ।

(v) महिलाओं के सामाजिक स्तरों के बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना, साक्षरता और स्वास्थ्य परिचर्या के मामले में स्त्री-पुरुषों में असमानता को दूर करना और मां और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण को जन कल्याण कार्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में बढ़ावा देना ।

(vi) परिवार कल्याण कार्यक्रम को वित्तीय सहायता की प्रणाली की समीक्षा तथा उसमें समुचित परिवर्तनों का सुझाव देना ।

(vii) उपर्युक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लिए समुचित सुझाव देना ।

(viii) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और प्रभावी कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की सतत समीक्षा और मानीटरिंग के लिए उपयुक्त तंत्र के चयन और उसकी सिफारिश करना ।

(ix) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अथवा जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य सिफारिशें।

4. समिति को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाने का अधिकार है।

5. समिति अपनी रिपोर्ट चार महीनों के अन्दर राष्ट्रीय विकास परिषद को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

6. सरकारी अधिकारियों का दैनिक/यात्रा भत्ता उनके अपने कार्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा। गैर सरकारी व्यक्तियों के यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान योजना आयोग द्वारा किया जायेगा।

7. समिति को उसके दिन-प्रतिदिन के कार्य में डा० आई० सी० तिवारी सलाहकार (स्वास्थ्य) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

ह०/

(एन० के० मलहोत्रा)

उप सचिव, भारत सरकार

समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित

राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

प्रधान मन्त्री जी के प्रमुख सचिव

भारत के राष्ट्रपति के सचिव

भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव

भारत सरकार के सभी सचिव

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

प्रधान मन्त्री के निजी सचिव

योजना आयोग की मानक वितरण सूची

ह०/-

(एन० के० मलहोत्रा)

उपसचिव, भारत सरकार

विवरण-II

वर्ष 1990 के जन्म दर के नमूना पंजीयन पद्धति (अनन्तिम) के अनुमानों के आधार पर सर्वोत्तम कार्य निष्पादन वाले राज्यों की सूची

क्र० सं०	राज्य	जन्म दर (1990)
1	2	3
1.	गोवा	15.5
2.	नागालैंड	16.2
3.	केरल	19.0
4.	मणिपुर	21.0
5.	तमिलनाडु	22.4
6.	त्रिपुरा	24.4
7.	आंध्र प्रदेश	25.6
8.	सिक्किम	26.4
9.	हिमाचल प्रदेश	27.0
10.	पश्चिम बंगाल	27.3
11.	महाराष्ट्र	27.5
12.	असम	27.5
12.	पंजाब	27.6
14.	कर्नाटक	27.8
	अखिल भारत	29.9

*आंकड़े अनन्तिम

[हिन्दी]

रूस में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता

947. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस में स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों को कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए चुने गए छात्रों की संख्या कितनी है और इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या विभिन्न सांस्कृतिक या मित्रता सोसायटियों से मुफ्त छात्रवृत्ति पर वहां अध्ययन के लिए गए छात्र भी इस योजना में शामिल किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने मास्को स्थित भारतीय दूतावास की सलाह पर 19 छात्रों को, जिन्हें शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी तौर पर भेजा गया था और वे अभी भी पूर्व सोवियत संघ में अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। दिसम्बर, 1991 से मार्च, 1992 तक की अवधि के लिए दुर्लभ मुद्रा में 500/- रुपए प्रतिमास प्रति छात्र की आपात सहायता संस्वीकृति की है।

जहां तक अन्य छात्रों का सम्बन्ध है, जो सोवियत संघ में अपने आप गए थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, विदेश मंत्रालय की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी छात्रों, जो पहले ही पूर्व सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे हैं, के माता-पिता और अभिभावकों को 50 अमरीकी डालर प्रतिमास तक भेजने की अनुमति प्रदान करने के लिए बैंकों और विदेशी मुद्रा डीलरों को अनुदेश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपयों में मास्को से वापसी टिकटों की खरीद को भी प्राधिकृत कर दिया है।

विदेश मन्त्रालय ने प्रेस में इस आशय का एक परामर्शी नोटिस भी जारी किया है कि उस समय तक जब तक कि उन देशों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, स्वतः वित्त-पोषित एवं गैर-सरकारी प्रायोजन आधार पर पूर्व सोवियत संघ में संस्थानों में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं लेना चाहिए और यदि किसी ने ऐसा किया तो वह अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा क्योंकि उनके लिए सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

[अनुवाद]

नमक को आयोडीन युक्त करने सम्बन्धी अध्ययन

948. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोडीन में विषाक्तता के खतरे को दूर करने के लिए नमक में आयोडीन के स्तर की निगरानी के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) राष्ट्रीय गलगंड नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन नमक में आयोडीकरण के स्तरों का दो स्तरों पर सनुवीक्षण किया जाता है अर्थात विनिर्माण और फुटकर स्तर/सहित वितरण माध्यम के स्तर पर सायोडीकृत नमक के आवश्यक मानक खाद्य अपमिश्रम निवारण अधिनियम/नियमों में दिए गए हैं। ऐसे नियम विनिर्माण और फुटकर स्तर पर क्रमशः 30 पी० पी० एम० और 15 पी० पी० एम० के

न्यूनत स्तर पर बल देते हैं। ये दोनों स्तर नितांत सुरक्षित हैं। बहरहाल, 1962 में नमक आयोडीकरण कार्यक्रम के आरंभ से अब तक आयोडीन विषाक्तता की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

ऊर्जा की बचत

949. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली तथा अन्य डिविजनों में रेल प्रचालन में ऊर्जा की बचत करने हेतु काफी प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान दिल्ली डिविजन में कुल कितनी ऊर्जा की बचत की गई तथा चालू वर्ष के दौरान ऊर्जा बचत के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल प्रचालन में ऊर्जा की बचत के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1989-90 की तुलना में 1990-91 में दिल्ली मंडल में गैर कर्षण पर बिजली की खपत में यथानुपात 1.7 मिलियन यूनिट की कमी आई है। चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 3.0 मिलियन यूनिट है। विशिष्ट ऊर्जा या ईंधन की खपत सही अर्थ में मण्डल का सूचकांक नहीं है बल्कि समग्र रेलवे का है।

(ग) जी हां।

(घ) ऊर्जा की बचत मुख्यतया ऊष्मा की दृष्टि से अकुशल भाप रेल इंजनों को हटाकर, बिजली की खपत पर कड़ी निगरानी रखने के साथ-साथ ईंधन के कुशल किटों की स्थापना करके, ऊर्जा मीटरों को ठीक अवस्था में रखकर, कोस्टिंग करके, संधारित्र बैंक आदि लगाकर की जानी है।

होम्योपैथिक मैडिकल कालेज

950. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक मैडिकल कालेज सभी राज्यों में हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन सभी राज्यों में होम्यापैथिक मैडिकल कालेजों की स्थापना करने का है जिनमें ऐसे कालेज नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में होमियोपैथिक मेडिकल कालिज हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

951. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले इस्पात संयंत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इस्पात संयंत्रों से कितना प्रदूषण फैल रहा है;

(घ) क्या केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों ने इनमें से कुछ इस्पात संयंत्रों को नोटिस जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जी, हां। कोयले की भट्टियों के बहिस्रावों में फिनोल और इस्पात गलाने की भट्टियों के निरक्षरणों में विविक्त कण जैसे कुछ प्रदूषक निर्धारित सीमाओं से अधिक होते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस्पात संयंत्र अर्थात राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एक विशिष्ट समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर निर्धारित मानकों का अनुपालन पूरा कर लें।

(ङ) इन यूनिटों ने निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

रेलवे पुलों का जीर्णोद्धार

952. **श्री गोविन्दराव निकाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 60 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे कितने रेलवे पुल हैं जिनका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुम्बई और इगतपुरी के बीच एक पुराने रेलवे पुल का पुनर्निर्माण किए जाने का आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री मन्त्री (श्री अल्लिकाजूंम) : (क) 55 पुलों की पुनर्निर्माण के लिए पहचान की गई है।

(ख) और (ग) सभी पुलों का हर वर्ष निरीक्षण किया जाता है ताकि ऐसे पुलों की पहचान की जा सके जिनका पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/मरम्मत करना अपेक्षित है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) बम्बई-इगतपुरी खंड पर कि० मी० 113/1-2 पर मौजूदा 2/4.57 एम० महराब पुल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ।

पूर्वी भाग को आगरा से जोड़ने वाली रेलगाड़ी

953. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटकों की सुविधा के लिए देश के पूर्वी भाग को जोड़ने वाली तथा मुम्बई से आगरा तक नई सुपरफास्ट रेल गाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण ।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

954. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस राज्य में बिछाई जा रही अन्य रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने जिन नई लाइनों के बारे में अनुरोध किया था, उनका ब्यौरा और उनकी स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	भेजा गया प्रस्ताव	स्थिति
1.	होसपेट-हुबली अंकोला (280 कि० मी०)	होसपेट-हुबली खंड का आमान परिवर्तन, 1992-93 के बजट में शामिल किए गए आमान परिवर्तन प्रस्तावों का एक भाग है । हाल ही में, हुबली और अंकोला के बीच नई बड़ी रेल लाइन के

1	2	3
		लिए सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से, इस लाइन का औचित्य समझा जाता है और यह प्रस्ताव योजना-आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना योजना आयोग के अनुमोदन तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
2. कोट्टुरू-हरिहर रेल लाइन (68 कि०मी०)		गदग और हरिहर के बीच एक वैकल्पिक सम्पर्क के साथ-साथ कोट्टुरू-हरिहर के बीच नयी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
3. बेंगलूरू सर्कुलर रेलवे		इसका सम्बन्ध स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य सरकार और शहरी विकास मंत्रालय से है। यदि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है तो रेलें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल, बेंगलूर क्षेत्र में रेल नेटवर्क सुविधाओं को युक्ति संगत बनाने तथा उन्हें उन्नत करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) (i) कर्नाटक में निम्नलिखित रेल परियोजनाएं चल रही हैं :—

1. बेंगलूरू-मैसूर और तेंगलूरू-येलहंका आमान परिवर्तन।
2. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई लाइन।
3. कर्नाटक में मंगलोर की ओर से कोंकण रेलवे का भाग।

(ii) पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव के लिए निम्नलिखित खंडों को 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है :—

(1) बेंगलूरू-हुबली (469 कि० मी०)

(2) मिरज-लोंडा (अंशतः महाराष्ट्र में) (188 कि० मी०)

(3) होसपेट-हुबली-गोवा (अंशतः गोवा में) (469 कि० मी०)

[अनुवाद]

कालका से परवानू तक रेल लाइन

*95. प्रो० प्रेम धूमल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कालका (हरियाणा) से परवानू (हिमाचल प्रदेश) तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इस प्रस्ताव पर विचार करना इस समय किए जा रहे अध्ययन के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

[हिन्दी]

नई दिल्ली-भिवानी और नई दिल्ली-अमृतसर रेल मार्ग का विद्युतीकरण

*956. **श्री जगबीर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-भिवानी और नई दिल्ली अमृतसर के बीच के रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पानीपत के रास्ते दिल्ली-लुधियाना खंड का ही एक भाग है, बहरहाल, दिल्ली-भिवानी और लुधियाना-अमृतसर खंडों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) दिल्ली-लुधियाना खंड को 1995-96 तक पूरा करने की योजना है ।

(ग) संसाधनों की तंगी और उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की तुलनात्मक प्राथमिकताओं के कारण ।

[अनुवाद]

चीनी मिलों को लाइसेंस देना

957. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेष रूप से हरियाणा से चालू वर्ष के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान चीनी मिलें स्थापित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कितने लाइसेंस दिए गए तथा इनके स्थानों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास कितने प्रस्ताव मन्जूरी के लिए लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू चीनी वर्ष (अक्तूबर, 1991 से) के दौरान नए लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए अभी तक कोई आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है ।

(ग) व (घ) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 30-01-1992 तक खाद्य मंत्रालय में 689 आवेदन पत्र विचारार्थ लम्बित थे । सरकार ने चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के लिए 8-11-1991 को संशोधित लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा कर दी है। सभी लम्बित आवेदन पत्रों पर अब संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों के लिए बीमा

958. **श्री विजय कृष्ण होन्डिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले विद्यमान उद्योग लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत मार्च, 1991 तक समुचित बीमा करवाने के लिए बाध्य है;

(ख) साधारण बीमा निगम तब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई बीमा पालिसी जारी करने से इन्कार कर दिया है जब तक सरकार दावों के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं कर देती; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) बीमा—कवर की सीमाएं निर्धारित करने के लिए लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश 1992, 31-1-93 को लागू किया गया ।

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों के माध्यम से आटे की थैलियों की बिक्री

959. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** :

श्री मूलचन्द वर्मा :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री जीवन शर्मा : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उचित दर की दुकानों को गेहूं की सप्लाई बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को गेहूं के बदले आटे की थैली बेचने का है;

(ग) यदि हां, तो ये कब से शुरू किया जाएगा और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इससे सरकार और उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए कुछ उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय पुल से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति करने के लिए गेहूं का आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश गेहूं का आटा तैयार करने और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि ये मामले राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के कार्य क्षेत्र में आते हैं, इस लिए इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास देने के लिए कोई सूचना नहीं है।

कजरा-भागलपुर रेल लाइन को दोहरा बनाना

960. **कुमारी उमा भारती** :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में क्यूब-साहिबगंज खण्ड में कजरा-शागलपुर के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और इसकी कुल प्रारम्भिक लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) मूलतः इस परियोजना को कितने समय में पूरा किया जाना था;

(ग) निर्धारित अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और सम्भवतः कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह कार्य 6.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1981-82 में शुरू किया गया था।

(ख) 31-12-1991।

(ग) इस कार्य में अधिक विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि यह अन्तिम चरण में है।

(घ) 32.20 करोड़ रुपये।

(ङ) 14 खण्डों में से 12 खंड पहले ही खोले जा चुके हैं। शेष खंडों के चालू वित्त वर्ष में पूरे किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

बिहार में छोटानागपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

962. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का छोटानागपुर बिहार में केन्द्रीय सहायता से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा खोले जाते हैं। इसके लिए धन का आबंटन योजना आयोग द्वारा राज्य योजनाओं में किया जाता है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ में समेकित बाल विकास योजनाएं

962. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलीगढ़ जिले में हाथरस में बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये केन्द्र हाथरस में सिन्दरारन, बरबाना, अलाश और सेलमपुम स्थानों पर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) फिलहाल, अलीगढ़ जिले की हाथरस परियोजना में स्वीकृत आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह परियोजना 1989-90 में 127 आंगनबाड़ियों से स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) बरबाना में दो आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। शेष तीन गांवों के लिए किसी आंगनबाड़ी केन्द्र का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल अतिरिक्त आंगनबाड़ियां स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

भारत के भीतर कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर से जाने पर रोक

964. **श्री रामपाल सिंह** : **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भीतर कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसटे स्थान पर लाने-ले जाने पर कोई रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) देश भर में लेवी मुक्त चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। तथापि, सरकारी स्टाक के लिए चावल की अधिकतम वसूली करने की आवश्यकता की दृष्टि में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश (कुछेक प्रखण्डों में) की सरकारों और चण्डीगढ़ प्रशासन ने धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर

प्रतिबन्ध लगाए है । राजस्थान, तमिलनाडु और पांडिचेरी ने धान को राज्य से बाहर भेजने के लिए क्रमश: 25% 50% और 30% की निर्यात लेवी का भुगतान करने पर अनुमति प्रदान की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर ऊपरि पुल का निर्माण

965. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हापुड़-मुरादाबाद-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर कितने रेल ऊपरी-पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) इन ऊपरी-पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस पर कितना खर्च आएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परसाखेड़ा के निकट समपार सं० 369 ए के बदले केवल एक ऊपरी सड़क पुल ।

(ख) मार्च, 1994, बशर्ते कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारियों द्वारा पुल के पहुंच मार्गों का कार्य पूरा कर लिया जाए ।

(ग) 4.83 करोड़ रुपये ।

[अनुवाद]

बंगलौर-मैसूर रेल लाइन का विद्युतीकरण

966. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मैसूर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस परियोजना का निर्माण कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बेंगलूर-मैसूर खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत-एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण 1992-93 के दौरान किया जाएगा, बहरहाल, अंतिम निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता और उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

हिन्दी विद्यापीठ गुवाहाटी को अनुदान

967. **श्री प्रबीर डेका** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में हिन्दी विद्यापीठ, गुवाहाटी को अनुदान देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी विद्यापीठ को अनुदान देना फिर से शुरू करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) हिंदी की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को सहायता देने की योजना के तहत असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी को

अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इस संगठन को 13,70,500/- रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1,36 500/-रुपये का अतिरिक्त अनुदान अनुमोदित किया गया है जो अलग से दिया जा रहा है।

हिन्दी विद्यापीठ, गुवाहाटी से वित्तीय सहायता के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ लम्बित नहीं पड़ा है।

तारापुर-भावनगर रेल लाइन

968. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में तारापुर-भावनगर रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

मायोपिआ का उपचार

969. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल मायोपिआ (गम्भीर/सामान्य) का नवीनतम जापानी/रूसी/अमरीकी तकनीक पर आधारित "करेक्टिव डामंड/लेजर सर्जरी" द्वारा उपचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों के किन किन सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी भी देश में गैर-सरकारी नेत्र रोग चिकित्सालयों/अस्पतालों में उपलब्ध उक्त सुविधाओं को सरकारी खर्चे पर प्राप्त कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० सत्यवेणी सिद्धार्थ) : (क) मायोपिया का उपचार नहीं किया जा सकता परन्तु यह चश्मों के प्रयोग द्वारा और एक शल्य चिकित्सीय तकनीक नामतः रेडियल केरोटोटॉमी द्वारा ठीक दिया जाता है। यह तकनीक रूस के नेत्र चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी। इस तकनीक में कार्निया की शल्य चिकित्सा या तो हारे में चाकू से या एक्सीमरलेसर से की जाती हैं।

(ख) रेडियल केरोटोटॉमी का प्रयोग रूस, अमेरिका तथा जापान में पायोपिया के रोगियों पर नेमीतौर पर किया जाता है। यह तकनीक भारत में डा० आर० पी० नेत्र सेवा केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुरु नानक नेत्र केन्द्र, दिल्ली जैसे सरकारी अस्पतालों में प्रयुक्त की जाती है। यह

सुविध प्रमुख शहरों के अस्पतालों में तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन्दौर, हैदराबाद, बंगलौर इत्यादि में प्राइवेट चिकित्सकों के पास उपलब्ध है ।

(ग) से (ङ) यदि इस उपचार की सिफारिश केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, तो लाभार्थी सरकारी मान्यता प्राप्त/रेफ अस्पताल में इस सुविधा का लाभ उठा सकते है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

970. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

श्रीमती रीता वर्मा :

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु

श्री दत्तात्रेय बंडारू

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से देश के विभिन्न भागों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है । इन कार्यालयों के स्थान-निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है ।

कम गुणवत्ता वाले निरोध

971. **श्री तारा चंद खंडेलवाल :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में 'इंडियन कन्डोमस आफ पुअर क्वालिटी: डब्ल्यू एच० ओ० शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कन्डोमस (निरोध) की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारावेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1954 की अनुसूची "आर" के अनुसार वर्तमान स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर 1.5 है ।

(ग) देश में तैयार किए गए कंडोमो की गुणवत्ता, औषध और प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची

"आर" में निर्धारित उपबन्धों में अनुसार है। अनुसूची "आर" की उपबन्धें देश में प्रयोग किए जाने वाले कंडोमो की जरूरत को ध्यान रखते हुए तैयार की गई हैं।

[हिन्दी]

बायोस्फेयर भंडार

972. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक आयोस्फेयर भंडारों की कुल जनसंख्या कितनी है; और

(ख) जैविक और आनुवंशिक परिवर्तनों के संरक्षण के लिए आनुवंशिकी का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) अब तक सात जीवमन्डल रिजर्व स्थापित किए गए हैं।

(ख) आनुवांशिकी को प्रजातियों के सर्वेक्षण, संरक्षण और वृद्धि से सम्बन्धित गतिविधियों के अनिवार्य घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

[अनुवाद]

शहरों में प्रदूषण

973. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री पवन कुमार बंसल : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन शहरों का पता लगाया है जहां जहरीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होने का भय है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शहरों तथा विशेषत: चण्डीगढ़ और दिल्ली में, वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में 17 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। ये क्षेत्र हैं :—

पाली (राजस्थान), कोरबा (मध्य प्रदेश), तलचर (उड़ीसा), ग्रेटर कोचीन (केरल), गोबिन्दगढ़ (पंजाब), मनाली (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), वापी (गुजरात), नजफगढ़ (दिल्ली), चैम्बूर (महाराष्ट्र), धनबाद (बिहार), नाथ आर्काट (तमिलनाडु), भद्रावती (कर्नाटक), हावडा (पश्चिम बगाल), डिगबोई (असम), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), और सिंगरौली (उत्तर प्रदेश)। 41 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। दिल्ली और चण्डीगढ़ में सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड के स्तर ठीक निर्धारित मानकों के अन्तर्गत हैं। इस समय धूल कण भरे वातावरण के कारण उच्चतर है।

प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) परिवेशी गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) महानगरों को वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं।

(6) बहिःस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(7) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिये गए हैं तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(8) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों का पता लगाया गया है तथा राज्य सरकार ने इन उद्योगों से बहिःस्राव/उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने को कहा है।

(9) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

(10) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत सभी वाहनों के लिए ठोस एवं व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं। भूतल परिवहन मन्त्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन ठोस उत्सर्जन मानकों को 1 मार्च, 1990 से लागू करने की सलाह दी है।

(11) वायुीय प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(12) राज्य परिवहन निदेशालय द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत वायुीय उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के लिए वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट/प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट रद्द किए जाते हैं तथा उनके मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि नए सर्टिफिकेट जारी किए जाने से पहले वे निर्धारित मानकों का पालन करें।

(13) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रोग विज्ञानीय अध्ययन किये गये हैं।

बिहार और मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाएं

974. **श्रीमती रीता वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और मध्य प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान शुरू की गयी रेलवे परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना किसी वर्ष तक पूरी हो जायेगी और उन पर कितनी लागत आएगी;

(ग) उक्त राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू की गई रेल परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	पूरा किये जाने का संभावित वर्ष	लागत
1	2	3	4
बिहार			
1.	फतुआ-मालगाड़ी टर्मिनल सुविधाएं	1994	16.44
2	झाझा-बड़ी लाइन के 60 रेल इन्जन खड़े करने के लिए डीजल शेड	1992-93 में प्रस्तावित झाझा-पटना-मुगलसराय के विद्युतीकरण के कारण इसे छोड़ दिया गया है।	15.76
3.	गोरखपुर-कटिहार-सूक्ष्म तरंग रेडियो उपस्कर का अंकीय सूक्ष्म तरंग उपस्कर से बदलाव	1993	17.24
4.	बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-बोंडामुंडा विद्युतीकरण	1996	113.02
5.	गुमिया-पतरातू विद्युतीकरण	1995	17 86
मध्य प्रदेश			
1.	बिलासपुर और अकलतारा के बीच तीसरी लाइन	1994	35.91
2.	बिलासपुर-अनूपपुर-कटनी और अनूपपुर-मनेंद्रगढ़ पर सूक्ष्म तरंग प्रणाली	1995	15.60

नोट : केवल 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की प्रमुख परियोजनायें सूची में दी गई हैं।

शिक्षण संस्थानों में आधारभूत अवसंरचना का अभाव

975. **श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शिक्षण संस्थानों की प्रतिशतता कितनी है जिनके पास कोई आधारभूत अवसंरचना नहीं है;

(ख) अकुशल शिक्षण संस्थानों को कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विश्वविद्यालयों के गैर-योजनाबद्ध विकास को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वे, जिसकी संदर्भ तिथि 30 सितम्बर, 1986 है, के मुताबिक 13.50 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल और 4.11 प्रतिशत अपर प्राइमरी स्कूल बिना भवन के थे। लगभग 3,000 कालेजों को विकास सम्बन्धी सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा अयोग्य समझा गया है, क्योंकि इन संस्थानों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

(ख) राज्य सरकारों की योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भी प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 1987-88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू की। वि०अ०आ० पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सभी योग्य कालेजों को उनके सामान्य विकास और विशेष योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है। सामान्य विकास के अन्तर्गत सहायता भवनों, उपकरणों और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए होती है।

(ग) वि०अ०आ० ने मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचालित की हैं, जिनका नए विश्वविद्यालयों को खोलने से पहले पालन किया जाना चाहिए। नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वि०अ०आ० की मंजूरी या स्वीकृति लेना कोई वैधानिक जरूरत नही है। वि०अ०आ० केवल ऐसे विश्वविद्यालयों को ही वित्तीय सहायता देता है, जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक और वास्तविक आधारभूत संरचना है और जो वि०अ०आ० अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुदान प्राप्त करने के योग्य हैं।

[हिन्दी]

मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का बकाया

976. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार** :

श्री राम विलास पासवान : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रारम्भ में उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद बकाया पड़े थे;

(ख) पिछले दो महीनों के दौरान आरक्षित रिक्त पदों को भरने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) बकाया चले आ रहे पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खाद्य मन्त्रालय में इस वर्ष के आरम्भ

में समूह "ख" और समूह "ग" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों की संख्या 18 थी ।

(ख) और (ग) समूह "ग" का एक पद भर लिया गया है । अन्य रिक्तियां उम्मीदवारों का नामांकन करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित कर दी गई है ।

[अनुवाद]

कुष्ठरोग तथा 'एड्स' रोग पर नियन्त्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

977. **श्री वि० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठरोग तथा 'एड्स' रोग की रोकथाम के कार्यक्रमों के लिए सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) से ऋण लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण परियोजना के लिए 850 लाख अमरीकी डालर (229.5 करोड़ रुपये) की सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से बातचीत पूरी हो गई है जो 1 अप्रैल 1992 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक का एक उदार ऋण सहयोगी) द्वारा 850 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान किए जाने की आशा है ।

कुष्ठ रोग नियन्त्रण के लिये एक व्यापक परियोजना मूल्य निर्धारण हेतु विश्व बैंक को भेजी गई है ।

एड्स नियन्त्रण परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले एड्स की रोकथाम तथा नियन्त्रण के कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

—कार्यक्रम प्रबन्धन,

—निगरानी,

—रक्त सुरक्षा,

—सूचना शिक्षा और संचार;

—यौन-संचारित रोगों पर नियत्रण,

—कंडोमों के प्रचलन को प्रोत्साहन,

—रोगी उपचर्या ।

कुष्ठ रोग परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करती है :

—66 स्थानिकमारी वाले जिलों में शीर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम स्टाफ के माध्यम से बहु औषध उपचार को कार्यान्वित करने के लिए सहायता ।

—प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ के माध्यम से 2-5 के मध्य वाली व्यापकता दर वाले 77 जिलों में बहु औषध उपचार (परिशोधित) को कार्यान्वित करने के लिए सहायता ।

—भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार सहायता ।

—भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना ।

— भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अशक्तता एवं नासूर परिचर्या और पुनर्वास सेवाओं में सुधार करना ।

—भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण तथा कार्मिक शक्ति विकास को बढ़ाना ।

कोल्हापुर से मुम्बई बी० टी० के बीच तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाना

978. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए कोल्हापुर और मुम्बई बी०टी० तथा शोलापुर और मुम्बई के बीच सीधी तेज गति वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मार्गों पर ऐसी रेलगाड़िया चलाने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोल्हापुर और बम्बई के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, शोलापुर के रास्ते बम्बई और बेंगलूरु के बीच 1-7-1992 से एक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जायेगी ।

[हिन्दी]

गुड़गांव में रेलवे स्टेशन का निर्माण

979. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के डोंड-मनमाड लाइन पर गुड़गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस योजना को स्वीकृति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बेलवंडी और विसापुर स्टेशनों के बीच घरगांव में हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है किन्तु इसे न तो वित्तीय दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण पाया गया था और न ही इंजीनियरी दृष्टिकोण से व्यावहारिक।

भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा

980. **श्री विनय कटियार :**

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय भाषाओं में तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षण प्रदान करने हेतु आधारभूत संरचना मुहैया करने का प्रबन्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति की गई है तो वह क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ठोस परिणाम/प्रगति कब तक सम्भावित है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय भाषाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव इस समय नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई

981. **श्री राम निहोर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में, पुरातत्व विभाग ने खुदाई हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्थानों को पर्यटन, शोध और धार्मिकता की दृष्टि से विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र और मिर्जापुर में किसी भी स्थल के उत्खनन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जिला मिर्जापुर के मनिगढ़ा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सहमति से उत्खनन कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) सत्र 1991-92 के दौरान मनिगढ़ा के स्थल के उत्खनन हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2,000/-रुपये की उपर्युक्त राशि का अनुदान दिया गया है।

[अनुवाद]

मैसूर-बंगलोर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

982. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर-बंगलौर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना का कार्य कब शुरू किया गया था तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस रेल मार्ग की कुल लम्बाई कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 85%।

(क) यह परियोजना 1979-80 में शुरू की गई थी और इसे 1992-93 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) बेंगलूरु-मैसूर खंड की लम्बाई 138 कि०मी० है।

केन्द्रीय वैदिक विश्वविद्यालय के स्थापन की मांग

983. **श्री० सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदिक शिक्षा को संचित करने, पुनः प्रचलित करने तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए और शास्त्रों के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्कूलों के पाठ्यक्रम में वैदिक-गणित का अध्ययन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारत-विद्या सम्बन्धी अध्ययन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जनवरी, 1992 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श करके मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) रा० शै० अनु० एवं प्र० परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वैदिक गणित सम्बन्धित पहलुओं को गणित की अध्यापक गाइड में शामिल किया गया है।

उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल लाइनें

984. **श्री नक्कल इस्लाम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान देश में बिछायी गयी नई रेल लाइनों की कुल लम्बाई क्या है तथा उसका जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान बिछायी जाने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइनों की कुल लम्बाई क्या है तथा उसका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में रेलवे संचार की व्यवस्था आज तक भी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 848 कि०मी० । क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :— मध्य रेलवे-91 कि०मी०, उत्तर रेलवे-16 कि०मी०, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे-147 कि०मी०, दक्षिण रेलवे-230 कि०मी०, दक्षिण मध्य रेलवे-71 कि०मी०, दक्षिण-पूर्व रेलवे-53 कि०मी० तथा पश्चिम रेलवे-273 कि०मी० ।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान निर्मित की जाने वाली नई लाइन परियोजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, जिन लाइनों पर कार्य चल रहा है उनमें से 8वीं योजना के पहले वर्ष अर्थात 1992 93 में 367 कि०मी० लाइनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) मेघालय तथा नागालैंड को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में अब रेल सेवा है। नागालैंड को जोड़ने वाली आमगुडी-तुली नई लाइन 1991-92 में ही चालू कर दी जाएगी और मेघालय को जोड़ने वाली दुधनोई-देपा लाइन को 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है।

शासी बोर्डों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

985. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कर्मचारी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को हाल में केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके शासी बोर्डों में मनोनीत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मनोनयन नाम अथवा पदनाम से किए गए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाई गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : जी, हां । मनोनीत व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1 श्री एच० एस० बन्सल, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ संघ के० वि० सं० (मुख्यालय), नई दिल्ली-110016।

2. श्री एम० सदानन्दन, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय गैर-शिक्षण स्टाफ संघ, हैड क्लर्क, केन्द्रीय विद्यालय ए० एस० सी० केन्द्र (दक्षिण) बंगलौर-560047।

3. श्री के० एम० यादव, अध्यक्ष, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ केन्द्रीय विद्यालय, गोमती नगर लखनऊ (उ० प्र०)

4. श्री वी० डी० कौशिक, अध्यक्ष, राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (श्री उजागर सिंह ग्रुप), के० वि० नई महरौली रोड, नई दिल्ली-110067।

5. श्री एम० एस० जायस, अध्यक्ष, राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (श्री जगत सिंह ग्रुप) के० वि० आई० आई० टी० कानपुर-208016।

6. डा० जी० एम० शुक्ला, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय प्रिंसिपल मंच केन्द्रीय विद्यालय आर० डी० एस० आ० लखनऊ (उ० प्र०)।

(ग) मनोनयन नाम से हैं। उनके पदनाम तथा पते केवल इसलिए दर्शाए गए हैं ताकि उसका पता चल सके।

(घ) जी. हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री ने निम्नलिखित सुझाव दिए है :—

1. मनोनयन सम्बन्धित संघों से मंगाया जाना चाहिए था।

2. प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की चार श्रेणियों की अनुपातिक संख्या के आधार पर होना चाहिए।

3. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय संघ की केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके शासी बोर्डों में तीन अथवा अधिक स्थान प्रदान किए जाने चाहिए तथा रा०के०वि०अ०स० के दोनों गुटों में से प्रत्येक को दिए गए एक-एक स्थान के प्रतिनिधित्व को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इस अभी भी कुल शिक्षण स्टाफ के 15% को अपने सदस्यों के रूप में सिद्ध करना है।

(ङ) सरकार के निर्णय का आशय कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से व्यापक आधार पर प्रतिनिधित्व देना था। सभी संघों के बीच सहमति के वास्ते मामले में और आगे विलम्ब करना वांछनीय नहीं समझा गया। सरकार को यह देखना होता है कि ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन किया जाए जिनके बारे में वह समझती है कि वे संगठन के उद्देश्यों में योगदान कर सकते हैं।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम का प्रबन्ध

986. **श्री अन्ना जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम के प्रबन्ध को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध सम्बन्धी कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने के कुछ विकल्पों पर ही विचार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय योग अनुसंधान-संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम में कथित प्रशासनिक

एवं वित्तीय अनियमितताओं के बारे में काफी शिकायतें मिलने पर इस मन्त्रालय ने 1986 में जांच अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वर्ष 1987 में जांच अधिकारियों द्वारा की गई छह जांच रिपोर्टों में से चार पर कार्रवाई पूरी हो गई है। केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम के लेखों से सम्बन्धि शेष दो जांच रिपोर्टों पर इन संस्थाओं के निदेशक/प्रबन्धन्यासी द्वारा शासी निकाय/बोर्ड की बैठकों का आयोजन न करने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका।

कुछ शिकायतें जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजी गई थीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इन मामलों में विभागीय जांच-पड़ताल का सुझाव दिया है।

शिशु देखभाल सेवायें

987. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध शिशु देखभाल सेवाएं, विशेषतौर पर मध्य प्रदेश में, अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में इन सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (सुश्री ममता बैनर्जी) : (क) शिशु देखभाल सेवायें, अन्य बातों के साथ-साथ, समेकित बाल विकास सेवा, कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह, दिवस देखभाल केन्द्र, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम और बालवाड़ी पोषाहारीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। 1991 तक 20 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। यह योजना 10.00 लाख बच्चों और 2.38 लाख माताओं के लाभ के लिए है। कामकाजी महिलाओं और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुग्रह/दिवस देखभाल केन्द्रों की योजना से लगभग 36,000 बच्चे प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना से लगभग 10,620 बच्चे, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम से 2.55 लाख बच्चे और बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम से 12,000 बच्चे लाभान्वित होते हैं।

इसके आलावा मध्यप्रदेश के 48 ब्लाकों में किशोर बालिका योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस योजना पर एक वर्ष में भारत सरकार को 56.60 लाख रुपए का व्यय करना होता है जबकि पोषाहार का खर्च राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होता है।

(ख) और (ग) इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागों/ मन्त्रालयों द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं आंगनवाड़ियों में ही संकेन्द्रित करने के लिए सरकार ने सर्वांगीण प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार के सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों द्वारा समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए है।

स्वास्थ्य और पोषाहार स्तरों तथा कार्यक्रम कवरेज के सम्बन्ध में मासिक आधार पर सम्पूर्ण आई सी डी एस कार्यक्रम का एक कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध आसूचना प्रणाली के जरिए अच्छी तरह प्रबोधन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परियोजनाएं

988. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में सरकार द्वारा पिछड़े, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों विशेषत: उत्तर प्रदेश के पौड़ी, देहरादून और चमोली जिलों में रेल लाइनों में किए गए विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को विकसित/पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराई गई सुविधाएं इस समय सम्भाले जाने वाले यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

मुरादनगर-मेरठ रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलना

989. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादनगर और मेरठ के बीच रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने तथा कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुजुथुराय में नया प्लेटफार्म

990 **श्री एम० जेमिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन पर कुजुथुराय में एक नए प्लेटफार्म का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) कुलित्तुराई पर 193 मीटर लम्बे उच्च स्तर के प्लेटफार्म के निर्माण का अनुमोदन कर दिया गया है; निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

गोंडा जंक्शन पर ट्रांशिपमेंट पाइन्ट

991. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडा जंक्शन पर ट्रांशिपमेंट पाइन्ट बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे फिर से खोलने का विचार है;

(ङ) क्या इस जंक्शन पर छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर माल लादने की व्यवस्था है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) यानान्तरण स्थलों की कार्यप्रणाली को युक्तिसंगत बनाने तथा ऐसे स्थलों को जहां यातायात कम हो गया है और जहां परिचालन कार्य गैर किफायती हो गया है, को समाप्त करने के कारण ।

(ग) जी, हां ।

(घ) से (च) यानान्तरण सुविधाएं अब भी मौजूद हैं परन्तु इस स्थल को पुनः खोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

[अनुवाद]

अमरकंटक एक्सप्रेस की बारम्बारता

992. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरकंटक एक्सप्रेस यात्राओं को प्रतिदिन चलाए जाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसकी जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और ससाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

नकली दवाओं का विपणन

993. **श्री कुन्वर्त सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीने के दौरान नकली दवाओं के विपणन से सम्बन्धित राज्यवार कितने मामले पकड़े गए; और

(ख) दोषी निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० ताराबेची सिद्धार्थ) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारें सभी कम्पनियों द्वारा विनिर्मित, बेची गई तथा वितरित की गई औषधों पर नियंत्रण रखने तथा उसका अनुवीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है । सम्बन्धित कानून तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है जहां नकली औषधों का पता चलता है।

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली औषधों के विनिर्माताओं पर केन्द्रीय औषध निरीक्षकों द्वारा मारे गए छापों के ब्यौरे निम्न प्रकार से है :

क्रम सं०	औषधि का नाम	विनिर्माता का नाम	की गई कार्रवाई
1.	लिसोल आई० पी०	मैं० बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल द्वारा तथाकथित तौर पर विनिर्मित	मैं० ए के फार्मास्यूटिकल्स, मद्रास के खिलाफ मैं बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता के नाम से इस नकली औषध को विनिर्मित तथा बेचने के लिए एक मुकदमा शुरू किया गया है।
2.	(क) सल्फेडायजीन गोलियां (ख) टाइमेथोप्रिम तथा सल्फेमेथाक्साजील गोलियां	मैं० माडर्न फार्मास्यूटिकल्स, तिरूर, केरल	आवश्यक कार्रवाई हेतु उक्त मामले को राज्य औषध नियन्त्रण, केरल को सौंप दिया गया है।
3.	(क) केमिट्रान गोलियां (ख) केमिमिलीन कैपसूल	मैं० सिथोकेन फार्मास्यूटिकल्स नाबाद, कर्नाटक	यह फर्म फर्जी है। अपराधी व्यक्तियों को हैदराबाद में हिरासत में लिया गया था। पूछताछ की जा रही है।
4.	(क) टेट्रासाइक्लीन कैपसूल (ख) एम्पिसिलीन कैपसूल	मैं० क्योरियल इण्डिया, मंगलोर, कर्नाटक	औषध नियन्त्रक, कर्नाटक ने इस फर्म के खिलाफ एक मुकदमा शुरू किया है।
5.	डेक्सीसाइक्लिन कैपसूल	मैं० केमिबोयोटिक्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	यह मामला औषध नियन्त्रक, आंध्र प्रदेश को सौंप दिया गया था जिसने इस फर्म का विनिर्माण लाइसेन्स रद्द कर दिया है।
6.	(क) वाटर फार इन्जेक्शन आई० पी० (ख) आक्सीटासीन इन्जेक्शन	यह विनिर्माता वैध औषध लाइसेन्स धारी नहीं है। चूंकि बोरिंग रोड, पटना, बिहार में स्थित है तथा यह मैं० देव केमिकल्स (प्रा०) लि० सारण, बिहार के लेबल का इस्तेमाल कर रहा है।	राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकरण, पटना, बिहार द्वारा मुकदमा शुरू किया गया है।

रानीगंज-मेजिया रेल लाइन का निर्माण

994. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रानीगंज से मेजिया तक रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय इस परियोजना का कार्य किस चरण में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अंगकोरवाट मंदिरा का जीर्णोद्धार

995. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कम्बोडिया में अंगकोरवाट मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह जीर्णोद्धार कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विशाल संरचनात्मक परिसर, जो विभिन्न स्थानों से लापरवाही एवं प्राकृतिक कुप्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, को भारत और कम्बोडिया सरकार के द्विपक्षीय समझौते पर 1986 से पुरातत्वीय संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए लिया गया है ।

विभिन्न प्रकार के कार्य जिनमें प्रसिद्ध समुद्र-मंथन दीर्घा, मीनार के भाग, ड्योढ़ी, मण्डप, दीर्घा, पुस्तकालय भवन, खाई का क्षेत्र और सीढ़ियां पुरातत्वीय संरक्षण और परिरक्षण के लिए हाथ में लिए गए हैं । कार्य अभी जारी है ।

(ग) अंकोर वाट मन्दिर परिसर के संरक्षण और परिरक्षण सम्बन्धी कार्य में काफी समय लगेगा, सम्भवतः इसके आगामी दो वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है ।

नवोदय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा

996. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये विद्यालय ऐसी शिक्षा देने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह सुसज्जित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इन विद्यालयों को सुसज्जित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, वर्तमान शैक्षिक सत्र से जमा दो स्तर पर 16 नवोदय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

(ख) से (घ) चूंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने का यह पहला वर्ष है, व्यावसायिक विषयों के लिए शिक्षण के आवश्यक व्यावसायिक उपकरण प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप में आदिवासियों के हितों की रक्षा

997 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान और निकोबार में आदिवासियों की सहमति के बिना उनके जंगलों को कुछ अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में इस तरह का कोई जंगल आदिवासियों के कब्जे में होने की सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवैध रूप से पशुओं की हत्या

998. **श्री रामटहल चौधरी** :

श्री रामलखन सिंह यादव :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न स्थानों में जानवरों की अवैध रूप से हत्या की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे दर्ज कराए गए मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन्यजीवों के चोरी छिपे शिकार किए जाने के बारे में केन्द्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त होती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप के छात्रों की छात्रवृत्ति

999. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों में अध्ययनरत लक्षद्वीप के छात्रों को वर्ष 1989-90 और 1990-91 की छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने भविष्य में उनकी छात्रवृत्ति तथा अन्य भत्ते समय पर देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) लक्षद्वीप प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अध्ययन कर रहे लक्षद्वीप के पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों का कोई भुगतान वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए बकाया नहीं है। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट, आदि के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की जाती है। जब आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र, प्रगति रिपोर्ट आदि के बिना अपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त होते हैं तो छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब हो जाता है।

सी० आर० पी० एफ० द्वारा रिज पर अनधिकृत निर्माण

1000. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दिसम्बर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एंक्रोचमेंट आन रिज बाई सी० आर० पी० एफ०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राजधानी के मध्य और दक्षिण मध्य रिज में दैंत और कुछ अर्धपक्के ढांचे खड़े किए हैं।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकरणों, अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस मामले को भारत सरकार के गृह मन्त्रालय और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ उठाया है।

कर्नाटक को अस्पतालों के लिए विश्व बैंक से सहायता

1001. **श्री आसकार फेरनान्डेस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विद्यमान अस्पतालों के आधुनिकीकरण और नये अस्पताल स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारावेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए 172.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कर्नाटक में द्वितीय स्तर के अस्पतालों के सुधार के लिए एक परियोजना रिपोर्ट अक्तूबर, 1991 में सरकार को प्राप्त हुई थी। आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित किए जाने के लिए विश्व बैंक को भेजी गई एक ऐसी ही परियोजना पर विश्व बैंक से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर कर्नाटक सरकार द्वारा इस परियोजना में संशोधन किया जा रहा है।

मोतियाबिन्द की रोकथाम

1002. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोतियाबिन्द से होने वाले अन्धेपन के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां । सर्वेक्षणों द्वारा ही दृष्टिहीनता की व्याप्तता का पता चलता है जो प्रति वर्ष नहीं कराए जाते । अत: पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार विवरण उपलब्ध नहीं है । तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के 1986-89 के सर्वेक्षण के अनुसार, 1981 की जनगणना में मोतियाबिद रोगियों (राज्यवार) की अनुमानित संख्या विवरण में दी गई है ।

(ग) बड़ी आयु के व्यक्तियों में मोतियाबिन्द का होना ज्यादा आम बात है । बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं से आयु/जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है । इस प्रकार ज्यादातर लोग अधिक आयु वर्ग के हैं । जनसंख्या और आयु में वृद्धि के साथ-साथ मोतियाबिन्द रोगियों की संख्या भी बढ़ी है ।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 1976 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया जो एक सतत कार्यक्रम है, जिसमें, परिधीय क्षेत्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र), मध्यवर्ती क्षेत्र (जिला अस्पताल और जिला चल एकक), और केन्द्रीय क्षेत्र (मेडिकल कालेजों । क्षेत्रीय नेत्र परिचर्या सेवाएं विकसित की गई हैं। चल एककों के माध्यम से नेत्र शिविर आयोजित करने की नीति अपनाई गई है । ये चल एकक परिधीय क्षेत्रों में मोतियाबिन्द के आपरेशन के निरन्तर शिविरों का आयोजन करते हैं ।

(2) मध्यवर्ती स्तर पर जिला अस्पतालों का दर्जा बढ़ा दिया गया है । मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा करने के लिए नेत्र चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी उपस्कर सहित, नेत्र चिकित्सा विज्ञान के सर्जनों और नेत्र चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी सहायक भी उपलब्ध कराए गए हैं ।

(3) देश में केन्द्रीय क्षेत्र स्तर पर भारत सरकार ने अभी तक 60 मेडिकल कालेजों के नेत्र-चिकित्सा विज्ञान विभाग और 10 क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थानों का दर्जा बढ़ाया है । वे अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त, मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा कार्य भी कर रहे हैं ।

(4) स्वैच्छिक संगठन भी मोतियोबिन्द आपरेशन के लिए शिविरों का आयोजना करते हैं । भारत सरका स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी चल एककों का प्रयोग न करने पर प्रति मोतियाबिन्द आपरेशन 60/-रुपए की से तथा सरकारी चल एककों का प्रयोग करने पर प्रति मोतियाबिन्द आपरेशन 40/-रुपए की दर से सहायता प्रदान करती है ।

(5) नगरेतर क्षेत्रों और उपमंडलीय क्षेत्रों (तालुक क्षेत्र) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और छोटे नेत्र अस्पतालों का चरणबद्ध ढंग से पुन: विकास एवं सुदृष्टीकरण करने की योजना है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मोतियाबिन्द के रोगियों की संख्या (मिलियन में)
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.5690
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0154
3.	असम	अनुपलब्ध
4.	बिहार	1.9140
5.	गोवा	0.0320
6.	गुजरात	0.7100
7.	हरियाणा	0.2280
8.	हिमाचल प्रदेश	0.0520
9.	जम्मू व कश्मीर	0.2540
10.	कर्नाटक	1.5120
11.	केरल	0.6610
12.	मध्य प्रदेश	1.8000
13.	महाराष्ट्र	1.6560
14.	मणिपुर	0.0146
15.	मेघालय	0.0000
16.	मिजोरम	0.0000
17.	नागालैंड	अनुपलब्ध
18.	उड़ीसा	0.9212
19.	पंजाब	0.1870
20.	राजस्थान	1.0776
21.	सिक्किम	0.0026
22.	तमिलनाडु	0.7350
23.	त्रिपुरा	0.0383

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	0.6060
25.	पश्चिम बंगाल	0.4000
26.	पांडिचेरी	0.0031
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.0021
28.	चंडीगढ़	0.0152
29.	दादरा और नागर हवेली	अनुपलब्ध
30.	दमन और दीव	अनुपलब्ध
31.	दिल्ली	0.0530
32.	लक्षद्वीप	0.0006
	योग :	18.4656

रेलवे आरक्षण फार्म

1003. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आरक्षण फार्म राज्यों में, विशेष रूप से उड़ीसा में, प्रादेशिक भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं;

(ख) क्या इन फार्मों को अंग्रेजी तथा प्रादेशिक दोनों भाषाओं में मुद्रित करने की मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे आरक्षण फार्म हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी में तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी/अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किए जाते हैं। उड़ीसा में ये फार्म पहले ही एक ओर हिन्दी तथा अंग्रेजी में तथा दूसरी ओर उड़ीया में मुद्रित किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्धमान-आसनसोल सेक्शन पर ई० एम० यू० रेलगाड़ियां चलाना

1004. **श्री हाराधन राय** :

डा० सुधीर राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे के वर्धमान और आसनसोल सेक्शन के बीच ई० एम० यू० रेल-गाड़ी चलाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) बर्द्धमान आन और आसनसोल के बीच का खण्ड पहले ही परम्परागत गाड़ियों से सेवित है। संसाधनों की तंगी के कारण बिजली गाड़ी सेवाओं को शुरू करना निकट भविष्य में व्यावहारिक नहीं है।

केरल में पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम

1005. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मे पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल, 1991 में केरल में पूर्ण साक्षरता को पूरा कर लेने के पश्चात, केरल साक्षरता समिति ने समूचे राज्य में 12.22 लाख नव शिक्षुओं को सामिल करने के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव का 4.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय व राज्य सरकारों के हिस्से का अनुपात 2 : 1 होगा।

थालासेमिया के उपचार और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

1006. **श्री सुधीर गिरि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "थालासेमिया' के उपचार और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन में अतिरिक्त काइनें

1007. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में इस मार्ग पर यात्री और माल यातायात की भारी वृद्धि को देखते हुए हावड़ा से पांसकुड़ा पर चौथी लाइन और पांसकुड़ा से खड़गपुर तक तीसरी लाइन का निर्माण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक उद्यान का प्रस्ताव

1008. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वेशाखापत्तनम में खाली पड़ी वन भूमि को प्राकृतिक उद्यान में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शोलापुर स्टेशन के लिए माल डिब्बे

1009. **श्री धर्मण्णा मौडय्या सादुल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मध्य रेलवे के शोलापुर स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण बड़ी मात्रा में फल और जानवरों की खालें सड़ गई थीं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सामान्य मौसम की तुलना में व्यस्ततम मौसम में कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गए; और

(ग) निकट भविष्य में विशेषत: व्यस्ततम मौसम में स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे आवंटित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पाठ्य पुस्तकों के लिए छपाई कागज की आपूर्ति

1010. **श्री जी० एस० सी० बालायोगी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को पाठ्य-पुस्तकों की छपाई के लिए रियायती दर पर किसी कागज की लगातार आपूर्ति कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितना कागज दिया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्कूली पाठ्य-पुस्तकों और अभ्यास-पुस्तिकाओं के प्रकाशन हेतु 31 मार्च, 1990 तक सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति करने की एक आर्थिक सहायता प्राप्त योजना थी। तत्पश्चात इस योजना को बन्द कर दिया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सफेद मुद्रण कागज की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई :—

1989-90 विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

1990-91 कुछ नहीं ।

1991-92 : कुछ नहीं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1989-90 के दौरान आवंटित कागज की मात्रा (मीट्रिक टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,278
2.	असम	2,720
3.	बिहार	5,312
4.	गुजरात	4,208
5	हरियाणा	1,496
6.	हिमाचल प्रदेश	1,140
7.	जम्मू और काश्मीर	624
8.	कर्नाटक	5,480
9.	केरल	4,392
10.	मध्य प्रदेश	5,496
11.	महाराष्ट्र	8,835
12.	मणिपुर	208
13.	मेघालय	204
14.	नागालैंड	140
15.	उड़ीसा	2,148
16.	पंजाब	1,980
17.	राजस्थान	3,356
18.	सिक्किम	48
19.	तमिलनाडु	6,768
20.	त्रिपुरा	308

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	10,364
22.	पश्चिम बंगाल	7,780
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39
24.	अरुणाचल प्रदेश	56
25.	चंडीगढ़	44
26.	दादरा और नगर हवेली	20
27.	दिल्ली	1,176
28.	गोवा, दमन और द्वीव	272
29.	लक्षद्वीप	20
30.	मिजोरम	88
31.	पांडिचेरी	100
	योग :	80,000

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान

1011. **श्री मृत्युंजय नायक :**

श्री बारे लाल जाटव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी शिकार हुए उन व्यक्तियों में विषाक्त गैस का सांस द्वारा मुंह के अन्दर जाने के लक्षण दिखायी देने लगे है, जिनमें गत सात वर्षों के दौरान ऐसे लक्षण नहीं दिखायी दिये थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए सामुदायिक आधारित अध्ययन से पता है कि कुछ प्रभावित लोगों में जो 1985 में एसिम्पोटोमेटिक थे, ऐसे लक्षण विकसित हुए हैं जो जहरीली गैस के प्रभावों के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) और (घ) भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से भोपाल अध्ययनों के लिए एक प्रणालीबद्ध नीति निर्धारित की गई है।

सामाजिक वानिकी

1012. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री राम लखन सिंह यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान सामाजिक वानिकी सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। समग्र आधार पर पंचवर्षीय अवधि के 8.6 मिलियन हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में कुल उपलब्धि 8.8 मिलियन हैक्टेयर रही।

विवरण

(हैक्टेयर क्षेत्र)

क्रम सं०	राज्य/संघ शा० प्रदेश	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	आंध्र प्रदेश	750000.00	727579.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	31500.00	31270.50
3.	असम	110000.00	115107.00
4.	बिहार	700000.00	666970.50
5.	गोवा	16600.00	16879.00
6.	गुजरात	561550.00	740605.50
7.	हरियाणा	178750.00	159346.50
8.	हिमाचल प्रदेश	158750.00	164760.50
9.	जम्मू और कश्मीर	111350.00	113306.00

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	655000.00	666984.50
11.	केरल	287500.00	310827.50
12.	मध्य प्रदेश	975000.00	992115.00
13.	महाराष्ट्र	722500.00	858193.00
14.	मणिपुर	42500.00	44162.50
15.	मेघालय	48750.00	57067.00
16.	मिजोरम	157650.00	102777.50
17.	नागालैंड	65500.00	82675.00
18	उड़ीसा	637100.00	552234.50
19.	पंजाब	121350.00	132301.00
20.	राजस्थान	266000.00	284945.00
21	सिक्किम	30100.00	30045.50
22.	तमिलनाडु	455000.00	429243.50
23.	त्रिपुरा	62500.00	63356.50
24.	उत्तर प्रदेश	1127500.00	1189689.00
25.	पश्चिम बंगाल	330000.00	303404.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25750.00	26585.50
27.	चंडीगढ़	810.00	727.50
28.	दादर और नगर हवेली	9250.00	8349.50
29.	दमन और द्वीव	1450.00	202.00
30.	दिल्ली	9250.00	10749.00
31.	लक्षद्वीप	168.00	296.50
32.	पाण्डिचेरी	2450.00	2777.00
		8656578 00	8885539.00

[अनुवाद]

भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती

1013. **श्री देवी बक्स सिंह :**

डा० रमेश चंद्र तोमर :

श्रीमती भावना चिखालिया :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा "भारत छोड़ो आंदोलन" की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की बैठक न बुलाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का इस समिति की जल्दी बैठक बुलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के नामों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी हां, समिति का गठन हो जाने के बाद ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली-राजहरा-अगदलपर रेल लाइन को बदलना

1014. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री अरविन्द नेताम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-राजहरा-रौचट नारायणपुर-कौंडागांव-अगदलपुर बड़ी रेल लाइन पर सर्वेक्षण का कार्य किस तारीख को पूरा किया गया था तथा उसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या उक्त रेलवे लाइन को सरकार की मंजूरी मिल गयी है; और

(ग) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है तथा काम कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1985-86 उस समय की लागत 218.6 करोड़ रुपये थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

नोर प्लाट 6 गर्भनिरोधक का वितरण शुरू किया जाना

1015. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का विचार शहरी केन्द्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में नोर प्लान्ट 6 गर्भनिरोधक का वितरण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस गर्भनिरोधक से सुरक्षा के सम्बन्ध में किये गये परीक्षणों और जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम पूर्व किए जाने वाले अध्ययन के एक भाग के रूप में न्यूनतम 4 चरणों में परीक्षण किये गये हैं; और

(घ) इस इम्प्लान्ट गर्भ निरोधक के पहले उपभोग के उपरान्त किए गये अध्ययनों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का मेडिकल कालेजों में नारप्लांट 6 का चरणवार ढंग से कार्यक्रम पूर्व आरम्भिक अध्ययन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) इससे पहले 1980 के दशक में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत के औषध नियन्त्रक की स्वीकृति से नारप्लांट 6 और नारप्लांट 2 पर जोकि समान हार्मोन के थे, चरण-II तुलनात्मक नैदानिक परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों में दोनों प्रकार के इम्प्लांट में सर्वोत्तम गर्भनिरोधक सुरक्षा का पता चला लेकिन मासिक धर्म सम्बन्धी अनियमितता का भी पता चला। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नारप्लांट 2 पर चरण-III तुलनात्मक नैदानिक परीक्षण और कार्यक्रम-पूर्व आरंभिक अध्ययन किये। इन अध्ययनों से पता चला कि नारप्लांट 2 से सर्वोत्तम गर्भनिरोधक सुरक्षा मिलती है। तथापि, नारप्लांट 2 की वाणिज्यिक उपलब्धता की कमी को देखते हुए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निश्चय किया गया कि नारप्लांट 6 पर मेडिकल कालेजों में चरणवार ढंग से एक कार्यक्रम-पूर्व आरम्भिक अध्ययन किया जाए।

(घ) परिणामों से पता चलता है कि नारप्लांट की प्रभावकारिता पांच वर्षों तक काफी अधिक थी। नारप्लांट के निष्कासन के बाद जननक्षमता सामान्य हो जाती है और निष्कासन के बाद गर्भधारण के कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं दिखाई पड़े।

[हिन्दी]

शैक्षणिक कैलेन्डर वर्ष को लागू करना

1016. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में, उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपने यहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेन्डर लागू किया है और उनके नाम क्या है जिन्होंने इसे लागू करने का आश्वासन दिया है;

(ख) इस निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम है जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों के लिये निर्धारित वेतनमानों और सेवा शर्तों को पूरी तरह लागू किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 20 विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक कैलेण्डर को स्वीकार किया है, 13 विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक कैलेन्डर लागू करने का आश्वासन दिया है जबकि 18 विश्वविद्यालयों ने आयोग को सूचित किया है कि मामला विचाराधीन है। उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के नाम संलग्न तीन विवरणों में दिए गए हैं। बिहार में केवल मगध विश्वविद्यालय ने शैक्षिक कैलेण्डर स्वीकार करने के सम्बन्ध में सूचना भेजी है। आयोग शैक्षिक कैलेण्डर कार्वान्वित करने के लिये राज्य सरकारों और विश्व-विद्यालयों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है।

(ग) विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों को संशोधित करने की योजना और उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये अन्य उपायों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जून, 1987 में अधिसूचित किया था। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी थी कि स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद वे अपने विवेक से योजना में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न वेतनमान शुरू करने का निर्णय कर सकते हैं और 1-1-1986 से या बाद की तारीख से संशोधित वेतनमान लागू कर सकते हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय सहायता का भुगतान इस शर्त पर था कि कार्यान्वयन की तारीख और वेतन-मानों को छोड़कर इससे सम्बद्ध सभी शर्तों के साथ सम्पूर्ण योजना को राज्य सरकार द्वारा संयुक्त योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाये। बिहार, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाया है।

विवरण-I

उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नाम जिन्होंने शैक्षिक कैलेण्डर स्वीकार कर लिया है

1. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
2. तेलुगू विश्वविद्यालय
3. अरुणाचल विश्वविद्यालय
4. गुवाहाटी विश्वविद्यालय
5. मंगलौर विश्वविद्यालय
6. कुवेम्पू विश्वविद्यालय
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय
8. केन्द्रीय मृत्स्य उद्योग संस्थान
9. अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान

10. उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
11. पंजाब विश्वविद्यालय
12. बनस्थली विद्यापीठ
13. आयोजना और शिल्पकला स्कूल
14. आई० एस० एम०, धनबाद
15. श्री कृष्णदेवरया विश्वविद्यालय
16. अन्ना विश्वविद्यालय
17. मगध विश्वविद्यालय
18. राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान
19. रूड़की विश्वविद्यालय
20. मणिपुर विश्वविद्यालय

विवरण-II

उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नाम जिन्होंने शैक्षिक कैलेण्डर लागू करने का आश्वासन दिया है।

1. गुलबर्ग विश्वविद्यालय
2. दक्कन संस्थान, पुणे
3. उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय
4. अविनाशिलिंगम संस्थान
5. भारथी दासन विश्वविद्यालय
6. मदर टेरेसा विश्वविद्यालय
7. आगरा विश्वविद्यालय
8. रविन्द्र भारती
9. आन्ध्र विश्वविद्यालय
10. दयाल बाग शैक्षिक संस्थान
11. गुजरात विद्यापीठ
12. सी०आई०ई०एफ०एल०, हैदराबाद
13. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय

विवरण-III

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने सूचित किया है कि मामले पर उनके अपने-अपने निकायों द्वारा विचार किया जा रहा है

1. अलगप्पा विश्वविद्यालय
2. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
3. पांडिचेरी विश्वविद्यालय
4. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
5. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
6. शिवाजी विश्वविद्यालय
7. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
8. एस०पी० विश्वविद्यालय
9. उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय
10. एम०डी० विश्वविद्यालय, रोहतक
11. जम्मू विश्वविद्यालय
12. बंगलौर विश्वविद्यालय
13. मैसूर विश्वविद्यालय
14. विक्रम विश्वविद्यालय
15. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ
16. वाई०सी० मुक्त विश्वविद्यालय
17. बी०आई०टी०एस० पिलानी
18. कोटा मुक्त विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

लातूर-मीरज छोटी रेल-लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा लातूर से लातूर रोड तक के लिए नई रेल लाइन का निर्माण

1017. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातूर-मीरज छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना तथा लातूर से लातूर रोड तक के लिए नई लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1992-93 के बजट में लातूर-मिरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसे लातूर रोड तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन करने का प्रस्ताव है, आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

मद्रास में तीव्र जनयातायात प्रणाली

1018. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** :

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उपनगर की तीव्र जन-यातायात प्रणाली का कार्य समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) मद्रास बीच और लुज तथा तारामणी के बीच कार्य पूरा करने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) परियोजना के विभिन्न खण्डों का चरण-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अब तक कितना खर्च हुआ और परियोजना पूरी करने के लिए अभी कितने धन की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मद्रास बीच से पार्क टाउन (2.55 कि० मी०) इकहरी लाइन खंड 16-9-91 को यातायात के लिए खोला जा चुका है। शेष खंड का पूरा होना धन की उपलब्धता तथा तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने पर निर्भर करेगा।

लुज से तारामणि तक व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का विस्तार करना एक अनुमोदित योजना नहीं है।

(ङ) 31-3-91 तक 53.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 1986-87 के कीमतों के स्तर पर 54.71 करोड़ रुपये की शेष राशि अपेक्षित है।

गण्डक नदी पर पुल

1019. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर-छितौनीघाट सैक्शन में गंडक नदी के उल्लेखनीय ऊपर पुल के निर्माण-कार्य में प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्रता से पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों, जल संसाधन तथा रेल मन्त्रालयों द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत की गयी है, रेल मन्त्रालय ने अपना पूरा हिस्सा दे दिया है, सह-भागीदार विशेषरूप से उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से की लागत जमा नहीं करा रही है तथा बिहार सरकार और जल संसाधन मन्त्रालय ने भी अपने हिस्से की लागत का केवल आंशिक भुगतान ही किया है। इस कार्य को तभी शीघ्रता से पूरा किया जा सकता हैं जब सभी सह-भागीदार अपने हिस्से की लागत जमा करा दें ताकि इस कार्य की प्रगति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

बाल कल्याण योजनाएं

1020. **श्री पी०जी० नारायणन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष की योजना के दौरान विभिन्न बाल-कल्याण योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बैनर्जी) : 1991-92 के दौरान योजना के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	1991-92 के लिए आबंटित राशि (रुपये करोड़ों में)
1. समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना	243.50
2. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा-I परियोजना	64.00
3. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	30.00
4. माताओं और बच्चों में पोषाहारीय रक्त-क्षीणता के प्रति रोगनिरोधन और बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन के प्रति रोग-निरोधन, सर्वव्यापी रोग-प्रतिरोधन कार्यक्रम, ओरल रिहाईड्रेशन थेरेजी (ओ०आर०टी०) कार्यक्रम	76.45

1	2	3
	5. देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमन्द बच्चों के कल्याण की योजना	8.85
	6. किशोर सामाजिक कुसमंजन की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए योजना	6.00

किन्तु इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया।

प्रदूषण के मामले

1021. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये अभियोगों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनमें न्यायालयों के निर्णय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के पक्ष में और विरोध में दिए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दायर मुकदमों की संख्या और ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्णय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के विरुद्ध अथवा पक्ष में किया गया है, नीचे तालिका में दी गयी है :—

वर्ष	वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत दायर मुकदमों की कुल सं०	ऐसे निर्णयों की संख्या जो प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के	
		पक्ष में	विरुद्ध
1989	791	182	208
1990	652	214	121
1991	752	107	136

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को सहायता

1022. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष (फरवरी, 1992 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों तथा विधान सभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों को 59633.20 लाख रुपये की धन-राशि रिलीज की गई। ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	(फरवरी 1992) तक रिलीज की गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	4787.55
2.	असम	1602.49
3.	बिहार	4372.85
4.	गुजरात	2838.86
5.	हरियाणा	1276.36
6.	हिमाचल प्रदेश	1536.99
7.	कर्नाटक	1691.33
8.	केरल	1520 97
9.	मध्य प्रदेश	4558.11
10.	महाराष्ट्र	5464.45
11.	मणिपुर	258.82
12.	नागालैंड	127.34
13.	मेघालय	177.74
14.	उड़ीसा	3247.13
15.	पंजाब	1653.21
16.	राजस्थान	3293.78
17.	तमिलनाडु	4715.40
18.	त्रिपुरा	210.77

1	2	3
19.	उत्तर प्रदेश	8952 07
20.	पश्चिम बंगाल	5788.83
21.	अरुणाचल प्रदेश	102.62
22.	गोवा	96.75
23.	मिजोरम	114.09
24	जम्मू और कश्मीर	1092.93
25.	सिक्किम	106.52
26.	पांडिचेरी	45.24
	कुल :	59633.20

अंडाल-सैंथिया रेल लाइन को दोहरा करना

1023. **डा० सुधीर राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में अंडाल और सैंथिया के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अंडाल-सैंथिया खंड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए 1992-93 में सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है, इस परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

गुजरात में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजनाएं

1024. **श्री हरिसिंह चावडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाओं के नामों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस बारे में किए गये कार्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को जिलेवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

1025. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और अध्यापकों में उनके वेतनमानों में संशोधन करने की बात को लेकर व्यापक रोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (श्री जगत सिंह गुट) ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापको के निर्धारित वेतनमानों की मौजूदा विसंगतियों और चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा पूर्व पुनरीक्षित समकक्ष अथवा कम वेतनमानों वाले अन्य पदों की तुलना में अध्यापक-समुदाय के साथ वेतनमान-निर्धारण में भेदभाव बरते जाने का उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय सगठन (मुख्यालय) कर्मचारी संघ ने भी कुछ श्रेणी के पदों के वेतनमानों का संशोधन किए जाने के लिए इसी तरह के अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

सरकार ने सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार कर वेतनमान निर्धारित किये हैं।

[हिन्दी]

छपरा और नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी

1026. **श्री लाल बाबू राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छपरा और सिवान से दिल्ली आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए छपरा और नई दिल्ली (बरास्ता गोरखपुर) के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल संत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की कमी के कारण ।

[अनुवाद]

कलकत्ता मेट्रो परियोजना

1027. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो रेलवे, कलकत्ता का निर्माण कार्य एक वर्ष से अधिक समय के लिए रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कार्य इस बीच पुनः आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) उक्त कार्य को अस्थायी रूप से निलम्बित किये जाने के कारण कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एम्प्लेनेड और बेलगछिया के बीच निर्माण कार्य मुख्य सिविल इन्जीनियरी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था जो श्रमिक समस्याओं के कारण 12-11-90 से 29-4-91 तक $5\frac{1}{2}$ महीने के लिए लम्बित रहा। ठेकेदार द्वारा अब यह कार्य शुरू कर दिया गया है।

(घ) अनुमान नहीं लगाया गया।

(ङ) टालीगंज से एस्प्लेनेड और दमदम से बेलगछिया तक परियोजना का लगभग 10 कि० मी० लम्बा भाग यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष निर्माण कार्य 1995 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

हैदराबाद और तिरुपति के बीच दिन के समय रेलगाड़ी चलाना

1028. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और तिरुपति के बीच दिन के समय कोई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली-मुम्बई मार्ग पर नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

1029. **श्रीमती कुण्णेन्न कौर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली-मुम्बई मार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली के अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाओं की कमी

1030. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में समुचित तथा पर्याप्त दंत-चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अस्पतालों में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1031. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जिलावार, कितने औषधालय/अस्पताल हैं;

(ख) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर ऐसे और अधिक औषधालय/अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ग) इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने सम्बन्धी नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पटना शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के पांच एलोपैथिक औषधालय हैं। पटना में एक आयुर्वेदिक तथा एक होमियो यूनिट भी काम कर रही है। बिहार में कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अस्पताल नहीं है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के नये औषधालय/अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य पॉली क्लिनिक जिसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, निकट भविष्य में स्थापित किये जाने की आशा है।

[अनुवाद]

चीनी मिलों को प्रोत्साहन

1032. **श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के इकॉनामिक टाइम्स में "शुगर इंडस्ट्री नीड्स अर्जेण्ट स्टेप्स टु प्रिवेंट सिकनेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन चीनी मिलों को अर्थ-क्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार एक नई प्रोत्साहन योजना बना रही है जिससे कि नई चीनी फैक्ट्रियां तथा विस्तार परियोजनाएं अधिशेष निधि सृजित करने में सक्षम हो सकें तथा वे उक्त निधि का प्रयोग परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गये आवधिक ऋण की अदायगी के लिए कर सकें ।

स्नातकोत्तर मेडिकल कालेज

1013. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्नातकोत्तर मेडिकल कालेजों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कालेजों में प्रवेश के लिए कितने स्थान आवंटित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० जाराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के रिकार्ड के अनुसार राज्यवार स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं की संख्या और सीटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं की संख्या	उन स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं की संख्या जिनसे सीटों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है	उन स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं की सं० जिनकी सीटों की संख्या उपलब्ध है	सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	2	6	465
			2	1	99
2.	असम	3	3	2	55
3.	बिहार	5	6	3	152
4.	दिल्ली	9	—	1	45
5.	हरियाणा	1	—	1	42
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2	1	26
7.	जम्मू व कश्मीर	3	6	5	639
8.	कर्नाटक	11	2	3	214
9.	केरल	5	4	2	210

1	2	3	4	5	6
10.	मध्य प्रदेश	6	4	6	990
11.	महाराष्ट्र	14	8	2	163
12.	उड़ीसा	3	—	1	6
13.	मणिपुर	1	—	1	63
14.	पांडिचेरी	1	2	3	464
15.	पंजाब	5	2	3	286
16.	राजस्थान	5	—	—	376
17.	तमिलनाडु	9	6	3	125
18.	उत्तर प्रदेश	10	8	2	313
19.	पश्चिम बंगाल	7	3	4	—
20.	गोवा	1	1	—	—
21.	गुजरात	6	6	—	—
22.	चण्डीगढ़	1	1	—	—

विद्यालयों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

1034. **श्री चित्त बसु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र के कुछ राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक विशेष पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेंद्रम को एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाना

1035. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेंद्रम सेन्ट्रल स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन बनाने के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) हमारे आधुनिकीकरण का निर्धारित लक्ष्य किस तिथि तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1992 तक 104.15 लाख रुपये ।

(ख) निर्माण कार्य दिसम्बर, 1992 तक पूरा किये जाने की संभावना है ।

[हिन्दी]

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहन

1036. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सारे विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में धीरे-धीरे राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्ध पाठ्य पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) संसद के दिशा-निर्देश के अनुसरण में, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के अपनाने को सुकर बनाने के लिए और विज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी चिकित्सा, इन्जीनियरी, और कृषि में पाठ्य पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1968 में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त मानक पुस्तकें तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय सेलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय-वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को चिकित्सा, इंजीनियरी और कृषि में पुस्तकें तैयार करने तथा राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय सेलों द्वारा पुस्तक उत्पादन के क्रियाकलापों का अनुसरण का भी कार्य सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तकनीकी शब्दावली को तैयार करने उसे अद्यतन बनाने, पारिभाषिक शब्दकोशों को तैयार करने, विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापकों के अनुस्थापना प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के संगणीकरण के काम में व्यस्त रहा है।

कुष्ठ नियन्त्रण

1037. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बहु-दवा उपचार हेतु किन जिलों की उच्च रोग प्रवण और निम्न रोग प्रवण जिलों के रूप में पहचान की गई है;

(ख) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां कुष्ठ रोग का उपचार उपलब्ध है और प्रत्येक जिलों में किन केन्द्रों पर यह उपचार उपलब्ध है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इसके लिए आवश्यक आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए वांछित सहयोग दिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक रोग प्रवण (स्थानिकमारी) और कम रोग प्रवण (साधारण स्थानिकमारी) के रूप में पता लगाये गए जिलों के नाम क्रमशः विवरण-I और विवरण-II पर संलग्न हैं।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ रोगियों के लिए डैप्सोन चिकित्सा द्वारा उपचार पूरे में उपलब्ध है। बहु-औषध उपचार कार्यक्रम की वरेज का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जा रहा है। अभी तक बहु-औषध उपचार 201 स्थानिकमारी वाले जिलों में स्वीकृत किया गया है। इनमें से 66 जिले प्राथमिक परिचर्या व्यवस्था (परिवर्धित बड़ी औषध उपचार) के माध्यम से उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) जी हां, बहरहाल, वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुछ राज्य पर्याप्त मूलभूत अवसंरचना प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।

विवरण-I

नियमित पैटर्न के तरह बहु-औषध उपचार योजना (स्थानिक के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश (23)

1. अनन्तपुर
2. गुंटूर
3. रंगारेड्डी

	4. महबूब नगर
	5. निजामाबाद
	6. खम्मान
	7. श्री काकुलम
	8. विजयानगरम
	9. विशाखापटणम
	10. चित्तूर
	11. पूर्वी गोदावरी
	12. कृष्णा
	13. वारंगल
	14. नलगोंडा
	15. कुडप्पा
	16. पश्चिमी गोदावरी
	17. करीमनगर
	18. मेडक
	19. नेल्लोर
	20. कुरनूल
	21. प्रकाशम
	22. आदिलाबाद
	23. हैदराबाद
असम (1)	24. कर्बी आंग्लोग
बिहार (4)	25. देवगढ़
	26. सिंहभूम
	27. भागलपुर
	28. रोहतास
गुजरात (6)	29. डांग्स
	30. पंचमहल (गोधरा)
	31. सूरत
	32. भड़ोंच
	33. बड़ौदा
कर्नाटक (8)	34. बलसाड़
	35. बेलगाम

	36. धारवाड़
	37. बीदर
	38. गुलबर्ग
	39. रायचूर
	40. बीजापुर
	41. बेल्लारी
	42. मैसूर
केरल (5)	43. अलेप्पी
	44. त्रिचूर
	45. तिरुवनन्तपुरम
	46. क्विलोन
	47. पालघाट
मध्य प्रदेश (11)	48. दुर्ग
	49. राजनांदगांव
	50. रायगढ़
	51. बिलासपुर
	52. बस्तर
	53. रायपुर
	54. भिंड
	55. ग्वालियर
	56. रीवा
	57. उज्जैन
	58. सागर
महाराष्ट्र (19)	59. वर्धा
	60. अमरावत
	61. चन्द्रपुर
	62 नांदेड़
	63. उस्मानाबाद
	64. यवतमाल
	65. लटूर
	66. गढ़चिरौली
	67. भंडारा

	68. नागपुर
	69. ठाणे
	70. शोलापुर
	71. सतारा
	72. परभणी
	73. रायगढ़
	74. अकोला
	75. बुलढाणा
	76. बीड
	77. बम्बई
नगालैंड	78. मोन
उड़ीसा (9)	79. गंजाम
	80. पुरी
	81. कटक
	82. धेनकनाल
	83. मयूरभंज
	84. बालासोर
	85. संभलपुर
	86. बोलनगीर
	87. कोरापुट
तमिलनाडु (20)	88. उत्तरी अरकाट
	89. चिंगलपट्टु
	90. सलेम
	91. पी० एम० आर० शिवगंगा
	92. कमरजार
	93. रामनाथपुरम
	94. कर्मपुरी
	95. तंजावुर
	96. पेरियार
	97. डिंडीगुल
	98. मदुरै
	99. दक्षिणी अरकाट
	100. पुडुकोट्टाई

	101. तिरुचिरापल्ली
	102. नेल्लै कट्टा बोम्मन
	103. वी० ओ० चिदम्बरानर
	104. कोयम्बतूर
	105. नीलगिरि
	106. कन्याकुमारी
	107. मद्रास
उत्तर प्रदेश (18)	108. वाराणसी
	109. बाराबंकी
	110. देहरादून
	111. फैजाबाद
	112. सीतापुर
	113. खीरी
	114. कानपुर (शहरी)
	115. कानपुर (देहात)
	116. उत्तर काशी
	117. पीलीभीत
	118. बहराइच
	119. देवरिया
	120. हरदोई
	121 रारबरेली
	122. आजमगढ़
	123. बलिया
	124. गाजीपुर
	125. मिरजापुर
पश्चिम बंगाल (5)	126. पुरुलिया
	127. बांकुरा
	128. बर्दवान
	129. मिदनापुर

	130. बीरभूम
लक्षद्वीप (1)	131. लक्षद्वीप
पांडिचेरी (3)	132. पांडिचेरी
	133. कराईकल
	134. यनम
मणिपुर (1)	135. विष्णुपुर

II. संशोधित बहु-औषध उपचार योजना (स्थानिक) के अधीन कवर किए गए जिले

अरूणाचल प्रदेश (4)	136. तिरप
	137. पश्चिमी सियांग
	138. पूर्वी सियांग
	139. टोवांग
बिहार (13)	140. धनबाद
	141. सिवान
	142. पटना
	143. औरंगाबाद
	144. नवादा
	145. भोजपुर
	146. पूर्णिया
	147. कटिहार
	148. मुजफ्फरपुर
	149. सीतामढी
	150. दरभंगा
	151. पश्चिमी चंपारन
	152. एम० परगना
केरल (5)	153. कसारगोड़
	154. एरणाकुलम
	156. मालापुरम
	157 कोजीकोड
मध्य प्रदेश (11)	158. भोपाल

	159. इन्दौर
	160. खंडवा
	161. सतना
	162. दतिया
	163. टीकमगढ़
	164. छतरपुर
	165. जबलपुर
	166. बालाघाट
	167. शहडोल
	168. सरगुजा
मणिपुर (2)	169. जमीनघुलुंन
	170. चंदेल
उड़ीसा (4)	171. फूलवनी
	172. सुन्दरगढ़
	173. कालाहांडी
	174. क्योंझार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	175. अंडमान
सिक्किम (2)	176. पूर्वी जिला
	177. दक्षिणी जिला
उत्तर प्रदेश (14)	178. गोरखपुर
	179. लखनऊ
	180. उन्नाव
	181. रामपुर
	182. बदायू
	183. शाहजहांपुर
	184. इटावा
	185. फतेहपुर
	186. बांदा
	187 हमीरपुर

	188. जालौन
	189. बस्ती
	190. गौण्डा
	191. बरेली
पश्चिम बंगाल (10)	192. कूच बिहार
	193. हावड़ा
	194. हुगली
	195. जलपाईगुड़ी
	196. मालदा
	197. 24 परगना (दक्षिणी)
	198. नदिया
	199. 29 परगना (उत्तरी)
	200. पश्चिमी दीनाजपुर
	201. मुर्शिदाबाद

विवरण-II

साधारण स्थानिकमारी जिले अर्थात कम रोग प्रवण

बिहार	1. गया
	2. हजारीबाग
	3. गिरीडीह
	4. रांची
	5. मुंगेर
	6. बेगूसराय
	7. पूर्वी चंपारन
	8. मधुबनी
	9. समस्तपुर
	10. नालंदा
	11. पलामू
	12. सहरसा
	13. सारन

	14. गोपालगंज
दमन और दीव	15. दमण
कर्नाटक	16. बंगलूर (शहरी)
	17. कोलार
	18. मंडया
	19. डी० कन्नड़
केरल	20. पतनमातिट्टा
	21. कोट्टायम
	22. व्यानाद
	23. इडुक्की
मध्य प्रदेश	24. होशंगाबाद
	25. रतलाम
	26. धार
	27. झमुआ
	28. बरवानी
	29. गुना
	30. दमोह
	31. छिंदवाड़ा
	32. मंडला
	33. सीधी
	34. बेतुल
	35. रायगढ़
	36. देवास
	37. शाजापुर
	38. शिवपुरी
	39. मुरैना
	30. सिओनी
	41. पन्ना
	42. नरसिंहपुर

महाराष्ट्र	43. जालना
	44. जलगांव
	45. कोल्हापुर
	46. सांगली
	47. रत्नागिरि
	48. धुला
	49. अहमदनगर
	50. पुणे
	51. औरंगाबाद
उत्तर प्रदेश	52. फर्रूखाबाद
	53. झांसी
	54. प्रतापगढ़
	55. सुल्तानपुर
	56. चमोली
	57. नैनीताल
	58. मुरादाबाद
	59. जोनपुर
	60. अलीगढ़
	61. इलाहाबाद
	62. ललितपुर
	63. टीहरी गढ़वाल
	64. पिथौरागढ़
पश्चिम बंगाल	65. कलकत्ता
	66. दार्जिलिंग
हिमाचल प्रदेश	67. चंबा
	68. शिमला
	69. सिरमौर
राजस्थान	70. अजमेर
	71. भरतपुर

72. गंगानगर

73. जयपुर

74. जोधपुर

75. सवाई माधोपुर

76. सिरोही

77. उदयपुर

[अनुवाद]

इलाहाबाद में कोच फैक्ट्री

1038. **श्री शशि प्रकाश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जिले के चैल क्षेत्र में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को त्याग ने क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस फैक्ट्री को स्थापित करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया आयेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इलाहाबाद जिले के चैल क्षेत्र में सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का किसी भी स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क

1039. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में घोषित कुल वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सुरक्षा, संरक्षण और विस्तार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के तहत कुल क्षेत्र 140482 वर्ग कि० मी० होने की रिपोर्ट मिली है। लेकिन ठीक-ठीक यह बताना सम्भव नहीं है कि वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में कुल कितना वन क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि उनमें से अनेक गैर वन क्षेत्र जैसे गांव, राजस्वभूमि, नमभूमि, महासागर इत्यादि है, अनेक मामलों में वन और गैर वन क्षेत्रों के नीचे कोई सर्वेक्षण और सीमांकन नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित केन्द्रीय सेक्टर स्कीमों के तहत अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सुरक्षा, परिरक्षण और विस्तार के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई सहायता इस प्रकार है :—

(1) बाघ परियोजना (बाघ रिजर्व वाले राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए)।

( ) अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता।

(3) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर बाघ रिजर्वों सहित पारि-विकास।

(4) हाथी परियोजना (हाथी रखने वाले अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए)।

(5) आदिवासियों के लिए लाभोन्मुख स्कीमें (राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अन्दर से आदिवासियों के पुनर्वास के लिए)।

(6) प्रबन्ध और पारि-विकास योजना क्षमता को मजबूत बनाना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन

1040. **श्री मोहन सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास तथा इसके मूल्यों का अध्ययन अनिवार्य कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई पाठ्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त पाठ्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) 1986 ने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को स्कूल स्तर पर कोर पाठ्यक्रम के दस घटकों में प्रथम माना है।

(ख) जी, हां। रा० शि० नी० के आधार तत्व को ध्यान में रखते हुए रा० शै० प्र०प्र०परि० ने वर्ष 1988 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा प्रकाशित किया। ढांचे की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर रा० शै० अ० प्र० परि० ने स्कूल पाठ्यक्रम को संशोधित किया और दिसम्बर 1990 तक कक्षा I से VII के लिए चरणक्रम में संशोधित पाठ्यक्रमों को प्रकाशित किया। रा० शै० अ० प्र०परि० के इतिहास के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास शामिल है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के कई विषयों को रा० शै० अ०प्र०परि० के नागरिक शास्त्र और भाषाओं के पाठ्यक्रमों में भी जोड़ा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नैरोबी में बैठक

1041. **श्री रवि राय** :

श्री सनत कुमारमंडल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अधिशासी परिषद के विशेष अधिवेशन में, जो फरवरी के प्रथम सप्ताह में नैरोबी में हुई थी, भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में परिषद की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(घ) परिषद द्वारा विशेषरूप से भारत द्वारा ब्राजील में होने वाले आगामी विश्व सम्मेलन में उठाए जाने के लिए क्या नीति तैयार की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद का एक विशेष सत्र 3 से 5 फरवरी, 1992 तक नैरोबी में हुआ था। इस सत्र में निम्नलिखित मुख्य पदों पर विचार किया गया।

1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक की स्टेट आफ इन्वारनमैंट रिपोर्ट।

2. मरुस्थलीकरण का सामना करने तथा इसको वित्त देने के लिए कार्य योजना।

3. संयुक्त राष्ट्र आम सभा संकल्प 41/186 तथा 42/187 पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट।

(ग) और (घ) शासी परिषद, जिसमें भारत भी शामिल है, के इस विशेष सत्र में अपनाये गये निर्णय विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

निर्णय संख्या	शीर्षक
एस० एस०III/1	मरुस्थलीकरण की स्थिति तथा मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना
एस० एस०III/2	आम सभा के संकल्प 42/186 तथा 42/187 पर आगे की कार्रवाई करने के लिए महासचिव की समेकित रिपोर्ट
एस० एस०III/3	स्टेट आफ एन्वायरमेंट (1972-92)
एस० एस०III/1	मरुस्थलीकरण की स्थिति और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना

शासी परिषद

मरुस्थलीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 के आम सभा संकल्प 32/172 विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 8 पर ध्यान दिलाते हुए जिसके द्वारा आम सभा ने अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इसके कार्यकारी निदेशक को मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने और कार्ययोजना के कार्यान्वयन के समन्वय का दायित्व सौंपा था।

आम सभा के दिनांक 19 दिसम्बर, 1989 के संकल्प 44/172 ए की ओर भी ध्यान दिलाते हुए, जिसके पैराग्राफ 6 के तहत आम सभा ने अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद को कार्य योजना को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति के सामान्य मूल्यांकन के द्वारा

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में मरुस्थलीकरण पर चर्चा में काफी योगदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद को आमंत्रित किया था।

दिनांक 28 मई, 1984 के इसके निर्णय 12/10 का स्मरण कराते हुए जिसके पैरग्राफ 28 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि कार्य योजना के कार्यान्वयन में प्रगति का समग्र मूल्यांकन 1992 में किया जाना चाहिए।

मरुस्थलीकरण की स्थिति और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्यकारी निदेशक की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है।

इस बात को मानते हुए कि मरुस्थलीकरण भूमि अवक्रमण की एक प्रक्रिया है जो मुख्यतया शुष्क, अर्ध-शुष्क तथा शुष्क अर्ध-आर्द्र जलवायु तथा भौतिक, रसायन जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक कारकों जो स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की होती हैं, की विशेष परिस्थितियों में प्रतिकूल मानव प्रभाव से होती है।

आगे इस बात को भी स्वीकार करते हुए कि मरुस्थलीकरण एक विश्वव्यापी समस्या है जिसके लिए विश्वव्यापी उपाय करने की जरूरत होती है और सभी महाद्वीपों में मरुस्थलीकरण होता है जिसका उत्तरी और दक्षिणी हेमिस्फिर दोनों में विश्व के 60 प्रतिशत से भी अधिक देशों में सीधा प्रभाव पड़ता है।

इस बात की नोट करते हुए कि मरुस्थलीकरण का विश्व जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा, इससे विश्व की खाद्य सुरक्षा आधार में भी कमी आती है और निर्धनता बढ़ती है।

यह भी स्वीकार करते हुए कि मरुस्थलीकरण के क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण मरुस्थलीकरण रोधी उपायों की लागत में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है, अतः नुकसान बढ़ रहा है तथा विश्व में निवारक, उपचारी तथा पुनर्वास उपायों की कीमतें और लागतों में वृद्धि हो रही है।

इस बात की जानकारी होते हुए कि मौजूदा अध्ययन और अनुमानों से पता चलता कि मरुस्थलीकरण का सामना न कर पाने से आय की काफी क्षति हुई है।

इस बात की जानकारी होते हुए भी मरुस्थलीकरण का सामना करने की वार्षिक लागत निष्क्रियता की वार्षिक लागत के आधे से कम होना आंकी गई है।

चूंकि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण के जारी रहने और उसकी व्यापकता पर चिंता व्यक्त की गई इसमें लगभग 73% रेंज भूमि, 47% वर्षा पर आधारित भूमि और शुष्क भूमि में से 30% सिंचित भूमि। इस प्रकार इससे शुष्क, अर्ध-शुष्क, अल्प-शुष्क भूमि या विश्व की कुल भूमि का लगभग 25% भूमि क्षेत्र आता है तथा इससे लगभग 900 मिलियन लोग अथवा विश्व की जनसंख्या का उठा हिस्सा प्रभावित होता है।

अफ्रीका में मरुस्थलीकरण विशेषकर जहां यह अकाल का एक गम्भीर कारक है, के बारे में चिंता व्यक्त की गई। जैसे यहां 1984 और 1985 में पड़ा था, और इससे तीस से पैंतीस मिलियन के बीच लोग प्रभावित हुए थे और 1991 में अकाल से 30 मिलियन लोगों को संकट पैदा हो गया था तथा उन्हें जीवित रखने के लिए बाहर को निकाल देने की अवश्यकता पड़ी थी।

इस बात को भी स्वीकार करते हुए कि विश्व के शुष्क, अर्ध-शुष्क तथा शुष्क अल्प शुष्क क्षेत्रों के सभी हिस्सों में मरुस्थलीकरण की रोकना जरूरी है ।

इस बात को भी स्वीकार करते हुए कि स्थाई सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण को सुदृढ़ बनाना मानव उत्तरजीवितता की अटूट पूर्वापेक्षाएं हैं । अतः शुष्क भूमियों के विकास तथा समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न हिस्सों के रूप में मरुस्थलीकरण-रोधी अभियान चलाये जाने चाहिए ।

इस बात को भी मानते हुए कि उन औद्योगिकृत देशों जहां विकास आन तौर पर शुष्क भूमि पर निर्भर नहीं होता है और विकासशील देशों में विशेषकर अफ्रीका के सूखान-साहेलियन क्षेत्र में जहां विकास प्रक्रिया पूर्णतया प्राकृतिक संसाधन आधार पर निर्भर करती है, में मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भेद है :—

1. मरुस्थलीकरण तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना के कार्यान्वयन पर कार्यकारी निदेशक की रिपोर्ट की प्रशंसा की गई ।

2. पुनःपुष्टि की जाती है कि मरुस्थलीकरण एक विश्वव्यापी पर्यावरणीय सामाजिक-आर्थिक समस्या है तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

3. अपनी धारणा की पुष्टि करती है कि मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए निर्धारित प्राथमिकताएं आमतौर पर स्थल विशिष्ट होनी चाहिए और इनके बारे में निर्णय प्रत्येक विशेष देश तथा स्थान में वास्तविक स्थिति के अनुसार सम्बन्धित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए ।

4. राष्ट्रीय विकास योजनाओं, अनुसंधान, आयोजना, निगरानी और कार्यान्वयन गतिविधियों और इन उद्देश्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए नीतियों को समेकित करने पर जोर देना ।

5. वर्तमान निर्णय के पैराग्राफ 3 ध्यान में रखते हुए सिफारिश करती है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास में भाग लेने वाली सरकारों को मरुस्थलीकरण को अधिकतम लागत प्रभावकारिता से सामना करने के उद्देश्य से उनके अपेक्षित संसाधनों पर निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम से विचार करना चाहिए :

(क) विश्वव्यापी पैमाने पर पहली प्राथमिक कार्यवाही है । 20 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष जो अनुमानित लागत 1.4 बिलियन अमरीकी डालर और 4.2 बिलियन अमरीकी डालर के बीच हैं, में गैर-अवक्रमित या केवल मामूली अवक्रमितग्रस्त केवल शुष्क भूमियों में मरुस्थलीकरण को बढ़ाने से रोकने के लिए सम्बन्धित निवारक उपाय शामिल होने चाहिए;

(ख) दूसरी प्राथमिक कार्रवाई, बीस वर्षों के लिए प्रति वर्ष जो अनुमानित लागत 2.4 बिलियन अमरीकी डालर और 7.2 बिलियन अमरीकी डालर के बीच है, में कम अवक्रमित शुष्क भूमि की उत्पादकता को बनाये रखने में उपचारी उपाय शामिल होने चाहिए;

(ग) तीसरी प्राथमिक कार्रवाई, बीस वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.2 बिलियन अमरीकी डालर तथा 11 बिलियन अमरीकी डालर के बीच अनुमानित लागत में अत्यधिक तथा बहुत अधिक अत्यधिक अवक्रमित शुष्क भूमियां शामिल होनी चाहिए;

6. सिफारिश करती है कि सरकारें मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए विशेषकर विकासशील देशों में अत्यधिक अनुकूल शर्तों पर पर्याप्त नये तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा तकनीकी सहायता एवं पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रौद्योगिक मुहेया करने के लिए तरीकों का पता लगाएं।

7. ग्लोबल एन्वायरनमैंट फैकल्टी में भाग लेने वाले देशों को मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए वित्तीय कार्यक्रमों पर अनुकूल विचार करने के लिए आमंत्रित करती है।

8. दृढ़ सिफारिश करती है कि एजेंडा 21, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के संदर्भ में तैयार किया जा रहा है, में मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान होना चाहिए और इसमें मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए विशेष वित्तीय उपायों की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाये;

9. यह भी सिफारिश करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए देशों, विशेषकर उन देशों की जो स्वयं इस समस्या का मुकाबला नहीं कर सकते, सहायता करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग मजबूत किया जाये;

(क) लागत निर्धारण तथा स्थाई भूमि उपयोग तथा शुष्क भूमियों को बढ़ावा देने वाली व्यापार नीतियों का विकास;

(ख) जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान;

(ग) मरुस्थलकरणरोधी प्रौद्योगिकियों का विकास;

(घ) शुष्क भूमियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास और मौजूदा तथा परम्परागत प्रणालियों का हस्तांतरण;

(ङ) विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरों पर मरुस्थलीकरण की निगरानी;

(च) विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरों पर मरुस्थलीकरणरोधी क्रियाकलापों की निगरानी एवं उनका समन्वय;

(छ) सूचना का आदान-प्रदान और हस्तांतरण;

(ज) अनिवार्य राष्ट्रीय विधान का विकास;

10. कार्यकारी निदेशक से मरुस्थलीकरण की स्थिति तथा मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयप से सम्बन्धित रिपोर्ट तथा इस बारे में वर्तमान निर्णय की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के महासचिव को भेजने का अनुरोध करती है जिससे कि इसे तैयारी समिति के चौथे सत्र के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

11. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के महासचिव को मरुस्थलीकरण की स्थिति तथा उसका सामना करने के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा तैयारी समिति के माध्यम से सम्मेलन के ध्यान में वर्तमान निर्णय को जाने के लिए आमंत्रित करती है।

12. कार्यकारी निदेशक को निम्नलिखित बातों के लिए भी आमंत्रित करती है :

(क) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मरुस्थलीकरण नियन्त्रण कार्यक्रम गतिविधि केन्द्र के कार्यक्रम पर जोर देना :

(1) विशेष रूप से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर मरुस्थलीकरण की स्थिति का परिशुद्ध मूल्यांकन;

(2) नीति-दिशा निर्देशों को अपनाने तथा उनकी निगरानी और प्रभावकारिता के मूल्यांकन को अपनाने को बढ़ावा देना तथा कार्यकारी निदेशक की रिपोर्ट के अध्याय-3 में प्रस्तुत कार्य विधि;

(3) बैंचमार्क और प्रगति सूचकांक सौंपना;

(ख) शासी परिषद को इस 17वें नियमित सत्र के लिए वर्तमान निर्णय के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट।

5वीं बैठक
5 फरवरी, 1992

एस० एस० III/2 आम सभा के संकल्प 42/186 तथा 42/187 पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई पर महासचिव की समेकित रिपोर्ट

शासी परिषद

आम सभा के दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 के संकल्प 42/186 जिसे महा सभा ने सन् 2000 और उसके बाद के लिए पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य के लिए अपनाया था और आम सभा ने पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया था, की ओर ध्यान दिलाया गया।

आम सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 1989 के संकल्प 44/227 की ओर भी ध्यान दिलाया गया जिसमें स्थाई और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ विकास के सम्बन्ध में सरकारों, संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के कार्यक्रमों द्वारा की गई कार्रवाई पर महासचिव की रिपोर्ट पर विचार किये जाने के आधार पर संकल्प 42/186 तथा 42/187 को आगे बढ़ाने तथा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आम सभा ने अपने विचार व्यक्त किये थे तथा सिफारिशें की थीं।

इस बात को नोट करते हुए कि आम सभा के अनुरोध पर महा सचिव ने सभा के 46वें सत्र में अपने संकल्प 44/227 के कार्यान्वयन के बारे में एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास की तैयारी समिति के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।

यह स्मरण करते हुए कि आम सभा को इसके संकल्प 44/227 के पैराग्राफ 20 द्वारा महासचिव से अनुरोध किया गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास तथा आम सभा इसके 47वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद की शासी परिषद् के जरिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का अनुरोध किया गया। सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों द्वारा संकल्प 42/187 पर पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए एक नई समेकित रिपोर्ट तैयार की गई।

22 दिसम्बर, 1989 के आम सभा संकल्प 44/228 की धारा I, पैराग्राफ 15 (जे) और (एम) की ओर ध्यान दिलाया गया है।

इस बात को मानते हुए कि सन् 2000 तथा उससे आगे के लिए पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य और पर्यावरण और विकास संबंधी विश्व आयोग की रिपोर्ट ने सभी स्तरों पर पर्यावरणीय और विकासात्मक मामलों के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है तथा साथ ही अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति जुटाने के लिए भी योगदान किया है।

पर्यावरण और विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आयोजन के निर्णय में विश्व बैंक के भावी परिप्रेक्ष्य और रिपोर्ट में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए, जैसाकि 22 दिसम्बर, 1989 के आम सभा के संकल्पन सं० 44/228 में दर्शाया गया है,

1. आम सभा के संकल्प 42/186 तथा 42/187 की आगे स्थाई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में आम सभा के संकल्प 44/227 के कार्यान्वयन के बारे में महासचिव की समेकित रिपोर्ट की सराहना करती है और यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की 38 सरकारों तथा 29 संगठनों और निकायों से प्राप्त सूचना पर आधारित है,

2. जैसाकि रिपोर्ट में बताया गया है, कुछ विकसित और विकासशील देशों में राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई और प्रगति के बारे में अपना संतोष व्यक्त करती है :

(क) पर्यावरण और सतत विकास के संबंध में श्वेत पत्र, राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजनाएं अथवा औपचारिक नीति विवरण तैयार करना, जिनमें इन मुद्दों की अंतर--क्षेत्रीय प्रकृति प्रदर्शित की गई हो।

(ख) अध्यक्षीय आदेश जारी करना तथा नीति के संबंध में एकमत तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, कार्य शालाएं और गोलमेज सम्मेलन आयोजित करना और प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग तथा हरित योजनाओं सहित सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय कार्रवाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राशि मुहैया कराना;

(ग) विश्व समस्याओं के समाधान में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच संबंध तथा जनता के संबंधित वर्गों की बढ़ती हुई भागीदारी को राष्ट्रीय नीतियों में उजागर करना;

(घ) पर्यावरणीय कार्रवाई और समन्वय के लिए संस्थाओं की स्थापना, सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन तथा उन्हें विकास के साथ जोड़ना,

(ङ) विकास क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों में पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करना;

(च) प्राथमिक के क्षेत्रों से संबंधित पर्यावरणीय विधान को सुदृढ़ करना तथा समग्र पर्यावरणीय नियमों का विकास करना;

(छ) पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीति उपकरणों की जांच और अनुप्रयोग, जिसमें प्रदूषण पर जुर्माने के सिद्धान्त को लागू करना शामिल है तथा प्रभारों, करों और जमा नकद प्रणालियों जैसे वित्तीय उत्पाद;

(ज) जल और वन संरक्षण के लिए तथा भूमि अवक्रमण पर नियंत्रण के लिए भूमि प्रयोग में मार्गदर्शन देने के लिए एक उपाय के रुप में मूल्य-निर्धारण के प्रयोग की जांच;

(झ) परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय निर्णय निर्माण के एक प्रमुख उपाय के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का प्रयोग;

(छ) पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने में गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक वर्गों और स्थानीय लोगों की भागीदारी में पिछले चार वर्षों से बढ़ोत्तरी;

(त) पर्यावरण के संरक्षण और पुनरुद्धार में और सतत विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उपायों के अनुप्रयोग में पूर्णतः और प्रभावी तरीके से भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों, को प्रोत्साहन करने के लिए कार्रवाई करना।

3. यह बात नोट करती है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनो और अवयवों ने सतत विकास प्राप्ति में योगदान देने के लिए अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों के समन्वित करने के उपाय किये हैं और

(क) पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने, सूचना एकत्र करने, विशेषज्ञ परामर्श, अन्त सरकारी परामर्श तथा सर्वसम्मति बनाने, तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत नैटवर्क बनाने और उसे पुष्ट करने के लिए व्यापक एवं तेज गतिविधियां चलाते हैं;

(ख) पर्यावरणीय उपायों के साथ विकास गतिविधियों को जोड़ने के लिए तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास की आवश्यकता को बनाए रखने के साथ-साथ पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ विकास लक्ष्यों की निगरानी करने तथा पालन करने के लिए संगठनात्मक सुधारोजन करते हैं;

(ग) पर्यावरणीय मूल्यांकन और प्रबन्ध तथा दीर्घकालीन विकास के लिए कार्रवाई हेतु अधिदेशों के स्पष्टीकरण तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने मे उत्पन्न अतिरिक्त गतिविधियां शुरू करते हैं;

(घ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के लिए तैयारियां करने हेतु विश्व स्तरीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की सहायता प्रदान करते हैं;

4. शासी परिषद् के 31 मई, 1991 के निर्णय 16/1 उपबंधों की पुनः पुष्टि करती है तथा इसको स्वीकार करती है कि 15 दिसम्बर, 1972 के महात्मा संकल्प 2997 में बनाए गए मूल अधिदेश का पालन करने की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षमता को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के परिणामें तथा महात्मा द्वारा उसके 47वें सत्र में लिए गए निर्णयों के प्रकाश में पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

5. ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर मांट्रियल प्रोटोकाल में लंदन में हुए संशोधन को अपनाने, खतरनाक अपशिष्टों के सीमापार संचलन तथा निपटान के नियंत्रण पर बासेल सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता पर विश्व संधियों के लिए हुई वार्ताओं, असंख्य क्षेत्रीय पहलों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के लिए तैयारियों के साथ-साथ संकल्प संख्या 42/186 और 42/187 के महासभा द्वारा 1987 में अपनाए जाने के बाद पर्यावरणीय मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में हुए सकारात्मक परिवर्तनों का स्वागत करती है।

6. तथापि, यह स्वीकार करती है कि दीर्घकालीन विकास प्राप्त करने में हुई प्रगति बहुत सीमित है और बहुत से क्षेत्रों में असमान है और उसके लिए जहां उचित हो वहां आगे कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है, जैसाकि महासचिव की समेकित रिपोर्ट के अध्याय-5 और 6 में सिफारिश की गई है।

7. दीर्घकालीन विकास प्राप्त करने तथा आवश्यक संसाधन आवंटित करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के प्रति, अतिरिक्त ध्यान देने हेतु सरकारों का आह्वान करती है;

8. इस प्रयोजन के लिए विशेषकर विकासशील देशों को पर्याप्त नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, अधिक उचित शर्तों पर पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण उपलब्ध कराने के लिए नए उपायों की शिनाख्त करने हेतु भी सरकारों का आह्वान करती है;

9. महासचिव की रिपोर्ट के अध्याय-5 में प्रस्तुत दीर्घकालीन विश्व विकास पर दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए, और जहां उचित समझा जाए वहां उनके द्वारा पहले से शुरू की गई कार्यवाईयों को तेज करने के लिए जैसाकि वर्तमान निर्णय के अनुच्छेद 2, 3 और 5 प्रदर्शित किया गया है तथा रिपोर्ट के उस अध्याय में उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने हेतु नई कार्रवाई शुरू करने के लिए और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तथा दीर्घकालीन विकास हेतु प्रगति के लिए सरकारों को आमंत्रित करती है।

10. महासभा से यह सिफारिश करती है कि पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल एवं दीर्घकालीन विकास की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इस संबंध में किसी प्रकार के नवीन एवं आशाजनक उपायों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए महासचिव से अनुरोध करने की सिफारिश करती है।

11. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के परिणामों तथ महासभा द्वारा उसके 47वें सत्र में लिए गए निर्णयों के अनुसार तथा संगत रिपोर्टों को विशेषकर, 31 मई, 1991 के शासी परिषद् के निर्णय 16/6 के अनुसार तैयार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रबन्ध एवं संगठन पर किए गए प्रथम एवं द्वितीय चरण के अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, उसके अधिदेश का पालन करने में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रभावी-द्रुपादकता तथा क्षमता बढ़ाने के लिए शासी परिषद् के सत्रहवें सत्र हेतु प्रस्तावों को तैयार करने और उनका अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सचिवालय के सहयोग से स्थाई प्रतिनिधियों तथा अन्य इच्छुक सरकारों को आमन्त्रित करती है।

12. वर्तमान निर्णय लेने के लिए तथा महासमा की प्रारंभिक समिति के चौथे सत्र के माध्यम से सम्मेलन का ध्यान आकृष्ठ करने हेतु महासभा के संकल्प संख्या 42/186 और 42/187 की आगे पर्याप्त कार्रवाई करने पर महासचिव की समेकित रिपोर्ट लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं एवं विकास सम्मेलन के महासचिव को आमन्त्रित करती है।

13. वर्तमान निर्णय के कार्यान्वयन पर परिषद् के सत्रहवें चालू सत्र में परिषद् को रिपोर्ट करने के लिए कार्यकारी निदेशक से अनुरोध करती है।

पांचवी बैठक

5 फरवरी, 1992.

एस० एस० 3/3 पर्यावरण की स्थिति (1972-1992)

शासी परिषद्,

I. पर्यावरण की स्थिति पर कार्यकारी निदेशक की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट (1972-92): हमारे ग्रह की सुरक्षा-चुनौतियां और आशाएं")

विशेषकर धारा 1, अनुच्छेद 2 (घ) में अंतर्राष्ट्रीयपर्यावरणीय सहयोग के लिए संस्थागत एवं

क्षितीय प्रबन्धों पर 15 सितम्बर, 1972 के महासभा संकल्प संख्या 2997 का अनुस्मरण करते हुए, जिसके द्वारा सभा ने यह निर्णय लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की व्यापक पर्यावरणीय समस्याओं पर सरकारों द्वारा उपयुक्त एवं पर्याप्त विचार किया जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए विश्व पर्यावरणीय स्थिति की पुनरीक्षा करना शासी परिषद् का मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व होगा,

23 मई, 1989 के इसके निर्णय सं० 15/13 को ध्यान में रखते हुए, जिसके पैरा 7(ख) में इसने कार्यकारी निदेशक से 1972 से विश्व पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में एक संक्षिप्त नोट 1992 में आयोजित होने वाले पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

22 दिसम्बर, 1989 को पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आम सभा के संकल्प सं० 44/228 को भी ध्यान में रखते हुए, जिसके खण्ड-I पैराग्राफ 15(क) के द्वारा सभा ने यह निर्णय लिया था कि विकास के संदर्भ में पर्यावरणीय मुद्दों को संबंधित करते हुए, सम्मेलन का एक उद्देश्य 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की पर्यावरण की स्थिति और उसमें आए बदलावों की जांच करना होना चाहिए।

1. कार्यकारी निदेशक की "द स्टेट आफ एन्वायरनमेंट (1972-1992) सेलिंग अवर प्लेनेट-चैलेंजेज एण्ड ह्वेप्स" नामक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सराहना के साथ नोट करती है।

2. बहुत से क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति में निरन्तर खराबी के बारे में रिपोर्ट में बताए गए या अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त साक्ष्यों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।

3. कार्यकारी निदेशक से अनुरोध करती है कि वह पर्यावरण की स्थिति (1972-92) संबंधी अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को तथा वर्तमान निर्णय को अपने महा-सचिव तथा अपने चौथे अधिवेशन में सम्मेलन के लिए तैयारी समिति के जरिए पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त सम्मेलन के ध्यान में लाए।

II ईराक और कुवैत के बीच की स्थिति के परिणामस्वरूप बनी पर्यावरण की स्थिति

ईराक और कुवैत के बीच की स्थिति के परिणामस्वरुप उत्पन्न पर्यावरणीय परिणामों तथा समुद्री, समुद्रतट और भू-भागीय पर्यावरण में गंभीर खराबी के परिणामों और वातावरणीय प्रदूषण के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों तथा इस क्षेत्र के देशों व पड़ोसी देशों पर इन पर्यावरणीय परिणामों के प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर आगे अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए,

अपने प्रतिनिधि के जरिए इस क्षेत्र में पर्यावरणीय तथा सामाजिक-आर्थिक क्षति की प्रकृति और मात्रा की पुष्टि करने में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रयासों की सराहना के साथ नोट करते हुए,

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र अन्तः एजेंसी प्रयास, विकसित की गई कार्य योजना, तथा क्रमशः इण्टरनेशनल मेरी टाइम आर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक द्वारा इस क्षेत्र की संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए स्थापित की गई दो निधियों में विभिन्न दानदाताओं द्वारा किये गये अंशदान को भी सराहनापूर्वक नोट करते हुए,

यह भी ध्यान रखते हुए कि इस पर्यावरणीय समस्या से निपटना इस क्षेत्र के देशों की क्षमता

से परे है, तथा इसलिए इस मुद्दे से निपटने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है,

1. सरकारों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करती है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा सभी संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व संगठनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से इस क्षेत्र की सरकारों द्वारा तैयार किये गये समेकित पुनर्वास कार्यक्रम के अनुसार इस क्षेत्र में हो रहे पर्यावरणीय विनाश की तत्काल रोकने की आवश्यकता है; इसमें समुद्री जीवन चक्र (मत्स्यपालन) तथा मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक विघटनकारी प्रभाव पर विशेष जोर दिया जाता है जैसाकि इस क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य-क्रम द्वारा गठित संयुक्त राष्ट्र अन्तः एजेंसी कृत्यक बल के निष्कर्षों में स्पष्ट किया गया है ।

2. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सरकारों और अन्तः सरकारी संगठनों को पुनर्वास कार्यक्रम में सक्रियता, तकनीकी और वित्तीय रुप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र की पर्यावरणीय खराबियों को कम करना तथा इन कार्य-क्रमों को समन्वित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के वास्ते समुद्री पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय संगठन को मजबूत बनाना है;

5. कार्यकारी निदेशक से अनुरोध करती है कि वह अपनी तैयारी समिति के जरिये इस निर्णय और समन्वित पुनर्वास कार्यक्रम को पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के ध्यान में लायें तथा पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन के साथ पूरा सहयोग करें ।

पांचवी बैठक

5 फरवरी, 1992

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा खरीदे गए कम्प्यूटर

1042. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा कितने कम्प्यूटर खरीदे गये और उनका मूल्य कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने शैक्षिक संगठन पाठ्यक्रम शुरु किये गये और उनसे कितने छात्र लाभान्वित हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एन० सी० ई० आर० टी० ने तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1989-90 मे आज की तिथि तक 11,78,540-00 रुपए की कुल लागत के 21 कम्प्यूटर खरीदे हैं ।

(ख) एन०सी०ई०आर०टी० एक अनुसंधान और शिक्षक-प्रशिक्षक और स्कूल-शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रयुक्त होते हैं । एन०सी०ई०आर०टी० के अनुसार पिछले तीन वर्षों के

दौरान एन०सी०ई०आर०टी० ने 62 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 157 प्रशिक्षण देने वालों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। एन०सी०ई०आर०टी० स्कूली छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की पेशकश नहीं करती।

उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण

1043. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण प्रणाली को बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा शुरु की जा रही है;

(ग) क्या मृत्यु के मामलों में, रोगी के गंभीर रुप से बीमार होने पर अथवा ऐसी अन्य आपत्ति-कालीन स्थितियों में आम जनता के लिए आपत्तिकालीन आरक्षण की सुविधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार यह सुविधा देना कब तक शुरू कर देगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्षानुवर्ष आधार पर विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है जो धनराशि की उपलब्धता पर आधारित होगा।

(ख) उत्तर-प्रदेश में अभी तक लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और गोरखपुर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की गई है।

आगरा और वाराणसी में यह प्रणाली शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) से (ङ) कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों में मुख्यालय, क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर सीमित संख्या में शायिकाओं/सीटों को पहले ही आपातकालीन कोटा के रूप में नियत किया गया है ताकि उच्च अधि-कारियों से प्राप्त अनुरोधों और सरकारी ड्यूटी, गमी, बीमारी आदि जैसी आकस्मिक मांगों को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

बंगलौर और मद्रास के बीच एक और रेलगाड़ी चलाना

1044. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और मद्रास के बीच प्रतिदिन कितनी रेल-गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या सुबह के समय बंगलौर और मद्रास के बीच एक और गाड़ी शुरू करने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मद्रास और बेंगलूरु के बीच 4 दैनिक सेवाओं सहित 6 जोड़ी यात्री गाड़ियां चल रही हैं,

(ख) जी हां;

(ग) 1-7-1992 से बेंगलूरू से प्रात: छूटने वाली एक अंत नगरीय नयी सुफरफास्ट एक्सप्रेसस गाड़ी चलायी जायेगी ।

एड्स रोग का पता लगाने के लिए सुविधाएं

1045. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स रोग का पता लगाने के लिए, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार, कितने अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस देश में भ्रमणार्थ आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यह साबित करना अनिवार्य बना दिया है कि वे एच०आई०वी० पाजीटिव नहीं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) एड्स रोग का पता लगाने के लिए 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुविधा संपन्न 62 चिकित्सा कालेज/अस्पताल हैं । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध-1 पर संलग्न है ।

(ख) जी. हां । भारत में एक वर्ष से अधिक समय तक ठहरने का इरादा रखने वाले सभी विदेशियों को देश में आने के एक माह के भीतर एड्स का परीक्षण कराना अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोगी प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किया गया एड्स संक्रमण मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो उसके अपने देश से प्रस्थान करने के अधिकतम एक माह पहले जारी किया गया हो ।

विवरण

निगरानी केन्द्र जहां एच०आई०वी० परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या
1.	जम्मू और कश्मीर	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	चंडीगढ़	1
4.	हरियाणा	1
5.	राजस्थान	1
6.	दिल्ली	1
7.	उत्तर प्रदेश	1
8.	गुजरात	1
9.	मध्य प्रदेश	3

1	2	3
10.	बिहार	1
11.	असम	1
12.	नागालैंड	3
13.	मणिपुर	2
14.	पश्चिम बंगाल	2
15.	उड़ीसा	2
16.	गोवा	1
17.	आंध्र प्रदेश	4
18.	कर्नाटक	2
19.	पांडिचेरी	1
20.	केरल	2
21.	तमिलनाडु	8
22.	महाराष्ट्र	13
		62

"तमिलनाडु में वनों का विनाश"

1046. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में, विशेषरूप से नीलगिरि, तलवाड़ी और कोड़ईकनाल पहाड़ियों मे वनों को बड़े पैमाने पर विनाश और कटाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन वनों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तमिलनाडु में खनन कार्य के लिए पट्टों पर दिए गए भूक्षेत्र का ब्यौरा क्या है और वनों को बचाने हेतु कितने भूक्षेत्र का पट्टा समाप्त करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में वनों को बड़े पैमाने पर नष्ट और निराकरण नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत तमिलनाडु में खनन प्रयोजनों के लिए 118.09 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने खनन क्षेत्रों का पट्टा समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

सिक्किम में महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं

1047. **श्रीमती बिल कुमारी भंडारी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण के लिए कुछ केन्द्रीय योजनाएं सिक्किम में शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर खर्च की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सिक्किम राज्य में संचालित प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(1) समेकित बाल विकास सेवा

सिक्किम में आई०सी०डी०एस योजना 1975-76 में चलाई जा रही है। इस समय की स्थिति के अनुसार वहां 4 केन्द्रीय प्रायोजित आई०सी०डी एस० योजनाएं हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निम्नलिखित सामुहिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

1. पूरक पोषाहार;
2. रोग प्रतिरोधन;
3. स्वास्थ्य जांच;
4. संदर्भ सेवाएं;
5. पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा ;
6. अनौपचारिक शिक्षा;

वर्ष 1990-91 के दौरान सिक्किम में आई०सी०डी०एस० योजना पर 53.12 लाख रुपए की राशि व्यय की गई। 1990-91 के दौरान इस योजना के कार्मिकों के प्रशिक्षण पर भी 1.66 लाख रुपए व्यय किए गए। इस योजना से लगभग 2.90 लाख स्कूल-पूर्व बच्चे और 0.96 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

(II) किशोर लड़कियों के लिए योजना

किशोर लड़कियों के लिए योजना में 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किशोर लड़कियो की स्वास्थ्य संबंधी पोषाहारीय, शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और भावी समाज प्रेरकों के रूप में उनकी संभाव्य क्षमता को प्रयोग में लाना है।

सिक्किम में किशोर लड़कियों के लिए योजना उत्तरी सिक्किम जिले के गयालजिंग ब्लाक में कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार को सिक्किम में एक वर्ष में इस योजना पर 1.20 लाख रुपए की धनराशि व्यय करनी है जबकि पोषाहार की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

(iii) शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र

1975 में अंगीगृत राष्ट्रीय बाल नीति के सर्वोच्च उद्देश्यों के अनुपालन में शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र चलाने की योजना 1975 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्यतया: दिहाड़ी पर काम करने वाले, प्रवासी, कृषि और निर्माण मजदूरों के 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दिवस देख-भाल सेवाए उपलब्ध कराना हैं।

वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 13.11 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई थी। राज्य भर में 104 शिशुगृह इकाइयां चलाई जा रही हैं जिनमें लगभग 2600 लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(iv) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सिक्किम में 2 कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण के लिए 1976-77 और 1984-85 के दौरान क्रमश: 5.28 लाख रुपए और 12.4 लाख रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। दोनों होस्टल पूरे हो चुके हैं और वे कार्यरत हैं।

(v) अल्पावास गृह

इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को अल्पावास गृह खोलने और चलाने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं और लड़कियों को संरक्षण और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा किसी ऐसे कारण से जिससे कि उन्हें कोई खतरा हो सके, वे कारण सामाजिक और नैतिक खतरे से पीड़ित हों। वर्ष 1990-91 के दौरान "ऐसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया" को एक अल्पावास गृह की स्थापना के लिए एक लाख रुपए की धनराशि दी जा चुकी है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डवाकरा)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के कार्यक्रम का उद्देश्य महिला मुखिया वाले ग्रामीण परिवारों के लिए उपयुक्त स्वरोजगार और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराना है। वर्ष 1990-91 के दौरान इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना के अन्तर्गत 1.01 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई।

(vii) सर्वव्यापी रोग-निरोधन कार्यक्रम

सर्वव्यापी रोग-निरोधन कार्यक्रम देश में 1985-86 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं को टीकाकरण से रोकथाम की जा सकने वाली 6 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना और टेटनस टाक्सइड की टीका माताओं को लगाकर नवजात शिशुओं और मातृत्व को टेटनस से बचाना है। 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत इस राज्य को 6.37 लाख रुपए की धन-राशि दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में डिग्री कालेजों की स्थापना

1048. श्री भीकान्त जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों की सहायता से उड़ीसा में कुछ डिग्री कालेज खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में रुग्ण चीनी मिलें

1049. श्री हरिराम मांडक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है तथा इस समय इनमें से कितनी मिलें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इस समय राज्य में कोई चीनी मिल रुग्ण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण प्रतिवर्ष कितने राजस्व की हानि हो रही है तथा इन मिलों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) गुजरात राज्य में 17 संस्थापित सहकारी चीनी फैक्ट्रियां हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार जिनमें से 14 कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ख) सहकारी क्षेत्र में रुग्ण चीनी फैक्ट्रियां तथा इनकी रुग्णता के कारण सरकार को होने वाली राजस्व की हानि से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है। चीनी फैक्ट्रियों की रुग्णता विभिन्न कारकों जैसे गन्ना उपलब्धता, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय दक्षता, प्लांट तथा मशीनरी का आकार एवं स्थिति आदि पर निर्भर करती है। सरकार ऐसी चीनी फैक्ट्रियों की सहायता के लिए उनके आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन तथा गन्ना विकास योजनाओं हेतु आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

दिल्ली और सियालदह के बीच रेलगाड़ी को रद्द किया जाना

1050. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में साहिबगंज लूप लाइन पर दिल्ली और रियालदह के बीच चलने वाली 13-अप और 14-डाउन रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस लाइन पर यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार इन रेलगाड़ियों को पुन: चलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मुगलसराय और दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्ववर्ती 13/14 सियालदह-दिल्ली अपर इण्डिया एक्सप्रेस गाड़ी रद्द कर दी गयी है, यह गाड़ी अब सियालदह और मुगलसराय के बीच 3133/3134 एक्सप्रेस के नाम से चलती है;

(ख) वाणिज्यिक औचित्य कम होने के कारण;

(ग) इस जोड़ी गाड़ी को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

फूलबनी जिले में पुरातत्वीय खुदाई

1051. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी बहुल फूलबनी जिले के विभिन्न स्थानों पर बौहर इतिहास सम्बन्धी बहुमूल्य वस्तुएं भूमि में दबी पडी हैं;

(ख) क्या इन वस्तुओं की खुदाई करने तथा बौद्ध स्मारकों और स्थापत्वों की सुरक्षा के उपाय करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पुरातात्विक समस्याओं के निदान के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से उत्खनन-कार्य किये जाते है, न कि केवल पुरावशेषों को एकत्रित करने के लिए । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल उन्हीं स्मारकों/आवशेषों की सुरक्षा करता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं ।

मणिपुर विश्वविद्यालय का अधिग्रहण

1052. **श्री थुपनाम याइमा सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मणिपुर विश्वविद्यालय को देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) मणिपुर विश्वविद्यालय को सहायता देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) मणिपुर विश्वविद्यालय राज्य विधान मण्डल के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और एक नीति के तौर पर केन्द्र सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नहीं बदलती।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्थागत बुनियादी सुविधाओं जैसे नाम पत्र पत्रिकाओं, उपस्कर तथा शिक्षण और अनुसंधान को कोटि और स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से सृजित अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। आयोग विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान भी प्रदान करता है। वि०अ०आ० द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार ने 7वीं योजना के दौरान मणिपुर विश्वविद्यालय ने 254.20 लाख रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की और 185.00 लाख रुपए का अनुदान 8वीं योजना में आबंटित किया गया है।

राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान

1053. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, वो इसे कहां स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसका कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है और इस के पूरा होने की क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) पहले ही राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में 1986 में स्थापित किया गया है। बंगलौर, कलकत्ता, गांधी नगर और इम्फाल में इसकी शाखाएं स्थापित की गयी है तथा औरंगाबाद और गुवाहाटी में इसके उप केन्द्र हैं। दूसरा राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थापित करने की इस समय आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे छात्र

1054. **श्री रमेश चेनित्तला** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सोवियत संघ के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके शैक्षिक सत्र को बचाने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों को प्रवेश देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) इस बात को सरकार के ध्यान में लाया गया था कि कुछ छात्र कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सरकार ने विदेश मन्त्रालय के माध्यम से भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ मामले को उठाया है। मास्को स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श पर मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे उस प्रत्येक छात्र को, जो सरकारी रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए थे, छात्रवृत्तियों के अलावा जो वे पहले ही प्राप्त कर रहे हैं, दुर्लभ मुद्रा में प्रति माह 500.00 रुपये का एक विशेष अनुदान संस्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, विदेश मन्त्रालय के परामर्श पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और विदेशी मुद्रा के डीलरों को अनुदेश जारी किए है कि वे पूर्व सोवियत संघ में पहले से अध्ययन कर रहे सभी छात्रों के माता पिता और संरक्षकों को प्रतिमाह 50 अमरीकी डालर तक भेजने के लिए अनुमति प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बेंक ने भी भारतीय रुपयों में मास्को से वापिसी टिकटों की खरीद को प्राधिकृत किया है। विदेश मन्त्रालय ने प्रेस में एक मार्गदर्शी नोटिस भी जारी किया है कि कोई भी भारतीय छात्र स्वयं वित्त प्रबन्ध और गैर सरकारी प्रायोजन के आधार पर तब तक पूर्व सोवियत संघ की संस्थाओं में दाखिला न लें जब तक उन देशों में स्थिति सामान्य नहीं जो जाती। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे यह उनकी ही जिम्मेदारी होगी और सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

"लोक शिकायत प्रकोष्ठ"

1055. **डा० रवि मल्लू** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक पर्यावरण लोक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का निपटान किया गया;

(ग) उस प्रकोष्ठ पर कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या इसी तरह का प्रयोग प्रदूषण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए है; और

(च) यदि हां, तो उस पर गैर-सरकारी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक लोक शिकायत निवारण कक्ष खोला है।

(ख) 31 जनवरी, 1992 तक 103 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 76 शिकायतों का निपटान किया गया।

(ग) इसमें अलग से खर्च अन्तर्निहित नहीं है क्योंकि यह कक्ष मन्त्रालय के विद्यमान कर्मचारियों में से ही खोला गया है।

(घ) यह कक्ष पर्यावरणीय अवक्रमण, प्रदूषण, जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता तथा विभिन्न संगठनों की अनुदानों के आबंटन से संबंधित शिकायतों का निपटान करता है।

(ङ) शिकायतों को दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित लोक शिकायत निवारण कक्ष खोले जाने से सम्बन्धित आदेश का समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था।

(च) गैर-सरकारी संगठन भी शिकायत-कक्ष में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और कुछ शिक्षकों ने इस सुविधा का फायदा उठाया है।

आरकोनम में उपरिपल का निर्माण

1056. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरकोनम स्टेशन (दक्षिण रेलवे) में ऊपरी पुल का निर्माण में क्या प्रगति हुई है;और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे ने अपने हिस्से के निर्माण कार्य में 24% प्रगति की है।

(ख) इस कार्य का पूरा होना राज्य सरकार के राजमार्ग विभाग द्वारा पहुंच मार्गों के पूरा करने पर निर्भर करेगा, जिसने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।

सम्बलपुर डिवीजन के अन्तर्गत कुछ स्थानों को शामिल करना

1057. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को झारसुगुड और बांदोमुंडा से हिमगिर तक हावड़ा-मुम्बई रेल लाइन के साथ लगे स्थानों को सम्बलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शामिल करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्त क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई है और इसे परिचालनिक कारणों से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

:"बिहार में वनरोपण कार्यक्रम"

1058. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला-वार कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न वनरोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने पौधें लगाए गए और इनमें से प्रत्येक जिले में बचे पौधों की वर्ष-वार संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की

जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की कमी

1059. **श्री आर० धनुषकोडि आदित्यन** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बफर स्टाक नीति के अन्तर्गत निर्धारित स्तरों की तुलना में अनाजवार खाद्यान्नों की कमी की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति के अन्तर्गत कम से कम भंडारण की मात्रा कितनी होती है;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इस कमी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष में पहली जनवरी को अपने पास रखने के लिए अपेक्षित कुल न्यूनतम स्टाक और 1-1-1992 को स्थिति के अनुसार वर्तमान स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

(मिलियन मीटरी टन)

	1-1-1992 को स्थिति के अनुसार	बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार आवश्यकता
चावल	9.3	7.7
गेहूं	5.4	7.7

(ग) गेहूं के स्टाक में कमी होने का कारण विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान कम वसूली होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से अधिक निर्युक्तियां करना और खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करना है।

(घ) इस कमी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) सरकार ने एक मिलियन मीटरी टन गेहूं आयात करने का निर्णय किया है। अगले, रबी मौसम में अधिकतम वसूली करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

गुजरात में आयुर्वेदिक कालेज और अस्पताल खोलना

1060. **श्री काशीराम राणा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को गुजरात में आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल खोलने तथा मौजूदा कालेजों एवं अस्पतालों का विस्तार करने और इनके लिए अनुदान में वृद्धि करने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से आयुर्वेदिक कालेज और अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय नए कालेज और अस्पताल खोलने के लिए राज्य सरकारों को सपायता प्रदान नहीं करता। तथापि, गुलाब कुंवर का आयुर्वेदिक महाविद्यालय का विस्तार करने और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निवेदन प्राप्त हुए। उनके प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उन संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्न के भंडार

1061. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 और 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्न का कितना भंडार था;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान चावल और गेहूं के भंडारों में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कुल कितना खाद्यान्न दिया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 30-6-1991 और 31-12-1991 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में क्रमश: 19.78 मिलियन मीटरी टन और 13.90 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का स्टाक था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पूल से इस अवधि के दौरान मुख्यतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक उठान होने के कारण गेहूं के स्टाक में कमी हुई है।

(घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जुलाई से दिसम्बर, 1991 के दौरान केन्द्रीय पूल से 9.57 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का उठान किया गया था।

राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थान की कमी

1062. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, और दस्तावेजों का समुचित संरक्षण करने हेतु अपेक्षित स्थान का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(च) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक नई सौध का निर्माण 35.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाना है।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए 50 लाख रुपये ।

जनसंख्या नियन्त्रण के सम्बन्ध में अध्ययन

1063. **डा० विश्वनाथन कैनिची** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे परिवार के मानदण्डों को स्वीकार करने वालों को की गयी प्रोत्साहन सम्बन्धी पेशकश के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अन्य संगठनों ने यदि इसी तरह के अध्ययन किये हैं, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वित्तीय प्रोत्साहन के सम्बन्ध में नवीन अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से जिनकी दो पुत्रियां हैं तथा जो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) छोटे परिवार के आदर्शों को अपनाने वालों को दिए गए प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभागों अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किए गए किसी विशिष्ठ अध्ययन की सूचना इस विभाग को नहीं है ।

(ग) और (घ) जिन लोगों की आयु अधिक हो चुकी है और जिनकी दो पुत्रियां हैं, उनके लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में कोई नया अध्ययन करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[हिन्दी]

धनबाद में केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण

1064. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में, मैथन, धनबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भवन के निर्माण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से बहुत पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने विद्यालय के भवन के निर्माण समय पर और शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) मैथन में केन्द्रीय विद्यालय एक परियोजना क्षेत्र स्कूल है और स्कूल भवन के निर्माण की जिम्मेदारी परियोजना प्राधिकारियों अर्थात दामोदर घाटी परियोजना की उनकी वचनबद्धता के अनुसार है । परियोजना-प्राधिकारियों द्वारा स्कूल भवन का निर्माण-कार्य सितम्बर, 1987 से शुरूकर दिया गया था, किन्तु, स्थानीय लोगों के अवरोध के

कारण जिला प्रशासन के परामर्श पर इसे रोक दिया गया। समस्या का समाधान ढूंढ़ने की जिम्मेदारी परियोजना-प्राधिकारियों की होगी।

[अनुवाद]

क्विलोन स्टेशन का आधुनिकीकरण

1065. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में क्विलोन स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो चालू योजना के दौरान उठाये जाने वाले प्रस्तावि कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना

1066. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत देश में फिलहाल कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कुष्ठ उन्मूलन के लिए विशेष योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और ये योजनाएं कब से लागू की जा रही हैं;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत मुंगेर जिले को सम्मिलित किया गया है;

(घ) क्या मुंगेर जिले में कुष्ठ रोग के मामलों के सम्बन्ध में विगत में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) एड्स, मलेरिया, कालाजार, कैंसर, दृष्टिहीनता, क्षयरोग, कुष्ट रोग आदि जैसे विभिन्न रोगों के नियन्त्रण हेतु अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2000 ई० तक इस रोग के संरक्षण पर काबू पाना है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1955-56 से हो रहा है वर्ष 1982-83 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम रखा गया था। बहु-औषधथिरेपी का विस्तार सभी स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों तक चरणवार ढंग से किया गया है। बहु-औषध उपचार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा त्रिपुरा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 201 स्थानिकमारी वाले जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

मुख्यतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में 43 कम स्थानिक-मारी वाले जिलों को भी बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ग) मुंगेर जिले को अभी बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस जिले की व्याप्तता दर प्रति 1000 की आबादी पर 5 से कम है। तथापि, मुंगेर जिले को वर्ष, 1995 तक बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) से (ङ) जी, हां। राज्य कुष्ठ अधिकारी, बिहार से मिली सूचना के अनुसार मुंगेर जिले का कुष्ठ से सम्बन्धित ब्यौरा विवरण में दिया एया है।

विवरण

बिहार के मुंगेर जिले में कुष्ठ का ब्यौरा

1. 1991 में जनसंख्या	30,55,135
2. 31-3-91 की स्थिति के अनुसार दर्ज किए गए मामले	11,139
3. 31-3-91 की स्थिति के अनुसार कुष्ठ की व्याप्तता	प्रति 1000 जनसंख्या पर 4.71 प्रतिशत
4. 31-3-91 की स्थिति के अनुसार उपचाराधीन कुष्ठ रोगियों की संख्या	10,376
5. वर्ष 1990-91 के दौरान पता लगाए गए नए कुष्ठ रोगियों की संख्या	553
6. 1990-91 के दौरान उपचाराधीन नए रोगी	532
7. 1990-91 के दौरान छुट्टी दिए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या	206

जिले में कुष्ठ आधारभूत ढांचा

कुष्ठ नियन्त्रण यूनिट	2
संशोधित निष्ठ नियन्त्रण यूनिट	1
कुष्ट केन्द्र	3
सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र	28
अस्थाई हास्पिटेलाइजेशन वार्ड	1

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा उत्पादित चीनी का हिस्सा लेने के बदले भुगतान

1067. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में उत्पादित चीनी में से उसका अपना हिस्सा लेने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को कुल कितनी मात्रा में चीनी दी गई; और

(ग) इसके लिए राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि देय है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना

1068. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) प्रारम्भ में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक स्थानों नामत: अस्पतालों, औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू उड़ानों और रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सियानों तथा वातानुकूलित शयन यानों, उपनगरीय रेलों और वातानुकूलित बसों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रशासनिक निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

समस्तीपुर-नरकटिया गंज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1069. **श्री नवल किशोर राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्तीपुर-नरकटिया गंज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह एक अनुमोदित कार्य नहीं है।

किऊल से गया के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

1070. **श्री नवल किशोर राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में किऊल से गया के लिए नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण।

[अनुवाद]

सिकन्दराबाद-गुन्टूर रेल लाइन को दोहरा करना तथा उसका विद्युतीकरण

1071. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आठवीं योजनावधि के दौरान नलगोंडा होते हुए सिकन्दराबाद और गुन्टूर के बीच लाइन को दोहरा करने और उसका विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सिकन्दराबाद-बीबीनगर खंड पहले से ही एक दोहरी लाइन वाला खंड है और इसका विद्युतीकरण किया जा रहा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान बीबीनगर-नलगोंडा-गुन्टूर खंड के दोहरीकरण अथवा विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर व्यय

1072. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अररिया, बिहार में मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भीमबन्ध वन में पेड़ों की कटाई

1073. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचार "नवभारत टाइम्स" में "लाखों पेड़ रोज कट रहे हैं, भीमबन्ध जंगल में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच नहीं है कि बिहार में भीमबन्ध के वनों में लाखों रुपये के मूल्य के वृक्ष काटे जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रश्न पत्रों के अनेक सैटों का उपयोग

1074. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के अनेक सैटों का उपयोग करने का विचार है ताकि अनुचित साधनों के प्रयोग को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान का क्या औचित्य है; और

(ग) सरकार ने इस प्रक्रिया के कारण अन्तिम रूप से दिये जाने वाले अंकों में होने वाली संभावित विसंगतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड की परीक्षाओं में सामूहिक नकल रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में 1992 से दिल्ली में प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैटों के प्रयोग का निर्णय किया गया है।

(ग) प्रश्न पत्रों के निर्धारण और नियमन के स्तर पर पर्याप्त सावधानी से आवश्यक उपयुक्त कदम उठाये गये ताकि प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैटों के कठिन स्तर पर किसी सम्भावित विषमता के कारण छात्र समुदाय के किसी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इनके अतिरिक्त, अंकन-स्कीमों को अन्तिम रूप देते समय प्रमुख परीक्षक, द्वारा सभी सम्भावित सावधानियां बरती जाएंगी ताकि प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैटों के कारण कोई भी परीक्षार्थी असन्तुलित रूप से उपेक्षित न हो और उनके कार्य के अनुसार ही उनके साथ न्याय हो। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न-पत्रों के सैटों की तुलना में प्रश्न पत्रों के प्रत्येक सैट में प्राप्त परिणामों का विश्लेषण इस बात का पता लगाने के लिए शुरू किया जायेगा कि बोर्ड द्वारा प्रयुक्त प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैटों के कारण परीक्षार्थियो को कोई हानि तो नहीं हुई है। ऐसा पाये जाने की स्थिति में वास्तव में ऐसी हानि हुई है, तो परिणामों की घोषणा से पहले ही उसे सुधारने के उपाये किए जाएंगे।

[हिन्दी]

निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि

1075. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह विभाग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धन तथा योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। हम संसाधनों की कमी के कारण इस समय वजीफे की राशि बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।

[अनुवाद]

"केरल में वन भूमि सौंपने का प्रस्ताव"

1076. **श्री पी० सी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी भूमि का किसानों और अन्य लोगों को पट्टे (वन भूमि सौंपने) की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई थी और केरल राज्य सरकार से 15-1-92 को कतिपय आवश्यक सूचना मांगी गई थी। सूचना राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

कला तथा सांस्कृतिक विरासत सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय न्यास

1077. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला तथा सांस्कृतिक विरासत सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय न्यास को इसके प्रादुर्भाव से अब तक वर्ष-वार सरकार ने कितनी राशि का अंशदान दिया तथा न्यास ने केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से स्वयं कितनी धनराशि जुटाई;

(ख) उक्त न्यास द्वारा प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस न्यास के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) न्यास को दिए गए नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पांच करोड़ की संचित निधि (कोरपस फंड) के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा 1984 में स्वीकृत 5 लाख रुपये के अलावा 1984-85 से 1989-90 तक के वर्षों के दौरान एक-एक करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। इनटेक ने भी केन्द्रीय सरकार के अलावा आय स्रोतों से 2,85,14,433/- रुपए की राशि जुटाई है। केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से जुटाई गई राशि के वर्ष-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण के रूप में संलग्न है।

	रुपए
(ख) 1. आवर्ती व्यय	12,73,988
2. क्षेत्रीय चैपटर्स व्यय	18,00,067
3. संरक्षण केन्द्र, लखनऊ	18,19,616
4. संरक्षण केन्द्र, दिल्ली	2,10,897
5. परियोजना व्यय	15,97,559
6. मीडिया सेल सम्बन्धी व्यय	3,38,806
7. सम्मेलन/बैठक सम्बन्धी व्यय	2,26,511
8. पर्यावरण सेल सम्बन्धी व्यय	6,63,261
9. छात्रवृत्ति व्यय	18,981
10. अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	11,50,659
11. अनुदानों में से व्यय	64,60,908
कुल :	1,55,61,253

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

इनटेक द्वारा अपने प्रादुर्भाव के समय से केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से जुटाई गई राशि

वर्ष	सदस्यता अंशदान (रु०)	दान (रु०)	क्षेत्रीय चैपटर्स संरक्षण केन्द्र आदि में प्राप्तियां	परियोजना वित्तपोषण (स्थानीय) (रु०)	परियोजना विदेशी वित्त पोषण (रु०)	चार्ल्स वैलेसे फंड और इनटेक यू० के० ट्रस्ट (रु०)	कुल (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1984-85	72,188	—	—	2,61,257	—	—	3,33,445
1985-86	2,77,125	10,400	10,469	35,25,000	—	—	38,22,994
1986-87	1,71,250	50,951	1,90,742	16,04,415	1,50,585	—	21,67,943
1987-88	1,02,425	500	4,76,380	27,69,570	8,86,568	5,05,292	47,40,735
1988-89	65,550	8,665	2,12,154	9,84,000	4,27,429	6,72,429	23,70,787

1	2	3	4	5	6	7	8
(जुलाई "88 से मार्च 89" 9 महीने)							
1989-90	1,01,605	—	9,64,063	24,05,296	39,40,592	9,47,997	84,49,463
1990-91	83,425	—	11,22,155	17,59,081	27,65,399	8,99,006	66,26,066
कुल	8,73,568	70,516	29,75,963	1,33,98,529	81,71,133	30,24,724	2,85,14,43

शिशु मृत्यु दर

1078. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख राज्यों में शिशु मृत्यु दर में बहुत अधिक अन्तर के कारण क्या हैं;

(ख) क्या एक ही राज्य के दो जिलों में शिशु मृत्यु दर में अत्यधिक अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बहुत अधिक शिशु मृत्यु दर वाले जिलों का पता लगाया गया है और उनमें शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्यों में शिशु मृत्यु दर की असमानता के कारण भाषा, धर्म और सांस्कृतिक परम्पराओं की भिन्नता हो सकती है जिससे देश के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जनांकिकी विशेषताओं के विभिन्न स्तर बन जाते हैं।

(ख) जी, हां। तथापि, राज्यस्तरीय आंकलनों के विपरीत शिशु मृत्यु दर के आंकलन, भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के माध्यम से नहीं बनाये जाते है। ये आंकलन 1981 की जनगणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के माध्यम से केवल 1981 के लिए ही उपलब्ध है।

(ग) जहां तक परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, देश के उच्च शिशु मृत्यु दर वाले सभी जिलों को जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन लाया गया है।

रेलवे की भूमि का अवैध कब्जा

1079. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध कब्जे के अन्तर्गत रेलवे की भूमि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी भूमि का जोन वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अवैध कब्जे के अन्तर्गत रेलवे भूमि कितने क्षेत्र के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए कितना समय लगता है और 1991-92 तथा 31 दिसम्बर, 1992 तक कितना क्षेत्र पुनः प्राप्त किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

रूपसा-बांगरीपासी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1080. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूपसा-बांगरीपासी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा टाटानगर-बादाम पहाड़ सेक्शन तक इसका विस्तार करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रूपसा-बांगरीपोसी (89 कि० मी०) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तक इसका टाटानगर-बादामपहाड़ खण्ड (42 कि० मी०) पर दलभूमगढ़/गोरूमहिसानी तक विस्तार करने के लिए 1979 में किए गए सर्वेक्षण को 1990-91 में अद्यतन किया गया है, यह परियोजना कुल मिलाकर अलाभप्रद पाई गई थी इसलिए इसे शुरू नहीं किया जा सका ।

आदिवासी क्षेत्रों में बीमारियां

1081. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासीबहुल क्षेत्रों में और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कौन-कौन सी बीमारियां फैली हुई हैं;

(ख) वहां इस प्रकार की बीमारियों के अत्यधिक मरीज होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अब तक इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) प्रमुख रोग मलेरिया, गलगंड, जठरांत्रशोथ और अतिसारीय रोग हैं ।

(ख) बन्द पर्यावरण, निराशाजनक आर्थिक स्थिति, निषेधात्मक विश्वास और प्रवृत्तियां, स्वच्छ पेयजल का अभाव, असन्तोषजनक स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी स्थितियां आदि उपर्युक्त रोगों की अधिकता के मुख्य कारण हैं ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के पास जनजातीय क्षेत्रों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जनस्वास्थ्य अस्पतालों का एक नेटवर्क है । इसके अलावा, मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है । अनेक राज्यों ने आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर रोक लगा दी है । एक निश्चित समयावधि में इन रोगों पर अपेक्षाकृत अधिक तत्परता पूर्वक और प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रण करना सम्भव हुआ है ।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा उपहार में दिए गए वायुयान

1082. **श्री अमरसिंह चिब** :

श्री वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मन्त्रालय को चार सीटों वाला एक विमान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान किन-किन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया गया और किन-किन स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया और उसके क्या कारण थे;

(ग) जुलाई, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान वन अग्निशमन परियोजना में विमान पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान विमान का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) विमान के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। यू०एन०डी० पी० ने कम ऊंचाई तक उड़ान भर सकते वाला 4 सीट वाला एक वायुयान मन्त्रालय को दिया था।

(ख) वायुयान का उपयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए देहरादून, चन्डीगढ़, भुन्टेर, वाराणसी/लखनऊ, भोपाल/छिन्दवाड़ा का दौरा करने के लिए तथा तकनीकी अवतरण/ईंधन लेने और कौन-ट्रेनिंग (क्षमता परिक्षण) के लिए किया गया।

(ग) जुलाई, 1991 से फरवरी 1992 तक की अवधि के दौरान वायुयान के रख-रखाव और चलाने पर 2,60,321 रुपए (दो लाख साठ हजार तीन सौ इक्कीस रुपए मात्र) खर्च हुए।

(घ) और (ङ) वायुयान रेडियो उपकरण के स्लेगरेटिफिकेशन, सालाना सर्विसिंग/प्रमाणन के लिए जयपुर/अहमदाबाद, बम्बई गया। यह भुगतान के आधार पर और कौन-ट्रेनिंग के लिए फिर जबलपुर भी गया।

(च) वायुयान का दुरुपयोग नहीं किया गया।

[अनुवाद]

रद्द किए गए टिकटों पर धनराशि की वापसी

1083. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्रों से खरीदे गए टिकटों (आरक्षण) को रद्द करवाने के बाद धनराशि वापस लेने में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि की वापसी में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तत्सम्बन्धी प्रणाली को बदलने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत छः महीनों के दौरान कुल कितने व्यक्तियों ने आरक्षण के टिकट रद्द करवाए और धनराशि वापस प्राप्त की और धनराशि की वापसी के लिए अब भी कितने व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं; और

(च) सरकार ने एक सप्ताह के अन्दर धनराशि वापस कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ऐसी कोई समस्या नोटिस में नहीं आई है। मौजूदा नियमों के अनुसार रद्द किए गए टिकटों पर धन की वापसी सम्बद्ध गाड़ी के चार्ट मुद्रित होने तक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउण्टर पर और गाड़ी के छूटने के 6 घन्टे बाद तक स्टेशन

पर की जाती है। उन मामलों में, जहां स्टेशन पर धन की वापसी स्वीकार्य नहीं है, टिकट, स्टेशन पर जमा कर दिया जाता है और यात्री को टिकट जमा कराने की रसीद जारी कर दी जानी है। टिकट जारी करने वाले रेलने के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (रिफण्ड) द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर धन की वापसी स्वीकृत की जाती है।

(ग) और (घ) मौजूदा प्रक्रिया सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है और इन नियमों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सभी क्षेत्रीय रेलों पर जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक धन-वापसी के कुल 1,46,075 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से, 1,32,022 मामलों में पहले ही धन की वापसी स्वीकृत कर दी गयी है और 31-12-91 को 14,053 मामले लम्बित थे।

(च) रद्द किए गये टिकटों के सम्बन्ध में धन की वापसी चार्टों के मुद्रण से पहले आरक्षण काउंटर पर ही और गाड़ी के छूटने के बाद 6 घण्टे तक स्टेशन पर कर दी जाती है। अन्य मामलों में सामान्यता 16 दिन के भीतर धन की वापसी कर दी जाती है बशर्ते कि सम्बद्ध प्रलेखों के साथ-सभय पर अनुरोध प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा

1084. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'यूनिसेफ' ने वर्ष 1992 की अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि हमारे देश में बहुत से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) "विश्व के बच्चे 1992 की स्थिति" नामक अपनी रिपोर्ट में यूनिसेफ दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में राष्ट्र के लगभग आधे बच्चे प्राइमरी स्कूल पूरा नहीं कर पाते।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को रोके रखने की स्थिति असन्तोषजनक है। वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्राइमरी स्तर पर रोके रखने की दर 53.3% है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूलों में रोके रखने में सुधार पर बल दिया गया है तथा इस बारे में कुछ उपाय सुझाए गए है। किए गए कुछ मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) प्राइमरी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान।

(ii) शिक्षक प्रभावशीलता में सुधार के लिए जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के वास्ते केन्द्रीय सहायता का प्रावधान।

(iii) सामाजिक आर्थिक रूप से पिछले बच्चों के लिए निशुल्क वर्दियां, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें लड़कियों के लिए हाजिरी छात्रवृति तथा मध्याह्न भोजन जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान।

(iv) लड़कियों को स्कूलों में रोके रखने में सुधार के लिए काफी संख्या में महिला शिक्षकों की भर्ती।

(v) प्राइमरी स्तर पर अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को निर्धारित करना तथा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सुधार के लिए एक पद्धति तैयार करना तथा इसे अधिक क्रियाकलाप-आधारित एवं बाल केन्द्रित बनाना ।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

1085. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी है ।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी कीमतों में उतार-चढ़ाव आता रहता है ।

(ख) पिछले तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान निर्यात के लिए आबंटित की गई चीनी की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(लाख टन)

वर्ष	अनुमत मात्रा
1988-89	0.33
1989-90	0.51
1990-91	5.61

गेहूं, चावल और चीनी का खरीद मूल्य

1086. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और चीनी के खरीद मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) प्रत्येक बार, यह मूल्य-वृद्धि किन कारणों से की गई;

(ग) क्या पिछले मौसम में गेहूं, चावल और चीनी की खरीद सन्तोषजनक रही थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) दो बार ।

(ख) गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और ऐसा करते समय वे खेती की लागत, आदानों और किसानों के लिए उचित लाभ आदि को ध्यान में रखते हैं । लेवी चावल के वसूली मूल्य धान के न्यूनतम सांविधिक मूल्य, मिल-मालिकों/व्यापारियों द्वारा देय सांविधिक करों आदि के आधार पर प्रत्येक वर्ष निश्चित किए जाते हैं ।

लेवी चीनी की निकासी मूल्य गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य, चीनी तैयार करने की लागत,

शुल्क अथवा करों और चीनी निर्माताओं द्वारा लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा अभिस्तावित फार्मूले के अनुसार प्रत्येक चीनी वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) 1990-91 के रबी और खरीफ विपणन मौसमों के दौरान गेहूं, चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) और चीनी की वसूली सन्तोषजनक थी।

[हिन्दी]

राजस्थान में चीनी मिलों को ऋण

1087. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उत्पन्न गन्ने का उपयोग केवल उसी राज्य की चीनी मिलों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में चीनी मिलों की कुल संख्या क्या है तथा उन मिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में गन्ने की खपत हुई;

(ग) क्या उक्त मिलों को विकास तथा अनुसंधान हेतु चीनी विकास कोष (शुगर डेवेलोपमेंट फण्ड) से पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई ऋण दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि के ऋण दिए गए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान में 3 संस्थापित चीनी मिलें हैं। इन मिलों की गन्ने की खपत की मात्रा निम्न प्रकार है :—

मौसम	काम कर रही फैक्ट्रियों की संख्या	पिराई किए गए गन्ने की मात्रा (लाख टन)
1988-89	3	1.39
1989-90	2	1.06
1990-91	3	2.56

(ग) व (घ) इन मिलों को विकास तथा अनुसंधान कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

[अनुवाद]

बाल कल्याण योजनाएं

1088. **डा० लाल बहादुर राबल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्ता प्रभावी कदम उठा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लाभार्थ सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्य योजनाएं हैं :—समेकित बाल विकास सेवा, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, कामकाजी और बीमार माताओं के लिए शिशुगृह, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और सर्वव्यापी रोगनिरोधन कार्यक्रम।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने वालों की संख्या निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या (लाखों में		
	1988-89	1989-90	1990-91
समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०)	60.25	64 36	69.30
प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा	1.53	1.53	1.42
कामकाजी और बीमार माताओं के लिए शिशुगृहों के लिए स्वयं-सेवी संगठनों की सहायता की योजना	3.00	3.00	3.00
बालबाड़ी पोषाहार	2.3	2.3	2.3
सर्वव्यापी रोगनिरोधन कार्यक्रम	169.09	180.31	222.26
डी०पी०टी०	168.09	189.30	222.26
बी०सी०जी०	174.37	202.30	228.56
पोलियो	159.03	188.76	224.00
खसरा	124.30	158.50	202.00

(ग) इन न कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी ऐजेंसियों को शामिल करके इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए सूचना और जनप्रचार नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वयंसेवी संगठनों और व्यक्ति विशेष को राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे कि बाल कल्याण और बाल विकास के कार्यों में स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1089. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के स्थाई और अस्थाई गोदामों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन जिलों के अस्थाई गोदामों में 1989-90 से खाद्यान्न सड़ रहे हैं; और

(ग) सड़ रहे खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) उत्तर प्रदेश में स्थाई और अस्थायी गोदामों के बारे में 1-2-1992 को राजस्व जिलावार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) किसी भी जिले में 1989-90 से अस्थाई गोदामों में कोई खाद्यान्न खराब नहीं हो रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	राजस्व जिला	भारतीय खाद्य निगम के अपने स्थायी गोदामों की संख्या (कैप गोदामों सहित)	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य एजेंसियों से किराये पर लिए गए अस्थायी गोदामों की संख्या (कैप गोदामों सहित)
1	2	3	4
1.	आगरा	2	—
2.	अलीगढ़	5	—
3.	एटा	2	—
4.	मैनपुरी	2	1
5.	मथुरा	2	—
6.	बरेली	2	4
7.	पीलीभीत	1	8
8.	बुलन्दशहर	7	1
9.	बाराबंकी	2	—

1	2	3	4
10.	फैजाबाद	1	—
11.	सुल्तानपुर	—	2
12.	बस्ती	2	1
13.	देवरिया	—	2
14.	गोरखपुर	2	1
15.	गाजियाबाद	2	2
16.	मेरठ	1	—
17.	हल्द्वानी	—	3
18.	नैनीताल	4	15
19.	पिथोरागढ़	1	—
20.	रामपुर	—	4
21	जालौन	1	1
22.	झांसी	2	—
23.	ललितपुर	—	1
24.	इटावा	1	1
25.	फर्रूखाबाद	—	1
26.	कानपुर	3	—
27.	लखनऊ	3	1
28.	रायबरेली	2	—
29.	उन्नाव	—	1
30.	बदायूं	—	6
31.	बिजनौर	—	3
32.	मुरादाबाद	2	6
33.	मुजफ्फर नगर	—	1
34.	सहारनपुर	—	1
35.	जौनपुर	—	1
36.	मिर्जापुर	2	2
37.	वाराणसी	3	—

1	2	3	4
38	देहरादून	—	5
39.	इलाहाबाद	2	4
40.	फतेहपुर	1	1
41.	प्रतापगढ़	—	1
42.	आजमगढ़	2	—
43.	सिद्धार्थनगर	—	1
44.	बांदा	3	2
45.	हमीरपुर	2	—
46.	बलिया	—	1
47.	गाजीपुर	—	1
48.	बहराइच	—	1
49.	गोंडा	1	—
50.	शाहजहांपुर	2	5
51.	हरदोइ	3	3
52.	लखीमपुर खीरी	1	5
53.	सीतापुर	1	1
54.	हरद्वार	—	4
55.	पौड़ी गढ़वाल	—	1
	जोड़	75	106

मधुमक्खियां पालना

1090. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग ने मधुमक्खियां पालने के सम्बन्ध में एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उत्पाद को बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय को वन विभागों द्वारा मधुमक्खी पालने के सम्बन्ध में स्कीम बनाए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पुराने सवारी डिब्बों का बदला जाना

1091. डा० परशुराम गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने सवारी डिब्बों को बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली डिवीजन में कौन-कौन सी रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों को बदला जाना है और बदले जाने वाले सवारी डिब्बों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर पुराने सवारी डिब्बों की आयु-एवं हालात के आधार पर नियमित रूप से बदला जाता है ।

(ख) सवारी डिब्बों का बदलाव रेक-वार नहीं किया जाता है । पुराने सवारी डिब्बों को नाकारा कर दिया जाता है और रेलों को उनके बदले और सवारी डिब्बे दे दिए जाते हैं ।

[अनुवाद]

रेलवे क्षेत्रों का गैर-सरकारीकरण

1092. **श्री विजय नवल पाटील :**
श्री जे० चोक्का राव :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
कुमारी उमा भारती :
श्री चित्त बसु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में सुधारों हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अनेक रेलवे क्षेत्रों का गैर-सरकारीकरण करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने कितनी सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(च) गैर-सरकारी क्षेत्र को कौन-कौन से खण्ड आबंटित किए गए हैं/करने का विचार है और इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों के बेरोजगार होने की सम्भावना है और क्या इन कर्मचारियों को अन्य खण्डों में खपाया जाएगा ।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों में सुधारों से सम्बन्धित उपाय सुझाने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार की नई औद्योगिक नीति में रेल परिवहन को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा

गया है । इस नीति की परिधि के अन्दर रेलवे कार्य-कलापों के संभावित निजीकरण के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड में सलाहकारों की एक आन्तरिक समिति का गठन किया गया है । समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) रेलवे की कुछ खान-पान स्थापनाओं का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है ।

(छ) किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी ।

[अनुवाद]

कैंसर के रोगियों की स्वास्थ्य लाभ-दर

1093. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में कैंसर से पीड़ित रोगियों की स्वास्थ्य लाभ-दर प्रगतिशील देशों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कैंसर से पीड़ित गरीब रोगियों को कम लागत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) यह दर्शाने वाले विश्वसनीय आंकडे नहीं हैं कि भारत में कैंसर रोगियों को ठीक करने की दर विकसित देशों की दर से कम है । तथापि, देश में कैंसर रोगियों में से अधिकतर रोगी रोग की अंतिम अवस्था में उपचार के लिए आते है । जब कोई सार्थक उपचार संभव नहीं होता । अतः राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम में अब कैंसर की रोकथाम और उसका शीघ्र पता लगाने के लिए बहुत अधिक बल दिया जा रहा है ।

(ग) सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों का उपचार उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर मुफ्त या रियायती दरों पर किया जाता है ।

"पैलेस आन व्हील्स" के लिए नए सवारी डिब्बे

1094. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "पैलेस आन व्हील्स" नामक रेलगाड़ी के लिए नए सवारी डिब्बे बनाने में आई लागत में राजस्थान सरकार से उसका हिस्सा देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) सरकार इस रेलगाड़ी के लिए नए सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए अन्य क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या इस रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या में कमी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजस्थान पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे निवेश में भागीदारी करें। इनमें से किसी ने भी निवेश करना स्वीकार नहीं किया है।

(ग) नए वातानुकलित रेक का निर्माण कर दिया गया है और इसे अक्तूबर, 1991 से चलाना शुरू कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले चार वर्षों के दौरान स्थान की उपयोगिता का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	स्थान की उपयोगिता का प्रतिशत
1987-88	75.1
1988-89	93.4
1989-90	95.06
1990-91	80.10

खाड़ी युद्ध जैसे विश्वव्यापी संकट, देश में अशांत स्थिति आदि कारणों की वजह से ही 1990-91 में पर्यटक यातायात में गिरावट आई।

जयपुर में क्षयरोग अस्पतालों को सहायता

1095. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर के क्षयरोग अस्पताल को कुंए खोदने तथा पर्यावरण में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन नगद वित्तीय सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वयं सेवी संगठनों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के पैटर्न के अनुसार केवल औषधें, सामग्री और उपकरण सप्लाई किए जाते हैं।

जैसलमेर स्टेशन का विस्तार

1096. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैसलमेर स्टेशन के विस्तार और अन्य मार्गों से जोड़ते हुए छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस मार्ग का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का काम आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने के लिए कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

टूण्डला जंक्शन में रेलवे सम्पत्ति की चोरी

1097. **स्वामी सुरेशानन्द** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूण्डला जंक्शन में अक्सर लाखों रुपयों की रेलवे सम्पत्ति की चोरी हो रही है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी इन मामलों में शामिल पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र में चीनी की मिलें

1098. **श्री सुधीर सावंत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में एक चीनी की मिल लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस मिल के स्थान में परिवर्तन करके इसे कोल्हापुर जिले में स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य के अम्बोली, ता० सावंतवाड़ी, जिला सिन्धुदुर्ग में नई सहकारी चीनी फैक्ट्री लगाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री को कोल्हापुर जिले में स्थान परिवर्तन करने के बारे में सहकारी समिति से खाद्य मन्त्रालय में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेल के मैदानों के लिए सहायता

1099. **श्री सुधीर सावंत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 7वीं योजनावधि के दौरान खेल के मैदानों के लिए केन्द्रीय सहायता का कितने विद्यालयों ने लाभ उठाया; और

(ख) क्या सहायता के लिए जिले-वार और वर्ष-वार विद्यालयों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) इक्यावन ।

(ख) जी, नहीं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाराष्ट्र के कालिजों को अनुदान

1100. **श्री सुधीर सावंत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाराष्ट्र के कालिजों के लिए 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कितनी-कितनी धनराशि के अनुदान मंजूर किए गए;

(ख) जिन कालिजों को ये अनुदान दिये गये हैं उनके जिलावार नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार अनुदान के लिए पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालिजों को कोई प्राथमिकता/वरीयता देती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है ताकि संस्थागत बुनियादी सुविधाओं जैसे भवनों, पत्र पत्रिकाओं, उपस्कर और अन्य सुविधाओं, जिन्हें शिक्षण तथा अनुसन्धान की कोटि और उसके स्तर को प्रोन्नत करने के लिए सृजित किया गया है, को सुदृढ़ किया जा सके । आयोग विभिन्न विशेष सहायता योजनाओं के अन्तर्गत भी अनुदान प्रदान करता है । वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध पात्र कालेजों को 1989-90 के दौरान 258.47 लाख रुपए और 1990-91 के दौरान 229.49 लाख रुपए की राशि के अनुदान प्रदान किए गए थे । विश्वविद्यालयवार इन कालेजों के नाम वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित कालेजों की सूची में शामिल किए गए हैं । मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति, जिसमें यह सूची निहित है, संदर्भ के लिए संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई है ।

(ग) और (घ) आयोग, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों को छात्रों के न्यूनतम नामांकन और शिक्षकों की संख्या की शर्तों में छूट देकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

[हिन्दी]

राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड

1101. **श्री देवी बक्स सिंह** :

श्री रति लाल कालीदास वर्मा :

डा० रमेश चंद तोमर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका पुनर्गठन कब तक किया जायेगा; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान बोर्डों द्वारा यदि कोई नई योजनाएं क्रियान्वित/आरम्भ की गई तो वे कौन-सी हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन जब और जैसे अपेक्षित होता है, राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से किया जाता है।

(ग) राज्य बोर्डों द्वारा 1990-91 के दौरान शुरू की गई नई योजनाएं हैं—बालिकाओं की स्थिति के बारे में जागृति विकास कार्यक्रम, निर्धन महिलाओं के लिए शिक्षा जागृति कार्यक्रम, और किशोर लड़कियों के लिए शैक्षणिक शिविरों हेतु एक "युवती शिविर" योजना।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा प्रणाली

1102. **श्री भाग्ये गोबर्धन** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की खाद्य सुरक्षा के आधार को व्यापक बनाने हेतु मुख्य अनाजों के लिए कृषि उत्पादक क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है;

(ग) क्या कई बड़े राज्य केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अपना कोई विशेष योगदान नहीं कर पाये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान खाद्य सुरक्षा प्रणाली को, जो मुख्यतः एक छोटे क्षेत्र पर निर्भर है, कहां तक बनाए रखा जा सकता है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : क) से (घ) खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने की नीति में राज्य सरकारों की स्वैच्छिक और सहर्ष सहभागिता की परिकल्पना की गई है। इस नीति का महत्वपूर्ण मूल तत्व खाद्यान्नों की वसूली करना है। इस नीति का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्यों और उनकी एजेंसियों के बीच समन्वय से करना होता है। देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके आधार को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आरक्षण

1103. **श्री रामविलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आरक्षण प्रदान किया हुआ है जिसका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तन्त्रिका विज्ञान और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि आयुर्विज्ञान संकाय ने एक समान रूप से

निर्णय लिया है कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार करने के विरुद्ध है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए चयन करने के प्रयोजन से मैरिट सूची में उन्हें स्थान देने के स्क्रीनिंग टेस्ट में 20 अंकों का अधिमान दिया जाता है। तथापि, इस मामले को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ पुनः यह देखने के लिए उठाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटों को भरने के संबंध में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करे ।

गोवा बचाओ अभियान

1104. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित "कैम्पेन लांच्ड इन यू० के० टु सेव गोवा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार ने गोवा में पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी औद्योगिक तथा खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केन्द्रीय प्रयोगशाला की सुविधा

1105. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला की सुविधा की मांग लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लेने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में एक प्रयोगशाला औषध विभाग है जिसमें नैदानिक रसायन विज्ञान; रुधिर विज्ञान; फल्यूड तथा मलोत्सर्जन प्रयोगशाला; आपातकालीन प्रयोगशाला; बहिरंग रोगी विभाग नमूना एकत्रीकरण केन्द्र शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की विभिन्न स्कीमों तथा परियोजनाओं पर कार्य कर रहे युवा वैज्ञानिक सोसायटी की मांग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्राधिकारियों को भेज दी गई है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

बिहार में बलराजगढ़ का सर्वेक्षण

1106. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के मधुबनी जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान बलराजगढ़ का सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में खुदाई कार्य शुरू करने तथा इसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बिहार के मधुबनी जिले के बलराजगढ़ स्थित प्राचीन स्थल में वर्ष 1962-63 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तथा वर्ष 1962-63, 1974-75 के दौरान बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा पहले ही उत्खनन-कार्य किया जा चुका है, जिसमें इस स्थल की प्राचीनता ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से पाल काल तक स्थापित की जा चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पक्षी अस्पताल के लिए सहायता

1107. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पक्षियों, विशेषत: प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में कोई पक्षी अस्पताल खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) क्या अनेक प्रवासी पक्षी हिंडन नदी के पास घायल अवस्था में पाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रवासी पक्षियों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नागालैंड में वन कटाई

1108. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 और 87 के बीच नागालैंड में बड़े पैमाने पर वन कटाई की गई थी और यह अभी भी जारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल माथ) : (क) नागालैंड राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1982 से 1987 के बीच नागालैंड में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि प्रबन्धन निगम

1109. **श्रीमती वासवराजेश्वरी** :

श्री गुरुदास कामत :

श्री विजय कृष्ण हान्डीक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के कार्यक्रमों के विस्तार और आधुनिकीकरण के वित्त पोषण के लिए साधन जुटाने के लिए साम्य अंशों से एक भूमि प्रबन्धन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और कितनी भूमि को अर्थक्षम परिसम्पत्ति बनाया जाएगा;

(ग) कर्नाटक में कितनी बेकार भूमि को अर्थक्षम बनाया जायेगा; और

(घ) रेलवे के पास कुल कितनी भूमि फालतू है और उसमें से कितनी अनधिकृत कब्जे में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय लगभग 61,000 हेक्टेयर रेलवे भूमि खाली पड़ी है और लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। इस समय खाली पड़ी अथवा अतिक्रमणित रेलवे भूमि की रेलों के भावी विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाएं

1110 **श्री साईमन मरान्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में संथाल परगना, छोटा नागपुर और भागलपुर कमिश्नरियों के अन्तर्गत रेलवे डिवीजनों में रेल लाइनों के विस्तार तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों में सुधार एवं विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार, क्या कार्यवाही की गई तथा साहिबगंज में रेलवे वर्कशाप के निर्माण एवं विस्तार में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) इन कार्यों पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त होती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती

1111. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दो वर्षों के दौरान अधीनस्थ वर्गों के एक-चौथाई पदों पर सीधी भर्ती न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष वर्ग वाणिज्यिक लिपिकों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह प्रतिबन्ध उन पर कब तक लागू नहीं होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि 2 वर्षों की अवधि के दौरान नीचे दी गई कोटियों में, प्रत्येक के सामने दिये गये प्रतिशत तक सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत उत्पन्न रिक्तियां न भरी जाएं :

1. लिपिक (950-1500 रुपये के वेतनमान में)	25%
2. वरिष्ठ लिपिक (1200-2040 रुपये के वेतनमान में)	25%
3. कनिष्ठ लेखा सहायक (1200-2040 रुपये के वेतनमान में)	20%
4. लेखा लिपिक (950-1500 रुपये के वेतनमान में)	20%

(ख) वाणिज्यिक लिपिक और पूछताछ-एवं आरक्षण लिपिक इस प्रतिबन्ध से मुक्त हैं।

(ग) वाणिज्यिक लिपिकों/पूछताछ-एवं-आरक्षण लिपिकों के लिए यह छूट यात्री/माल यातायात के परिचालन/परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रखी गई है क्योंकि इन कोटियों का सीधा सम्पर्क जनता से है। ये आदेश दिसम्बर, 1991 से अगले दो वर्षों के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर लागू हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में स्वास्थ्य केन्द्र

1112. **डा० खुशाराम डुंगरोमल बेरवाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, जिले-वार, कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र तथा उप-केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या ये केन्द्र लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	907
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	5
राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान	1

जिलावार विवरण उपाबंध में दिया गया है। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 90 से राज्य में 6433 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त केन्द्र लोगों (1981 की जनगणना के अनुसार) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

विवरण

गुजरात राज्य में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	कार्यरत प्राथमि स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	कार्यरत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	45	1 राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बावला
2.	अमरेली	32	
3.	बनासकांठा	57	
4.	वडोदरा	65	1 ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पडरा
5.	भावनगर	45	
6.	भड़ौंच	42	
7.	बलसाड़	53	
8.	डंग्स	7	
9.	गांधीनगर	7	

1	2	3	4
10.	जामनगर	36	1 ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अलियाबाद
11.	जूनागढ़	55	
12.	खेड़ा	89	
13.	कच्छ	38	
14.	मेहसाणा	70	
15.	पंचहल	89	
16.	राजकोट	42	1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, राजकोट
17.	साबरकांठा	49	
18.	सूरत	58	1 ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सचिन
19.	सुरेन्द्र नगर	28	
	योग	907	2 स्वास्थ्य और परिवार प्रशिक्षण केन्द्र
			4 ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र
		कुल	6

वेदों का अनुवाद

1113. **श्री जे० चौक्का राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेदों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन्हें आम लोग पढ़ सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन

1114. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री मृत्युंजय नायक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के हाल ही में आस्ट्रेलिया के विदेशी दौरे में उनके निराशाजनक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी कारणों का व्यावसायिक विशेषज्ञों से कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है, तथा टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) खिलाड़ियों का निष्पक्ष चुनाव करने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का चयन और टीम को प्रशिक्षण सुविधाएं आदि देना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी० सी० सी०आई०) का कार्य है जो क्रिकेट के विकास के लिए एक स्वतन्त्र स्वायत निकाय है। बी०सी०सी०आई० ने इस सम्बन्ध में किसी सहायता के लिए सरकार से सम्पर्क नहीं किया है ।

कर्नाटक में "एड्स" की रोकथाम के लिए विश्व बैंक से सहायता

1115. **श्री जी० माडेगौड़ा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "एड्स" रोग का पता लगाने और इससे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विश्व बैंक से सहायतार्थ दो परियोजनाएं भेजी थीं;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितनी सहायता का अनुरोध किया गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क), से (घ) राष्ट्रीय एड्स परियोजना के अन्तर्गत, जिसके बारे में हाल ही में बातचीत सम्पन्न हुई है, कर्नाटक को निम्नलिखित क्षेत्रों में निवारण और रोकथाम कार्यकलापों के लिए नगद और सामग्री दोनों रूप में सहायता प्रदान की जाएगी ।

—कार्यक्रम प्रबन्ध,

—निगरानी,

—रक्त सुरक्षा,

—सूचना, शिक्षा और संचार,

—यौन संचरित रोग नियंत्रण,

—कण्डोम को बढ़ावा देना, और

—रोगी उपचार ।

यह परियोजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अप्रैल, 92 से पांच वर्ष में लागू की जाएगी ।

खेल टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं

1116. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी ।**

श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता और महिला खेल प्रतियोगिता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) ये टूर्नामेंट ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किये जाते हैं । राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित टूर्नामेंटों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख)

वर्ष	व्यय (रुपए लाखों में)	
	अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट	महिला खेल टूर्नामेंट
1988-89	45.63	19.35 (लगभग)
1989-90	20.84	28.98
1990-91	31.02	42.10

(ग) भारत सरकार ने अखिल भारतीय ग्रामीण टूर्नामेंट तथा महिला खेल टूर्नामेंटों सहित खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण की समस्त योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है । समिति उपर्युक्त योजनाओं को अधिक प्रभावी, सार्थक तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगी ।

विवरण

(क) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट

ग्रुप	खेल विद्या	स्थान	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1988-89 :				
(i)	एथलेटिक्स	बंगलौर (कर्नाटक)	9-12 जनवरी 89	
(ii)	जिम्नाटिक्स, तैराकी, कुश्ती, भारोत्तोलन	कलकत्ता (प० बंगाल)	1-6 फरवरी 89	
(iii)	बास्केटबाल, फुटबाल, हाकी, बालीबाल	ब्रह्मपुर (उड़ीसा)	4-8 जनवरी 89	1666
(iv)	तीरंदाजी, खो-खो, कबड्डी, मलखम्ब	गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	2-5 मार्च 89	
1989-90				
(i)	एथलेटिक्स	तंजावुर (तमिलनाडु)	4-7 जनवरी 90	
(ii)	तैराकी, जिम्नास्टिक भारोत्तोलन, कुश्ती	हुबली धारवाड़ (कर्नाटक)	14-17 दिसम्बर 90	
(iii)	बास्केटबाल, हाकी फुटबाल, बालीबाल	गुमला (बिहार)	18-21 जनवरी 98	2315
(iv)	तीरंदाजी, खो-खो कबड्डी, मलखम्ब	कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	28-31 जनवरी 98	
1990-91 :				
(i)	एथलेटिक्स, साईक्लिंग	भोपाल (म० प्र०)	4-7 जनवरी 91	
(ii)	बालीबाल, बास्केटबाल कबड्डी तथा खो-खो	करनाल (हरियाणा)	9-12 जनवरी 91	
(iii)	हाकी, फुटबाल तथा तीरंदाजी	लखनऊ (उ० प्र०)	13-16 फरवरी 91	2883
(iv)	तैराकी, कुश्ती भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक	त्रिवेन्द्रम (केरल)	7-10 फरवरी 91	

(ख) महिला खेल टूर्नामेंट

वर्ष	स्थान	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1988-89	रांची (बिहार)	8-12 फरवरी 89	1775
1989-90	कटक (उड़ीसा)	14-18 मार्च 90	1576
1990-91	हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)	20-24 जनवरी 91	1909

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के विश्व सम्मेलन की सिफारिशें

1117. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैरोबी में हुए संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के विश्व सम्मेलन में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) सरकार का राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने और नीति निर्धारण प्रक्रिया के मामले में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास (मंत्रालय युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र महिला दशक पर विश्व सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र दशक के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज फार विमेन (1986-2000) तैयार की और इसे अपनाया। इस दस्तावेज पर एक हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से सरकार, राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। स्थानीय नगरपालिका निकायों और पंचायत प्रणाली के सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने हेतु संसद में विधेयक भी पेश किए गए हैं।

अलीगढ़ और गया में स्पोर्टस के स्कूलों की स्थापना

1118. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और बिहार में गया में राष्ट्रीय पटियाला खेल संस्थान की तरह स्कूलों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और कलकत्ता, बंगलौर तथा गांधीनगर में कार्य कर रही इसकी इकाइयां खेल विज्ञान सहित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अकादमिक्स की सभी वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखती है ।

राज्यों में विदेशी सहायता से कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

1119. **श्री रामबदन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से राज्यवार कार्यान्वित किए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या लक्ष्य तय किये गये और क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

1120. **श्री अभय प्रताप सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऊंचाहर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके स्थान पर कोई अन्य रेलगाड़ी चलाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस रेलगाड़ी के कुछ यात्री डिब्बे अन्य रेलगाड़ियों में लगा दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) व्यस्ततम मौसम के दौरान माल यातायात की ढुलाई के वास्ते डीजल रेल इंजन उपलब्ध कराने के लिए ऊंचाहार एक्सप्रेस को अस्थाई तौर पर रद्द किया गया है। अप्रैल, 1992 के दौरान इस गाड़ी को पुनः चला दिया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं ।

जिम्बाबवे को तकनीकी सहायता

1121. **श्री रामबदन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड ने विश्व बैंक से जिम्बाबवे को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का प्राप्त ठेके के लिए कितने विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारी जिम्बाबवे भेजने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राइट्स ने कैलेण्डर वर्ष, 1992 के लिए जिम्बाबवे की नेशनल रेलवे प्रणाली के अनुरक्षण तथा परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए

तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु जिम्बाबवे की नेशनल रेलवे के साथ 17 दिसम्बर, 1991 को एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए हैं, इस परियोजना के लिए जिम्बाबवे की नेशनल रेलवे को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, राइट्स का यह कार्य करने के लिए भारत से कम्प्यूटर विशेषज्ञों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों तथा तकनीशियनों सहित 38 व्यक्ति भेजने का विचार है।

[अनुवाद]

चीनी का उत्पादन और निर्यात

1122. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कितनी चीनी का उत्पादन हुआ और निर्यात की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लखन गोगोई) : (क) 1991-92 के चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे फ.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जोड़ते हुए गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत में संशोधन करके 26.00 रुपये प्रति क्विंटल करना, 1992-93 मौसम के लिए गन्ने की27.00 रुपये प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम कीमत की अग्रिम घोषणा, लेवी : खुलो बिक्री चीनी के अनुपात को 45 : 55 ही रखना तथा जल्दी पेराई के लिये अतिरिक्त खुली बिक्री के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना आदि।

(ख) चीनी मौसम 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान चीनी के उत्पादन और निर्यात की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(लाख टन)

मौसम	उत्पादन की गई मात्रा	निर्यात की गई मात्रा
1990-91	120.47	2.07
1991-92	60.45	2.84
	(7-2-92 तक)	(25-2-92 तक)

(ग) व (घ) सरकार ने जल्दी पेराई के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिसके तहत चीनी फैक्ट्रियों को 1-10-1991 से 15-11-1991 तक की अवधि के दौरान उत्पादित चीनी पर 72 प्रतिशत खुली बिक्री कोटा प्रदान किया जाएगा।

अनाज बचाओ अभियान

1123. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री नीतीश कुमार :

डा० विद्यानाथम कैनिची : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में "अनाज बचाओ अभियान" शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके लिए सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक निकाय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना खर्च हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने उत्पादन से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में बिना उपयोग किए गए बर्बाद होने वाले खाद्यान्नों की कुल मात्रा का अनुमान लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस नुकसान को रोकने के लिए विभिन्न चरणों में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितने प्रतिशत सफलता मिली है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खाद्यान्नों का भण्डारण करने की वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए शिक्षित, प्रेरित और राजी करना है। इस योजना के संगठनात्मक ढांचे में 17 अन्न सुरक्षा अभियान दल हैं जो खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में देश के विभिन्न भागों में कार्य करते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में किए गए खर्च का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

	(आंकड़े लाख रुपयों में)
1988-89	130.36
1989-90	172.95
1990-91	188.44

(च) और (ङ) सरकार द्वारा अतीत में स्थापित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न अवस्थाओं में खाद्यान्नों की हानियों का निम्नानुसार अनुमान लगाया था :—

गहाई	—	1.68%
विधायन	—	0.92%
परिवहन	—	0.15%
चूहों से	—	2.50%
पक्षियों से	—	0.85%
कीटाणुओं से	—	2.55%
नमी से	—	0.68%
जोड़		9.33%

(च) खाद्यान्नों की हानियों को कम करने के लिए अन्न सुरक्षा अभियान के अधीन उठाए गए कदमों और तदनुरूप उपलब्धियों के सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अन्न सुरक्षा अभियान के प्रारम्भ से दिसम्बर, 1991 तक इसकी उपलब्धियां

क्रम सं०	कार्य की मद	उपलब्धियां
1.	वृत्तिका प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित किसानों की संख्या	114983
2.	गैर-वृत्तिका कार्यक्रम में प्रशिक्षित ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं आदि की संख्या	526376
3.	गैर-वृत्तिका कार्यक्रम में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या	
4.	सहयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	144451
5.	प्रधूमित (कीट नियन्त्रण) किए गए भंडारण पात्रों की संख्या	820305
6.	खेती में प्रधुमित किए गए चूहों के बिलों की संख्या	189.64 लाख
7.	घरेलू चूहा नियन्त्रण के अन्तर्गत कवर किए गए मकानों की संख्या	20.30 लाख
8.	रोगनिरोधी उपचारों की संख्या	177078
9.	निर्मित किए गए गैर धात्विक भंडारण ढांचों की संख्या	18241
10.	उन स्वदेशी भण्डारण ढांचों की संख्या जिसमें सुधार किए गए	61363
11.	बनाये गए धात्विक बिनों की संख्या	617521
12.	राज्य सरकारों द्वारा बेचे गए धात्विक बिनों की संख्या	607601
13.	प्रसारित की गई रेडियो वार्ताओं की संख्या	3736
14.	प्रसारित किए गए दूरदर्शन कार्यक्रमों की संख्या	632
15.	समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की संख्या	6337
16.	दिखाये गए फिल्म/स्लाइड शो की संख्या	18079
17.	आयोजित की गई/जिनमें भाग लिया गया, उन प्रदर्शनियों की संख्या	13386
18.	दीवारों पर स्टेन्सिलों से की गई छपाई की संख्या	2049228
19.	निपटाई गई डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से मांगी गई जानकारी की संख्या	109753
20.	वितरित किए गए पर्चों/हैंडबिलों की संख्या	5474443

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन

1124. **श्रीमती रीता वर्मा :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है, ताकि समुचित सुविधाओं से रहित मेडिकल कालेजों की वृद्धि को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय किसी मेडिकल कालेज को शुरू करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं है। इसलिए पिछले कुछेक वर्षों के दौरान कुछेक मेडिकल कालेज बिना उपयुक्त सुविधाओं के खोले गए हैं। इस कमी को दूर करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कामकाजी महिलाओं के होस्टल

1125. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण हेतु सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) कितने होस्टल निर्माणाधीन हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवनों के निर्माण के लिए 1972-73 में इस सहायता योजना के प्रारम्भ से 8.41 करोड रुपये की स्वीकृत अनुदान राशि में से 7.12 करोड रुपए की राशि महाराष्ट्र में स्वयंसेवी संगठनों को 79 कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माणार्थ जारी की जा चुकी है। 11.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इन होस्टलों में 5271 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान किए जाने की क्षमता है। इनमें 32 होस्टल ऐसे हैं जिनमें 725 बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों की सुविधाएं प्राप्त है।

(ख) महाराष्ट्र में 36 होस्टल निर्माणाधीन हैं जिनमें 2690 कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाएं और 486 बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इन होस्टलों की संगठन-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण परिशिष्ट-I पर संलग्न है।

विवरण

3-3-1992 तक महाराष्ट्र में बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण के लिए संस्वीकृत और जारी की गई संगठन-वार अनुदान राशि दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	संस्वीकृत किए जाने का वर्ष	परियोजना का स्थान	संस्वीकृत संवासी क्षमता	
				कामकाजी महिलाएं	दिवस देखभाल केन्द्रों में बच्चे
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिमी खंडेश भगिनी सेवा मण्डल, धूले	1987-88	धूले	56	50
2.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, बम्बई	1987-88	कुरला	80	—
3.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	1987-88	पुणे	117	—
4.	प्रगति महिला मण्डल, नान्देड़	1987-88	वसन्त नगर, नान्देड	108	30

1	2	3	4	5	6
5.	जवाहर शिक्षण प्रसारक संस्था, धुले	1987-88	धुले	80	25
6.	ऐक्सेलसियर ऐजुकेशन सोसाइटी, थाणे	1987-88	थाणे	60	30
7.	जागृति महिला मण्डल, कालामुरी परभानी	1987-88	परभानी	64	30
8.	पीपल्ज ऐजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद	1988-89	नागसेन्वांद	100	—
9.	रचना ट्रस्ट, नासिक	1988-89	नासिक	74	—
10.	श्री शिवाजी शिक्षा प्रसारक मण्डल, गढ़ चिरोली	1988-89	गढ़चिरोली	42	—
11.	श्री शारदा देवी महिला मण्डल, अमरावती	1988-89	शिरोला अमरावती	20	10
12.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मण्डल अहमदपुर, लाटूर	1988-89	लाटूर	51	10
13.	शिक्षण महर्षि डा० पंजाब राव देशमुख प्रतिष्ठान, बुल्दाना, महाराष्ट्र	1988-89	बुल्दाना	50	16
14.	भारती विद्यापीठ, पुणे	1988-89	पुणे	144	—

1	2	3	4	5	6
15.	महारानी शान्तिदेवी गायकवाड़, गृहशास्त्र, शिक्षण संस्था, कोल्हापुर	1989-90	कोल्हापुर	80	—
16.	जनता शिक्षण प्रसारक मंडल, पुसाद, यवतमाल	1989-90	पुसाद, यवतमाल	182	15
17.	श्री विशुद्धा विद्यालय, यवतमाल	1989-90	यवतमाल	124	20
18.	जवाहरलाल नेहरू शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नान्देड	1989-90	नान्देड	184	30
19.	वेस्ट खान्देश भागिनी सेवा मण्डल, धुले	1989-90	नन्दरबार धुले	45	10
20.	श्री सेवादास शिक्षा प्रसारक मण्डल, गांधीनगर, नान्देड़	1989-90	नांदेड़	109	—
21.	महिला मण्डल, सतारा	1989-90	सतारा	40	15
22.	फाल्टन एजूकेशन सोसाइटी फाल्टन, सतारा	1989-90	फाल्टन	29	10
23.	महि[illegible]ज, यवतमाल	1990-91	यवतमाल	56	20

1	2	3	4	5	6
24.	नगरपालिका परिषद, लातूर	1990-91	लातूर	100	—
25.	आनन्द आश्रम ट्रस्ट, बम्बई	1990-91	चेमबुर बम्बई	74	—
26.	टेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट टेरानगर, ओस्मानाबाद	1990-91	ओस्मानाबाद	100	20
27.	अनेकन्त एजूकेशन सोसाइटी, पुणे	1990-91	पुणे	30	—
28.	माता रमाबाई अम्बेडकर शिक्षण एवं स्मारक समिति, जलगांव	1990-91	जलगांव	60	20
29.	नवल बाहु प्रतिष्ठान, धुले	1990-91	धुवे	52	20
30.	महात्मा गांधी विद्या मन्दिर, मालेगांव, नासिक	1990-91	मालेगांव नासिक	100	—
31.	बाल विकास महिला मण्डल, लातूर	1991-92	लातूर	100	20
32.	श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठान, अहमदपुर	1991-92	अहमदपुर	24	—
33.	महाराष्ट्र इन्जीनियरिंग एवं शैक्षणिक अनुसंधान अकादमी, पुणे	1991-92	कोयर्ड	64	—
34.	कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी, वर्धा	1991-92	वर्धा	91	30
35.	जवाहरलाल नेहरू शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नान्देड़	1991-92	औरंगा	96	30
36.	महिला सेवा समाज, अमरावती	1991-92	अमरावती	104	25
	योग :			2690	(22) 486

अनुमानित लागत	संस्वीकृत की गई अनुदान राशि	जारी की गई अनुदान राशि	टिप्पणी
7	8	9	10
14,44,304	10,83,227	9,74,905	निर्माण-अधीन
24,79,775	15,58,235	14,02,411	निर्माण-अधीन
28,97,523	21,73,142	19,55,838	" "
28,32,484	21,24,363	19,11,920	निर्माण अधीन
14,56,814	10,92,610	9,83,348	निर्माण अधीन
14,21,300	10,65,975	7,19,532	निर्माण अधीन
17,44,315	13,08,235	11,77,408	निर्माण अधीन
28,12,341	21,09,255	9,49,164	निर्माण अधीन

7	8	9	10
20,31,000	15,23,250	13,70,924	निर्माण अधीन
5,26,258	4,02,188	3,61,068	निर्माण अधीन
5,78,390	4,33,792	2,92,808	-तदैव-
18,08,000	13,55,995	12,26,775	-तदैव-
7,32,881	5,49,660	4,94,692	-तदैव-
32,13,192	24,09,894	21,68,904	-तदैव-
16,73,757	12,55,317	8,47,338	-सदैव-
20,43,120	15,32,340	13,39,104	-तदैव-
26,00,229	19,50,171	4,38,788	-तदैव-
28,13,824	21,10,368	18,99,152	-तदैव-
19,26,723	14,37,542	12,03,784	-तदैव-
38,67,920	29,00,940	26,10,944	-तदैव-
17,08,389	12,36,512	6,05,605	-तदैव-
7,94,990	5,96,242	4,02,462	-तदैव-
10,08,893	7,56,670	1,70,250	-तदैव-
27,68,848	20,75,880	4,67,073	-तदैव-

7	8	9	10
23,32,363	17,49,372	15,74,344	निर्माणाधीन
31,94,445	23,95,833	5,39,062	-तदैव-
6,16,560	4,16,176	3,12,132	-तदैव-
19,10,497	14,32,872	3,22,306	-तदैव-
19,59,575	14,69,000	1,61,490	-तदैव-
19,63,260	14,72,445	3,31,300	-तदैव-
41,02,395	30,76,796	6,92,279	-तदैव-
5,63,594	4,22,696	95,106	-तदैव-
11,66,310	8,74,732	1,96,814	-तदैव-
29,73,386	22,30,039	5,01,759	-तदैव-
32,92,513	24,69,384	5,55,611	तदैव-
28,79,797	21,59,848	4,85,965	-तदैव-
7,41,49,949	5,52,10,896	3,23,33,256	

आंगनवाडी कर्मचारियों के वेतन

1126. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आंगनवाडियों में कार्यरत कर्मचारियों और उनके सह-कर्मियों की मांग के अनुसार उनके वेतनों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को किसी गैर-सरकारों संस्था के हाथ में सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना के अन्तर्गत आंगनवाडी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से लिए गए स्वयंसेवी, अंशकालिक कार्यकर्ता होते हैं। उनसे प्रतिदिन चार घण्टे आंगनवाड़ी में कार्य करने और आधा घण्टा घरों का दौरा करने की आशा की जाती है। उनके अनुभव और शिक्षा स्तर के आधार पर फिलहाल उन्हें 275 रुपए प्रति माह से 325 रुपए प्रतिमाह की रेंज में एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। सरकार मानदेय की दरों में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) कार्यक्रम के मूल आधार सामुदायिक सहभागिता की अवधारणा के अनुरूप आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं के संचालन में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

कलवा-नेरुल-बेलापुर और मानखुर्द-न्यू मुम्बई क्षेत्र

1127. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलवा-नेरुल-बेलापुर और मानखुर्द-न्यू मुम्बई के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन लाइनों पर स्थानीय यात्री गाड़ियां कब से चलाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी और यातायात के लिए खोल दी जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) (i) कालवा-तुर्भे-जुइनगर माल यातायात के लिए एक साईडिंग है जिसका सिडको के लिए निक्षेप कार्य के रूप में निर्माण किया जा रहा है। साईडिंग का कालवा से तुर्भे तक का भाग पूरा कर लिया गया है और तुर्भे-जुइनगर भाग में निर्माण कार्य चल रहा है। कालवा-तुर्भे-जुइनगर माल साईडिंग होने के कारण इस पर यात्री यातायात के संचलन की कोई योजना नहीं है।

(ii) जुइनगर-नेरुल-बेलापुर खण्ड मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन परियोजना का भाग है जिसे दैनिक यात्री यातायात के लिए 1992 में खोले जाने की सम्भावना है ।

डेहरी रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

1128. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के दौंड-मनमड रेल लाइन पर स्थित डेहरी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर तैनात नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारी कब तक तैनात कर दिए जाएंगे;

(ग) क्या यहां पर सारे स्टेशनों के लिए टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं और इस स्टेशन पर माल चढ़ाने तथा उतारने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो वहां ये सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) डेहरी एक हाल्ट स्टेशन है, किसी हाल्ट स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तैनात करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) और (घ) डेहरी हाल्ट स्टेशन पर दौंड-मनमाड खण्ड के सभी स्टेशनों के लिए टिकट उपलब्ध हैं, लदान तथा उतराई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि इन सुविधाओं की व्यवस्था करना अर्थक्षम नहीं है ।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान कम्पनी और डाई टेक कार्बन इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रदूषण

1129. **श्री राम निहोर राय** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अन्तर्गत रेणुकूट स्थान में स्थित हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कम्पनी और हाई टेक कार्बन इण्डस्ट्रीज ने दिसम्बर, 1991 तक प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र लगा लिया था; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत उन पर कितना जुर्माना किया गया ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) हिन्दुस्तान एलूमीनियम कम्पनी ने अपनी स्मैल्टर प्लाप/पाट कक्षों में एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने की कार्रवाई प्रारम्भ की है । इस संयंत्र की अन्य इकाइयों में प्रदूषण नियन्त्रण के उपयुक्त उपकरण लगे हैं ।

हाई टैक कार्बन इण्डस्ट्रीज ने वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण के लिए अपेक्षित प्रणालियां स्थापित की हैं ।

(ख) उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने मानकों के अनुपालन के इरादे का स्पष्ट प्रमाण दिया है ।

पढ़ने की आदत में कमी

1130. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पढ़ने की आदत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने तथा पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए 'पुस्तकालय दिवस' मनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास-बंगलौर रेल लाइन को दोहरा करना

1131. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और बंगलौर के बीच बनाई गई दोहरी रेल लाइन कुल कितनी लम्बी है;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त रेल लाइन के शेष भाग को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मद्रास सैंट्रल और बैंगलूरु सीटी के बीच की दूरी 358 कि० मी० है और इसमें से 277 कि० मी० में दोहरी लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है ।

(ख) और (ग) 1992-93 के बजट में, कुप्पम और व्हाइटफील्ड (81 कि० मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया गया है ।

दुबरी-गुवाहाटी रेल सेवा फिर से शुरू करना

1132. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुबरी-गुवाहाटी रेल सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अप्रैल, 1992 के दौरान इस

गाड़ी को पुनः चलाए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते की असम राज्य सरकार से सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति मिल जाए ।

नई रेल परियोजनायें

1133. **श्री अम्मा जोशी :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान शुरू की गई रेल परियोजनाओं के जोन-वार नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का कार्य किस-किस वर्ष तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इन पर कितनी-कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान शुरू की गयी 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की मुख्य परियोजनाओं की जोन-वार सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	पूरा किये जाने का सम्भावित वर्ष	लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
अन्य रेलवे			
	—कोई नहीं—		
पूर्व रेलवे			
	1. फतुआ-माल गाड़ी टर्मिनल सुविधाएं	1994	10.44
	2. झाझा-बड़ी लाइन के 60 रेल इंजनों को खड़ा करने के लिये डीजल शेड	1992-93 में झाझा-पटना मुगलसराय के प्रस्तावित विद्युतीकरण के कारण इसे छोड़ दिया गया है।	15.76
उत्तर रेलवे			
	1. दिल्ली क्षेत्र (नई दिल्ली) अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाएं, नए यात्री प्लेटफार्म आदि (चरण-I)	1994	24.22

1	2	3	4
	2. मुगलसराय-इलाहाबाद-कंट्रोल केबल का बदलाव	1994	16.20
	3 लखनऊ (चारबाग) चारबाग शेडों का आधुनिकीकरण (चरण-III)	1994	10.49
पूर्वोत्तर रेलवे			
	1. गोरखपुर-कटिहार-सूक्ष्मतरंग रेडियों का अंकीय सूक्ष्मतरंग उपस्कर से बदलाव	1993	17.24
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे			
	—कोई नहीं—		
दक्षिण रेलवे			
	1. अरकोणम-बालाजाह रोड-स्वचल सिगनल व्यवस्था (चरण-I)	1994	12.87
	2. पालघाट-इरोड-दासमपट्टी-सूक्ष्मतरंग प्रणाली का बदलाव	1995	14.82
दक्षिण मध्य रेलवे			
	1. कृष्णा-येरमेरस दोहरीकरण	1994	15.53
	2. कोमगी-मटमारी	1994	22.46
	3. विजयवाडा-अरकोणम-7 डी 6 क्लैस्ट्रान सूक्ष्म-तरंग उपस्कर का अंकीय उपस्कर से बदलाव	1994	18.69

1	2	3	4
दक्षिण पूर्व रेलवे			
	1. बिलासपुर और अकलतारा के बीच तीसरी लाइन	1994	35.91
	2. तालचेर-हिंडोल रोड नई लाइन	1994	29.25
	3. शालीमार-कोचिंग-टर्मिनल-विभाग इस्पात संयंत्र के लिए बाह्य रेल सुविधाएं (चरण-II)	1994	23.73
	4. बिलासपुर-अनूपपुर-कटनी और अनूपपुर-मनेंद्रगढ़ में सूक्ष्मतरंग प्रणाली	1995	15.60
	5. अंगुल-50 रेल इंजन ब०ला० डीजल शेड	1995	16.00
पश्चिम रेलवे			
	—कोई नहीं—		
रेल विद्युतीकरण			
	1. गुमिया-पतरातू पूर्व रेलवे	1995	17.86
	2. दिल्ली-अम्बाला कैंट-लुधियाना उत्तर रेलवे	1995	136.95
	3. बोकारो स्टील सिटी मुरी-हटिरा-बंडामुन्डा-बिमलगढ़-किरीबुरू/बरसुआ दक्षिण-पूर्व रेलवे	1996	113.02

समेकित बाल विकास योजनाएं

1134. **श्री अम्मा जोशी :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान समेकित बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य-वार इन लक्ष्यों की कितनी पूर्ति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान समेकित बाल परियोजनाओं के संदर्भ में लक्ष्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार हैं । प्रत्येक राज्य में सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं :

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	लक्ष्य	
		1990-91 के दौरान	1991-92 के दौरान
1.	आंध्र प्रदेश	13	29
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	11
3.	असम	1	6
4.	बिहार	26	43
5.	गोआ	1	0
6.	गुजरात	0	19
7.	हरियाणा	2	10
8.	हिमाचल प्रदेश	2	9
9.	जम्मू और कश्मीर	2	15
10.	कर्नाटक	14	28
11.	केरल	5	6
12.	मध्य प्रदेश	31	48
13.	महाराष्ट्र	17	33

1	2	3	4
14.	मणिपुर	3	4
15.	मेघालय	4	6
16.	मिजोरम	3	3
17.	नागालैंड	3	4
18.	उड़ीसा	21	29
19.	पंजाब	5	12
20.	राजस्थान	0	26
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	13	33
23.	त्रिपुरा	1	3
24.	उत्तर प्रदेश	28	83
25.	वैस्ट बंगाल	14	36

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों की खोज के लिए संस्थान

1135. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जड़ी-बूटियों की खोज और इनके सत्वों से औषधियों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कोई संस्थान कार्य कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के चमोली जिले में, जो उद्योग-विहीन जिला है, ऐसा संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के अधीन भारतीय आयुर्वेद औषध अनुसंधान संस्थान ताड़ीखेत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले में कार्यरत है। यह संस्थान तीन स्थानों अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी जिलों को कवर करता है। अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ यह संस्थान उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों के औषध वानस्पतिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में मोहान स्थित इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों का निर्माण कर रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के पास उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में किसी संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परती भूमि का उपयोग

1136. **श्री राजवीर सिंह** :

श्री पवन कुमार बंसल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़कों और रेलवे लाइनों के दोनों ओर की परती भूमि का विकास तथा उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए भूमिहीन ग्रामीण निर्धनों को इस प्रकार की परती भूमि का पट्टा देने की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश भर में चलाए जा रहे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों और रेल लाइनों के किनारे परती भूमि पर वृक्षारोपण कार्यकलाप बराबर चलाया जाता है।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकार राज्य स्तर पर भूमि पट्टे पर देती है अथवा आबंटित करती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी से एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

1137. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी से देश के अन्य भागों के लिए कितनी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलती हैं;

(ख) ये रेलगाड़ियां किन-किन स्थानों को जोड़ती हैं; और

(ग) कन्याकुमारी से चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दो जोड़ी गाड़ियां।

(ख) ये गाड़ियां बंबई (महाराष्ट्र) तथा जम्मू तवी (जम्मू और कश्मीर) और मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न स्टेशनों को जोड़ती हैं।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में लेवी चीनी क्षेत्र का विस्तार

1138. **श्री शंकरराव दे० काले** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार से लेवी चीनी क्षेत्रों का विस्तार करने तथा चीनी के लेवी मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) महाराष्ट्र में लेवी मूल्य निर्धारण के लिए नए उप-क्षेत्र बनाने संबंधी मामले को अप्रैल, 1989 में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी०आई०सी०पी०) को भेजा गया था जो चीनी उद्योग की लागत संरचना की जांच करता है। बी०आई०सी०पी० की नवम्बर, 90 में प्रस्तुत रिपोर्ट में और उप-क्षेत्र बनाने की सिफारिश नहीं की गई थी। तदनुसार इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई थी।

काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जानवरों की सुरक्षा

1139. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री गुरुदास कामत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 दिसम्बर, 1991 के दैनिक समाचार पत्र "द हिन्दू" में "पोचर्स किल 17 राइनोज इन काजीरंगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) 1990, 1991 और 1992 के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में कितने गैंडे और हिरन हैं; और

(घ) इस पार्क में जानवरों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सींगों के लिए गैंडों के चोरी-छिपे शिकार और बार-बार बाढ़ आने के कारण असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण और सुरक्षा की गम्भीर समस्या बनी हुई है। असम के मुख्य वन्य-जीव वार्डन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान 10-12-91 तक इस क्षेत्र में 19 गैंडों का चोरी छिपे शिकार किया गया जिनमें उद्यान के बाहर मारे गये 4 गैंडे भी शामिल हैं। उद्यान के सुरक्षा कर्मकारी चोरी-छिपे शिकार के उक्त मामलों में से 8 सींगों का पता लगाने में सफल हुए।

(ग) असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा यह सूचना दी गई है कि मार्च, 1991 में की गई गणना के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2995 हिरण और 1129 से अधिक गैंडे थे। वर्ष 1990 या 1992 में ऐसी कोई गणना नहीं की गई। तथापि 1990 में उद्यान में गैंडों की संख्या 1250 होने का अनुमान था।

(घ) उद्यान में वन्यजीवों के परिक्षण और सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) चोरी-छिपे शिकार-रोधी उपायों में वृद्धि की गई है जिनमें शस्त्रों, बेतार-सेटें, वाहनों, नावों आदि से सज्जित अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति करना शामिल है।

(2) भारत सरकार सातवीं योजना में शुरू की गई "अप्सम में गैंडों का संरक्षण" नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत चोरी-छिपे शिकार-रोधी उपायों को मजबूत करने तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और असम के जिन अन्य क्षेत्रों में गैंडे पाए जाते हैं उनकी प्रभावी सुरक्षा और विकास के लिए असम सरकार को वित्तीय सहायता दे रही है। इस स्कीम के तहत चोरी-छिपे शिकार करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन की एक प्रणाली भी शुरू की गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों को बाढ़ से बचाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(3) इस उद्यान में पाए जाने वाली गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंस, स्वाम्प डीयर, हुलाक गिब्बन आदि जैसी बहुत सी संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इस प्रकार उन्हें यथासंभव अधिकतम कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार करने और उद्यान में किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने के लिए कड़ा दण्ड देने के वास्ते इस अधिनियम को संशोधित भी किया गया है।

(4) "वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियन्त्रण" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बाहर वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के वास्ते असम राज्य सरकार को सहायता दी जाती है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध हैं।

(5) भारत वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस) का एक पक्षकार है जिसके तहत गैंडा, बाघ, हाथी आदि जैसे संकटापन्न जानवरों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है।

एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता

1140. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में रेलवे के विकास, विशेषरूप से वहन क्षमता में वृद्धि करने तथा उत्तर रेलवे और नई दिल्ली और कलकत्ता मार्ग पर कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण मंजूर किया गया है और उससे वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एशियायी विकास बैंक ने निम्नलिखित कार्यों के लिए हाल ही में 225 मिलियन डालर का ऋण अनुमोदित किया है :

(1) लाइन क्षमता का विस्तार :

(i) पूर्व रेलवे पर पतरातू-सोननगर खंड का विद्युतीकरण।

(ii) पूर्व रेलवे के सोननगर-मुगलसराय खंड पर विद्युतीकृत तीसरी लाइन का निर्माण,

(2) 5000 उच्च क्षमता ब०ला० बोगी माल डिब्बों (बी०ओ०एक्स०एन०) की खरीद।

(3) बिजली रेल इंजनों के लिए यूनिट एक्सचेंज पुर्जों की खरीद।

(ग) मानक शर्तों पर यह ऋण भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) को दिया गया है ।

ललितपुर-सिंगरौली लाइन

1141. कुमारी उमा भारती : क्या रेल मन्त्री ललितपुर-सिंगरौली लाइन के बारे में 17 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य किस तिथि को शुरू किया था; और

(ख) अब तक कराए गए सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण अप्रैल, 1990 में शुरू किया गया है और 1992-93 के दौरान इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

देश में संस्कृत विद्यालय

1142. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में स्थापित किए गए संस्कृत विश्वविद्यालयों/कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना खर्च किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्कृत विश्वविद्यालयों (सम विश्वविद्यालयों/कालेजों विद्यापीठों) की स्थापना की गई है :—

सम विश्वविद्यालय

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली ।
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति ।
   (राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के संघटक निकाय)

विद्यापीठ

1. गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
3. श्री सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, पुरी (उड़ीसा)
4. श्री रणबीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
5. गुरुवायुर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, (केरल)

6. केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जयपुर (राजस्थान)

7. राजीव गांधी केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, श्रृंगेरी (कर्नाटक)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर किया गया व्यय निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए)

1988-89	1989-90	1990-91
231.49	285.99	390.36

उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो के लिए बजट

1143. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्यूरो द्वारा उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) ब्यूरो द्वारा प्राप्त उपलब्धियों और शुरू किए गए मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शब्दकोशों और विश्वकोष को तैयार करने और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद करने की परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) तरक्की ब्यूरो के सम्बन्ध में वास्तविक व्यय सहित पिछले 3 सालों के लिए किए गए बजट आबंटन और चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजट आबंटन से सम्बन्धित विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों, उपलब्धियों, शब्दकोशों, उर्दू विश्वकोष के संकलन और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के अनुवाद में हुई प्रगति को विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्दू तरक्की ब्यूरो को किया गया बजट आवंटन और वास्तविक व्यय निम्नलिखित है

(लाखों रुपए में)

क्रमांक	वर्ष	आवंटन	व्यय
1.	1988-89	81.60	88.50
2.	1989-90	84.50	72.93
3.	1990-91	87.50	75.49
4.	1991-92	112.00	57.98

विवरण-II

उर्दू तरक्की ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम

ब्यूरो के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(i) प्रकाशन और उर्दू भाषा की तरक्की से सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना के तहत अनुरक्षण और तरक्की सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए 14 ख्याति प्राप्त संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ब्यूरो द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के पांच सेमिनारों का आयोजन किया गया।

(ii) उर्दू की पुस्तकों का प्रकाशन

अब तक ज्ञान के विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 650 शीर्षक (जिसमें पुनर्मुद्रण को शामिल है) प्रकाशित किए गए हैं।

(iii) उर्दू सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र

देश के विभिन्न भागों में 39 उर्दू सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र संस्वीकृत किए गये हैं। इस योजना के तहत अब तक 3200 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) पुस्तकों की बिक्री

अब तक 53,74,551/ रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची जा चुकी है।

(v) शब्दकोश और उर्दू विश्वकोश

(क) 12 खंडों में उर्दू विश्वकोश का संकलन किया जा चुका है। प्रथम 2 खंड, जिनमें मुख्य लेख हैं, प्रेस के लिए तैयार हैं। इन्हें एक खंड में प्रकाशित किया जाना है। तीसरे और चौथे खंड भी एक ही खंड में प्रकाशित किये जाने हैं, प्रूफ रीडिंग के स्तर पर है।

(ख) 5 खंडों में अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश को संकलित किया गया है। प्रथम खंड को कम्पोज कर लिया गया है और यह मुद्रण के लिये तैयार है। दूसरे खंड पर कार्य जारी है।

(ग) उर्दू से उर्दू शब्दकोश के एक खंड की पांडुलिपि तैयार है।

(घ) मुख्तसर उर्दू लुगात को एक खंड में संकलित किया गया है और इसे प्रकाशित किया गया है।

(ङ) ब्यूरो ने विश्वविद्यालय स्तर के अध्ययनों से सम्बन्धित 71 पुस्तकों का अनुवाद किया है तथा इन्हें मुद्रित किया है। ब्यूरो ने अनुवाद की गयी चार पांडुलिपियों को प्राप्त किया है जो मुद्रण के लिए तैयार हैं।

आद्रा-मिदनापुर सेक्शन का विद्युतीकरण

1144. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे के आद्रा-मिदनापुर सेक्शन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आद्रा-मिदनापुर खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं-व्यावहारिकता अध्ययन के आदेश दे दिये गये हैं। लेकिन अन्तिम निर्णय अध्ययन के परिणामों के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता और उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

आंध्र प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

1145 **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय राज्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार से 11 करोड़ रुपये आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) + 2 स्तर पर सैकेण्डरी शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1990-91 तक 2356.86 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गयी।

1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने 521 नए व्यावसायिक अनुभागों और 2191.87 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के अनुमोदन का अनुरोध किया। केन्द्र सरकार ने राज्य में अब तक 501 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने और 1010.23 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल परीक्षा के सम्बन्ध में शिकायतें

1147. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मेडिकल परीक्षा में छात्रों को मिले प्राप्तांकों के सम्बन्ध मे धांधली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुछ छात्रों, जो 1991 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा कालेज द्वारा आयोजित एम० बी० बी० एस० (प्रथम व्यावसायिक) परीक्षा में बैठे थे, के अंकों के साथ तथाकथित फेर बदल के सम्बन्ध में 7-12-1991 को एक स्थानीय

समाचार पत्र में एक समाचार छपा था। बाद में, विश्वविद्यालय को एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था जिसमें इस प्रकार के आरोप थे। विश्वविद्यालय इस मामले की जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली में एड्स की आशंका

1148. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एड्स स्केयर इन गुरुतेग बहादुर हास्पिटल, डाक्टरी एजीटेड ओवर लैब लैप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इन मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारावेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार उक्त समाचार मद से अवगत है।

(ख) गुरु तेग बहादुर अस्पताल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, रोगी (श्री गमीन अठारह वर्षीय युवक) को कोई भी एच०आई०वी० पाजिटिव रक्त नहीं दिया गया। रोगी की मां ने आपरेशन के समय रक्त दान किया था तथा नित्यचर्यानुसार उसका एच० आई० वी० संक्रमण के लिए परीक्षण किया गया जिसे पाजिटिव पाया गया था। उस रक्त को हटाकर भस्मीकरण के लिए भेज दिया गया था।

रोगी गमीन ने तीन अलग-अलग निगेटिव रक्तदाताओं से तीन यूनिट रक्त प्राप्त हुआ। रोगी की एच०आई०वी० परीक्षण के लिए जांच की गई जिसे निगेटिव पाया गया। इसलिए आपरेशन के दौरान सम्भावित एड्स वायरस के संक्रमण से अस्पताल के कर्मचारी अवगत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, इस मामले में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रक्त बैंक की ओर से कोई खामी नहीं थी।

जहां तक एड्स किटों में प्रयुक्त रासायनिक वस्तुओं/अभिकर्मकों के तस्करी करने का सम्बन्ध है, अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। भस्मीकरण हेतु रखे गए अभिकर्मकों की चोरी हो गई थी किन्तु अपराधी को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा गिरफ्त में लेकर पुलिस प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों में पशु चिकित्सालय

1149. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों में पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के नाम क्या है, जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान पशु चिकित्सालय की सुविधा प्रदान की गई है और इन पर प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन्यजीवन प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें

1150. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ वन्यजीवन संरक्षण अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्षेत्रवार ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को लागू करना और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों का है। देश में 413 अभयारण्य और 73 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देश में वन्यजीव प्रबन्धकों की संख्या हजारों में होगी। सम्पूर्ण देश के वन्यजीव पदाधिकारियों के बारे में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके बारे में सूचना के केन्द्रीकृत मिलान की कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त शिकायतों की सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र जांच की जाए, उपाय किए जा रहे हैं। जहां ऐसी शिकायतें केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती हैं उन्हें सम्बन्धित राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डनों की जांच और अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के लिए, यदि वे दोषी पाये जाते हैं, भेज दिया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में समस्याओं और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में भी राज्यों के वानिकी और वन्यजीव विभागों के अध्यक्षों से बातचीत की जाती है।

साथ ही सार्वजनिक सम्बन्ध सुधार तकनीकों सहित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिये जाने पर भी जोर दिया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व पुस्तक मेला, दिल्ली

1151. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राजधानी में आयोजित विश्व पुस्तक मेले की उपलब्धियों का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला;

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं में और अधिक पुस्तकें छापने के लिए प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) सुप्रसिद्ध पुस्तकों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि दसवां नई दिल्ली पुस्तक मेला बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने वालों और आगन्तुकों को आकर्षित करने में पर्याप्त रूप में सफल रहा।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशकों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रादेशिक भाषाओं में और अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करता है :—

(i) बच्चों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रकाशकों, लेखकों और चित्रकारों को सहायता प्रदान करने की योजना;

(ii) नव-साक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रकाशकों, लेखकों और चित्रकारों को सहायता प्रदान करने की योजना;

(iii) पुस्तकों के आर्थिक सहायता प्राप्त प्रकाशन की योजना, जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रकाशकों और लेखकों को सहायता प्रदान की जाती है;

(iv) अनुवाद के लिए अनुशंसित पुस्तकों की सूची का प्रकाशन; और

(v) बच्चों के लिए चुनिंदा भारतीय पुस्तकों की सूची का प्रकाशन।

(घ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारतीय भाषाओं की विशिष्ट रचनात्मक कृतियों का अंग्रेजी और हिंदी तथा 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद सहित विभिन्न विषयों से सम्बन्धित लोकप्रिय पुस्तकों को प्रकाशित करता है। न्यास बच्चों, नव-साक्षरों और उच्चतर शिक्षा के लिए इस शर्त पर पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है कि इन्हें विभिन्न प्रकाशन श्रृंखलाओं के अन्तर्गत उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाये।

लक्षद्वीप में खेलकूद के लिए वित्तीय सहायता

1152. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी छात्र जो खेलों में दक्ष हैं तथा 17 वर्ष से कम हैं, वे भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही "राज्य प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के पात्र हैं। प्रतिवर्ष 2700/- रु०

और 1800/- रु० की क्रमशः 1200 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां तथा 2095 राज्य/संघ शासित छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

तथापि इस योजना के अन्तर्गत अब तक कोई भी लक्षद्वीप का छात्र यह सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

चण्डीगढ़ एक्सप्रेस को रद्द किया जाना

1153. **श्री मनफूल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लालगढ़ और चण्डीगढ़ के बीच चलने वाली चण्डीगढ़ एक्सप्रेस रेलगाड़ी संख्या 4587/88 को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लालगढ़ से स्वेतगढ़ और भटिंडा से होकर चलने वाली चण्डीगढ़ एक्सप्रेस में दिल्ली जाने वाले यात्रियों के जिन डिब्बों को पहले जोड़ा जाता था उन्हें अब नहीं जोड़ा जाता है; और

(घ) क्या उक्त डिब्बों को अब भटिंडा में उद्यान आभा गाड़ी से जोड़ा जा रहा है और ये डिब्बे छः घंटे तक वहीं खड़े रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा होती है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण।

(ग) और (घ) जी, हां।

[अनुवाद]

सिक्किम को लेवी चीनी का आबंटन

1154. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम को प्रति माह कितनी-कितनी मात्रा में लेवी चीनी आबंटित की जाती है;

(ख) क्या यह आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार किया जाता है;

(ग) क्या सिक्किम सरकार ने अपनी मांग का औचित्य बताते हुए लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अनुरोध पर कोई कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ख) 1-10-86 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए चीनी को 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर इस समय सिक्किम के लिए लेवी चीनी का मासिक आबंटन 165 मी० टन है। इसके अतिरिक्त अगस्त, 1991 से मार्च, 1992 तक के लिए लेवी चीनी के मासिक आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि करने की

अनुमति दी गई है। तदनुसार सिक्किम को प्रत्येक मास 8 टन की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) लेवी चीनी की वर्तमान सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य के लेवी आबंटन को और बढ़ाना सम्भव नहीं है।

आयोडीन रहित नमक की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध

1155. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नमक को आयोडीन-कृत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों को आयोडीन रहित नमक की बिक्री और वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस बारे में इनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) विशेषकर से पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में आयोडीन नमक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के कार्य में प्रगति कितनी हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क), से (ग) केन्द्र सरकार खाद्य प्रयोजन के लिए आयोडीकृत नमक से भिन्न नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को कुछ समय से कह रही है। निम्नलिखित राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने पूरे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है :—

राज्य

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू व कश्मीर
7. मध्य प्रदेश
8. मणिपुर
9. मेघालय
10. मिजोरम
11. नागालैंड

12. पंजाब
13. सिक्किम
14. त्रिपुरा
15. उत्तर प्रदेश

संघ राज्य क्षेत्र

1. चंडीगढ़
2. दिल्ली
3. दादरा और नगर हवेली
4. दमण और दीव

हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा शेष राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को उनके सम्बन्धित राज्यों में तत्काल प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

उसी तरह के पत्र सचिव (स्वास्थ्य) के स्तर पर शेष संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों को भी लिखे गए हैं।

केरल को राशन के चावल का कोटा

1156. **श्री पी० सी० थामस** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केरल राज्य को चावल का कितना कोटा दिया गया, तत्सम्बन्धी माहवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या चावल के मूल्य में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या केरल सरकार ने राशन के चावल की मूल्य वृद्धि से राज्य को मुक्त रखने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए राज्य को कोई सहायता दिए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान (मार्च, 1991 से फरवरी, 1992 तक) केरल राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 17.75 लाख मीटरी टन चावल का आबंटन किया गया है। मास-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(हजार मीटरी टन में)

मार्च, 91	142.5	सितम्बर, 91	150.0
अप्रैल, 91	142.5	अक्तूबर, 91	150.0
मई, 91	142.5	नवम्बर, 91	150.0
जून, 91	142.5	दिसम्बर, 91	150.0
जुलाई, 91	142.5	जनवरी, 92	150.0
अगस्त, 91	162.5*	फरवरी, 92	150.0

* इसमें ओणम के लिए 20,000 मीटरी टन का आबंटन शामिल है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए जाने वाले चावल की सभी किस्मों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 28-12-1991 से 88/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य देश भर में एक-समान हैं। केरल सरकार ने मूल्यों में वृद्धि करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और वृद्धि को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। चूंकि केन्द्रीय निर्गम मूल्य देश भर में एक-समान होते हैं, इसलिए केरल के मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

(घ) जी, नहीं।

केरल को खाद्यान्नों की सप्लाई

1157. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जून से दिसम्बर 1991 तक महीने-वार कितनी मात्रा में चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों की मांग की;

(ख) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इनकी कितनी मात्रा स्वीकृत की; और

(ग) इस अवधि के दौरान वास्तव में कितना खाद्यान्न जारी किया गया ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) केरल के सम्बन्ध में जून-दिसम्बर, 1991 के महीनों के लिए चावल और गेहूं की मांग, आबंटन और उठान की स्थिति नीचे दी गई है :—

(हजार मीटरी टन में)

मास	चावल			गेहूं		
	मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान
जून	160.0	142.5	140.7	30.0	30.0	28.0
जुलाई	160.0	142.5	145.6	30.0	30.0	29.8
अगस्त	160.0	162.5*	191.7	30.0	30.0	30.3
सितम्बर	160.0	150.0	135.6	30.0	30.0	29.4
अक्तूबर	160.0	150.0	146.6	30.0	30.0	30.1
नवम्बर	236.7	150.0	155.7	50.0	30.0	30.7
दिसम्बर	236.7	150.0	149.5	50.0	27.0	25.9

*इसमें ओणम त्यौहार के लिए 20,000 मीटरी टन का आबंटन शामिल है।

गेहूं, चावल और चीनी के मूल्यों में वृद्धि

1158. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** :

श्री नीतिश कुमार :

श्री सुधीर गिरि : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं, चावल और चीनी के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में प्रतिकिलो निर्गम मूल्य कितना है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सारी राजसहायता वापस ले ली गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे कुल बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) देश भर में एक समान होता है। 28-12-1991 से गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 2.34 रुपये से बढ़ाकर 2.80 रुपए प्रति किलो साधारण चावल का 2.89 रुपए से बढ़ाकर 3.77 रुपये प्रति किलो, बढ़िया चावल का 3.49 रुपये से बढ़ाकर 4.97 रुपए प्रति किलो और उत्तम किस्मों के चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 3.70 रुपये से बढ़ाकर 4.58 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है।

21-1-1992 से लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 6.10 रुपए से बढ़ाकर 6.90 रुपये प्रतिकिलो कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गेहूं, चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और लेवी चीनी के खुदरा मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि के कारण खाद्य राजसहायता में वास्तविक बचत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्टाक के वास्तविक उठान पर निर्भर करेगी।

कर्नाटक को चावल, गेहूं और चीनी के बढ़े हुए कोटे की सप्लाई

1159. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल, गेहूं और चीनी की प्रतिमाह कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1991 के दौरान चावल, गेहूं और चीनी की महीनेवार कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गयी;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक के लिये चावल, गेहूं और चीनी के कोटे में वृद्धि की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991 के दौरान कर्नाटक के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और चीनी की मांग, आबंटन और उठान की स्थिति बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	चावल			गेहूं			चीनी
	मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान	
जनवरी	75.0	45.0	4.24	50.0	40.0	24.2	लेवी चीनी का आबंटन राज्य सरकारों/संघ
फरवरी	75.0	48.0	45.7	50.0	45.0	44.3	शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर
मार्च	75.0	48.0	45.4	50·0	45.0	41.5	नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश राज्यों/
अप्रैल	75.0	48.0	37.3	50.0	45.0	35.9	संघ शासित प्रदेशों को आबंटन 1-10-1986
मई	75.0	48.0	46.6	50.0	45.0	40.5	की स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के
जून	75.0	48.0	44.4	50.0	40.0	40.2	किए कम से कम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति
जुलाई	75.0	48.0	46.1	50.0	40.0	40.1	मास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-
अगस्त	75.0	56.0	54.4	50.0	40.0	34.0	समान मानदण्डों के आधार पर किया जाता
सितम्बर	75.0	56.0	53.6	50.0	40.0	37.3	है। कर्नाटक को प्रति मास 17769 मीटरी
अक्तूबर	75.0	56.0	62.6	50.0	40.0	44.0	टन लेवी चीनी का आबंटन किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
नवम्बर	75.0	56.0	54.9	50.0	40.0	39.4	इसके अलावा, 1991 के दौरान त्योहार कोटा के रूप में 5380 मीटरी टन चीनी का आबंटन किया गया था। सरकार ने अगस्त, 1991 से मार्च, 1992 तक 5% की तदर्थ वृद्धि करने की भी इजाजत दी है और तदनुसार अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक कर्नाटक को प्रति मास 888 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की गई थी।
दिसम्बर	75.0	45.0	43.1	50.0	36 0	34.9	
जोड़ :	900.0	602.0	576.5	600.0	496.0	456.3	

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बन्द करना

1160. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करने के कारण 500 औद्योगिक एककों और 17 प्रमुख क्षेत्रों को नोटिस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने 900 ऐसे एककों की सूची तैयार की है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने एककों ने नोटिस के उत्तर दे दिए हैं;

(घ) उनके अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और इन एककों को बन्द करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 17 प्रमुख क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली 3094 बड़ी और मझौली इकाइयां हैं, जिनमें 150 इकाइयों ने निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को दोषी इकाइयों को नोटिस जारी करने की सलाह दी गई है।

(ङ) 1. कोई ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 को अथवा इससे पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने विनिर्दिष्ट मानकों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने का, सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31-12-93 तक पूरा करेगा।

(2) ऐसा कोई उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 के बाद किन्तु 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने विनिर्दिष्ट मानकों को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने का संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है; वह इन मानकों को अधिकतम 31-12-92 तक पूरा करेगा।

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

1161. **डा० राजागोपालन श्रीधरन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु में चन्दन की लकड़ी की तस्करी बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या इन राज्यों की सरकारों ने चन्दन की लकड़ी के तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष दल चलाने के लिये केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1990-91 के दौरान इन राज्यों को केन्द्र सरकार ने क्या सहायता दी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में चन्दन की लकड़ी की तस्करी में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) इन राज्यों ने भारत सरकार से ऐसी कोई सहायता नहीं मांगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों को विशिष्ट रूप से चन्दन की लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए क्रमश: 20 लाख रुपये और 40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

कीटनाशकों द्वारा प्रदूषण

1162. **डा० रवि मल्लू** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशकों के कारण जल और भूमि प्रदूषण में असाधारण वृद्धि हो रही है;

(ख) 1960, 1970, 1980 और 1990 में कुल कितनी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया और कितनी मात्रा में स्वदेश में ही निर्माण किया;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दर्शाये गये वर्षों में आयातित और स्वदेशी कीटनाशकों की अनुमानित वार्षिक बिक्री कितनी-कितनी थी;

(घ) क्या कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों के प्रयोग के कारण खाद्य सन्दूषण; जल सन्दूषण; विषाक्तता के कारण जन हानि तथा भूमि की उर्वरकता और मधुमक्खियों और केंचुओं आदि को होने वाली हानि का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) कीटनाशकों से होने वाले प्रदूषण के कारण देश में जल और भूमि को पर्याप्त क्षति पहुंचने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि थोड़े बहुत सन्दूषण की रिपोर्टें अवश्य मिली हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग 27 स्थानों से पानी के नमूने इकट्ठे करके गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की नवम्बर 1986 से मासिक आधार पर नियमित निगरानी शुरू की गई है। 12 प्रमुख कीटनाशकों और उनके उपापचयों/सभाव्यवों के अवशिष्टों का पता लगाने के लिए जल के नमूनों को विश्लेषण किया गया है। अब तक प्राप्त विश्लेषणात्मक आंकड़ों से विभिन्नता की किसी निश्चित पद्धति का पता नहीं चला है। कीटनाशकों के अवशिष्टों की देश की तट रेखा के साथ-साथ 173 केन्द्रों में तलछटों में भी निगरानी रखी जाती है।

(ख) और (ग) पादप संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, देश में कीटनाशकों की खपत के सम्बन्ध में सूचना समेकित करता रहा है। जहां तक देश में आयातित और देशी रूप से उत्पादित

कीटनाशकों की बिक्री का सम्बन्ध है, इसे कीटनाशकों की खपत के संबंध में निम्नलिखित आंकड़ों के समान माना जाये। अतः, सम्बन्धित वर्षों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(मी० ट० तक ग्रेड)

वर्ष	खपत	आयात
1960-61	8,620	उपलब्ध नहीं
1970-71	24,320	उपलब्ध नहीं
1980-81	45,000	2,486
1990-91	75,000	1,094

(घ) चूंकि कीटनाशक विषाक्त होते हैं, इसलिए उनके दुरुपयोग से खतरा पैदा हो सकता है। जाने अथवा अनजाने में कीटनाशकों से विष फैलने के मामले, जिनमें लोगों की मृत्यु के मामले भी शामिल हैं, के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों से सूचना मिलती रहती है। पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1988-89 से 1990-91 तक के दौरान, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारों ने कीटनाशकों से विष फैलने के 3000 से भी अधिक मामलों की सूचना दी है। विभिन्न पीड़क जन्तुओं में कीटनाशकों के प्रतिरोध के कारण मानव हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह समझा जाता है कि कीटनाशकों के कारण विष फैलने के मामलों में खाद्य विषाक्तता/संदूषण के मामले भी शामिल हैं। फिर भी, नाशीकीट अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, खाद्यान्नों में कीटनाशकों को मिलाने पर प्रतिबन्ध का उपबन्ध है, जिससे खाद्यान्नों में कीटनाशक संदूषण की प्रक्रिया से कानूनी रूप से बचा जा सकता है। कीटनाशकों से होने वाले प्रदूषण के कारण देश में जल को कोई अधिक हानि पहुंचने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि थोड़े बहुत संदूषण की सूचना अवश्य मिली है। कीटनाशकों के कारण मृदा उर्वरता को होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए कोई नियमित अध्ययन नहीं किये जाते, लेकिन केंचुओं में कुछ कीटनाशकों को विषाक्त बताया गया है। फसली पौधों के परागण में मधुमक्खियों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, नाशीकीट अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत इस प्रकार के अध्ययन को कीटनाशियों के लिए पंजीकरण अपेक्षा का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बना दिया गया है।

(ङ) कीटनाशकों के प्रयोग/दुरुपयोग के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को रोकने के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। केवल ऐसे कीटनाशकों के देश में प्रयोग के लिए पंजीकरण की अनुमति दी जाती है, जो मनुष्य, पशु और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। सरकार के एक्सटेन्शन अधिकारी और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियां कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण प्रयोग के लिये किसानों को प्रशिक्षित करती हैं। एक निवारक उपाय के रूप में, बहुत से अत्यन्त विषाक्त कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अथवा उन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है। कीटनाशकों पर अति-निर्भरता को कम/न्यूनतम करने के लिये सरकार ने समन्वित पीड़क जन्तु प्रबन्ध दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा, पीड़क जन्तुओं और बीमारियों के आर्थिक द्वार स्तर पर कीटनाशकों के आवश्यकता पर आधारित अनुप्रयोग शामिल हैं। पीड़क जन्तुओं के नियन्त्रण की इस संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें

संवर्धनात्मक, यांत्रिक और जैविक उपायों का प्रयोग शामिल है और जिसमें कीटनाशकों का आवश्यकता पड़ने पर केवल सीमित प्रयोग किया जाता है।

भारत-वेनेजुएला सांस्कृतिक समझौता, 1984

1163. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-वेनेजुएला सांस्कृतिक समझौता, 1984 की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कृषि, तेल प्रौद्योगिकी और जैव-औषध के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई पहल की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 13-9-84 को हस्ताक्षरित भारत-वेनेजुएला सांस्कृतिक करार में कला, साहित्य, शिक्षा, इतिहास, खेल-कूद के क्षेत्रों में तथा अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विषय में बेहतर पारस्परिक सद्भावना की प्रोन्नति की व्यवस्था है।

(ख) वेनेजुएला के साथ सांस्कृतिक विनिमयों का एक कार्यकारी कार्यक्रम सम्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते क्योंकि इन क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग सांस्कृतिक करार के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुम्बई के रेल प्रवासियों पर बड़ा क्रूर हमला हुआ है। देश में एक करोड़ यात्रि रोज प्रवास करते हैं और उसमें से 50 लाख मुम्बई में प्रवास करते हैं। अब जो रेल किराए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है उसके कारण मुम्बई में जन आन्दोलन शुरू हुआ है और 27 तारीख से सारी गाड़ियां ठप्प हुई हैं। गाड़ियां चल नहीं रही हैं। सरकार की संवेदना शून्यता के कारण, सरकार क्या करना चाहती है, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो रहा है। वहां के मुख्यमन्त्री ने भी यह मांग की है। रेल किराए का जो प्रस्ताव है वह बहुत भयानक है, लोगों पर हमला करने वाला है, तीन साल में मोर देन डबल—दो गुणा से अधिक इस प्रकार का हमला हुआ है।

इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री इसमें इन्टरवीन—हस्तक्षेप करें। यदि इन्टरवेंशन नहीं होती है तो मुम्बई बोलकैनी—ज्वालामुखी पर है और कभी भी वहां का जीवन ध्वस्त हो सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि मुम्बई के रेल किराए के बारे में प्रधानमन्त्री मुम्बई के सांसदों को विश्वास में लें और जो किराया वृद्धि प्रस्तावित है उसे वापिस लें। साथ ही साथ मुम्बई के लिए 2 हजार करोड़ प्रोजेक्टस हैं उनके बारे में फैसला करें। यह मेरी मांग है। इस बारे में प्रधानमन्त्री निवेदन करें।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : हम इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद, जो विवादास्पद स्थल है उसमें ए० डी० एम० के निर्णय के अनुसार रिसीवर जमना प्रसाद नियुक्त किए गए थे 1988 में। उसके पश्चात उन्होंने वहां पर पुजारियों की नियुक्ति की थी। रिसीवर की मृत्यु 20 फरवरी, 1992 को हो गयी। उसके बाद डी० एम० को चार्ज दिया गया। डी० एम० को इन्टरिम अरेंजमेंट के लिए चार्ज दिया गया था। डी० एम० ने विश्व हिन्दू परिषद के अनुसार काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डी० एम को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा डी० एम० आया। उस पर दबाव डाला। वह छुट्टी लेकर चला गया। ए० डी० एम० ने पुजारी बदल दिया जिसका अधिकार उनको नहीं था। अध्यक्ष महोदय, वहां विवादास्पद स्थल पर अनिश्चितता फैल गयी है। जिस ढांचे को अदालत ने स्टे दिया हुआ है, जिसको तोड़ने का इरादा शुरू से विश्व हिन्दू परिषद कर रहा, उन्हीं के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह ढांचा सौंप दिया। उसकी सुरक्षा किस प्रकार होगी ? जो तोड़ना चाहते हैं उन्हीं को सौंप दिया गया है। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर साहब से कि तत्काल इस बारे में रोक लगाएं। वह न्यायालय में न जा पाए उसके लिए रविवार को निर्णय किया गया। ए० डी० एम० को अधिकार नहीं था। रविवार को आदेश दिया गया, सोमवार को शिवरात्रि थी। उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी इस पर अपना बयान दें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं जोकि 27 जनवरी से जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सत्र के सम्मुख था। सत्र जारी है और यह संकल्प सत्र के सम्मुख है। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, क्या आप श्री लाल कृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया से भी अवगत होना चाहेंगे ? हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह स्पष्ट है कि वे उत्तर-प्रदेश विधान सभा के अपने साथियों पर विश्वास नहीं करते हैं। स्पष्ट है, वे उसे यहां उठाना चाहते हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश विधान सभा से सम्बन्धित है। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : यह भारत सरकार से भी सम्बन्धित है। भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को अनेक बार यहां उठाया है। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उत्तर प्रदेश विधान सभा में हमारे साथी स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। यह बहुत ही ज्वलन्त विषय है। गृह मन्त्री को तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। उसी वजह से अहिंसात्मक तथा साम्प्रदायिक टकराव उत्पन्न होते है। अब भा० ज० पा० सरकार मकबरे को गिराने की कोशिश कर रही है। न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्तिजी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप खड़े क्यों हो रहे हैं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी निर्मल कान्ति जी कह रहे हैं, वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : काश कि विदेश मन्त्री सभा में उपस्थित होते ताकि हम उनसे ही पूछते कि संक्षेप में इस संकल्प पर भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है जिसे 23 भिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पहली बार, एक औपचारिक संकल्प संयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार आयोग के सामने आया है जिसने चीन से अपील की है कि वे तिब्बत में मानव-अधिकारों और मौलिक अधिकारों का आदर करें। चीन भी विश्व मानव अधिकार चार्टर का हस्ताक्षरकर्त्ता है, जैसे कि हम हैं और इसलिए, हमारी तरह उनको भी चिन्ता होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है जिसमें विदेश नीति की कुछ आवश्यकताओं के बारे में मैं समझ सकता हूं। लेकिन यहां यह स्थिति है जहां हमें अपनी बचन-बद्धता, देश के हित के साथ मानव अधिकारों के प्रति परम्परागत बचनवद्धता का सामंजस्य स्थापित के करना होगा। उन्हें क्या चाहिए ? मैं समझता हूं, हमारी प्रक्रिया में चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की हमारी कोशिश, जिसका कि मेरा दल स्वागत करता है, यदि हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं तो हम किसी नुकसान में नहीं रहेंगे।

लेकिन जैसाकि मैं भारत में रह रहे तिब्बत समुदाय के कुछ लोगों से सुन रहा हूं कि सरकार इस संकल्प का विरोध करने पर विचार कर रही है, यदि ऐसा हुआ तो हम निश्चय ही बहुत बड़ा नुकसान उठायेंगे। यह बिल्कुल गलत होगा। यहां तक कि मैं उस स्थिति की कल्पना कर सकता हूं जहां भारत मतदान से परहेज करता है लेकिन निश्चय ही हम संकल्प का विरोध नहीं कर सकते। इस विशेष मामले के सम्बन्ध में मेरा अपना तर्क यह होगा कि हमें इस संकल्प का समर्थन करना चाहिए जिसमें सामान्यतः चीन गणराज्य सरकार को कहा गया है कि वे तिब्बतियों की मौलिक स्वतन्त्रता और मानव अधिकार सुनिश्चित करने के उपाय करे। यदि चीन भी इसका समर्थन करे तो इसमें कोई आपति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें विचार करना होगा कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए। यदि सरकार अपने आपको इसे समर्थन देने की स्थिति में नहीं पाती है तो कम से कम उसे मतदान में भाग नहीं लेना चाहिए। यही मेरा तर्क है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मानव अधिकारों का प्रश्न, जिसके बारे में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी बताया है, को अनावश्यक रूप से नहीं जोड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री निर्मल कान्ति जी को उनका वक्तव्य सही तरीके से प्रतिपादित करने की अनुमति दे रहा हूं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है, कि आपको कोई हैरानी नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मानवाधिकारों का प्रश्न जैसाकि चीन और भारत दोनों द्वारा कहा गया है, पूर्णत: देश का आन्तरिक मामला है। पश्चिम के अधिक विकसित देशों ने हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया है, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में अनेक घटनाओं के घटित हो जाने के पश्चात पश्चिम के देशों ने विकासशील देशों के आन्तरिक मामलों में दखल देना आरम्भ कर दिया है। ऐसे प्रश्नों के आगे न झुकना हमारी सरकार की समझदारी होगी जबकि वे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाते हैं। यह कहा गया है कि मानवाधिकार का प्रश्न स्थान-स्थान पर भिन्न होता है। दक्षिण अफ्रीका मे यह एक तरह का है। संयुक्त राज्य अमरीका में यह भिन्न तरह का है। सभी जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका में अश्वेतों के साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है। लेकिन वे ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते और चीन अथवा भारत के मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से विदेशी समझते हैं। इसलिए मैं बहुत दृढ़ता से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे देश की आन्तरिक स्थितियों में पश्चिम के उन्नत देशों के हस्तक्षेप के विरुद्ध एक ठोस निर्णय लें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं अपने मित्र और साथी श्री निर्मल कुमार चटर्जी जी की राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि तिब्बत का जो मामला है, वह भारत की अपनी आजादी और अपनी सीमाओं से भी सम्बन्धित मामला है। भारत सरकार का सदैव यह रवैया रहा है कि दुनिया के किसी भी देश के भीतर यदि मानवाधिकारों की हत्या होती हैं तो पहली आवाज भारत की ओर से उठनी चाहिए, यह भारत का संकल्प रहा है लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमारे पड़ोस में, जिससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा सम्बन्धित है, एक पड़ौसी देश मानवाधिकारों की खुले रूप से अवज्ञा कर रहा है और दुनिया के देशों में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है लेकिन भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को नजरअन्दाज करते हुए उसमें स्वर मिलाने से भी कतरा रहा है, ऐसा मेरा भारत सरकार के ऊपर इल्जाम है।

श्रीमन्, मैं भारत और चीन के बीच में किसी भी सन्धि के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच में अच्छे और मधुर सम्बन्ध बने रहें लेकिन जहां तक, तिब्बत का सवाल है, भारत और चीन की सीमा कभी मिली नहीं जबकि भारत और तिब्बत की सीमा मिलती रही है और तिब्बत एक विचार के अनुसार भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट रहा है और बफर स्टेट रहा है, ऐसा भारत के अन्दर एक विचार रहा है इसलिए यदि वहां मानवाधिकारों की हत्या होती है तो भारत को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, मैं यह निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, संकल्प के विषय से यह स्पष्ट है कि जो देश इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहते हैं वे स्वयं भी इस बात से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वे मानवाधिकार आयोग में

इस प्रश्न को उठाकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं। चीन से तिब्बतियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने की अपील है। लेकिन फिर भी, वह क्या ठोस प्रश्न है जिसे वे उठाना चाहते हैं? वहां मानव अधिकारों का किस तरह हनन हो रहा है? यह स्पष्ट नहीं है और वास्तव में हमारे देश द्वारा इस तरह से किसी भी संकल्प को समर्थन नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से तो कुछ देशों का गुट बन सकता है जोकि भारत के बारे में प्रश्न खड़े कर सकते हैं संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में अनेक प्रश्न खड़े कर सकते हैं यह कह कर कि हम संयुक्त राज्य अमरीका से रैड इण्डियन्स के मानवाधिकारों को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है और यह किसी ठोस मामले पर आधारित होना चाहिए।

एक अन्य बात यह है। हमें इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए कि इस बहुप्रयोजनीय तरीके से विश्व के कुछ देश तीसरी दुनिया के देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ेगा और देश के हित को अपने दिमाग में रखना चाहिए।

यह बहुत आवश्यक है कि एशिया के देशों में, अपने पड़ौस में, हमें सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए जोकि अन्य देशों द्वारा किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए बहुत आवश्यक है जो कि हमारे देश और हमारे पड़ौसी देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सदैव किन्हीं भी मानवाधिकार सम्बन्धी परिस्थितियों का समर्थन करते हैं, बशर्ते कि वही प्रश्न उठाया गया हो। प्रत्येक को इस अधिकार का लाभ उठाने का हक है और इस बारे में कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मुख्यतया किसी भी देश के लोग अपने लिए उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। कोई भी देश, कोई भी सरकार अपने लोगों के मानवाधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है यदि ऐसा हुआ तो वे पूरे विश्व की आलोचना का सामना करेंगे। लेकिन इस तरह से अचानक और अस्पष्ट रूप से, वे किसी भी परिस्थिति के लिए सहायक नहीं हैं। हमें इस तरह के संकल्प को समर्थन देने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि हमारे कुछ मित्र मानवीय अधिकार के सवाल को तिब्बत में जिस तरीके से चीन के द्वारा मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको जिस तरह से जिनेवा में लाया जाता है तो उसका भारत को समर्थन करना चाहिए लेकिन हाऊस में हमारे कुछ मित्र इसका विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह कह देना चाहता हूं कि 1965 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत में चीन के द्वारा होने वाले मानवीय अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं नहीं जानता कि सरकार के सामने इस तरह का क्या कारण हो गया कि तिब्बत के लोगों के ऊपर चीन की ओर से जो जैनोसाइट हो रहा है और तिब्बत में जो न्यूक्लियर वेस्ट को डम्प किया जाता है, जब यह दोनों चीजें हम लोगों के समक्ष हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार जिस तरीके से, जैसी आडवाणी जी खबर दे रहे हैं, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है।

[हिन्दी]

उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय, जिस तरह से चीन के पक्ष में दलील देने की जो शंका है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार ऐसी घिनौनी चीज न करे कि चीन की तरफ से वहां मानव-

अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत सरकार समर्थन करे। यह दुनिया के सामने भारत की मर्यादा और मानवाधिकारों के प्रति भारतवासियों की जो निष्ठा है उस पर जबर्दस्त हमला होगा। इसलिए तिब्बत के लोगों के प्रति हमारा विशेष कर्त्तव्य है और वहां अगर मानवाधिकारों का हनन किया जाता है तो उस पर भारत सरकार को बहुत लगन के साथ तिब्बत वासियों के साथ होना चाहिए और मानवाधिकारों के हनन का विरोध करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अन्य सहयोगियों विशेषकर विपक्ष नेता श्री आडवाणी जी और श्री रवि राय के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह विदित ही है कि भारत सरकार की तिब्बत के बारे में यह नीति रही है कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है: यह चीन का अभिन्न अंग है। अतः भारत सरकार की ओर से इस मामले को उठाने का कोई भी प्रयास न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह चीन का आन्तरिक मामला है।

यदि इस समस्या को अपने देश के सन्दर्भ में देखें तो हमारे समक्ष जम्मू और कश्मीर की समस्या है। पश्चिमी एजेंसियां सारे विश्व में यह प्रचार कर रही है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा हमने सुना है। हमने कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों विशेषकर ऐमनिस्टि इन्टरनेशनल को कश्मीर में अपने एवं स्वतन्त्र जांच-पड़ताल करने से रोका है। हम सब मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं। लेकिन मानव अधिकारों के हनन को विशेष परिस्थिति, विश्व के विशेष भाग और देश के विशेष भाग के सन्दर्भ में देखना चाहिए।

हमारे सरकार की ये नीति रही है कि मानव अधिकारों को सहायता देने के मुद्दे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहां, इस मामले में तिब्बत में मानव अधिकारों का प्रश्न उठाना। प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य एवं मित्र राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के समान ही होगा। हमारा देश चीन और भारत के सम्बन्धों में सुधार लाना चाहता है। चीन के प्रधानमन्त्री की, हमारे देश की यात्रा के दौरान सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की गई थी कि चीन के प्रधानमन्त्री श्री ली पेन्ग, तिब्बत के प्रतिनिधियों से इस शर्त पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि वे स्वतन्त्रता और चीन गणराज्य से सम्बन्ध विच्छेद की मांग न करें।

भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुई इस तरह की स्थिति को देखते हुए मैं सोचता हूं कि जैसा-कि विपक्ष नेता ने भी सूचित किया था, कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आनन्द अहिरवार (सागर) : मध्य प्रदेश के सागर जिले में लगातार चार-पांच दिनों से पेट्रोल डीजल किसी भी पेट्रोल पम्प से नहीं दिया जा रहा है। जिससे सागर की जनता को विकराल समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। सारे के सारे वे कार्य जो डीजल-पेट्रोल पर आश्रित थे, ठप पड़े हुए हैं। जिससे लोगों का जनजीवन अस्तव्यस्त है। पेट्रोल और डीजल बजट के पूर्व बजट के कारण से पम्पवालों ने और जहां इसके प्रदेश में डिपों हैं, वहां स्टाक कर लिया। अकारण समस्याग्रस्त बनाकर काला बाजारी इनकी हो रही है।

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि माननीय पेट्रोलियम मन्त्री शीघ्र ही बरती जा रही लापरवाही, कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए जांच के आदेश कर 15 दिवस में इसकी जानकारी मांगने की कृपा करके दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए।

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपनी अनुमति से शून्यकाल में, बिहार में पिछले दिनों 12 फरकरी को जो खून की होली खेली गयी थी और दरिंदगी का नंगा नाच वहां पर हुआ था, की तरफ ध्यान सदन का आकर्षित करना चाहती हूं। बिहार में स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है और किसी भी समय यहां जातीय उन्माद विस्फोटक हो सकता हैं, संघर्ष छिड़ सकता है।

पिछली 12 फरवरी को बिहार के गया जिला के बारा गांव में जिस तरह से तीन हजार एन०-सी० सी० के समर्थक लोगों ने गांव को घेरकर आगजनी की, खेत-खलिहानों को लूटा, आग लगाई, पैट्रोल बम को फोड़े और जिस तरह से घिनौने तरीके से जाति पूछ-पूछकर भूमिहार जाति के लोगों का गला काटकर मारा—जैसे कि आदमी न हों, कोई मुर्गी काट रहा हो, इस तरह से उन लोगों की जान ली गयी। क्या यह आज के सभ्य समाज के चेहरे पर कलंक नहीं है? क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या सिर्फ एक यही जातीय उन्माद नहीं है और जातीय प्रतिहिंसा की भावना नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय, इस खून की होली में कितने आदमी मरे और क्यों हुआ, इससे जरूरी सवाल यह है कि यह नर-संहार किसने करवाया? एक कि० मी० की दूरी पर पुलिस चौकी थी लेकिन चार घण्टे तक उन लोगों ने गांव की कोई सुध नहीं ली। उन लोगों ने अपराधियों को निकल जाने का मौका दिया। इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था। बिहार सरकार की पुलिस के खुले संरक्षण में यह सब भड़काया जा रहा है। मैं इसकी तरफ पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बिहार एक बड़ा "स्लम" हो जायेगा जहां अलग-अलग गली पर अलग अलग जाति के लोगों की सेना होती है और यह सेना आपस में लड़ती रहेगी। स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो चुकी है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री मनोरंजन भक्त ही बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जिस तरह की वहां स्थिति है, इससे बिहार सरकार को डिसमिस करना चाहिए···(**व्यवधान**)

मैं बिहार के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार को डिसमिस करना चाहिये। यह हमारी मांग है। बिहार में जो आज हो रहा है, होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें। बिहार में लालू प्रसाद की सरकार को डिसमिस करना चाहिए···(**व्यवधान**)

बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया, जिस तरह से वहां जुल्म हुआ, हमारे एम० सी० को इलेक्शन के अन्दर मार दिया गया और अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। श्री ईश्वर चौधरी इस सदन के सदस्य थे जिनकी इन लोगों ने हत्या की है और आज तक पता नहीं लगाया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप, माननीय सदस्य, मुझसे यह कहते रहे हैं कि सभा में राज्य से सम्बन्धित विषय को नहीं उठाना चाहिए। इसलिए जब राज्य से सम्बन्धित विषय को उठाया जाता है, हमें कौतुहलता से इसका उल्लेख कर, अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। इसके विपरीत यदि इस चर्चा पर आगे बहस करेंगे तो इससे सभा का अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको गृह मंत्रालय की मांगों में भी इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो रक्तपात हुआ है उसके बारे में··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी, ये दो धार की तलवार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे काल किया है···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बिहार की स्थिति जो है। वह लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति मात्र नहीं रही है और मैं नहीं जानता हूं कि वहां के राज्यपाल ने क्या स्पिोर्ट केन्द्र के पास भेजी है लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे लोग कहते हैं कि राज्यपाल ने जो रिपोर्ट भेजी है···**(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश में भी देखिए क्या हो रहा है। तराई क्षेत्रों में क्या हालत हो रही है? **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि साधारणतः प्रदेश के मामले यहां पर नहीं उठाने चाहिए, लेकिन अगर स्वयं राज्यपाल ने इस प्रकार का आशय प्रकट किया है जिसके आधार पर हमारे सदस्यों की यह मांग है कि केन्द्र को वहां पर इन्टरवीन करना चाहिए, यह जस्टिफाइंग है, तब यह मामला यहां पर उठ सकता है। मैं नहीं जानता हूं, इतना जानता हूं कि दो महीनों में अनेक ऐसे प्रकरण वहां पर होते रहे हैं कि जिसमें जाति-युद्ध एक प्रकार से छेड़ दिया गया है, खासकर हरिजनों के ऊपर जैसे अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, उन्हीं के कारण यह हो रहा है। ईश्वर चौधरी, जो हमारे इस सदन के सदस्य थे और वहां के प्रमुख नेता थे, उनकी वहां हत्या हुई उसी क्षेत्र में, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं। इसी लिए केन्द्र का इंटरवेन्शन जस्टिफाइड है। इसी कारण इस प्रकार का प्रसंग यहां पर उठता है, अन्यथा नहीं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी, आपको हर बार खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक अवसर, एक अच्छा अवसर दिया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक नरसंहार के बारे में माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, इस देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा इस प्रकार के नरसंहार की निन्दा न करे। हम सब इस नरसंहार से प्रभावित हैं, लेकिन हमारा विरोध इस बात पर है कि इस प्रकार की हिंसा का फायदा हम दलीय राजनीति में करने लगते है।···(**व्यवधान**)···इनकी बात हमने सुनी है, इनमें इतना पेशेन्स होना चाहिए कि हम लोगों की बात को भी सुनें। बारा में जो कुछ भी हुआ, हमें ऐतराज है ऐसी बातों पर जो यहां कही गई हैं। आपने ठीक कहा कि स्टेट सबजेक्ट है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बार-बार चर्चा करते हैं। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। चर्चा हो जाए बिहार पर, चाहे किसी भी राज्य सरकार पर। अगर चर्चा की इजाजत दी जाए तो हमें ऐतराज नहीं है। ठीक से चर्चा हो जाए, हम उससे नहीं भागते। लेकिन सवाल यह है कि बारा में जो कुछ हुआ, उसके सम्बन्ध में जो यहां बातें कीं, चर्चा की···, बारा में और लोग मारे जाते अगर वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती। पुलिस वहां पहुंची और उसने और लोगों की जान जाने से रोका। वहां की पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए, वहां की सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए और दूसरी बात जो इन्होंने कही है, बारा नरसंहार के सवाल पर या वहां इसके पहले जो नरसंहार हुआ, जिसके रिटैलियेशन में ये हुआ, अभी विपक्ष के नेता आडवाणी जी ने और खुराना जी ने भी कहा कि वहां की सरकार को बरखास्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह तय कर देना चाहिए कि इतने लोग मारे जाएंगे, एम० आई० सी० में भी यह तय हो जाए कि इतने लोग मारे जाएंगे तो वहां की राज्य सरकार को बरखास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए जहां रोज बंमे हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, पिछले 5 से 25 वर्षों तक 'ओ० एन० जी० सी०' में काम कर रहे लगभग 1,100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कलकत्ता में 11 कर्मचारी भूख-हड़ताल कर रहे हैं। उनमें से 5 की हालत बहुत गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में पेट्रोलियम मन्त्री एक बयान दे। पश्चिम बंगाल में इन 1,100 ओ० एन० जी० सी० कर्मचारियों को कैसे निकाल दिया गया ? यह एक बहुत गम्भीर विषय है। सरकार को इस सन्दर्भ में एक बयान देना चाहिए।

भूख हड़ताल कर रहे 11 कर्मचारियों में से 5 को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी हालत बहुत गम्भीर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की गई है। मैं सरकार से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाह) : मैं श्री मनोरंजन भक्त के कथन का समर्थन करता हूं। मैं चाहता

हूं कि भारत सरकार को, निकाल दिए गये कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में अपना बयान देना चाहिए। (व्यवधान) मैं माननीय मन्त्री जी से बयान चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, जैसा कि आप जानते हैं कि कालाहन्डी, उड़ीसा का एक गरीब जिला है। उडीसा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक सेवा मुक्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपार्ट से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में भी भूख के कारण मौतें हुई थी। उस रिपोर्ट से कालाहन्डी में पहले भूख के कारण हुई मौतों का स्पष्ट उल्लेख है। इस रिपोर्ट के बावजूद, स्थिति में सुधार नहीं हुई है। बल्कि स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि रोजगार के अवसर भी नहीं रह गए। इस कारण गरीब जनता देश के अन्य भागों में पलायन कर रही है।··· ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वल्लभ पाणिग्राही : जवाहर रोजगार योजना का आधार हिस्सा अभी भी जिले को दिया जाना है। शेष···(व्यवधान)···उड़ीसा सरकार इस विषय में कठोरता से पेश आ रही है। अतः मैं सरकार से 'अडाप्ट' ए० डी० ए० पी० टी० योजना को पुनः प्रारम्भ करने का अनुरोध करता हूं जोकि राजीव गांधी सरकार के समय, वहां पर चल रही थी और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि भूख के कारण हुई मौतों और वहां के जनता की समस्याओं को जानने के लिए इस सदन की एक समिति नियुक्त करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अभी लीडर आफ द अपोजीशन, आडवाणी जी, यदि नहीं उठते तो मुझे उठने की आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसको बाद में उठा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, मैं उसे सम्बन्ध में नहीं उठा रहा हूं, मैं दूसरे सम्बन्ध में चर्चा कर रहा हूं। जिस मानवीय प्रश्न की ओर अभी सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, वह वास्तव में बहुत गम्भीर मामला है और सदन ने यदि उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो मैं संसद सदस्य की हैसियत से कहना चाहता हूं कि वह देश की एकता और अखण्डता के लिए भी सही नहीं है।

आज से 6 महीने पहले, 6 अगस्त को घटना है, आपको मालूम है कि त्सुन्दूर में 22 दलितों की हत्या कर दी गयी थी। हत्या के बाद, हम सभी संसद सदस्य वहां गए और इस सदन में आपने 16 घण्टे तक उस मामले पर चर्चा करायी। हमें इस बात का दुख है कि गृह मन्त्री जी बारा की घटना से बहुत चिन्तित हुए और वे बारा पहुंच गये, जाना भी चाहिए था, लेकिन हमें इस बात का उतना ही अफसोस है कि प्रधानमन्त्री जी का क्षेत्र रहने के बावजूद, उनका राज्य रहने के बावजूद, वे आन्ध्र-प्रदेश नहीं गये और न ही होम मिनिस्टर साहब वहां गए। आपने इस सदन में उस घटना पर 16 घन्टे का डिस्क्शन कराया। लेकिन उसके बाद भी नतीजा यह हुआ कि वहां सारे के सारे लोगों को कोर्ट ने छोड़ दिया, यह कहकर कि चार्ज शीट में किसी का नाम नहीं हैं। इस आधार पर सबको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया।

खून-खून होता है, चाहे वह एक गरीब आदमी का खून हो, चाहे किसी अमीर आदमी का खून हो, चाहे कितनी बैकवर्ड का खून हो, चाहे किसी दलित का खून हो या चाहे किसी अपर-कास्ट के

व्यक्ति का खून हो। बारा मे पहले भी, एक घटना में 10 आदमी मारे गए थे लेकिन वहां किसी को आसू बहाने या जाने की चिन्ता नहीं हुई क्योंकि वहां गरीब लोग मारे गए थे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, लोग मारे गए हैं, लेकिन चूंकि वहां भी पिछड़ी जातियों के लोग मारे गए थे, मुसलमान मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, किसी को उन पर आंसू बहाने की चिन्ता नहीं है।

मैं बारा की घटना की निन्दा करता हूं लेकिन मेरा आरोप है कि से त्सुन्दूर की घटना को लेकर सरकार ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की है। बी० जे० पी० के लोग ऐसा करते हैं तो उस पर मुझे आश्चर्य नहीं है, मैं खुराना साहब आपको कहना चाहता हूं कि आपने लालू प्रसाद यादव की सरकार की डिस-मिसल की मांग की···(**व्यवधान**)···यदि आपमें नैतिक दायित्व हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के डिसमिसल की मांग पहले करो, उसके इस्तीफे की मांग करो, क्योंकि वहां बैकवर्ड लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, दूसरी बातों में मैं जाना नहीं चाहता···(**व्यवधान**)···अध्यक्ष जी, बिहार में बारा की घटना की सी० बी० आई० से जांच कराने का आग्रह वहां की सरकार ने किया है। स्पेशल कोर्ट वहां निर्मित कर दी गयी है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि त्सुंदूर में इतनी बड़ी घटना घटी, जिसको लेकर इस हाउस में 16 घण्टे तक डिस्कशन कराया गया, लेकिन एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। यदि सरकार में नैतिक दायित्व है, तो सरकार उसका जवाब दे, नहीं तो यह सरकार, मामले को लेकर, इस्तीफा करे। (**व्यवधान**)

12.35 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 40 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1991, जो 30 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 657(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गगा। देखिए संख्या एल० टी० 1400/92]

जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि०, पोर्ट ब्लेयर एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1990-91 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या का० आ० 78(अ) जो 26 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 को 26 जनवरी, 1992 से लागू होने की तिथि नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1401/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि०, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि०, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1402/92]

(3) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) प्रदूषण को कम करने सम्बन्धी नीति विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1403/92]

नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं श्रीमती डी० के० तारा-देवी सिद्धार्थ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1406/92]

भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रेलवे रेड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 649 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेलवे रेड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 650 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1404/92]

(2) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रेल दावा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की अक्षमता के कदाचार की जांच के लिए प्रक्रिया), नियम, 1991, जो 26 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 699(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1991, जो 26 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का० नि० 700(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेल दावा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1991, जो 6 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1405/92]

12.36 म० प०

लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक*

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 3-3-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमल नाथ : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

12.36½ म० प०

लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992

अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : मैं लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादे , 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1407/92]

12.37 म० प०

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) विधेयक**

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री० एम० एम० जैकब : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.38 म० प०

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक**

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्ताव

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**दिनांक 3-3-92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

करता हूं कि प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और प्रतिभूति बाजार के विकास की अभिवृद्धि करने तथा उसे विनियमित करने के लिए बोर्ड की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और प्रतिभूति बाजार के विकास की अभिवृद्धि करने तथा उसे विनियमित करने के लिए बोर्ड की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

12.38½ म० प०

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अध्यादेश, 1992

अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1408/92]

12.39 म० प०

[अनुवाद]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले को "उद्योगविहीन" जिला घोषित करने तथा पूरे जिले में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। गुलबर्ग, कोलार और बीदर जिलों के मुकाबले चित्रदुर्ग जिले में वर्षा बहुत कम होती है। इस जिले के किसान पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं क्योंकि वहां पर सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां कोई महत्वपूर्ण रेल लाइन भी नहीं हैं। इस जिले में औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी कोई उन्नति नहीं की हुई है।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इस जिले में मध्यम श्रेणी के और बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक बार केन्द्र को अभ्यावेदन भी भेजे गए परन्तु उसका भी कोई असर नहीं हुआ है।

अतएव मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चित्रदुर्ग जिले को "उद्योगविहीन जिला" घोषित करे और जिले में उद्योगों की स्थापना करे ताकि निर्धन व्यक्तियों को कठिनाईयों से बचाया जा सके।

(दो) तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में 100 वाट का कम क्षमता वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इसकी क्षमता लगभग केबल 15 कि० मी० की दूरी तक कार्यक्रमों की प्रसारित करने की है और इस प्रकार उस क्षेत्र के आगे के क्षेत्रों के दर्शक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों को देखने से वंचित रह जाते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र इस दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर एक कि० वा० किया जाए। अनेक वैकल्पिक प्रयास भी किए जा सकते हैं, जैसे कि मद्रास दूरदर्शन के कार्यक्रमों को मद्रास के कल्पाकम स्थित ग्राउन्ड स्टेशन के माध्यम से प्रसारित किया जाये ताकि तमिलनाडु के सभी कम क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर इस कार्यक्रम को प्रसारित कर सकें जैसाकि आंध्रप्रदेश में किया जाता है। सरकार भी माइक्रो-लिंक के विस्तार के बारे में विचार कर सकती है जो कि इस समय कोडइकनाल से नागरकोइल तक के लिए है। प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटर को किसी और बेहतर स्थान पर लगाने की दिशा में भी प्रयास किये जा सकते हैं ताकि कन्याकुमारी के संपूर्ण जिलों में कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकें। नागरकोइल स्थित दूरदर्शन टावर की ऊंचाई को भी बढ़ाया जा सकता है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उचित कदम उठाएं ताकि कन्याकुमारी जिले के सभी दूरदर्शन दर्शक दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखा सकें।

(तीन) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आन्त्रशोथ के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए वहां औषधियों के साथ विशेषज्ञों का दल भेजने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में महामारी के समान आंत्रशोथ की बीमारी अनायास फैल जाती है और उसमें प्रतिवर्ष सैंकड़ों आदिवासी बेमौत मर जाते हैं। गत वर्ष इस बीमारी से दो हजार से भी अधिक लोग मर गये। इस वर्ष भी माह जनवरी, 1992 से बीजापुर ब्लाक के गंगालूर गांव से यह बीमारी उल्टी, दस्त, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर के रूप में अब तक 160 लोगों की जानें ले चुकी है और भयानक रूप से फैलती जा रही है। कई गांव इसकी चपेट में आ गये हैं और प्रतिदिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। बीमारी का जोर काबू के बाहर है और लोग भयभीत हैं और गांव छोड़कर भागने की तैयारी में हैं।

अतः केन्द्रीय शासन से अनुरोध है कि एक विशेषज्ञों की स्पेशल टीम दवाई के साथ बस्तर भेजी जाये और बेमौत मरने वाले आदिवासियों की मृत्यु को रोका जाय।

(चार) एक अलग "उत्तरांचल" राज्य का गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों को

मिलाकर एक पृथक "उत्तरांचल राज्य" के गठन के महत्व को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर काफी समय पूर्व स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी तक कोई भी कार्रवाई इसके कार्यान्वयन के लिए नहीं की गई है।

आजादी के बाद से इन पर्वतीय जनपदों का विकास उस गति से नहीं हुआ है, जिस गति से होना चाहिए था और जिस गति से देश के अन्य क्षेत्रों का हुआ है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा अपने आर्थिक, औद्योगिक विकास के लिए इस अलग राज्य की मांग लम्बे समय से की जा रही है और यह सत्य है कि पृथक "उत्तरांचल राज्य" के बनने से ही इन क्षेत्रों का विकास सम्भव है। इस पृथक राज्य के पीछे पूरे पर्वतीय क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाएं विद्यमान हैं। इसके लिए अनेकों आंदोलन, उपवास, धरने, बैठकें आदि आयोजित किए गए हैं। इन पर्वतीय जनपदों को मिलाकर प्रस्तावित राज्य का क्षेत्रफल हिमाचल राज्य से अधिक है व यहां की जनसंख्या भी लगभग उतनी ही है।

अतएव केन्द्र सरकान को इस औचित्वपूर्ण एवं लोक महत्व के विषय पर शीघ्र उचित एवं सार्थक निर्णय लेकर उत्तरांचल राज्य की घोषणा की जानी चाहिए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस सन्दर्भ में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

[अनुवाद]

(पांच) तमिलनाडु के पेरुन्दुराई और भवानी कस्बों के लिए डाक वैन सेवाएं समाप्त करने के प्रस्ताव को स्थगित करने की आवश्यकता

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिलनाडु में स्थित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पेरुन्दुराई और भवानी कस्बों में प्रातः ईरोदे स्थित मुख्य डाक घर से सारी डाक विभागीय वैन द्वारा लाई जाती है जिससे कि अविलम्ब डाक-पत्रों को छांटने के पश्चात विभाग को डाक-वितरण कार्य में मदद मिलती है। अब ऐसा पता लगा है कि डाक विभाग पेरुन्दुराई और भवानी की विभागीय वैन सेवाओं को समाप्त करने और वहां पर निजी बसों अथवा निजी ठेकेदारों के माध्यम से डाक भेजने की योजना बना रहा है। इससे निश्चित रूप से जनता की और उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए अनगित दिक्कतें उत्पन्न हो जायेंगी क्योंकि हो सकता है कि निजी ठेकेदारों के लिए विभागीय किराया आर्थिक रूप से व्यवहार्य न हो और निजी बस सेवा भी अनियमित हो सकती है। वहां के उपभोक्ता और निवासी इस प्रस्ताव के खिलाफ है। इस क्षेत्र की जनता के हित में मैं संचार मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके इस प्रस्तावित कदम को स्थगित करने के निर्देश जारी करें।

[हिन्दी]

(छः) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता

श्री रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद नगर की आबादी आठ लाख के लगभग है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है और दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है। मेरी जानकारी में सातवीं योजना के अन्दर गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के पुनः निर्माण की बात तय हुई थी, लेकिन उस पर आज तक कार्य शुरू हुआ है।

मान्यवर, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद पूरे देश में ऐसा पहला जिला होगा

जहां पर रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता है, जिससे मरीज, हृदय रोगी, बूढ़े तथा विकलांग आदि लोगों को बहुत परेशानी होती है ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण कार्य तुरन्त शुरू किया जाये, जिससे कि गाजियाबाद की जनता को राहत मिल सके ।

[हिन्दी]

(सात) उत्तरी बिहार में दरभंगा-फारबिसगंज पार्श्व सड़क को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में घोषित उत्तर बिहार के दरभगा से फारबिसगंज तक लैटरल सड़क निर्माण का कार्य जोकि योजनांतर्गत स्वीकृत है, करीब 135 कि० मी० का अधूरा पड़ा हुआ है । यह लैटरल सड़क राष्ट्रीय महत्व की सड़क है । भारत-नेपाल सीमांचल क्षेत्र की यह लैटरल सड़क न केवल पिछड़े इलाके में यातायात की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि जनहित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त ही महत्व की सड़क है ।

उपर्युक्त कार्य की सामरिक महत्व को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि दरभंगा-फारबिसगंज लैटरल सड़क के निर्माण कार्य को राष्ट्रहित में आठवीं परियोजना में सम्मिलित कर कार्य पूरा किया जाए ।

---

12 48 म० प०

[अनुवाद]

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 28 फरवरी, 1992 को श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तावित संकल्प और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी ।

मोहन सिंह अपनी बात जारी करें ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मणिपुर के बारे में वहां के राज्यपाल

[श्री मोहन सिंह]

महोदय की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ने की कृपा करें, तो वहां के राजनीतिक माहौल में उनकी सम्पूर्ण विवेचना यह है कि मणिपुर में किसी भी हालत में एक स्थायी सरकार का चलाना मुश्किल है। राज्यपाल महोदय स्वयं विवेचना तो अपनी करते हैं और जो उनकी ओर से निष्कर्ष है, वह भारत सरकार की राय है और वह राय यह है कि विधान सभा को स्थगित करके, कुछ दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहने दिया जाए। इसमें होगा यह कि कांग्रेस पार्टी और केन्द्र की सरकार मणिपुर में मेघालय का इतिहास दोहराना चाहती है। जब राज्यपाल की स्वयं की राय है कि वहां पर किसी भी स्थायी सरकार को आज की स्थिति में बनाए रखना असम्भव काम है, तो क्यों नहीं सम्पूर्ण रूप से विधान सभा भंग कर नए सिरे से जनता का अभिमत जानने की कोशिश की जाए। नई-नई परिस्थितियां, नया-नया संघर्ष केवल केन्द्र के चलते वहां पर पैदा हो रहा है। वहां पर जो पिछले चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के 24 विधायक जीत कर आये थे। उन 24 में से 14 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। फिर उन 14 में से सात लोगों ने कहा कि हम यहां की स्थानीय पार्टी यानी मणिपुर कांग्रेस पार्टी बनाना चाहते हैं। इन सात लोगों को प्रलोभन देकर कांग्रेस ने अपने भीतर वापिस लाना चाहा। इस पर वहां की विधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन्हें मैंबर स्वीकार किया जाए। अब वहां की विधान सभा के अध्यक्ष का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की पूरी सफाई करे।

वे उनको निर्दलीय सदस्य के रूप में मान्यता दें या मणिपुर कांग्रेस पार्टी के मेंबर के रूप में मान्यता दें या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर की हैसियत से उनको सदन के भीतर कार्य करने का मौका दें, केवल इतनी सफाई विधान सभा के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय से चाहते हैं। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध अदालत की मान हानि का एक नोटिस, सूचना देकर अदालत के भीतर तलब किया। एक नया संघर्ष केवल केन्द्र सरकार की अपनी राजनैतिक दखलअन्दाजी के चलते न्यायपालिका बनाम विधायिका का नया संघर्ष मणिपुर की धरती से शुरू हो रहा है।

श्रीमन, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को तत्काल वहां की विधान सभा को भंग कर फिर से चुनाव करा कर जनता के पूर्ण बहुमत से चुनी हुई नयी सरकार को वहां स्थापित कराना चाहिए और जिस तरह की दखलअन्दाजी केन्द्र की सरकार अपने राजनैतिक क्रियाकलापों को प्रवेश कराने के लिए करा रही है उसको तत्काल बन्द करना चाहिए। इतना ही आग्रह करके पहले जो मैंने बातें कहीं हैं उनको निष्कर्ष तक पहुंचा कर समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मिनिस्टर साहब ने तो सुना नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृप चालिहा बोलें। वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय सारे समय गपशप करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय एन० पाटील। वह भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो कुछ यहां पर चर्चा हुई है क्या मन्त्री जी उससे अवगत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (मिदनापुर) : इस तरफ के सदस्यों की यह शिकायत है कि इस मद से सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी यहां पर दिये जा रहे भाषणों को नहीं सुन रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं भाषण सुन रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा, तो आप सुन और बोल भी सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यही कहूंगा कि पिछले तीन-चार सप्ताह से मणिपुर की स्थिति के संबध में भारत सरकार का रवैया और व्यवहार काफी अनिष्ठावान और अवसरवादी रहा है। हमारे देश के उत्तर-पूर्व से पूरी स्थिति सरकार के मौजूदा प्रस्तावित प्रयत्नों से और बिगड़ जाएगी।

राज्यपाल की रिपोर्ट जो हमारे समक्ष यहां पर उपलब्ध है, उसमें इसी स्थिति का जिक्र किया गया है। उन्होंने जो कहा है मैं उसे उद्धृत करता हूं।

> "पिछले तीन सप्ताह से खेले जा रहे आंखमिचौनी के खेल अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है जिस राज्य के प्रशासन में काफी गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।"

इस समय यह आंखमिचौमी का कौनसा खेल है जिसका चिक्र राज्यपाल ने किया है। और यह सब करने की क्या आवश्यकता है ? कौन यह सब कर रहा है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है ?

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के पश्चात विधान सभा को बर्खास्त कर दिया गया और इतने लम्बे अर्से तक इसे निलम्बित रखा गया। यह सत्य है कि जिस समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी, उस समय भी राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि :

> "इस समय मैं विधान सभा को भंग करने के पक्ष में नहीं हूं और फिलहाल मैं विधानसभा के स्थगन के पक्ष में हूं। मैं ममझता हूं कि इस समय विधान सभा को केवल बर्खास्त करना ही उचित होगा।"

2 जनवरी को उन्होंने यह कहा था :

> "तथापि, कुछ समय तक स्थिति पर निगरानी सकने के पश्चात यदि ऐसा प्रतीत होगा कि वैध साधनों द्वारा कोई भी दल पर्याप्त रूप से बहुमत जुटाने मे समर्थ नहीं है तब उस समय विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए।"

इस समय मेरे विचार से किसी भी दल की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है और श्री जैकब मुझे बतायेंगे कि उनके अनुसार कौन सा दल उचित बहुमत हासिल कर सकेगा। पहले ही तीन-चार सप्ताह व्यतीत हो चुके हैं और कुछ भी परिणाम नहीं निकला है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इस तरह से विधान सभा को निलम्बित रखने के पीछे स्पष्ट आशय इस बीच विधायकों की खरीद-फिरोख्त को प्रोत्साहित किया जाना था मुझे यह कहते हुए खेद अनुभव हो रहा है कि इन पूर्वोत्तर राज्यों में से कुछ में यह परम्परा है। राज्यपाल महोदय ने इसका उल्लेख भी किया है, वहां जो अस्थिरता की स्थिति है, वह बहुत से विधायकों को इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण हैं जोकि या तो निष्पक्ष हो जाते हैं अथवा अनेक बार दिशा परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन विधान सभा को अभी तक निलम्बितक्यों रखा गया है? अब एक सन्दर्भ यह है कि सरकार का हमेशा से ही यह तर्क रहा कि उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए सात सदस्यों को एक आदेश के तहत अलग रख यह कहा गया है कि अध्यक्ष ने इन सदस्यों को अयोग्य ठहरा करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।

मेरी सूचना के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने 15 नवम्बर 1991 को एक विनिर्णय दिया था जोकि सात सदस्यों की अयोग्यता को समाप्त किए जाने के बारे में था। तो निर्णय का अर्थ कोई साधारण सा आदेश नहीं होता। जैकब महोदय, निर्णय कोई सामान्य आदेश नहीं होता और उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। तथ्य यह है कि आज तक, वह निर्णय कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं, स्पष्ट नहीं है शायद यह अभी तक तैयार भी नहीं हैं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। मैं वहां तक नहीं जा सकता। यदि अध्यक्ष महोदय को ऐसा कोई निर्णय भेजा ही नहीं गया तो कृपया आज हमें बतायें कि इन सात सदस्यों की स्थिति क्या है। यदि विधान-सभा में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गयी है तो इस बात का कौन निर्णय करेगा कि वे किस राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं? वे कांग्रेस से आए है। इस समय एक नया दल "मणिपुर कांग्रेस" के गठन के बारे में भी चर्चा थी। लेकिन वह मन्द पड़ गयी। क्या अब उन्हें स्वतन्त्र उम्मीदवार माना जाएगा अथवा असम्बद्ध सदस्य समझा जाएगा? या फिर वे कांग्रेस में वापिस लौट रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता। यदि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सभी तर्कों-वितर्कों सहित पेश किया जाता है तो कौन निर्णय लेगा? अन्ततः यदि वे सदन में वापिस आते हैं तो कौन इस बात का निर्णय करेगा कि सदन में उनका क्या दर्जा है और फिर वे किस राजनैतिक दल के सदस्य है? क्या वे स्वतन्त्र सदस्य रहेंगे अथवा असम्बद्ध सदस्य होंगे? इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और अध्यक्ष ने केवल इस आदेश के आधार पर ही कार्य नहीं किया। यह सत्य है। वे भी उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे है जिसका जो कि आज तक भी आकलन नहीं किया गया है अब अध्यक्ष को बुलाया गया है। मुझे पता चला है कि उच्चतम न्यायालय ने बुलवाया है, लेकिन न्यायालय का अपमान करने या अन्य किसी कार्य हेतु बुलाया गया है, इस बात का मुझे पता नहीं है। यह भी मुझे पता नहीं है कि अध्यक्ष क्या करना चाहते हैं। यदि वे इस बुलावे पर न जायें और न्यायालय में पेश न हों तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। जब कभी न्यायपालिका और विधायिका में इस तरह का विरोध पैदा हुआ है तो यही परम्परा रही है।

सदन के अध्यक्षों को न्यायालयों द्वारा कई बार बुलाया गया हैं और न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है और सदन के हर बार सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे पेश नहीं होंगे। वे पेश नहीं हो सकते और उन्हें न्यायालय के निर्णयों का विषय नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय जो करना चाहता है उसे करे। इसलिए, मुझे यह पता नहीं है कि वे पेश होने जा रहे हैं। यह उन पर ही निर्भर करता है।

वे पेश होकर अपने मामले पर दलील कर सकते हैं अथवा अन्य किसी को भी अपने मामले में दलील के लिए ले सकते हैं। यदि मैं अध्यक्ष होता, तो मैं आदरपूर्वक उन्हें यही सलाह देता कि वे पेश न होवें। उन्हें पेश नहीं होना चाहिए। हमारी विधायिका किसी तरह से भी न्यायपालिका के आदेशों के अधीन नहीं होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ।

मेरा तात्पर्य यह है कि राज्यपाल महोदय की यह विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट अध्ययन योग्य है परन्तु यह रिपोर्ट मणिपुर की स्थिति की बहुत सी रोचक बातों को उजागर करती है और उन्होंने रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मणिपुर की ताजा राजनीतिक स्थिति में, दल की वफादारी में अत्याधिक परिवर्तन का उल्लेख किया है जिसे मैंने आंख-मिचौनी का खेल कहा है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि राजनीतिक अस्थिरता स्थिति को अधिकाधिक गिरावट की ओर ले जाएगी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि इस बात की आशा करना अस्वाभाविक होगा कि मणिपुर में इतनी जल्द परिवर्तनीय और इतने कम बहुमत के साथ सरकार वहां कोई अधिक समय तक कार्य कर सकती है। मैं नहीं जानता कि श्री जैकब के पास ऐसी कौन सी योजनाएं है जिनके माध्यम से वे ऐसी सरकार की स्थापना कर सकें जोकि अस्थिर नहीं होगा और जिसके पास इतना कम बहुमत नहीं होगा। हम इस बात को समझते हैं कि विधान सभा के इस प्रकार अनिश्चित काल तक निलम्बन का लाभ उठाकर परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार की स्थापना करने, इसे पुनर्स्थापित करने के लिए तमाम सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

1.00 म० प०

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई दल या दल समूह अथवा किसी संयुक्त मोर्चे को बुलाया ही जाना है और सरकार बनाने का अवसर देना है और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते तो उनका मामला निष्फल हो जाएगा। और यदि किसी को अवसर देना ही है तो यह अवश्यतः कांग्रेस ही नहीं होनी चाहिये; यह संयुक्त मोर्चा होना चाहिए जोकि विधान सभा को भंग करने से पूर्व सत्ता में था, राष्ट्रपति शासन की घोषणा से पूर्व सत्ता में था और जोकि अब भी इस बात का दावा करता है कि वे बहुमत प्राप्त कर लेंगे। उनको बहुमत मिलता है अथवा नहीं, यह भी सदन के बीचों बीच ही निर्णित होना चाहिए। इसकी परीक्षा श्री जैकब के कार्यालय में नहीं हो सकती। इसकी परीक्षा विधान सभा के बीचोंबीच की जानी है। यदि आप ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं हैं और यदि कांग्रेस अब आगे बढ़ आते हैं और यह दावा करते हैं कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो यह भी एक प्रकार से अतार्किक और समानतः मजाक की बात होगी। जैसाकि दूसरी बात है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि यह भलिभांति जानते हुए भी कि विधान सभा को इतने लम्बे समय तक के लिए भंग करने से जोकि अभी भी जारी है, मणिपुर की समस्त स्थिति पर असर पड़ेगा, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है।

प्रो० एम० कामसन (बाह्य मणिपुर) : महोदय, कांग्रेस विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जितने भी दल परिवर्तन हुए हैं, वे सभी कांग्रेस दल से ही थे। उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। यह सत्ताधारी संयुक्त मोर्चे की ओर से नहीं थे।

सत्ताधारी मोर्चे में शामिल दो अलग-अलग दलों से सम्बन्धित लोगों ने निकाले जाने या इसी तरह की कार्रवाई पर बाद में दल छोड़ दिए, लेकिन दल बदल का मूल खेल पूरी तरह से कांग्रेस द्वारा शुरू किया था।

श्री एम० कामसन : जी नहीं। यह सत्य नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राज्यपाल ने कहा है कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली की विश्वसनीयता कायम की जाए। यह विश्वसनीयता कायम रखने का तरीका नहीं है कि कुछ बातों को अधर में लटका रहने दिया जाए और लोगो को एकत्र करने की कोशिश की जाए और इस तरह तब राज्यपाल से कहें कि अब हम बहुमत में हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है वे पूरी तरह से असफल हो रहे हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं।

आप जानते हैं कि इस समय मणिपुर में एक बहुत पुराना और लम्बे समय से की जा रही मांग पर बहुत बड़ा आन्दोलन भी चल रहा है, जो कि मणिपुरी भाषा को हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के सम्बन्ध में है। वे वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। हमने इस मामले को इस सदन में उठाया है और अनेक लोगों ने विभिन्न प्रधानमन्त्रियों के कार्यकाल के दौरान इसे उठाया है लेकिन हमेशा ही इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। अब पूरा मणिपुर आंदोलन के रास्ते पर है। सभी तरह के लोग, जिन्हें दलों से कोई सरोकार नहीं है, छात्रों और युवाओं सहित सभी वर्गों के लोग और विभिन्न दल और लोग अपनी भाषा, मणिपुरी के आम प्रश्न पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार द्वारा इस मांग पर ध्यान देने से इन्कार करने से मणिपुर के लोगों और केन्द्र के बीच रिश्तों में पहले ही काफी कटुता उत्पन्न हो गई है। इस सब के बावजूद अब आप विधान सभा और सरकार के बारे में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यपाल भी मुसीबत में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब राज्यपाल ने कहा है कि "यदि विधान सभा को केवल निलम्बित किया जाता है तो धन अथवा प्रलोभन देकर समर्थन प्राप्त करने की कोशिशें हो सकती हैं।" क्या आप यही करना चाहते हैं या मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब वे विदेशी मुद्रा से करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यही कठिनाई है तो फिर दावे के साथ या ठीक-ठीक यह बता पाना असम्भव है कि किस तरफ कितने लोग हैं वो भी तब जबकि इतना अधिक अन्तर हो। आपको सदन में सिद्ध करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब मैं कहता हूं कि अब यह इतना अनिश्चित है कि कोई भी दोनों धड़ों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा सकता है। सदन को भंग करने और

नए चुनाव कराने के आदेश देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मणिपुर के लोगों को इसका फैसला करने दो : यह उनकी विधान सभा है। यह उनकी या मेरी विधान सभा नहीं है। मणिपुर के लोगों को एक बार फिर चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाए और उन्हें फैसला करने दो कि ये किसे सत्तासीन करना चाहते हैं वे अपनी विधान सभा में किसको बहुमत देना चाहते हैं। यह एक विकृत और अलोकतांत्रिक है जो पिछले चार सप्ताह से की जा रही है और राज्यपाल को मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि यह चुकत-छुपी का खेल चल रहा है। इस लुका छुपी के खेल के लिए राज्यपाल द्वारा कहे जाने के अतिरिक्त और अभिशंसी और अभ्यारोपण और क्या हो सकता है ? अत: मेरा प्रस्ताव है कि राज्यपाल को इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए कि इस तरह के निलंबन को और अधिक समय तक बनाए रखने से उस राज्य में किसी भी तरह की राजनीतिक स्थिरता पूर्णत: खत्म हो जाएगी और इसका प्रभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ेगा।

अत: हमेशा इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता से विपत्ति में रहने वाली पूर्वोत्तर सीमा प्रदेश के हित में नहीं है। यदि इसी तरह से चलता रहा तो पूर्वोत्तर प्रदेश की सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अत: मणिपुर के लोगों को महसूस होना चाहिए कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उपयोग में लाई जा रही है और वे स्वतन्त्र रूप से अपना मत दे सकते हैं और जिन्हें वे चाहते हैं उन लोगों को सत्तासीन कर सकते हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे अपने उत्तर में यह बताएं कि सरकार का अभिप्राय: क्या है और गृह मन्त्रालय का विधान सभा को इस तरह से निलम्बित रखने का उद्देश्य क्या है जबकि वे जानते हैं कि वे ऐसा गठजोड़ नहीं दे सकते हैं जिसके पास स्पष्ट और निश्चित बहुमत हों। यह समस्या इसमें है। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। जब ऐसा होता है तो उससे निपटने का केवल एक ही तरीका होता है। आप इसे गुप्त तरीके से या षड़यन्त्रकारी तरीके से कर सकते हैं। इसे खुले और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति सरकार बनाना चाहता है और अपना दावा पेश करता है तो उसे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए। मैंने जो कहा वह इस मामले में कहा कि यूनाइटेड फ्रंट, जो कि मणिपुर में सत्तारूढ़ था उसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए था। उन्होंने अपना दावा भी पेश किया था। आप समझ सकते हैं कि उनका दावा अनुचित है। लेकिन उनसे पहले उन लोगों को सामने लाने के लिए कहा जाना चाहिए था जो कि उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे। यदि वे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, इसे इस सदन में सिद्ध नहीं कर पाते तो उन्हें जाने देना चाहिए था। दूसरे लोगों को ऐसा करने देना चाहिए था। यदि आप इन तर्कों से अभ्यस्त हो जाते तो बहुत कम बहुत या अल्पमत की शर्त हमेशा के लिए रह जाती क्योंकि लोग इधर उधर होते रहते। इससे सौ गुना बेहतर यह है कि स्थिति स्पष्ट कर ली जाए। सदन को भंग होने दो। वहां नए चुनाव होने दो। मणिपुर के लोगों को अपनी पसन्द के उम्मीदवार चुनने दो। उन्हें नई विधान सभा और नया सत्ताधारी दल चुनने दो। केवल यही एक तरीका है।

हम लोग केन्द्र में बैठे हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी है क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। हम नहीं चाहते कि मणिपुर के लोग सोचें कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस तरह के निलंबन को अधिक

लम्बा खींचने का इच्छुक और सदस्यों के दलबदल का इच्छुक है और यह सब होने देते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पर इस तरह के आरोप लगें।

अतः मैं सरकार और मन्त्री महोदय से इस तरह का खेल बन्द करने और यह देखने की अपील करता हूं कि मणिपुर के लोगों को उनके न्यायसंगत और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित न किया जाए और उन्हें उन लोगों का चुनाव करने दिया जाए जिन्हें वे चाहते हैं। अब एसा ही किया जाना चाहिए। इससे मामले सुधरेंगे। अन्यथा मणिपुर की जनता का केन्द्र से परायापन जोकि भाषा के इस मुद्दे सहित किसी भी मामले में अन्य आधारों पर भी महसूस किया जा रहा है—की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। संकट और गम्भीर हो जाएगा। हम इसमें से निकल नहीं पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लागू किया गया, उस सम्बन्ध में सदन में विचार होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि मणिपुर में एक या दो नहीं बल्कि सात पार्टियों ने मिलकर राज्य बनाया और जैसा कहा जाता है, सात मामों का भांजा भूखा ही सोता है, वह स्थिति मणिपुर में बनी है। कांग्रेस ने और जनता दल ने अपना रोल अदा किया है और राज्य में स्थिर सरकार नहीं रह सकी। मेरा निवेदन यह हैं कि हिन्दुस्तान के पूर्वी प्रदेशों चाहे मेघालय या नागालैंड हों, यदि उनमें अस्थिरता बनी रहेगी तो देश को उससे खतरा पैदा होगा।

कांग्रेस पार्टी आज केन्द्र में राज्य कर रही है। उसकी विशेष जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से जो राज्यों में गड़बड़ी हो रही है उसको रोके, पर वह नहीं रोक पा रही है। जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि में इसका रोल ठीक प्रकार का नहीं है। मैं राजस्थान के बारे में विशेषरूप से जिक्र करना चाहूंगा राजस्थान की सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही है। वहां का जो सीमा क्षेत्र है पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वह डेजर्ट एरिया है, वहां से पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आतंकवादी आते हैं, वहां पर पीने के पानी की भी समस्या है। ऐसे राज्य में बोर्डर की सुरक्षा के लिए पिछली बार यहां से कुछ रकम दी गई थी। राजस्थान सरकार ने वहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में उल्लेनीय कार्य किया। राजस्थान के बोर्डर एरिया की सुरक्षा के लिए केन्द सरकार को और रकम देनी चाहिए। हमारे मुख्यमन्त्री ने इस सम्बन्ध में बार-बार आग्रह किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने जो रकम पिछले साल दी थी उसकी डिसकंटीन्यू कर दिया। राजस्थान सरकार अपने साधनों से रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती। कुछ दिन पूर्व राजस्थान की यात्रा पर जब वर्तमान प्रधानमन्त्री जी आये थे तो उन्होंने भी कहा था कि जो बोर्डर एरिया है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, विशेषकर राजस्थान को केन्द्रीय सरकार से मदद मिलनी चाहिए। योजना आयोग में भी यह बात आई थी। देश के प्रधानमन्त्री जब ऐसा कहें कि बोर्डर और रेगिस्तानी एरिया होने के कारण राजस्थान को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए, तो वह क्यों नहीं दे रही है। सीधा प्रश्न है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह बदनाम हो, आतंकवादी आते रहें, बोर्डर की

सुरक्षा न हो। जब एक बार आपने हमें रकम दी और हमने अच्छा काम किया तो अब हमें रकम क्यों नहीं मिल रही है ! केन्द्र सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अस्थिरता बनी रहे, राजस्थान में कांग्रेस के लोग नंगी तलवार लेकर, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी भी है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप मणिपुर पर आयें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : परसराम मदेरणा जी भी हैं। मैं मणिपुर की ही बात कर रहा हूं, पूर्व के राज्यों में जो गड़बड़ी है जो बोर्डर एरिया है उसमें अनिश्चितता बनी हुई है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान जोकि बोर्डर एरिया है वहां क्या व्यवहार हो रहा है। वहां पर कांग्रेस के लोग नंगी तलवारें लेकर भैरोंसिंह जी की सरकार गिराने के लिए प्रदर्शन करते हैं, क्या यह उनको शोभा देता है। अहिंसा में विश्वास रखने वाले कांग्रेस के लोग, चींटी भी मर जाये तो उसे श्रद्धांजलि देने वाले ये लोग हमारी सरकार को गिराने के लिए नंगी तलवारों का उपयोग करके अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही व्यवहार पूर्वी राज्यों में भी विपक्षी दलों की सरकारों के साथ किया जाता है। आज मणिपुर में सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि सात मामों का भांजा हमेशा भूखा सोता है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपालों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें भी इस पर चिन्ता व्यक्त की गई, राज्यपालों के व्यवहार पर चिन्ता व्यक्त की गई और देश के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गई। मणिपुर में विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा दल-बदल विरोध कानून के बारे में जो मैंने फैसला दिया है वही मान्य होगा, दूसरा नहीं होगा। यदि कोई राज्यपाल इस प्रकार की मनमानी करे और कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तब देश का क्या होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव नहीं होना चाहिए और न ही न्यायपालिका तथा विधायिका में टकराव होना चाहिए। अगर इनमें टकराव हो गया तो फिर कहां से न्याय मिलने की बात होगी। न्याय की जो आशा है, जो न्यायपालिका है उसका इस प्रकार से अपमान हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने यह बात इसलिए कही है कि दल बदल विरोध कानून जो देश में बना हुआ है वह कानून भी स्पष्ट नहीं होने के कारण यह सारा काम हो रहा है।

इसलिए दल-बदल कानून में जो खामियां हैं, केन्द्रीय सरकार को कानून के जरिये उसे दूर करना चाहिये। मणिपुर में न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो टकराव हुआ है तथा जिसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपाल महोदयों के सम्मेलन में चिन्ता व्यक्त की है, उस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करके लोकतंत्र को नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लोकतन्त्र की बुनियाद नहीं है। इसलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी तो बहुमत में आने से रही। या तो आप विधानसभा को रैस्टोर करें क्योंकि सात पार्टियों का राज्य चलेगा नहीं। न वहां पर पंजाब या कश्मीर जैसी स्थिति है, अतः यह आवश्यक है कि विधानसभा को तत्काल भंग करके नए चुनाव कराये जायें ताकि लोकतन्त्र बहाल हो सके यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो लोकतन्त्र वहां बहाल नहीं हो सकेगा। मुझे उम्मीद है कि दल-बदल कानून में देश की

और

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और पूर्व के राज्यों में जो गड़बड़ी पैदा हो रही है, उसको रोकने के लिए और वहां की सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि खामियां दूर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर विपक्ष की जो सरकारें चल रही हैं, उनके साथ उनको आर्थिक सहायता दिलाये जाने के कारण उनकी योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार कार्रवाई करे चाहे किसी राज्य में बी०जे०पी० की सरकार हो या जनता दल की सरकार हो, उनके साथ लोकतंत्र के नाते विचार करेगी। इसलिए मेरी आपसे पुनः मांग है कि मणिपुर की विधानसभा को भंग करके वहां नये चुनाव करायें ताकि लोकतन्त्र बहाल हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर हमें मध्यान्ह भोजन के पश्चात् मिलेगा। अब, सभा 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित की जाती है।

1.17 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.18 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.18 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री एम०एम० जैकब

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धित वाद-विवाद में भाग लिया। यह एक बहुत रोचक बहस है। लगभग नौ सदस्यों ने इसमें भाग लिया और मैं उन सभी का, विशेषकर श्री इन्द्रजीत गुप्त का, उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के लिए धन्यवाद करता हूं।

13 फाल्गुन, 1913 (शक)

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव

सभा के समक्ष मेरा संकल्प मणिपुर में 7 जनवरी, 1992 से राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा का अनुमोदन करने से संबंधित है। इस माननीय सभा के किसी भी सदस्य ने, जोकि मेरे साथी हैं, इस प्रस्ताव का, जिसे मैंने यहां प्रस्तुत किया है, का विरोध नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त सहित उन सदस्यों ने एक ही बात सुझाई है--आप चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? उनमें से अधिकांश सदस्यों ने राज्यपाल द्वारा स्थिति का जायजा लेने की धारणा पर सहमति प्रकट की है। सभी इससे सहमत हैं कि वहां राजनैतिक अस्थिरता है, वहां विधायकों द्वारा दल-बदल हो रही है। मणिपुर में राजद्रोह की भावना पनप रही है, और वहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरा कार्य अब वास्तव में कम हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने पर मुझे आम समर्थन दिखाई दे रहा है।

माननीय सदस्यों में से कुछेक सदस्यों ने सुझाव दिया है, "सदन को अभी इसी वक्त आप भंग क्यों नहीं कर देते?" आमतौर पर, वे सभी पहलुओं पर राज्यपाल की धारणा से सहमत हैं। लेकिन उसी राज्यपाल ने, जिसने सभी मामलों में अपने विचार दिए थे बहुत सोचा-समझी राय दी है कि "मणिपुर में चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं हैं क्योंकि चुनाव करने से ही, मुझे कोई सकारात्मक बदलाव आने की सम्भावना नजर नहीं आ रही।" अतः हमें कुछ समय के लिए यह देखना होगा कि क्या कानूनी और सामान्य तौर पर स्थिरता आ सकती है। हम प्रावधान से बाहर कुछ नहीं करना चाहते।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहने की अनुमति दें, श्री पी०वी० नरसिंह राव की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी पर कुछ ऐसा सन्देह किया गया था कि कांग्रेस अ, ब, स स्थानों की सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। मैं, इन मुद्दों में से कुछ के लिए जिम्मेदार होने के नाते, कभी भी उस राज्य में नहीं गया जहां इस प्रकार की खरीद-फरोख्त हो रही हो। हमने वहां न जाने और इनमें से किसी भी बात को प्रोत्साहित न करने का एक प्रण किया है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के किसी भी भाग में और भारत के सभी भागों विशेषकर पूर्वोत्तर भाग में जहां हमें सीमान्त क्षेत्रों में गम्भीर स्थितियों का सामना करना है, स्थिरता आवश्यक है। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ होनी चाहिए, इसके लिए हम बहुत सतर्क हैं। हमें प्रजातन्त्र को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमें विधायकों को और उस जनता को जो हमें चुनकर सत्ता लाई, निराश नहीं करना चाहिए। आखिरकार मणिपुर में, बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो इन विधायकों को सत्ता में चुनकर लाए। इन विधायकों को एक निश्चित रुख अपनाना होगा।

अब मैं वास्तविक स्थिति की बात पर वापिस आता हूं। जुलाई, 1990 में चुनाव हुए। कांग्रेस दल को 26 सीटें मिलीं। 60 में से कांग्रेस के 26 सदस्य ही जीत पाए। अन्य छोटे दलों को भिन्न-भिन्न संख्या में सीटें मिलीं। एम०पी०पी० जो हाल तक सत्तारूढ़ दल था, 11 सीटें मिलीं। वह पार्टी जिसके 26 सदस्य जीते, सरकार बनाने में असफल रही। और 11 सदस्यों के एक दल ने सरकार स्थापित की। कैसे? मैं अभी सब कुछ सुन रहा था। कोई अवश्य आगे आवे और कहे कि ऐसा उस समय हुआ था। किसी ने यह नहीं कहा कि ऐसा कैसे हुआ।

प्रश्न पूछने हों कृपया उन्हें लिख लें। बाद में आपको माननीय मन्त्री से स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिलेगा। उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस समय आप इसका लाभ उठा सकते है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब मैं बोल रहा था, तो आपने मुझे यह कहते हुए अदालत का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं की कि यह विषय न्यायाधीन है। किन्तु अब श्री एम०एम० जैकब उसका उल्लेख कर रहे हैं। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अनुमति क्यों नहीं दी गई और उन्हें उसका उल्लेख करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? (व्यवधान)

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैं सिर्फ उनका समर्थन कर रहा था। मैं अध्यक्ष पद की निन्दा नहीं करूंगा, मैं यही बता रहा था। मैं बता रहा था कि, मैं ओहदे और दर्जे की दृष्टि से अध्यक्ष की स्थिति का समर्थन कर रहा था, अन्यथा नहीं। उन्हें पहले बोलने का एक अवसर मिला। अभी भी, सभा में मेरे द्वारा तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के बाद, वे चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे लिए सत्ता महत्वपूर्ण है।

संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत अयोग्यता घोषित की जाती है। इस मुद्दे पर यहां बहस हुई थी। किन्तु मैं इस मुद्दे पर अपना समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है। अध्यक्ष की कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय को अभी अपनी टिप्पणी देनी है। मुझे इस पर टिप्पणी नहीं देनी है। किन्तु एक बात है। जुलाई, 1990 में सात अयोग्य घोषित सदस्यों की अयोग्यता को रद्द करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान न देना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर, 1991 में एक आदेश के द्वारा अयोग्यता को रद्द कर दिया। सदस्यों द्वारा यहां यह कहा गया था कि अध्यक्ष ने इसे नहीं माना, उन्हें पूरा आदेश नहीं मिला। यहां यह अनुभव रहा है कि जब एक अदालत एक आदेश देती है, तो हम इसका पालन नहीं करते। हम इसे समझते हैं। यदि आप एक अपील देना चाहें, तो शायद, आपको पूरा आदेश देखना होगा। तभी क्रियान्वन होता है। इस सदन में ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के आदेश का तुरन्त पालन किया गया है। यह एक अलग मामला है और मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। प्रश्न यह है कि इस पर बाद में बहस हो सकती है, अभी नहीं।

अपने मुद्दे पर आते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 7 को हटा दिया। मैं इससे सहमत हूं कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किन्तु इसके साथ ही, धारा 6 भी अन्तिम है। सदन में अध्यक्ष सर्वोच्च होता है। मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। किन्तु हम सभी इस देश के संविधान के उत्पाद हैं। अध्यक्ष, संविधान की रचना है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा बनाया गया है। आप संविधान की रचना हैं। हम सभी भारत के संविधान के अविभाज्य अंग है और इसलिए कई बातों पर लम्बी चर्चा हो सकती है। जब इस विषय पर बहस हो तब हम चर्चा कर सकते हैं। मेरी बहस उस विषय पर नहीं है मैं मणिपुर में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से पूरी तरह सहमत हूं। मेरे मित्रों ने इसका उल्लेख किया है। मैंने कहा कि हम सब संविधान की रचना है।

[श्री एम० एम० जैकब]

अध्यक्ष भी संविधान द्वारा बनाया गया है। कई बार, आपको इस दिशा में बातों का विश्लेषण करना होता है। अतः मैं इसका और विश्लेषण नहीं करना चाहता।

हमें एक स्थिति का स्मरण करना होगा। हम सब मणि र के बारे में चिंतित क्यों हैं? मणिपुर अत्यन्त शांतिप्रिय राज्य था, एक सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न राज्य। मणिपुर के लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भारत की सरकारों ने सदैव आदर किया है। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी तक एक आश्वासन दिया जाता रहा था। यदि मुझे सही स्मरण है। मणिपुर की जनता को संबोधित करते समय उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर मणिपुर की जनता की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाएगा। हम आपकी भावनाओं और आकांक्षाओं का आदर करेंगे। अब वहां विद्रोही इकाई बन गई हैं। पी०एल०ए० नामक विद्रोही गुट की एक इकाई आर०पी०एफ० है जो हिंसावादी है और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में उस बारे में सूचित किया है। उन्होंने एन० एस० सी० एन० के बारे में भी सूचित किया है। जो नागा गुट हैं जो अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में फैल चुका है। हमें एन०एस०सी०एन०, पी० एल०ए० के आतंकवादी गुटों की उल्फा के साथ सम्मिलित गतिविधियों की जानकारी है। हमारे पास सूचना है कि ये आतंककारी सीमा पार पड़ोसी राज्यों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षित लेकर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर तथा नवीनतम प्रशिक्षण पाकर ये वापस आते है और अन्य प्रकार का समर्थन भी इन्हें मिलता है, राज्यपाल ने रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख किया है। राज्यपाल ने कहा है कि इसे किसी भी प्रकार रोकना होगा, इस समस्या का समाधान करने की तुरन्त आवश्यकता है और मणिपुर में वर्तमान राजनैतिक अस्थिरता से स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा सकता। राज्यपाल ने इसका उल्लेख किया है। मैंने अपना निष्कर्ष नहीं निकाला है। यह मणिपुर के राज्यपाल की वास्तविक अध्ययन रिपोर्ट है। और वह राज्यपाल हम सबको मान्य है। किसी ने भी पहले उन पर आपत्ति नहीं की, हालांकि कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की। यहां तक कि विपक्ष में बैठे हुए मेरे मित्र भी कई बार राज्यपाल के कार्य का समर्थन करते रहे हैं। अब वे कह रहे है कि राज्यपाल का निर्णय सही नहीं है। अब वे ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि वे कह चुके हैं कि राज्यपाल का निर्णय काफी हद तक सही था?

वे अन्तिम भाग से हटने का प्रयत्न करते हैं। पूरे परिप्रेक्ष्य की ओर देखें। आज क्या स्थिति है? मैं राज्यपाल की रिपोर्ट में से एक भाग पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है:

"अगर कांग्रेस पार्टी इसी आधार पर सरकार बनाना चाहती..."

श्री इन्द्रजीत गुप्त कृपया इस बात पर ध्यान दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं आपके सभी मुद्दों पर ध्यान दे रहा हूं। आपकी तरह नहीं कि केवल अध्यक्ष महोदय की ही बात सुनूं।

श्री एम० एम० जैकब: जब एम० पी० पी० का बहुत समाप्त हो गया तो उनके सदस्यों की संख्या 34 से कम हो गई विधान सभा के सात सदस्यों को अयोग्य घोषित किए जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात कांग्रेस पार्टी तुरन्त हरकत में आ गई और कहने लगी कि यह सरकार

बनाना चाहती है। किन्तु, तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने अपने स्वविवेक से विधान सभा की बैठक बुलाई और यह पाया कि 60 की सभा में, उनके पास 29 सदस्यों का समर्थन था। कांग्रेस ने अधिवेशन का बहिष्कार किया क्योंकि जिन अदस्यों को अयोग्य घोषित किया था उन्हें हटा दिया गया था तथा उन्हें अन्दर आने तथा बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 60 सदस्यों की सभा में, 29 लोगों ने मुख्यमन्त्री के पक्ष में मत-दान किया था। अब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। अवश्य, सरकार चलती रही तथा कुछ समय के पश्चात् ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का सुझाव दिया था।

राज्यपाल ने एक अन्य रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि सदन में कांग्रेस (इ) को समर्थन देने के लिए जिन सात सदस्यों की सदस्यता को पुन: बहाल किया गया है उनके समर्थन से यह संख्या 29 हो जाएगी जो 57 सदस्यों की सभा का केवल एक बहुमत है। 57 सदस्यों की प्रभावशाली संख्या में कांग्रेस के पक्ष में 29 लोग थे, क्योंकि तीन सदस्यों को पुन: अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगला अवसर मिलने पर, अध्यक्ष ने तीन और सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया।

जब वहां पर ऐसी विलम्बित अवस्था थी, तब अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस जारी किए गए मैं नहीं जानता कि इसका अन्त कहां है। मैं आप जैसे बुजुर्गों, संमानित व्यक्तियों के हाथों में यह विषय सुपुर्द करता हूं। भारत में लोकतन्त्र प्रणाली के लिए यह श्रेयस्कर नहीं है। राज्यपाल के अनुसार कांग्रेस के साथ 29 सदस्य है। यह बहुमत भी बहुत कम है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि बहुमत कम है। हम इतने कम बहुमत से कभी भी सरकार नहीं बनाना चाहते थे। हमने सरकार बनाने के लिए नहीं कहा था। राज्यपाल ने सरकार बनाने की सिफारिश नहीं की थी। हम मणिपुर में एक स्थिर सरकार चाहते हैं। हमें अस्थिर सरकार नहीं चाहिए। हमें अस्थायी सरकार नहीं चाहिए। हम एक सुदृढ़ सरकार चाहते हैं क्योंकि वचनबद्धताएं अत्यन्त गहरी तथा अधिक हैं। मैं काल क्रम के आधार पर नहीं दे रहा हूं। यह सब राज्यपाल की रिपोर्ट में है। कांग्रेस (इ) के सी० एल० पी० नेता राज्यपाल के पास गए तथा उन्होंने यह अधिकार जताया कि उनके पास बहुमत है उन्होंने कहा, "मेरे पास 33 सदस्य हैं, कृपया सत्ता मुझे दे दीजिए। किन्तु उनकी बात नहीं सुनी गई। वास्तव में, कांग्रेस (इ) को बहुत पहले ही सरकार बना लेनी चाहिए थी। हम इसमें किसी जल्दबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। हम स्थिति में शांति चाहते थे, हम चाहते थे कि स्थिति सुधर जाये। अत:, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। हमने केवल राज्यपाल की अनुशंसाओं के अनुसार काम किया है।

31 दिसम्बर को, तीन और विधान सभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। 26 दिसम्बर को एक मन्त्री ने सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ दी। वे कांग्रेस में शामिल हो गए तथा उन्होंने कांग्रेस दल का समर्थन किया और कहा कि वे सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं हैं। मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा कि वे उनके साथ नहीं हैं। श्री पासवान जैसे कुछ मित्रों ने कहा कि आप इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं? उस समय जनता दल में 11 सदस्य थे और वे सभी बहुत अच्छे सदस्य माने जाते थे। किन्तु अन्त में उन्होंने पाया कि मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था, उनमें से सात सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी थी और मणिपुर जनता दल के नाम से एक अन्य पार्टी का गठन कर लिया बाद में वे

[श्री एम० एम० जैकब]

कांग्रेस नेता का समर्थन कर रहे थे। मैं इस कष्ट को भलीभांति समझ सकता हूं और मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि उस स्थिति में कांग्रेस के छह सदस्य थे, और उनमें से तीन ऐसे थे जिन्होंने अपना अलग दल बना लिया था और कहा था, "हम इस सत्तारूढ़ पार्टी से जा रहे हैं और विपक्ष अर्थात् कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं।" कांग्रेस में छह सदस्य थे जिनमें वे मन्त्री भी शमिल थे जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले गये और उन्होंने कहा, "हमें इस प्रकार की सरकार नहीं चाहिए।" जनता दल के बहुसंख्यक सदस्यों ने कहा है कि उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जनता दल के लोग बहुत ईमानदार है। उन्होंने कहा, "हम भी दूसरी ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए।" अन्ततः, यह स्थिति थी कि कोई भी वह सरकार नहीं चाहता था। उस समय यह स्थिति थी कि राज्यपाल की ही कुछ करना होता है। राज्यपाल ने यह कहते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन किया कि सरकार इस प्रकार नहीं चल सकती और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने एक अन्य प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, जब उस राज्य के मुख्य मन्त्री ने आपको सभा भंग करने का सुझाव दिया था तो तब आपने सभा भंग क्यों नहीं की थी ? यह प्रश्न था।

राज्यपाल ने 1 जनवरी को स्थिति का मूल्यांकन करने के पश्चात् सभा भंग करने की सिफारिश की अपने 2 जनवरी के पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करने की बहुत आवश्यकता है। 4 जनवरी की मन्त्रिमण्डल बैठक के पश्चात उन्होंने सरकार भंग करने की सिफारिश की और अध्यक्ष महोदय का भी यही सुझाव था। और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, "मैं इस के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही स्थिति पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। "राज्यपाल का यह वक्तव्य संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ख) के अधीन विधान सभा भंग करने के सम्बन्ध में राज्य मन्त्रिमंडल की सिफारिशों का हवाला देता है। राज्यपाल ने अपनी 2-1-92 की रिपोर्ट में पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी थी। यही मुद्दा है। राज्यपाल ने पहले ही 2 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी थी, जबकि मन्त्रिमण्डल की बैठक 4 तारीख की हुई थी और उन्होंने 5 तारीख को इसकी सिफारिश की थी। किन्तु इससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में, जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है, यह कार्य पहले ही निर्धारित हो गया था।

भारत सरकार तथा राष्ट्रपति महोदय, ने अपने विवेक से, उत्तर-पूर्व में विद्रोह के सभी पहलुओं पर विचार किया, स्थिति की अस्थिरता के सभी पहलुओं पर विचार किया, बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया और अन्य कई पहलुओं पर विचार किया। अन्य बातें क्या करें ? इस सब प्रकरण की रिपोर्ट से पहले, एक महीना पहले मैं मणिपुर में था और तब उस राज्य में श्री रणबीर सिंह की सरकार थी। दुर्भाग्य से, जब मैं वहां गया था तब इम्फाल में एक हवाई दुर्घटना हुई थी जिसमें अनेक लोग मारे गए थे।

श्री माधव राव सिंधिया तत्काल मौके पर गए। मैं वहां पर कुछ देर के लिए था। लगभग 10.00 बजे रात में श्री माधव राव सिंधिया मेरे कक्ष में आकर बोले "जैकब, स्थिति ऐसी हो गई है।

पूरे दिन पहाड़ी पर राव पड़े रहे। मणिपुर में कोई भी शवों को नहीं उठा रहा है। पहाड़ी से शवों को हटाने के लिए मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। शहर में कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या आप अपने यहां के सुरक्षा बल से मुझे मदद दे सकते हैं? मैंने तुरन्त ही सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमान्डरों को बुलाया। मैंने उनसे शव उठाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि यह कार्य राज्य की पुलिस का है। श्री सिंधिया ने कहा था कि वे यह काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह मेरी मदद मांग रहे हैं। प्रश्न शव उठाने का है। सैकड़ों व्यक्ति हवाई अड्डे के आसपास शवों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति अस्पताल के पास यह सोचकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संभवतः कुछ अभी जीवित हों। वहां पर शवों को उठाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। केवल सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ही जवानों ने घोर रात्रि में घरों की छतों की ओर प्रस्थान किया जब कि बारिश हो रही थी। उन्होंने शवों को वहां से हटाया और उन्हें लेकर आये।

श्री याइमा सिंह मुखनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को नोट कर सकते हैं और फिर बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री एम० एम० जैकब : मणिपुर की पुलिस काफी सतर्क, अच्छी समझी जाती है। परन्तु कोई भी यह कार्य नहीं कर सका था। जब मैंने जिला मजिस्ट्रेट के बारे में पूछताछ की, तो वह भी दिखाई नहीं दिया। यह आंखों देखी प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित रिपोर्ट है, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट नहीं है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं क्योंकि यहां पर आने के पश्चात् मैंने मुख्यमंत्री को लिख दिया था कि किसी मामले को सुलझाने का यह कोई तरीका नहीं है, आप इसे और ठीक कीजिए अन्यथा आप इस प्रकार से राज्य नहीं चला सकते।

यह हमारा देश है। कोई भी इसे उठाकर किसी को दे नहीं सकता। अतः पूरी जिम्मेवारी से हमने ऐसा किया है। हमने पहाड़ी से शवों को हटा दिया है। कुछ देर बाद कुछ व्यक्तियों ने सहायता की। बाद में कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने भी मदद की। स्थानीय ग्रामनिवासी भी आये और उन्होंने मदद की तथा शवों को हटाया गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल की रिपोर्ट गलत नहीं है। उन्होंने जो बताया था, वहां की स्थिति प्रायः ऐसी ही थी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को लेकर जो वैन जा रही थी और उन जवानों के पास भुगतान करने के लिए जो कुछ नकदी थी उन पर घात लगाकर हमला किया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी यह धनराशि लूट ली गई। उस राज्य में यह सब कुछ हुआ। इसके बाद हम आपके पास दिनांक 7 जनवरी को उद्घोषित राष्ट्रपति शासन की अभिपुष्ट करने के अनुरोध सहित आये थे। मैं किसी चीज की मांग नहीं कर रहा हूं, केवल इतना ही कह रहा हूं कि इस देश में लोकतन्त्र की सैंमान्य प्रक्रिया कायम रखने के लिए जो आवश्यक कदम हैं, वे उठाये जायें। मैं इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी, यदि कभी भविष्य में चुनाव कराने जरूरी हुए तो मेरी सरकार चुनाव से

[श्री एम० एम० जैकब]

मुंह नहीं मोड़ेगी। आपको जानते हैं कि हमने पंजाब में चुनाव कराये हैं। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी हमने वहां पर चुनाव कराये हैं। हम अन्य राज्यों में भी चुनाव करा सकते हैं। जहां कहीं भी अनिवार्य होगा हमारी सरकार वहां पर चुनाव कराएगी। हमारी सरकार पूर्व लोकतन्त्र में आस्था रखती है। हम चुनाव न करवा कर स्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। यदि राज्यपाल कहते हैं कि मणिपुर में अब चुनाव कराए जा सकते हैं तब मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आकर कहूंगा कि "ठीक है। मणिपुर में चुनाव होगा।" परन्तु अभी नहीं। माननीय सदस्यों इस समय मैं राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए आपका समर्थन करता हूं।

श्री याइमा सिंह गुमबाच : सर्वप्रथम मैं वायुयान के गिरने के बारे में मणिपुर की जनता के लिए श्री एम० एम० जैकब की टिप्पणियों का विरोध करता हूं। यह वास्तविकता नहीं है कि मणिपुर की जनता उस समय बिल्कुल शान्त होकर रह गई थी। वे दुर्घटनास्थल की ओर गए थे। मुख्यमन्त्री, सभी विधायक और अन्य व्यक्ति वहां पर गये थे। परन्तु यह एक बहुत संकीर्ण स्थान था। अतः वे आसानी से वहां नहीं पहुंच सके। मेरे पुत्र जयकुमार सिंह ने भी श्री के० बीरा सिंह, विधायक जो कि इस विमान दुर्घटना में मारे गए थे, के शव को उठाया था। कई स्वैच्छिक कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे। मणिपुर में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री के कथन को चुनौती देता हूं। इस समय जांच आयोग तथ्यों का पता लगा रहा है। इसकी रिपोर्ट सभा में रख दी जाएगी। आप रिपोर्ट मांग सकते हैं और आयोग की रिपोर्ट से सभा में हर पक्ष स्पष्ट हो जायेगा। मणिपुर की जनता के खिलाफ श्री जैकब की टिप्पणियों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। अतः मुझे इस वक्तव्य पर आपत्ति है। (व्यवधान) मणिपुर में कई स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं जो उस स्थल की ओर गए थे। मैं तथ्य देने के लिए तैयार हूं और मन्त्री जी इस प्रकार से सभा को गुमराह नहीं कर सकते। आप यह समझ लीजिए कि मणिपुर के व्यक्ति ही स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं। चूंकि अर्द्धसैनिक बलों की सेवा उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए शवों को उठाया नहीं जा सका था। मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं और अब वह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सिंह जी, कृपया आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह गुमबाच : जब मैंने गृह राज्य मन्त्री से पूछा था कि मुख्यमन्त्री की परामर्श पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, तब उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। परन्तु राज्यपाल ने केन्द्र सरकार के पास अपनी दूसरी रिपोर्ट भेज दी है और मेरा कहना है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह एक ठीक उत्तर है ? इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति शासन लागू होने से भी काफी समय पहले केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। वास्तविकता यह है। अतः इस पर भी विचार करने के लिए पर्याप्त समय था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिंह जी, आपने अपने भाषण में इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया है।

आपने इन सभी विषयों के बारे में विचार व्यक्त किये हैं। इस समय आपने दो स्पष्टीकरण मांगे हैं और मन्त्री जी इनका उत्तर देंगे। अब श्री किरिप चालिहा बोलेंगे।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। जैसाकि स्वयं माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि श्री रणवीर सिंह के नेतृत्व वाली भूतपूर्व सरकार को सरकार के विपथगामी होने के कारण ही बनाया गया था। कुछ मन्त्रियों के दबाववश इसे बनाया गया था। उन्होंने राज्यपाल पर गैर कांग्रेस (आई) सरकार बनाने के लिए जोर डाला जबकि कांग्रेस को 26 सदस्यों सहित बहुमत प्राप्त था। उस समय यह अकेला सबसे बड़ा दल था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के कुछ मंत्री जो दिल्ली से गए थे उन्होंने उस समय राज्यपाल पर राजनैतिक दबाव डाला था। अतः गलत मार्ग अपनाया गया और दस सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाई गई थी।

इस समय इस विधान सभा को बर्खास्त कर दिया गया। जैसाकि हम जानते हैं कि जनता दल सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि शासन कैसे किया जाता है और अपने कुप्रशासन के कारण ही यह सरकार गिर गई थी। मणिपुर में भी इस समय यही हो रहा है।

इस समय हमें यह सूचना मिली है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। सभा में 60 सदस्यों में से कांग्रेस को 38 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। (**व्यवधान**) मैं यह जानना चाहूंगा। चूंकि इस समय सभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो क्या माननीय मन्त्री जी कांग्रेस दल के नेता को एक स्थिर सरकार बनाने के लिए कहेंगे ताकि मणिपुर में शांति कायम हो सके?

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवानन (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मणिपुर, नार्थ-ईस्ट में है और नार्थ-ईस्ट के राज्य देश की एकता और अखण्डता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 2-3 स्टेट्स हैं जहां सारी चीजें नार्मल तरीके से चल रही हैं और कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। उस दिन भी सरकार पर चार्ज लगा था कि सरकार जानबूझ कर जहां पर शांति है, वहां पर अशांति पैदा करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी यहां पर हैं, हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट के साथ प्रधानमन्त्री जी से मिले थे, मेघालय के सम्बन्ध में, तब उन्होंने कहा था कि आप लोगों की भावना को मैंने समझ लिया है और 16 तारीख तक करेंगे, लेकिन रिजल्ट यह आया कि मैनूवर करके आपने अपनी सरकार बना ली। अन्ततोगत्वा नीति यही है कि सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस सरकार बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो गलत है। यह मैसेज आप देना चाहते है? इसलिए मैं क्लैरीफिकेशन यह चाहता हूं कि जैकब साहब क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नर ने 90 परसेंट रिपोर्ट दी है डिजोल्यूशन के पक्ष में और 10 परसेंट आपको दबाव में आ कर कहा है कि प्रैसीडैंट रूल भी होसकता है। यह सब चीज डिजोल्यूशन के पक्ष में कही है। आपको हाउस को डिजाल्व कर के चुनाव करवाने में क्या दिक्कत थी? इससे हार्स ट्रेडिंग होगा, लॉ एण्ड आर्डर के सवाल उठेंगे। आप सीधे चुनाव क्योंकि नहीं करवाते हैं? चुनाव से आप डर क्यों रहे है?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मेरे कुछ सहयोगी मित्रों एवं माननीय सदस्यों ने कुछेक प्रश्न पूछे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप भी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। माननीय मन्त्री जी इसका भी उत्तर दे देंगे।

श्री एम० एम० जैकब : मैंने अधिकांश प्रश्नों का स्पष्टीकरण दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत गुप्त ने कुछेक प्रश्न उठाए हैं। आप उस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मैंने श्री इद्रजीत गुप्त के मुद्दे को पहले ही नोट कर लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, नहीं, मैं वैसा नहीं चाहता। आपने जो कहा है, मुझे वह ध्यान है। निश्चित रूप से मैं उस दुखद विमान दुर्घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, क्योंकि उससे हम विषय से हट जाएंगे। मैं नहीं जानता कि क्यों/ऐसा होगा। मैं यहीं कहूंगा कि हम बड़ी सफाई से सम्बद्ध विषय से हट जाएंगे। (**व्यवधान**) उस विमान दुर्घटना से हम सभी बड़े दुःखी हैं और कई व्यक्तियों की उसमें मृत्यु हुई है। जैसे भी हो, हम इस समय जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। (**व्यवधान**)

दुर्भाग्य से मैं यह नहीं जानता था कि वे इस प्रश्न को उठाने जा रहे हैं। अन्यथा, मैं उस समय समाचारपत्रों की कतरने साथ ले आता जो कि यह दर्शाती है कि मणिपुर की जनता भारी संख्या में उस ओर भागी जहां वह दुर्घटना हुई थी। तो वे ऐसा क्यों कहते जा रहे हैं कि 'वहां कोई नहीं था' वहां कोई नहीं था ? फिर भी अब हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं।

मैं जो स्पष्टीकरण मांग रहा हूं वह यह है कि जब कभी भी यह उन्हें उपयुक्त लगा, उन्होंने राज्यपाल की रिपोर्ट में से कुछ अंश उद्धरित कर दिए। लेकिन मैंने भी कुछ मुद्दे उठाए है जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। क्या राज्यपाल ने जवाब दिया है अथवा क्या उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि यह लुका-छिपी का खेल, जो कि तीन या चार हफ्ते से चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने जा रहा है—राजनीति अस्थिरता तथा अनिश्चितता ? उन्होंने ऐसा कहा था। इसका अभिप्राय यह है कि इसे अनिश्चितकाल तक चलते रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा था अथवा नहीं कि यदि केवल विधान सभा को बरखास्त किया जाता है तो यहां धन अथवा किसी प्रलोभन द्वारा समर्थन प्राप्त करने की सम्भावना हो सकती है ? हमारा अभिप्राय भी इसी से है, अब हम कहते हैं कि सदस्यों की खरीद फरोख्त अभी भी जारी है। और आप भी यही करना चाहते हैं ताकि जनता को खरीदा जा सके। आप इस असामान्य स्थिति को जारी रखने को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं ?

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

मणिपुर राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव

तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि कुछ समय तक स्थिति पर निगाह रखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी दल पर्याप्त बहुमत प्राप्त करने के काबिल नहीं है तो विधान सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। यह राज्यपाल ने कहा है। श्री जैकब इस बात से सहमत हैं कि यहां किसी भी दल को बहुत मामूली सा ही बहुमत प्राप्त बताया जाता है। यहां अब कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कहा है कि उनके अमुक संख्या में सदस्य हैं। तो, उन्हें अनुमति दे दीजिए। यदि यह सच है, तो आप उन्हें बुलाइए और सरकार का गठन करने के लिए कहिए। चलिए हम इसका निर्णय सभा में ही ले लेते हैं। इसका निर्णय गृह मंत्री के कार्यालय में नहीं लिया जा सकता। यह निर्णय हमें सभा में ही लेना होगा।

यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और यदि स्थिति ऐसी ही है जैसाकि वे और राज्यपाल जी कहते हैं कि बहुत मामूली वास्तविक बहुमत के साथ दो दलों के दावे के बीच कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, तो आप विधान सभा को निलम्बित करने और विधान सभा के सदस्यों के बीच दल बदल को बढ़ावा देने का नाटक क्यों कर रहे हैं ? आप नए चुनावों के लिए वातावरण को स्वच्छ क्यों नहीं बनाते, ताकि मणिपुर की जनता अपनी नई सरकार बना सके। यह बाजार अर्थव्यवस्था है या क्या है ?

(व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री सिंह जो कि मणिपुर से हैं की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं। एक तो वायुयान दुर्घटना के बारे में है, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों ने वास्तव में पहाड़ी से शवों को हटाने के कार्य में मदद की थी। वहां सेनाओं की आवश्यकता थी। मैंने यह भी कहा था कि ग्रामवासियों ने भी अपना सहयोग दिया। मुझे नहीं मालूम था कि इस वायुयान दुर्घटना में उनका बेटा भी था अथवा उनके परिवार के कुछ सदस्य भी वहां गए थे और उन्होंने शवों को उठाया। मैं वास्तव में यह नहीं जानता था।

लेकिन जब मैंने कहा था कि ग्रामवासियों ने मदद की थी तो मेरा अभिप्राय मणिपुर के स्थानीय लोगों से था। मेरा केवल वही अर्थ था। आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैं केवल यह कह रहा था कि राज्य सरकार इसे सही तरीके से नहीं कर सकी और इसलिए केन्द्रीय दल से मदद लेनी पड़ी थी और मुझे इस बारे में केवल यही संतुष्टि थी, क्योंकि शवों को हटाने का कार्य आवश्यक था। यह पूछा जा सकता है कि यह सब क्यों कहा गया था। मैं केवल राज्यपाल के विचारों का समर्थन कर रहा था कि जब वहां की जनता सन्तुष्ट नहीं है, जबकि कानून तथा व्यवस्था प्रणाली मजबूत नहीं है जबकि स्थिति काबू में नहीं रह गई है, जबकि यहां अस्थिरता है और जब वहां प्रशासन वस्तुतः ठप्प है, ऐसा निर्णय लिया गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट में एक वाक्य है कि प्रशासन ठप्प है। मेरे अभिप्राय से ठप्प होने का अर्थ है कि कार्य नहीं हो रहा है।

जो अन्य मुद्दा श्री सिंह ने उठाया है वह 5 जनवरी की राज्यपाल की रिपोर्ट से संबंधित है। महोदय, तत्कालीन मुख्यमन्त्री की सिफारिश के सम्बन्ध में राज्यपाल जी ने इस तरह से कहा जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं।

"तदनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री आर० के० रणबीर सिंह ने आज 5 जनवरी, 1992 को मुझे दिए गए एक पत्र में मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) (ख) के अन्तर्गत मणिपुर विधान सभा को भंग करने की सलाह दी है। मैं इस पर अमल नहीं कर रहा हूं जैसी कि मैं इस स्थिति के बारे में पहले ही रिपोर्ट दे चुका हूं।"

तो उन्होंने कहा है "मैं इस स्थिति के बारे में पहले ही रिपोर्ट दे चुका हूं और मैं अमल नहीं कर रहा हूं।" मैंने आपको पहले बताया है कि । और 2 जनवरी की राज्यपाल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के लिए अनुरोध किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। वह उनकी पहली सिफारिश थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपने आपको स्पष्ट कर दिया है।

राज्यपाल के वक्तव्य के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्ता के मुद्दे के सम्बन्ध में कुछ अंशों के बारे में अपने वक्तव्य में मैंने पहले ही बता दिया है और कुछ अंशों के बारे में मैंने तब बताया जबकि मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा था। मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, क्योंकि दोनों रिपोर्टों को सभा पटल पर रख दिया गया है और मेरा यह विचार था कि माननीय सदस्यों ने इन रिपोर्टों को अवश्य देख लिया होगा। मैंने केवल उन मुद्दों की चर्चा की है जोकि इस बात का निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझे गए थे कि राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैंने रिपोर्ट को तीन बार पढ़ा है।

श्री एम०एम० जैकब : बहुत अच्छा, मुबारक हो। मैं एक और वाक्य के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैंने बताया है कि कांग्रेस (इ) ने सूची में दर्शाए गए 33 सदस्यों के साथ सरकार का गठन करने का दावा किया है जिस पर किसी ने अमल नहीं किया। राज्यपाल ने भी अमल नहीं किया और मैंने भी अमल नहीं किया। दूसरी बात, जो राज्यपाल की रिपोर्ट में कही गई है :

"कांग्रेस (इ) के नेता श्री आर० के० दोरेन्द्र सिंह निम्नलिखित 38 सदस्यों की सूची के साथ आए—

कांग्रेस (इ)	—	13
अयोग्य घोषित लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा बहाल किए गए	—	7
असम्बद्ध सदस्य	—	6
मणिपुर जनता दल	—	7
मणिपुर कांग्रेस (एस)	—	3
कुकी नेशनल असेम्बली	—	1
नेशनल पीपल्स पार्टी		1"

कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता द्वारा 38 सदस्यों के नामों की सूची राज्यपाल को दी गयी थी। उस आधार पर भी हमने विधान सभा को यह देखने के लिए कुछ देर के लिए स्थगित रखा कि वहां स्थिरता है। हम राज्यपाल की रिपोर्ट पर अमल कर रहे हैं। हम संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम संविधान से हटकर कुछ नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

मैं, अपना प्रस्ताव वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं केवल एक लाईन जोड़ना चाहूंगा। वहां कोई भी सरकार अब काम नहीं कर सकती। मेरा निवेदन यह है कि दल-बदल को प्रोत्साहन मिलेगा। दल-बदल का कानून स्पष्ट नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकरार है। जहां दो पार्टियां होती हैं, वहीं झगड़े हो जाते हैं। जहां सात-सात पार्टियां हो तो वहां कोई विधान सभा रेस्टोर नहीं हो सकती। जैसे आपने पंजाब में चुनाव करा दिए वैसे ही विधान सभा को शीघ्र भंग करके चुनाव होने चाहिए वरना पैसे खाने का धन्धा चलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने सभा की अनुमति से अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां। जी, हां।

[हिन्दी]

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प — 3 मार्च, 1992

और

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द किए जाने के बारे में प्रस्ताव

पक्ष में :

मत विभाजन संख्या 1 — समय 3.05 म०प०

अरुणाचलम, श्री एम०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्र जीत, श्री
एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्मेन, श्री लाईता
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालियापेरुमल, श्री पी०पी०
कुडुमुला, श्री पदमश्री
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो०पी०जे
कुली, श्री बालिन
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री अयूब
खुर्शीद, श्री सलमान
गहलोत, श्री अशोक
गुडादिन्नी, श्री बी०के०
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोगोई, श्री तरुण
चाटोबार, श्री पवन सिंह
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाल्वे, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चिदम्बरम, श्री पी०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री नारायण सिंह
जयमोहन, श्री ए०
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
टाईटलर, श्री जगदीश
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
तोपनो, कुमारी फिडा
थामस, प्रो०के०वी०
थुंगन, श्री पी०के०
थोरट, श्री एस०बी०
दिघे, श्री शरद
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
नन्दी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोवा
नायक, श्री मृत्युन्जय
नारायणन, श्री पी०जी०
नेताम, श्री अरविन्द
पवार, श्री शरद
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय एन०
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फारुक, श्री एम०ओ०एच०
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, श्री कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंहराव
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मलिक, श्री धर्मचाल सिंह
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मल्लिकार्जुन, श्री
मुनियप्पा, श्री के०एच०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मैथ्यू, श्री पलाई के०एस०
राजेश्वरी, श्रीमती वासवा
राही, श्री रामलाल
राघवा, श्री एन०जे०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, कुमारी विमला
व्यास, डा० गिरिजा
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विलियम्स, श्री आर०जी०
शंकरानन्द, श्री बी०
शिगडा, श्री डी०बी०
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना
शैलजा, कुमारी
सईद, श्री पी०एम०
सिदमाल, श्री एम०बी०
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह देव, श्री के०पी०
सिलवेरा, डा०सी०
संगमा, श्री पूर्णो
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
सोडी, श्री मानकूराम
सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के०एस०

विषय में :

मत विभाजन संख्या 1 समय 3.05 म०प०

उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु श्री
गफूर, श्री अब्दुल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोपालन, श्रीमती सुशीला

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जेना, श्री श्रीकान्त

तीरकी, श्री पीयूष

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

नीतीश कुमार, श्री

पासवान, श्री राम विलास

प्रसाद, श्री हरि केवल

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बर्मन, श्री उद्धव

बैठा, श्री महेन्द्र

ब्रह्मी चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ

भण्डारी, श्रीमती दिलकुमारी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुरमु, श्री रुपचन्द

मोहन सिंह, श्री

यादव, डा०एस०पी०

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

रामय्या, श्री बोलाबुल्ली

राय, श्री लालबाबू

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर

रेड्डी, श्री ए० इन्दूकरन

शर्मा, श्री जीवन

सैयद शाहाबुद्दीन, श्री

हन्नान मोल्लाह, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्ययीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 103

विपक्ष में : 36

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत दिए—

पक्ष में : सर्वश्री भाग्ये गोवर्धन, हरीश नारायण प्रभु झांट्ये, राजगोपाल नायडू राधासामी, कमल चौधरी, जसमीत सिंह, गुरचरण सिंह गालिब, गुरचरण सिंह दादादूर तथा श्रीमती सुखबंस कौर ।

विपक्ष में : सर्वश्री एम०रमन्ना राय, श्री याइमा सिंह युमनाम, रामचन्द्र मतोतराव घंगारे, धर्मभिक्षम, थाइल जान अंजलोज, शिवशरण सिंह ।

3.08 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेगी । श्री पी०एम० सईद ।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये—

"कि इस सत्र के समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 24 फरवरी, 1992 को एक साथ समवेत संसद को दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसके अभिभाषण के लिए उनका आभार प्रकट करने की प्रथा ब्रिटिश संसद से विरासत में ली गई है, संविधान-निर्माताओं ने इसे हमारे संविधान में जानबूझकर इसलिए अंगीकार किया क्योंकि इस प्रथा की अपनी ही अन्तर्निष्ठ विशेषताएं है, जोकि वर्षों बीतने पर भी चली आ रही है ।

राष्ट्रपति अभिभाषण, गत वर्ष का संक्षेप में चित्रण देने के साथ-साथ आगामी वर्ष में सरकार के कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर भी प्रकाश डालता है । यह न तो एक प्रगति रिपोर्ट है और न ही एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य, परन्तु एक मायने में, सरकार की उपलब्धियों और आने वाले दिनों में कार्य-योजना पर प्रकाश डालता है ।

[श्री पी० एम० सईद]

महोदय, लोक सभा (दसवीं) के चुनावों के बाद, नई सरकार गठित की गई थी। श्री पी०वी० नरसिंह राव की सरकार ने हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या के बाद कार्य भार संभाला। इस हत्या ने सारे देश को स्तंभित कर दिया और उनके अचानक अदृश्य हो जाने से बहुत से अन्धविश्वासी भविष्य वक्ताओं को यह कहने का अवसर मिल गया कि भारत छिन्न-भिन्न होने जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद ही यह सम्भव हुआ कि भारत में एवं विदेशों में रहने वाले राजनैतिक पण्डितों को निराश होना पड़ा।

इसका अर्थ—निःसन्देह, यह है कि भारतीय जनता ने एक स्थायी सरकार को चुनकर अपनी परिपक्वता का परिचय दिया—यद्यपि बहुमत के लिए कुछ और सदस्यों की आवश्यकता थी। इस सरकार को स्थायीत्व के लिये ही स्थापित किया गया है।

मैं सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जब इस सरकार ने कार्य भार सम्भाला था तो पिछली दो गैर-कांग्रेसी सरकारों से उसे विरासत में क्या मिला था। यह सभा जानने की उत्सुक है। सरकार को रूढ़िवादियों द्वारा बिगाड़ी हुई स्थिति विरासत में मिली, जातियों में विद्वेष था और समाज में अव्यवस्था फैली हुई थी। इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित थी। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और इसकी उत्तरवर्ती सरकारों ने देश को भुगतान संतुलन के अभूतपूर्व संकट में धकेल रखा था। निर्यात के अवसर समाप्त हो गये थे और आयात अनियंत्रित रूप से बढ़ता जा रहा था। व्यापार घाटे की स्थिति पूंजी लेखा घाटे के कारण और भी बदत्तर हो गयी थी। अप्रवासी भारतीयों के पूंजी निवेश में कमी आ गई थी। अर्थव्यवस्था में भारत की साख, जोकि संसार के शीर्षस्थ देशों में बेदाग समझी जाती थी, अभूतपूर्व रूप अचानक गिर गई थी।

जैसे ही राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में आई, दिन-प्रति-दिन, उसके वित्त मन्त्री और उसके नेता देश को और संसार को यह कहा करते थे कि खजाने खाली हो गए। गैर-कांग्रेस की दो उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा दी गई इस गलत जानकारी और गलत सूचना और विद्वेषपूर्ण प्रचार ने संसार के समुदाय के मन में देश के वित्तीय-प्रबंधन में भारत की साख/सक्षमता पर संदेह उत्पन्न कर दिये थे। आर्थिक स्थिति के बारे में राष्ट्रीय मोर्चे और इसके उत्तरवर्ती नेताओं द्वारा दिए गए गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्यों, से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सर्कलों में हमारी साख-सापेक्षता को ठेस पहुंचाई है। देश दवालियेपन के उस कगार पर खड़ा था। जोकि इससे पूर्व भारत में कभी नहीं हुआ।

हमारे प्रधानमन्त्री के शब्दों में स्थिति निम्न प्रकार से थी—

> "अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में है। भुगतान संतुलन की स्थिति और भी गम्भीर है। मूल्यों पर मुद्रास्फीति का दबाव बहुत आधिक है। थोड़ा भी समय बर्बाद करने का नहीं है। सरकार और देश अपने साधनों से बाहर जाकर जीवित नहीं रह सकता और कोई उदार मंतव्य शेष नहीं रह गया है। हमें अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक बलिदान देने के लिए अपनी पेटियां कस कर तैयार रहना है जोकि एक संशक्त राष्ट्र के लिए एक हमारी सम्भावनाओं का एक अतरंग भाग है।
>
> इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति को बहाल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।"

इसको मूर्त रूप देने के लिए, यह नई सरकार एक क्रांतिकारी कार्य योजना नई आर्थिक नीति के रूप में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने और पिछली दो सरकारों द्वारा उत्पन्न किए गए आर्थिक-निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए सत्ता में आई है।

3.15 म०प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

इस संदर्भ में सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधार लाने के लिए 24 जुलाई, 1991 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। हमें 1948 में लागू नीति के त्याग देने का दोषी ठहराया गया। हां, 1948 में स्वतन्त्रता के तुरन्त पश्चात् इसी सदन में एक औद्योगिक नीति संकल्प प्रस्तुत और पारित किया गया था और उस नीति में व्यापक औद्योगिक नीति और विकास के उपाय सुझाए गए थे।

हमारे नए संविधान के अंगीकार करने के बाद औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर संशोधन करके उसे 1956 में उसे स्वीकार किया गया था। समय-समय पर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए 1973, 1977 और 1980 में वक्तव्यों के माध्यम से इसमें परिवर्तन किए गये। 1980 का औद्योगिक नीति वक्तव्य नीति तैयार करने की आवश्यकता, देशीय बाजार में स्पर्धा को प्रोत्साहित करने, तकनीकी उत्थान और आधुनिकीकरण करने पर ध्यानाकर्षित करता है।

श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 और 1986 के दौरान औद्योगिक नीति में नीतिगत तथा प्रक्रियागत परिवर्तन किए गए थे, जिनका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना, कीमतें घटाना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना था। देशीय बाजार में स्पर्धा बढ़ाने और हमारे उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय-स्पर्धा के योग्य बनाने पर जोर दिया गया।

इसके दृष्टिगत, नई औद्योगिक नीति का मूल्यांकन किया जाना है। औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है ? पिछले 40 वर्षों में भारतीय उद्योग पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और कानूनी नियन्त्रण रहे हैं। इन नियन्त्रणों को लागू करने के पीछे उद्देश्य राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का कारगर एवं सीधा दोहन और सही उपयोग सुनिश्चित करना था।

तेजी से बदल रही आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि अब अधिकांश नियंत्रणों का कोई लाभ नहीं है। अत: नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य बदल रहे राष्ट्रीय और विश्वव्यापी आर्थिक पर्यावरण के अनुरूप नीति को पुन: नियोजित किया जाए। अत: हाल ही में जो औद्योगिक नीति घोषित की गई है उसका उद्देश्य विकास में गति लाना; लाभकारी नियोजन में तीव्रता लाना; क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना; उत्पादकता बढ़ाना, निर्यात को बढ़ावा देना; तकनीक के उत्थान और अन्तर्राष्ट्रीय-स्पर्धा में सहायता प्रदान करना है। लाइसेंसों को मुक्त करना, पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और कलपुर्जों की आपूर्ति सुलभ कराना, उद्यमियों को निर्णय लेने में स्वतन्त्रता प्रदान करना, विदेशी प्रौद्योगिकी और निवेशों के अन्तरण को सुगम बनाने जैसे कदम इन उद्देश्यों की उपलब्धी में सहायक होंगे। इन्हीं लाइनों पर उद्योगों और व्यापारिक कम्पनियों को, जो प्राथमिक तौर पर निर्यात क्रियाकलापों में संलग्न है, 51 प्रतिशत के सीधे निवेश की अनुमति दी गई है।

देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और इसे सही दिशा प्रदान करने के लिए और भी अन्य उपाय किये गए हैं। यह पूर्णतया अव्यवस्थित और सन्देह में धकेली हुई थी। हमारे देश के इतिहास में कभी भी ऐसा विपरीत सन्तुलन नहीं रहा। जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता छोड़ी थी। तो उस समय विदेशी मुद्रा का भण्डार 6000 रुपए था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या ऐसी ही स्थिति है ?

श्री पी०एम० सईद : जब पिछली सरकार ने सत्ता छोड़ी—जिसे आपकी पार्टी ने भी समर्थन दिया था—तो स्थिति क्या थी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसे आपने श्री चन्द्रशेखर का समर्थन किया था।

श्री पी०एम० सईद : जब उन्होंने सरकार/सत्ता छोड़ी, देश की अर्थव्यवस्था की एक अभूतपूर्व स्थिति थी।

भुगतान सन्तुलन में केवल दो सप्ताह का आयात प्रावधान था और मुद्रास्फीति दो अंकों को पार कर गई थी···(व्यवधान)। नई सरकार की नई नीति के कारण भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार हुआ है।

आपने औद्योगिक नीति को उलट देने का हमारे पर आरोप लगाया था और कहा था कि हमने जवाहरलाल नेहरु जी की आर्थिक नीति को नकार दिया है। लेकिन ये सही नहीं है। मैं, सदन का ध्यान सरकार द्वारा किए गए नए उपायों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके परिणाम की प्रतीक्षा है। इसमें और कुछ समय लगेगा। यह सरकार केवल आठ महीने पहले तो सत्ता में आई है। कम से कम और दो साल लगेंगे।

अब मैं लघु औद्योगिक नीति की ओर आता हूं। देश के लघु उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। औद्योगिक उत्पाद के कुल मूल्य में उनका लगभग 85 प्रतिशत योगदान है और निर्यात अर्जन में उनका चालीस प्रतिशत से भी अधिक योगदान है। नये आर्थिक उपायों के अन्तर्गत उनको उचित स्थान देने के लिए सरकार ने अलग उपायों की घोषणा की है जिससे कि इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले।

गरीबों की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत कई उपाय किए गए है। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थियों की संख्या 1600 करोड़ है जो 1700 जनजातीय रेगिस्तान खंडों, सूखाग्रस्त एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते है। और इसमें शहरी निर्धनों को भी सम्मिलित करना है। वर्तमान 78000 उचित पर दुकानों के अतिरिक्त अभी ग्यारह हजार उचित दर की दुकानें चुने हुए खण्डों में खोलनी है। राशन कार्ड धारकों के लिए सतर्कता समिति का गठन करना है। स्थानीय सांसद एवं एम०एल०ए० उपभोक्ता संगठन एवं महिलाओं के दल, उचित दर की दुकानों के कार्य लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और जाली राशन कार्ड धारकों को पकड़ने का काम करेंगे। इन उपायों ने कम से कम देश को फिर से विकास के मार्ग पर ला दिया है।

मैं अब सदन को मूल्यवृद्धि के सन्दर्भ में विश्वास में लेता हूं···(व्यवधान)···

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : विश्व बैंक के अध्यक्ष की रिपोर्ट की बात कीजिए ···(व्यवधान)···

श्री० पी० एम० सईद : मैं उस विषय पर बाद में बोलूंगा। घबराइए नहीं। वे लोग मूल्यवृद्धि की बात कर रहे थे। सरकार मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने के प्रश्न को अधिक महत्व देती है। पूर्व में हुए बड़े वित्तीय घाटों के कारण मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हुई है। इस समस्या को दो प्रकार से निपटाया जा सकता है; मध्यावधि में सरकार के वित्तीय घाटे को कम करके और दीर्घावधि में निम्न उपायों के द्वारा :

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप प्रदान किया गया है और इसका विस्तार आवंटन को बढ़ाया गया;

(ii) भा०खा०नि० द्वारा बाजार में गेहूं और चावल के भण्डारों को उतारना;

(iii) खाद्य तेल, रुई, गेहूं जैसे आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए कदम उठाना; और

(iv) जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही।

सभापति महोदया, मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन के समय कालाबाजारी क्षेत्रों में लगभग 40,000 छापे मारे गए और वहां से केवल 1,80,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं बरामद हुई। लेकिन इस सरकार के एक साल, एक साल भी नहीं, सात या आठ महीनों के भीतर ही 7000 छापे मारे और 55 करोड़ रुपए बरामद किए। अब आप राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का कार्यनिष्पादन देख सकते है, जिसे हमने समर्थन दिया था और अगले सरकार का भी ···(व्यवधान)···किसने किसको बचाया, इससे स्पष्ट होता है। मैं विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता।

जहां तक मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, यह सरकार इस पर अधिक ध्यान दे रही है और डा० मनमोहन सिंह जी ने अपने बजट भाषण में कई उपायों का उल्लेख किया है। सरकार के इन उपायों का क्या परिणाम निकला है ? निर्वाचक-मण्डल के मतों से परिणाम को आंका जा सकता है। अब, जनता को इस सरकार में विश्वास होने लगा है।

जैसा की सब लोग जानते हैं। उप-चुनाव में सत्ताधारी दल हार जाता है। (व्यवधान) अब, पिछले छह महीनों में, लोक सभा के 15 स्थानों के लिए उप चुनाव हुआ और 15 स्थानों में से कांग्रेस दल को 8 स्थान प्राप्त हुए। जनता में सरकार के प्रति ऐसा विश्वास हो गया है।

रही पंजाब की बात, राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा मैं बताता हूं :

"प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास पुनः स्थापित करने, धर्म-निर्पेक्षता और राष्ट्रत्व के मूल्यों को स्वीकार करने के लिए जो साहस का परिचय दिया है, इसके लिए पंजाब के बहादुर लोग बधाई के पात्र हैं। सरकार पंजाब में स्थित सभी मुख्य विषयों के उचित और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल के लिए वचनबद्ध है। राजीव लोन्गोवाल समझौता, इसी दिशा में एक कदम था। निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण अर्थपूर्ण बातचीत को और बल मिलेगा और इस प्रक्रिया में राज्य के सभी समुदाय भागीदार होंगे।"

प्रधानमन्त्री जी ने बार-बार कहा कि पंजाब में निर्वाचित सरकार है। आप जानते है कि पंजाब में आपके निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। जहां तक हमारी सदस्य संख्या का प्रश्न है, 13 स्थानों में से हमें 12 स्थान हमें प्राप्त हुए और सरकार भी हमारी ही बनी। चुनाव समाप्त होने तक, चुनाव व्यवस्था के विषय में, विपक्ष में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। परिणामों की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि इसमें धोखेबाजी और बहुत कुछ हुआ हैं (व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हालांकि शासन कांग्रेस का है, हम चाहते हैं कि पंजाब में सभी वर्ग के लोग सरकार का साथ दे और इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें। हमें इसका राष्ट्रीय समाधान खोजना चाहिए। अतः यह वह अवसर है जब हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर, राष्ट्र को मजबूत करने की बात सोचनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता मजबूत हो।

[श्री पी० एम० सईद]

भाजपा के मेरे मित्र हर तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पंजाब चुनाव में उनकी बहुत बुरी स्थिति रही है।

अब मैं श्री मुरली देवरा के मुम्बई के चुनावों की ओर आता हूं। मैं, केवल हमारे सारे उपायों को दृढ़ कर रहा हूं जोकि जनता के आत्मविश्वास द्वारा दृढ़ हुआ है। हम महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव को लेंगे। जिन 29 जिलों में चुनाव हुआ था, कांग्रेस दल ने सभी 29 जिलों में विजय प्राप्त की। सारे नगर-निगम कांग्रेस के हाथ आये। आपकी सूचना के लिए, कुल 6,000 महिला प्रत्याशी निर्वाचित हुए। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये 'आल-टाईम रिकार्ड' हैं। अतः प्रजातन्त्र में यह मानदण्ड है। (व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैं आपको यह सूचना देता हूं कि सभी नगर निगम कांग्रेस के अधिकार में आए कहना, सही नहीं है। यह सही नहीं है।

श्री मुरली देवरा (दक्षिण मुम्बई) : लगभग सभी नगर निगम।

श्री राम कापसे : लेकिन वे 'सभी नगर निगम' कह रहे (व्यवधान)

सभापति महोदया : श्री सईद जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री पी० एम० सईद : ठीक है। मैंने ठीक कहा। कांग्रेस ने 29 जिलों में जीत हासिल की। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में जीत हासिल की। क्या आप इस तथ्य पर बहस करना चाहते हैं?··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सईद जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करो।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हम कांग्रेस के बराबर हैं। (व्यवधान)

श्री पी०एम० सईद : यह राष्ट्रीय मोर्चा की विरासत है। श्री जसवन्त सिंह और अन्य भी उस सरकार का समर्थन कर रहे थे।

अब मैं असम की बात करूंगा। असम में चुनाव हुए हैं। निर्वाचित सरकार के कारण हमने ठोस कदम उठाये हैं और राज्य के भटके हुए लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी किया है। हम सब यह जानते हैं कि सितम्बर 1991 से असम में सेना तैनात है। उल्फा के कुछ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया और हथियार जब्त कर लिए गए। कुछ कार्यकर्त्ताओं ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। सभी बन्धक-व्यक्ति मुक्त किए गए। अब उल्फा भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत बातचीत करने और समझौता करने को तैयार है। क्या आप नहीं समझते कि ये सकारात्मक प्रतिक्रिया है।

नई सरकार को असम में इस तरह के सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करना चाहिए।

अब मैं कश्मीर की बात करता हूं। हम विश्व समुदाय को पाकिस्तान के बुरे कर्मों से अवगत कराने में सफल हुए हैं और वे पाकिस्तान सीमा पर उग्रवादियों के सम्भावित घुसपैठ को रोकने के लिए दबाव डाल सकते हैं। यह कार्य सरकार की सकारात्मक दृष्टि कोण है। हमें दृढ़ विश्वास है कि हमारे निष्कपट प्रयासों से हम कश्मीर के युवकों की आशंका और गलत-फहमी को दूर कर सकेंगे। और उन्हें

राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में ला सकेंगे । जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, हम कश्मीर में चुनाव कराएंगे। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है।

मैं अब साम्प्रदायिक सामंजस्य की बात करूंगा । राष्ट्रपति ने अपने भाषण में, इस विषय पर कहा था। हमारे चुनाव घोषणापत्र में हमने जैसे वचन दिया था, उसका पालन करते हुए 15 अगस्त, 1949 के अनुसार मन्दिर-मस्जिद विवाद को छोड़, सभी पूजा-स्थलों को यथास्थिति बनाए रखने का कानून पारित किया, हम मन्दिर-मस्जिद मामले को आपसी समझौते या न्यायालय के फैसले से सुलझाना चाहते हैं। सरकार के इस सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण देश में साम्प्रदायिक तनाव कम हुआ है। इस अवसर पर मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा प्रशासन की बागडोर सम्भालने के पश्चात साम्प्रदायिक दंगे काफी कम हो गए हैं।

जसवन्त सिंह जी, अब मैं एकता यात्रा के बारे में चर्चा करूंगा। अत्यधिक प्रचारित एकता यात्रा, जिसे मैं "विभाजन यात्रा" के नाम से पुकारता हूं, ने समाज को साम्प्रदायिकता के आधार पर बांट दिया है। यात्रा का मनोरथ उसी समय स्पष्ट हो गया था जब डा० जोशी ने यात्रा आरम्भ करने से पहले केवल हिन्दू मन्दिरों में ही प्रार्थना की। इसमें केवल एक ही अपवाद पूछा जब वे गुरुद्वारे में भी गए और वह भी शायद ए०-के० 47 के भय के कारण। परन्तु वे जानबूझ कर किसी भी मस्जिद, दरगाह गिरजाघर, जैन मन्दिर तथा बौद्ध मन्दिर नहीं गए। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह कोई एकता यात्रा नहीं थी बल्कि भा० ज० पा० की राजनैतिक यात्रा थी। डा० जोशी जिन्होंने अपनी यात्रा अनुच्छेद 370 के "मन्त्र" के साथ आरम्भ की, वे इस मन्त्र को काश्मीर की धरती पर पहुंचकर आसानी से भूल गये। उन्होंने अनुच्छेद 370 के इस 'मन्त्र' के एक शब्द का भी उच्चारण न तो जम्मू में किया और न ही कश्मीर में। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : जम्मू, ऊधमपूर सब मीटिंग में उन्होंने बोला है।

[अनुवाद]

श्रीनगर में भी उन्होंने इसकी चर्चा की है। आप ठीक जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर हमें बताइए। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : महोदया, वे गलत जानकारी दे रहे हैं तथा इसके साथ-साथ उन्हें बिना किसी कारण के अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि वे ए० के० 47 के भय से गुरुद्वारे में गये। (व्यवधान)। मेरे विचार में यह उचित नहीं हैं कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध आरोप लगाये जायें (व्यवधान)। हम यह सब कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? उन्होंने यह कहा है कि वे ए० के०-47 के भय से गुरुद्वारा गये। क्या हम इन सब बातों को स्वीकार करेंगे ? (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : मैंने यही कहा है कि वे केवल मन्दिरों में गए, न ही वे किसी गिरजाघर गये और न ही किसी जैन मन्दिर अथवा अन्य पूजा स्थल गए, तथा इसलिए शायद ए० के० 47 के भय से ही वे गुरुद्वारा में गए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री पी० एम० सईद : इसलिए, यह कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : यह एक बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी हैं।

श्री अन्ना जोशी यह उचित नहीं। अभिभाषण में इसकी चर्चा नहीं है। (**व्यवधान**) राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी चर्चा नहीं की गई है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : मैं इससे सम्बद्ध मुद्दे पर ही बोल रहा हूं।

श्री अन्ना जोशी : आप असंगत बात कह रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : हमारे मित्रों द्वारा इस मुद्दे को लेकर हम से प्रश्न किए जा रहे हैं कि हमने डा० जोशी को हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर क्यों भेजा ? (**व्यवधान**)

श्री राम कापसे : वे गलत जानकारी दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० सईद : सदन नरसिंह राव सरकार की दूरदर्शिता तथा परिपक्वता को जानना चाहता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 15,000 किलोमीटर लम्बी यात्रा, बिना खून की एक बून्द भी बहाये सम्पन्न हो गई, जबकि श्री आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक की 3,000 किलोमीटर की रथ-यात्रा के परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गये, नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, राष्ट्रीय मोर्चा का विघटन हुआ, हमारे भूतपूर्व साथी, 'यंग टर्क' तथा सातवें दशक के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का अवसर मिला जिन्होंने यह दिखा दिया कि कई बार पूंछ भी कुत्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तथा जैसे-तैसे करके उन्होंने अपनी सरकार के सत्ता में आने का रास्ता बना लिया। एकता यात्रा का वास्तविक परिणाम यह निकला कि सभी आतंकवादी गिरोह एक हो गये, कश्मीर में राष्ट्रवादी तत्व अलग-थलग पड़ गये तथा राजनीति में साम्प्रदायिकता का रंग छा गया। यही तीन परिणाम उन्होंने प्राप्त किए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में एकता यात्रा की कोई चर्चा नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री आडवाणी जी ने इसका सम्पादन करते हुए उसे निकाल दिया होगा।

श्री पी० एम० सईद : मैं श्री सोमनाथ जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह के दौरान उन्होंने सदन को अपनी मूल कार्यवाही से हटने पर बाध्य कर दिया था।

सभापति महोदया : क्या मैं माननीय सदस्य से निवेदन करती हूं कि अपनी बात अध्यक्ष जी को सम्बोधित करते हुए कहें ?

श्री पी० एम० सईद : मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करते हुए ही अपनी बात कहूंगा।

विपक्ष की ओर बैठे श्री सोमनाथ जी सहित बहुत से लोगों को डा० मनमोहन सिंह जी ने निराश किया है। प्रत्येक ने अपनी बन्दूकें तान रखीं थीं, परन्तु बारूद नहीं था तथा इसके कारण उन्हें काफी हद तक विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर होना पड़ा। जो लोग डा० मनमोहन सिंह जी पर उनकी गलतियों के कारण प्रहार कर रहे थे उन्हें विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आश्रय लेना पड़ा। यह भाग्य की बिडम्बना है। डा० सिंह ने बहुत से संसदविदों, व्यापारियों, तथा उद्योगपतियों को निराश किया है जो कि भारी कर तथा बैंक ऋणों पर नियन्त्रण लगाने की उम्मीद लगाये बैठे थे। उनकी आशाओं के विपरीत उन्होंने कर प्रणाली को व्यवहारिक बनाया तथा बैंक ऋणों को उदार बनाया जिससे कि उद्योग के विकास को उत्साह मिलेगा। कर छूट सीमा बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं, विकलांगों वृद्धों तथा बच्चों को विशेष रियायत प्रदान की। टी० डी० एस० को वापिस लेने

से इस बात में विश्वास बढ़ा है कि कोई भी अपनी जमा पूंजी निकलवाना नहीं चाहता तथा अब जमा करवाना आरम्भ कर देगा। पूंजीगत आयात तथा परियोजना आयात पर सीमाशुल्क कम करने तथा उत्पादन शुल्क में कटौती करने के कारण अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश बढ़ने के साथ-साथ हमारे निर्यात की स्थिति में भी सुधार होगा? सीमित सीमा शुल्क के साथ सोने के आयात की अनुमति देने से तस्करी की गतिविधियां कम होंगी तथा इसके साथ-साथ सोने की कीमतों में भी कमी आयेगी जो कि महिलाओं को काफी प्रिय है। आशाओं के विपरीत डा० मनमोहन सिंह जी ने डीजल, पैट्रोल, मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस पर कर नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कॉफी, चीनी, चाय इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं को भी नहीं छेड़ा है। ग्रामीण विकास के लिए आबंटित 500 करोड़ रुपये, खाद पर खत्र सहायता के लिए आबंटित 250 करोड़ रुपए तथा उर्वरक सबसिडी के लिए आबंटित 500 करोड़ रु० से कृषक वर्ग की समस्याएं काफी हद तक सुलझ जायेंगी तथा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को भी राहत मिलेगी।

बजट में पर्याप्त रूप में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए रखा गया है।

सभापति महोदया : क्या आप अपनी बात को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक सीमित रखेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था।

श्री पी० एम० सईद : इन सब बातों की राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा है।

2400 करोड़ रुपये मानव संसाधन विकास के लिए रखे गये हैं। 500 करोड़ रुपए लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए युवा सेवाओं के लिए रखे गये है। यह सब बातें बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रित करने में सहायक होंगी यद्यपि इनके परिणाम सामने आने में समय लग सकता है।

बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय घाटे को कम करके 5389 करोड़ रुपए तक लाना है जिससे कि मुद्रा स्फीति कम होगी तथा इसके परिणामस्वरूप बढ़ती हुई कीमतों को भी कम किया जा सकेगा।

राष्ट्रपति महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति की भी चर्चा की है। हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि विश्व की दूसरी महाशक्ति, जिससे कि हमारे वामपंथी मित्र प्रेरणा लेते रहे हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ, अब बिखर गया है। सोवियत संघ में राजनैतिक तथा आर्थिक उथल-पुथल हुई जिसके परिणामस्वरूप इस महाशक्ति का स्वरूप बिखर गया और विश्व में केवल एक महाशक्ति 'यूनाईटेड स्टेट्स' रह गई जिसने कि विकासशील देशों पर रौब जमाना आरम्भ कर दिया है। इससे भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है जिस पर सारे विकासशील देश नजर लगाए बैठे हैं। इस बदलते हुए परिदेश में तीसरा दुनिया के देशों को नेतृत्व प्रदान करके भारत को एक नई भूमिका निभानी है। विकासशील देशों को नेतृत्व प्रदान करके भारत को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बिल्कुल अलग भूमिका निभानी है। इससे हमारे देश को अपने सहयोगी देशों के बीच एक ईर्ष्यायोग्य स्थान प्राप्त होगा।

जब भारत तीसरी दुनिया के देशों के नेता के रूप में उभर कर सामने आने को तैयार है जो कि समय बीतने के साथ-साथ दूसरी दुनिया का स्थान लेगी। तो इस परिस्थिति में प्रत्येक भारतीय का यह

[श्री पी० एम० सईद]

कर्त्तव्य बन जाता है वह दल गत भावनाओं से ऊपर उठकर बाहर की दुनिया के सामने यह प्रमाणित कर दे कि हम वे लोग हैं जिन्हें अनेकता में एकता की शक्ति विरासत में मिली है तथा समय आने पर उचित दृष्टिकोण अपनायें। राजनैतिक विपक्ष के उत्तरदायित्व को भी हम समझते हैं, विशेषकर उन्हें अपनी आलोचना को एक सीमा में नियन्त्रित करना होगा जिसमें कि आंतरिक गलतियों को सुधारा जा सके परन्तु दूसरे देशों को यही सदेश मिले कि हम सब एक हैं। अपने प्रिय मित्रों से मैं यही निवेदान करना चाहता हूं। इसी में नरसिंह राव सरकार की व्यवहारिकता निहित है। आरम्भ से ही उन्होंने राष्ट्रीय आम सहमति का समर्थन किया है।

वे आरम्भ से ही राष्ट्रीय आम सहमति की वकालत कर रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी और राजनीतिक और सामाजिक अशान्ति थी सब कुछ यहां पर जैसाकि आप पहले ही कह चुके हैं आरम्भ से ही यह अन्तिम अवस्था था और भारत की प्रतिष्ठा बिगड़ती जा रही थी। मैं समझता हूं कि प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों से परामर्श करने वाले वे पहले प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने इन आठ महीनों के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद की दो बैठकें बुलाई हैं।

सोवियत संघ विखंडित हो चुका है। किसी ने भी इस परिस्थिति में इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि इसका इस प्रकार अन्त होगा। हालात और परिस्थितियां बदल गई हैं।

अतः इस महान सदन के सदस्य होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अवसर आने पर हम सबको निकल कर आगे आना होगा और एक राष्ट्र की भांति काम करना होगा। हम किसी भी हद तक आलोचना कर सकते हैं लेकिन हम आलोचना इस तरह करें कि हमारे मनमुटाव का पता न चले। (व्यवधान)

आप किसी भी हद तक आलोचना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि आलोचना ऐसी हो जिससे कि बाहरी दुनियां को ऐसा प्रतीत हो कि किसी भी तरह के संकट में भारत एकजुट है, यह दलगत और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ सकता है, इसमें राष्ट्र की स्थिरता निहित है···

(व्यवधान)

बेशक उस स्थिति में भारत से बाहर के लोगों को हमारे और हमारी हमारी शक्ति के बारे में सोचना होगा। वे हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 56 में जो कहा है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

> "भारत भविष्य की ओर तेज और उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जिससे विकास की गति तेज हो, हमारी जनता अच्छी जिन्दगी जी सके और भारत विश्व में तेजी से हो रहे बदलाव में अपनी पहचान बनाये रख सके इस समय हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। आइये हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल डालें। हम नये रास्ते खोजने में पीछे न रहें। हम अपने दृष्टिकोण में नवीनता लाएं तथा निडर रहें। आज की कठिनाइयां उज्जवल भविष्य की सूचक हैं। किन्तु भविष्य की ओर बढ़ते हुए हम अपने दृष्टिकोण में अनुशासन और दृढ़ता लाएं। हम बातचीत के लिए उग्रता का, सौहार्द के लिए हिंसा का त्याग करें, वरना इतिहास में हमारा महत्व गौण हो जाएगा।"

राष्ट्रपति महोदय ने यह परामर्श दिया है, अतः मैं सदन के सभी वर्गों के लोगों से आग्रह करता हूं कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए हमें भारत के राष्ट्रपति महोदय

को धन्यवाद देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए ।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं संसद के दोनों सदनों में 24 फरवरी, 1992 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए श्री पी० एम० सईद द्वारा लाये गये प्रस्ताव का अनुमोदन करना अपना विशेषाधिकार समझता हूं ।

इस अभिभाषण में इस सरकार के आठ माह के कार्यकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्रवाई और भविष्य में विकास और चहुंमुखी उन्नति के लिए तीव्र और सौद्देश्य कदम उठाने के लिए व्यक्त संकल्पों का नक्श पुनर्विवेचन किया गया है ।

मौजूदा सरकार ने जब श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में कार्यभार सम्भाला उस समय देश कठिन समय से गुजर रहा था अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न थी, दो गैर-कांग्रेसी सरकारों के डेढ़ वर्ष के अराजककाल में शासन को सबसे कम प्राथमिकता दी गई । देश की प्रतिष्ठा एकदम गिर गई । श्री राजीव गांधी की घिनौनी हत्या ने भारत की राजनीति पर एक दाग लगा दिया, श्री राजीव गांधी के अचानक चले जाने से अनिश्चितता का वातावरण बन गया । हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण समय पर कांग्रेस ने देश का नेतृत्व करने के लिए श्री पी० वी० नरसिंह राव को प्रधानमन्त्री चुना । उस समय उद्गत स्थिति अनसूय थी, उससे उत्पन्न हुई चुनौतियां विशाल थीं, हिंसा बढ़ रही थी । सांप्रदायिक क्षोभ से लोगों की भावनाएं कटु हो गई थी । पंजाब में 30 उम्मीदवारों की । हत्या की गई । देश की एकता और अखण्डता गम्भीर खतरे में थी । आर्थिक स्थिति ने देश की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत कर दी और राष्ट्रों के बीच हमारा वो सम्मान नहीं रहा जोकि कभी था ।

महोदया, आज हम कुछ संतोष के साथ पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि इन सभी मोर्चों पर कुछ प्रत्यक्ष सुधार हुआ है । सरकार ने कलह-त्रस्त राज्य पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पहले से अपेक्षित अति आवश्यक और सार्थक कार्रवाई शुरू करने के लिए चुनाव कराना स्वीकार किया, यह साहस ही है कि आतंकवादियों की अत्यधिक धमकियों के बावजूद हाल के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल कर आए । आज पंजाब में लोकतन्त्र बहाल हो चुका है । एक चुनी हुई सरकार निश्चित ही शांति और विकास कार्यों के लिए बेहतर सिद्ध होगी । इस राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा करने के लिए पहल करने के लिए हमें माननीय प्रधान मन्त्री का धन्यवाद करना चाहिए । ताकि पंजाबियों की राज्य की पुरानी गरिमा प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके, मुझे यकीन है कि नई सरकार के सत्ता में आ जाने से एक नई प्रक्रिया बहाल की जा सकेगी । जैसा कि हम पहले कहते रहे हैं कि पंजाब की समस्या राष्ट्रीय समस्या है । मुझे यकीन है और मैं अपने सभी साथियों से भी अपील करता हूं कि वे उस परिप्रेक्ष्य में स्थिति को देखें और सहयोग का हाथ बढ़ाएं । पंजाब में एक दल दूसरे दल के विरुद्ध नहीं है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । यह राष्ट्रीय हित है जिसका महत्व सर्वोपरि है और जिसकी हमें रक्षा करनी है ।

महोदया, आतंकवाद से पंजाब और कश्मीर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जिसको सीमापार से एक गैर-दोस्ताना पड़ोसी देश से सहायता मिल रही है और उकसाया जा रहा है । पाकिस्तानी शासकों की आंतरिक मजबूरियों ने उन्हें भारत विरोधी प्रचार जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया । लेकिन इस बात का श्रेय हमारी सरकार को जाता है कि उसने विभिन्न नवीन परिवर्तनों और कूटनीतिक कल्पनात्मक तरीकों से उनके झूठे प्रचार को बढ़ने से रोका ।

[श्री पवन कुमार बंसल]

महोदया, उत्तर-पूर्व में विभिन्न भूमिगत गतिविधियों से निपटने में भी सफलता हासिल की गई है। लोकतन्त्र में अपने घोर विरोधियों के साथ वार्ता को सर्वोच्चता दी जाती है और मौजूदा सरकार इस बात के लिए बचनबद्ध है। सरकार ने सच्चे मन से इसका पालन किया हैं और मुख्य मुद्दों का सामना करने के लिए देश में राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयत्न किया है।

4.00 म० प०

धर्मनिरपेक्षता ऐसा सिद्धान्त है जो भारतीय वातावरण में पनपा है। हम धार्मिक वृत्ति वाले और भगवान से डरने वाले लोग हैं लेकिन यह भी मानते हैं कि भगवान धर्मनिरपेक्ष है। इन्सान में बसा शैतान ही होता है जो संप्रदायवाद के विष को बढ़ावा देता है। कभी-कभी यह विष हमारे वातावरण को इतना दूषित कर देता है कि जान-माल का बहुत नुकसान होता है। लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए एक तुरन्त कार्य दल गठित किया गया हैं और सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए एक फाउन्डेशन स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री नरसिंह राव की सरकार औसत भारतीय का जीवव स्तर सुधारने के लिए बचनबद्ध है। संसाधनों की कमी होने के जावजूद रोजगार के और अवसर बढ़ाने, निरक्षरता, गरीबी, बीमारी और भूख का सामना करने, समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। आज इन्हीं राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीतियां बनाई जा रही हैं। सरकार समय के साथ चलने में विश्वास रखती है। हम उन मतों और सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं जिन्हें पहले अपनाया गया है, जो सही साबित नहीं हुए और तत्पश्चात उन्हें विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में भी अस्वीकार कर दिया गया।

4.01 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

जबकि हमारे वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के सोचने के ढंग और विचारधाराओं में बहुत भिन्नता हैं फिर भी मैं उनके विचारों में कुछ समानता पाता हूं क्योंकि आज दोनों ही यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं और यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ?

बजट प्रस्तुत होने के बाद आज मेरे मित्र श्री पी० एम० सईद ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज मैं अपने समाज में पुनर्जागरण देख रहा हूं। अर्थव्यवस्था को उदार बनाया जा रहा हैं और विकास की गति बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई है जिन मित्रों के बारे में मैंने अभी उल्लेख किया है दुर्भाग्यवश वे इसके गुणों को समझने में असफल रहे हैं। वे अभी भी अपनी सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं से चिपके हुए हैं जबकि विश्व में उनके पथ-प्रदर्शकों और दार्शनिकों ने इन विचारों को छोड़ दिया है। वे उन मुख्य घटनाओं से कुछ सीखने से इन्कार करते हैं जिन्होंने विश्व में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिए हैं।

महोदय, मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के आलोचकों को सुनकर हैरानी होती है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनका उल्लेख अब क्यों कर रहे हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल : हम उस महान स्वप्नदृष्टा और आधुनिक भारत के निर्माता का सम्मान करते हैं और मैंने उनके बारे में समय समय पर आपको कुछ कहते सुना है । मुझे उन मित्रों की बात सुनकर हैरानी हुई जो अक्सर कांग्रेस पर लाछन लगाते रहते हैं कि उसने उस महान स्वप्नदृष्टा की नीतियों को छोड़ दिया है । इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है । मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का प्रत्येक कार्य एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए कांग्रेस के मूल और सुसंगत विचारों की पुष्टि करता है । मुझे विश्वास है कि यदि आज पण्डित नेहरू होते तो वह भी वही करते जो कांग्रेस आज कर रही है । वह भी सरकारी क्षेत्र के उस उपक्रम को यूं ही नहीं छोड़ देते जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया निवेश किया हुआ है और उसे 10,000 करोड़ रुपए का वार्षिक घाटा हो रहा है । कांग्रेस की यह नीति अचानक ही नहीं बन गई है । यह लम्बे समय से चले आ रहे विकास का परिणाम है और आज भी हम विकास को नजरअन्दाज नहीं कर रहे हैं । पण्डित नेहरू ने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी और विश्व की आज की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि यह सही रास्ता था जो भारत जैसा देश सदियों की गुलामी के बाद अपना सकता था ।

हमारी चिन्ता का विषय यह नहीं है कि उद्योग विशेष को कौन चला रहा है । हमें रोजगार के और अवसर पैदा करने पर जोर देना चाहिए ताकि कोई भी भारतीय बिना काम के न रहे । हमारे लिए यह भी चिन्ता का विषय है कि प्रत्येक भारतीय को जीवन की मूल आवश्यकताएं उपलब्ध हों । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं पुनः निश्चित की हैं ।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि आठ माह पहले हमारा विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था । बहुत मेहनत करने के बाद आज उसे हमने 11,000 करोड़ रुपए कर लिया है । यदि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार करने के प्रयास नहीं करती तब हमारा हाल भी लेटिन अमरीका अथवा सोवियत संघ जैसा होता । लेकिन कांग्रेस की दूरदर्शिता—श्री राजीव गांधी ने चुनाव घोषणा-पत्र में जो कहा था और वर्तमान सरकार सही मायने में उसका पालन कर रही है, के कारण आशा की किरण सामने आई है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है और अनेक स्वास्थ्य योजनाएं भी लागू की जा रही हैं । राष्ट्रीय साक्षरता अभियान द्वारा 15-35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जो कभी स्कूल नहीं गए, को साक्षर बनाने में बहुत सफलता प्राप्त की है । सबको मूल शिक्षा देने का राष्ट्रीय उद्देश्य एक विशाल कार्य है जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उनसे शीघ्र ही इसे प्राप्त कर लिया जाएगा । सरकार इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है ।

महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने तीव्र प्रगति की है । कुछ वर्ष पहले ही दूसरे पक्ष में हमारे मित्रों ने श्री राजीव गांधी द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने का विरोध किया था । आज मैं उन्हें कहता हूं कि वे अपने उस विरोध के बारे में सोचे और हमारे राष्ट्रीय क्रियाकलापों के अनेक क्षेत्रों में कम्प्यूटर के बिना कार्य करने की कल्पना करें । आज हम जहां है क्या ऐसा कम्प्यूटर के कारण नहीं हुआ ? आज संचार व्यवस्था में तीव्र प्रगति हुई है और यह विकास अभी भी जारी है । आज दूरवर्ती पंचायत को भी जिला मुख्यालय से जोड़ा जा सकता है । हमारे संसाधनों को देखते हुए यह कम उपलब्धियां नहीं है । आधारभूत ढांचा तीव्र गति से विकसित किया जा रहा है और विद्युत उत्पादन पर बल दिया जा रहा

[श्री पवन कुमार बंसल]

है। राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस ओर सरकार का ध्यान न गया हो। इनमें से कुछ का मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है और मैं माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मै यह अवश्य कहना चाहता हूं कि श्री नरसिंह राव का स्वप्न सन् 2000 तक भारत को निर्धनता और बेरोजगारी से मुक्त करना है।

अपने पुराने अनुभवों के आधार पर हमने बेहतर और स्थिर विकास करने के लिए आर्थिक सुधार लागू किए। हमने विकास के लिए अनेक प्रयास किए ताकि जनसंख्या विस्फोट, निरक्षरता, बेरोजगारी और पर्यावरण संबंधी गम्भीर समस्याओं का सामना किया जा सके और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुदृढ़ और सुरक्षित भविष्य बना सकें। यह गांधीवादी सिद्धांत हैं जो सरकार का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

आज भारत की अर्थव्यवस्था की क्षमता के बारे में पता चला है और जैसाकि मैंने कहा है कि हमारे विचारों में आशा की किरण पैदा हो गई है। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों को कठिन नियमों और नौकरशाही नियन्त्रण से मुक्त किया जा रहा है जो कि आज के समय में अराजकतावादी हैं। उद्योगों को आज के तीव्र परिवर्तनीय विश्व में प्रतियोगिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हम विश्व अर्थव्यवस्था में पिछड़ न जाएं।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि सबको इन कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणों से हम निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते। संगठित श्रमिकों के डर को दूर करने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया गया है ताकि पुनर्संरचना का भार उन पर न पड़े। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के हमारे मित्र इन उपायों से सहमत नहीं है। यहां तक वे आर्थिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मतैक्य को भी नजरअंदाज कर रहे हैं।

महोदय, मैं जानता हूं कि परिवर्तन का अक्सर विरोध होता है। इस बात को देखते हुए हमारे मित्रों की यह प्रतिक्रिया कुछ हद तक सही है। लेकिन आज हमारे विपक्षी मित्रों को संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सरकार के कार्यों को देखना चाहिए।

मैं दूसरे पक्ष के अपने मित्रों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि संसद में जैसाकि पहले सप्ताह में हुआ, व्यवधान पैदा करने का रवैया अपनाने से पहले लोगों की भावनाओं का अध्ययन करना चाहिए।

पिछले आम चुनावों में भारत के लोगों ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को जनादेश दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने इससे यह आशा भी रखी कि यह राजकार्य मतैक्य से चलाए। श्री नरसिंह राव ने इन आठ महीनों में ऐसा ही करने का प्रयास किया है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की आरम्भिक सफलता, हाल ही में हुए पंजाब के चुनावों में कांग्रेस की विजय से सभी आश्चर्यचकित रह गए हैं और 41 वर्षों में पहली बार बम्बई नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की विजय तथा महाराष्ट्र के सभी 29 जिला परिषदों और 80 पंचायतों में इसकी शानदार विजय से सबको निराशा हुई है।

हमारे दोस्तों ने अब एक बार फिर लोगों के मन में सन्देह उत्पन्न करने का रास्ता अखतियार कर लिया है, वह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के लिए उनके विरोध के औचित्य को मैं समझ

सकता हूं। आज यह उनका काम है। यदि वे अपनी तत्परता, और जागरूकता सरकार के कार्यकरण में किसी तरह का दोष निकालने के लिए दिखाते तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि मौजूदा सरकार खुले और सभी की भागीदारी वाले लोकतन्त्र में विश्वास करती है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हमने देखा कि पिछले सप्ताह यहां पर क्या हुआ। वित्त मन्त्री द्वारा विश्व बैंक को लिखे गए पत्र पर उन्माद पैदा किया गया था। हम जानते हैं कि जब बजट पेश किया गया था तब अन्ततः इसकी क्या परिणति रही थी। लोगों के मन में किस तरह के संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी जैसे कि सरकार ने शायद लोगों से कुछ छिपाना चाहा हो?

मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कायाकल्प हमारी संस्थाओं के हित में नहीं होगा, आज हमें इस पर सोचना होगा। मुझे विश्वास है कि विपक्ष लोगों की मनःस्थिति को समझेगा जैसा कि मैंने कहा, जब उन्होंने इस सरकार को अपना मत दिया है तो यह चाहते हैं कि यह अपना कार्यकाल पूरा करे, दूसरी ओर हमारे दोस्तों को इस पर चिंतन करना चाहिए।

भारत के लोग स्थाई सरकार चाहते हैं। वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके और वे जानते है कि श्री पी०वी० नरसिंह राव की मौजूदा सरकार द्वारा यह सब उपलब्ध कराया जा रहा है। वे उसमें किसी के द्वारा भी किसी तरह का हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। आज देश के सामने अभूतपूर्व मौजूद समस्याएं कांग्रेस को रोक नहीं सकती है, श्री पी०वी० नरसिंह राव को रोक नहीं सकती हैं या उन्हें उनके द्वारा चुने गए रास्ते से विचलित नहीं कर सकती हैं। उनके नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद और अलगाव-वाद से लड़ने में सफलता हासिल की है। आज देश के किसी भी हिस्से में सरकार आतंकवादियों के सामने झुकी नहीं है। लोग समय-समय पर रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को साम्प्रदायिक रूप देने और उन्हें भावनाएं उभारने के पीछे छिपे राजनीतिक उद्देश्यों को समझ चुके हैं।

हाल ही में स्वतः घोषित "एकता यात्रा" जिसे मेरे माननीय साथी ने सविस्तार प्रतिपादित किया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा धूमधाम से शुरू की गई थी। लेकिन यह समाज के किसी भी वर्ग को उत्साहित करने में नाकाययाब रही। क्यों? यह केवल इसमें कथित एकता और एकताउन्मुखी विशेषताओं के न होने और ध्येय न होने के कारण विफल हुई। मुझे इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि यह सच्चे अर्थों में एकता यात्रा होती तो सभी धर्म स्थानों की यात्रा करने के लिए सच्चे प्रयास किए गए होते, उन्होंने केवल कुछ ही धर्म स्थलों की यात्रा की। यदि आप राजनीतिक कार्यक्रम आरम्भ करना चाहते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप सभी धर्म स्थलों की यात्रा करो यदि यह सच्ची एकता यात्रा है तो आपका यह बड़ा भारी कर्त्तव्य हो जाता है कि आप प्रत्येक धार्मिक स्थल पर जाएं, प्रत्येक वर्ग के धार्मिक स्थलों पर जाएं और पूरे देश के लोगों को अपने साथ ले चलो। समाज के केवल एक वर्ग को नहीं, पिछले आम चुनावों के पहले यह सब किया गया। उस समय हो सकता है लोगों ने उनका लिहाज किया। तब से उन्होंने उनके षड़यन्त्र को भांप लिया है। और वे फिर से उनकी तरह की दिखावटी बातों में आने वाले नहीं हैं। (अध्यक्ष पीठ ने घंटी बजाई) सभापति महोदय, संक्षेप में यह कहना चाहूंगा।

• **श्री रामनाईक** (उत्तर बम्बई) : अपना भाषण संक्षिप्त मत कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : यह अध्यक्षपीठ का निर्देश है।

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : श्री नाईक आपको अभी भी अध्यक्षता करनी है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, श्री पी०वी० नरसिंह राव जिन्हें पर्याप्त अनुभव है और जिनमें देश के प्रति सेवा और समर्पण की भावना है, को इस विशाल और संस्कृति बहुल देश के कार्यों को आम सहमति से चलाने का प्रयास करना चाहिए। उनके प्रयत्न में पूरे देशवासियों और कांग्रेस कमेटी का अटल और संपूर्ण समर्थन उनके साथ है। उनकी ईमानदारी ने देश के लोगों के मस्तिष्क में उनके लिए सहानुभूति बनाई है। लोगों ने उन्हें समझ लिया है और उनके काम करने के तरीके की और इस विशाल देश के जटिल कामों को चलाने में उनको कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा की है। उनका उनके साथ मित्रभाव है। हमारे विपक्षी दोस्तों को इस बात को महसूस करना चाहिए। इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनावश्यक मुद्दों को उठाकर और अड़ंगेबाजी से लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। लोगों का समर्थन तभी प्राप्त हो सकता है जब वे आज के प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में गरिमा और आत्मसम्मान से आगे बढ़ने के प्रयत्न में ईमानदारी से शामिल हो जाएं। हमें समझ लेना चाहिए कि हमने जो मार्ग चुना है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे का सफर लम्बा, और कष्टकर हो सकता है, लेकिन हम डगम गाएंगे नहीं। श्री पी०वी० नरसिंह राव डगमगाएंगे नहीं। हम अपने पथ पर सतत चलते रहेंगे, हमारा दृष्टिकोण ईमानदारीपूर्ण होगा और जीत हमारी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं संसद के सदनों के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 24 फरवरी 1992 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं वे यदि अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिसमें उन संशोधन प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं संशोधन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया जाना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किसी प्रभावी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।' (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास में बढ़ते हुए असन्तुलन को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर किसी प्रभावी कार्य योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अनेक भागों विशेष कर आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र बिहार और उड़ीसा में बढ़ती हुई नक्सलवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किसी संघटित कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं तथा आम आदमी के उपयोग की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी तथा दूरगामी प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापक और समेकित चुनाव सुधारों के लिए विधान बनाने हेतु किसी निश्चित समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए किसी समय-बद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है ।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए किसी प्रभावी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किसी समयबद्ध कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था में बढ़ते हुए अपराधीकरण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के बारे में उल्लेख नहीं है ।" (241)

प्रो० प्रेम धूमल :

श्री राजवीर सिंह :

श्रीमती हरजेन्द्र कौर (बीबा) :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा कुछ देशों के साथ गठबन्धन करने के प्रयत्नों से उत्पन्न बढ़ते हुए परमाणु खतरे को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के युवकों में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए किसी कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिकभाषण में देश के विकास के सम्बन्ध में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए किसी कारगर कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किन्हीं कारगर उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों के लिए कोई व्यापक विधान लाने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा विघटनकारी ताकतों को कुचलने के लिए किसी नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

[हिन्दी]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में होशियारपुर, अम्ब, चड्डा, हमीरपुर, अवाहदेवी, सरकाघाट और मंडी राजमार्ग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा नीति में हुई प्रगति और चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (537)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (538)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेना में भर्ती के लिए राज्य की जनसंख्या की अपेक्षा शारीरिक मापदंडों, मानसिक योग्यता और कर्तव्य परायणता को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (539)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में "धन लगाओ, रोजी कमाओ" जैसी आंशिक योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (540)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (541)

कि प्रस्ताव के अन्त ने यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (542)

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने हेतु किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर एक निर्धारित अवधि में प्रभावी सुरक्षा पट्टी बनाने हेतु किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर शीघ्र ही मानव अधिकार आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के दूसरे राज्यों के समकक्ष लाने के लिए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी चुनाव प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर करने की दृष्टि से चुनाव सुधार आयोग गठित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी नागरिकों के लिए समान विधि बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता सुधारने और इनका लाभ बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य में चुंगीकर समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र और राज्यों तथा राज्यों के आपसी विवादों को हल करने के लिए अन्तर-राज्यीय परिषद गठित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन की वृद्धि रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

[हिन्दी]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी दीर्घावधि योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (930)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी को हल करने के लिए किसी प्रभावी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (931)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया-कलापों से निपटने के लिए की जा रही किसी ठोस कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (932)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि को उद्योग के समान दर्जा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (933)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों को पूरे वर्ष काम देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (934)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को खाद्यान्न, कपड़ा, मिट्टी का तेल तथा अन्य अनिवार्य वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (935)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (936)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये. अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी के लिए समयबद्ध प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (937)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वार्षिक नीतियां बनाने सम्बन्धी मामलों में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के सामने सरकार के स्पष्ट रूप से झुकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसका राष्ट्र की आर्थिक प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आत्मनिर्भरता नीति से दूर हटना है।" (28)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसद को विश्वास में लिए बिना कीमतों में भारी वृद्धि के बारे में सरकार की अनुचित कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में शान्ति कायम करने के लिए आम जनता के साथ राजनैतिक बातचीत शुरू करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषत: केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का पता लगाने के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कारगर कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत जैसे विकासशील देशों के हित में साम्राज्यवादी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को पुनर्जीवित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इजराइल को कट्टर यहूदीवाद के आरोप से मुक्त करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को सरकार द्वारा स्वीकार करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ देशों के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बुद्ध से छिन्न-भिन्न ईराक पर कड़ी शर्तें थोपने के बारे में सरकार की उदासीनता का कोई उल्लेख नहीं है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले सदन के साथ जुड़ी शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव से पूर्व किये गये वायदे के अनुसार कीमतों में वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपए के अवमूल्यन के प्रतिकूल प्रभावों कार्इ को उल्लेख नहीं है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के भूखे मर रहे गरीब आदिवासियों को राहत सामग्री और अन्य सहायता प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशों से गेहूं आयात करने में सरकार की मजबूरी का कोई उल्लेख नहीं है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति जो इस समय बढ़कर तेरह प्रतिशत हो गई है, उसे कम करने के लिए गम्भीर प्रयत्नों का कोई उल्लेख नहीं है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के महीनों में औद्योगिक विकास में गिरावट का कोई उल्लेख नहीं है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के महीनों में डालर की मुद्रा में निर्यात करने में गिरावट के रुख का कोई उल्लेख नहीं है।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जी०डी०पी० में गिरावट जो इस समय तीन प्रतिशत है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के महीनों में हमारे देश में अर्थव्यवस्था की धीमी गति के संकेत का कोई उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद हैं कि अभिभाषण में खाद्य वस्तुओं पर राजसहायता में भारी कमी करने के कारण गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के कष्टों का कोई उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों पर राजसहायता समाप्त करने के कारण सीमान्त किसानों को हो रही कठिनाईयों का कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सम्पूर्ण भूमि सुधार उपायों को लागू करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या का हल करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में जा रहे सरकारी उपक्रमों में पूंजी न लगाने सम्बन्धी श्रमिक विरोधी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गयी एग्जिट नीति के बुरे प्रभावों का कोई उल्लेख नहीं है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या को हल करने में सरकार की असमक्षता का कोई उल्लेख नहीं है। (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में हल्दिया में जल्द पैट्रो रसायन कम्पलेक्स स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में विद्यासागर विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की मंजूरी नहीं दिये जाने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में कालाहांडी में भूखे मर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के लोगों में आय की असमानताओं को दूर करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1024)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस पीड़ितों की दशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1025)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती कीमतों के कारण कृषि श्रमिकों की बढ़ती कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1026)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकारों को शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1027)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबन्धों को सरकार द्वारा बार-बार इस्तेमाल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1028)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए गम्भीर प्रयासों का उल्लेख नहीं है हालांकि मंदसौर जिले में गांधीसागर जलाशय, पशुपतिनाथ मन्दिर, धर्मराजेश्वर, रतलाम जिले में केदारेश्वर और नागेश्वर-पारसनाथ जैसे पर्यटन स्थल विद्यान हैं।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सर्वांगीण विकास के लिए नर्मदा सागर परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों को शीघ्र राहत दिए जाने सम्बन्धी ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में आर्थिक कुप्रबन्ध के कारण उद्योगों के बन्द होने और उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने तथा इन उद्योगों, विशेषकर इन्दौर, मध्य प्रदेश में हुकमचन्द टैक्सटाइल मिल को पुनः चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए पर्यटन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और बम्बई के बीच स्थित नसीराबाद-मऊ-मार्ग का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विजयपुर, मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में खिरकिया (होशंगाबाद), मध्य प्रदेश में स्वीकृत तेल शोधक कारखाना को स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापक कृषि नीति विशेषरूप से चीनी नीति, तेल नीति तथा मूल्य नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (916)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वीकृत चीनी मिलों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (917)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मध्य प्रदेश को आनुपातिक आधार पर खाद्यान्न, डीजल, मिट्टी का तेल, सीमेंट आदि न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (918)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ते असन्तोष जिसका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र पर भी असर पड़ रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (919)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते असन्तोष को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में खनिज आधृत भारी उद्योग लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (920)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के लम्बित पड़े रहने के कारण विकासात्मक कार्य में आई रुकावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (921)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के नीमच, रतलाम, उज्जैन तथा धार जैसे महत्वपूर्ण नगरों के लिए हवाई-सेवाएं चलाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (923)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासी को वन भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (923)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में इन्दिरा सरोवर परियोजना के विकास के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने तथा उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (924)

[अनुवाद]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजधानी की जनता की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने के लिए मेट्रो रेल योजना, को चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए रिंग रेलवे का सुधार करने और दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा को स्थानीय रेलवे स्टेशनों से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए सरकार की विस्तृत नीति की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में बिजली की नियमित आपूर्ति करने के लिए स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को आत्म-निर्भर बनाने हेतु और अधिक विद्युत उत्पादन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में गर्मी के महीनों में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए पेय जल की आपूर्ति में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महानगरीय शहरों विशेषकर दिल्ली में जल प्रदूषण को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर और पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर पुरानी दिल्ली में पुरानी सीवर लाईनों को जोकि आम आदमी की मूल आवश्यकता है, बदलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के व्यापारिक वर्ग की भलाई, की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मुक्त व्यापार की नीति को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा रोजगार आधारित नीतियां लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर दिल्ली में नये स्कूल और कालेज खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए नये पोलिटैक्निक कालेज खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजधानी की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली की विशेषकर नई कालोनियों में नये अस्पताल खोले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषरूप से दिल्ली में कालोनियों और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में सफाई सम्बन्धी सुविधाओं, जिनमें तुरन्त सुधार करने की आवश्यकता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महानगरीय शहरों की जनता को बेहतर और नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन का निजीकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे आतंकवाद तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा में नक्सलवादी गतिविधियों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु उठाये जाने वाले कारगर कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की जनता की कठिनाईयों को दूर करने तथा पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कारगर उपाय करके जनसंख्या के पलायन को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान के लोगों की घुसपैठ तथा भारतीय क्षेत्र में उनकी घुसपैठ को रोकने और उसकी भर्त्सना करने तथा परमाणु बम बनाने को स्वीकार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनना स्वीकार करने के बावजूद परमाणु बम बनाने के सम्बन्ध में भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषरूप से बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'एक रैंक एक पेंशन' योजना और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का मुकाबला करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों की अपर्याप्तता और असफलता के बारे उल्लेख नहीं है।" (850)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भाषा सांप्रदायवाद और पृथकतावाद के आधार पर बढ़ते हुए जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और बंटवारे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (851)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय जल नीति और समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (852)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान के बड़े भू-भाग को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और थार रेगिस्तान को हरित क्षेत्र में बदलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (853)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (854)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यटकों के लिए अधिक सुगम्य बनाने हेतु ऐतिहासिक स्थल अजमेर का चहुंमुखी विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (855)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में युवकों में असन्तोष, अनुशासनहीनता, निर्भरता आदि को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (856)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (857)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्यक्रमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (858)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आध्यात्मिक तथा अन्य ज्ञान के प्रसार के लिए हिन्दी और संस्कृत तथा त्रिभाषा फार्मूले के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (859)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज कल्याण उपायों में सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा महिलाओं पर अत्याचार और छुआछूत को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (860)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने और गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (861)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए न्यूनतम कल्याण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (862)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने और वन सम्पत्ति के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (863)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (864)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (865)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्धारित अवधि के भीतर "राष्ट्रीय कृषि नीति" घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (866)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने, सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने और किसी भी कीमत पर देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (867)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में धन और बाहुल्य के प्रयोग को रोकने के लिए किए जाने वाले कड़े उपायों, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (868)

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : (गढ़वाल) मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर प्रस्तावित "उत्तरांचल राज्य" बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिककरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की निरन्तर बढ़ती हुए बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना को क्रियान्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाने की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न अनुसंधान तथा उनके परिणामों की सूचना देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदराज तथा पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के दूरदराज के ग्रामीण तथा पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदराज तथा सामरिक महत्व के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने तथा तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकाय बनाने का उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश में मौजूद पर्यटक स्थलों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (714)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (715)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए लागू की जाने वाली किसी प्रस्तावित योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (716)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "उद्योग विहीन" जिलों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (717)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ने से रोकने और आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (718)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में भूकम्प से प्रभावित लोगों के लिए आरम्भ किए गए पर्याप्त राहत कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है।" (719)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पर्यटक में एक कुशल रेल सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (720)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए किसी समयबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (721)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम्ब बनाए जाने को स्वीकार करने की खबरों पर सरकार के दृष्टिकोण का कोई उल्लेख नहीं है।" (722)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन अधिनियम के उपबन्धों के कारण देश के विभिन्न भागों, विशेषकर देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यों पर बुरे प्रभाव के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (1188)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1189)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को मान्यता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूर-दराज और पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों और तेलों में मिलावट करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने और इस प्रवृत्ति को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1192)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को 100 दिनों के भीतर कम करके 1990 के स्तर तक लाने के सरकार के आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1193)

कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1194)

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर जैसाकि सरकार ने वचन दिया था आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करके 1990 के स्तर पर लाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों में असाधारण वृद्धि, भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन और सोना बेचने के कारण हुए आर्थिक संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (186)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने की किसी कोशिश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (188)

कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम करने और रोजगार के अधिकार' को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में देश में काला धन रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 आवश्यक वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित एवं कम मूल्य पर करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बच्चों को समान और निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (192)

कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाए, अर्थात्

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (193)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में केन्द्र-राज्यों के हिस्से का फिर से निर्धारण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वेतन भोगियों के अलावा अन्य व्यक्तियों से आयकर इकट्ठा करने हेतु किसी ठोस नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (195)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या का समाधान करने के लिए वायदानुसार पैकेज की घोषणा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र की मुख्य धारा से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य के अलग-थलग होने, जिसने इन क्षेत्रों में आतंकवादी क्रियाकलाप की घटनाएं बढ़ रही हैं, के कारणों का कोई उल्लेख नहीं हैं।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापार वार्ता सम्बन्धी डंकेल ड्राफ्ट स्वीकार करने के गम्भीर परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप देने में हो रहे विलम्ब की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए समय पर कदम उठाने में सरकार की असफलता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीन ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करने के किए किसी भी कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र राज्य सम्बन्धों को बेहतर बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक सुधार करने तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अविकसित पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिए अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ बनाने के लिए विकल्प ढूंढने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में सरकारी नीति के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।" (369)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को "मूल अधिकार" बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (370)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (371)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (372)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना देने सम्बन्धी किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (373)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहार मजदूरों के कल्याण के लिए कोई केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (374)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (375)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय युवा नीति बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (377)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को संरक्षण प्रदान करने और उन राज्यों में इसे बढ़ावा देने, जहां बड़ी संख्या में उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धन और बाहुबल को समाप्त करने और समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए चुनाव प्रणाली में प्रभावी सुधार करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार देने को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे सभी अलोकतांत्रिक कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम लोगों के लिए शीघ्र और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (381)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से पश्चिमी देशों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका को निरन्तर प्रतिभा पलायन और इसे रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (382)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाओं को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।" (383)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों अर्थात् देहरादून, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्याओं, भाषा और संस्कृति, जो उत्तर प्रदेश के अन्य भागों से भिन्न है, को दृष्टि में रखते हुए उन्हें मिलाकर एक पृथक उत्तराखंड पर्वतीय राज्य का निर्माण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (384)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में निरन्तर बढ़ते आंतरिक और विदेशी ऋणों तथा सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद की कुछ प्रतिशत तक सीमित करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।" (385)

"कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन रक्षक औषधियों की कमी और उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तथा जीवन रक्षक औषधियों को आसानी से उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।" (386)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक नीति को लागू करने के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी और रोजगार के अवसरों में तेजी से आई कमी के प्रति गम्भीर चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (387)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक आदिवासी बनाने में विलम्ब के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (388)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों, बीमा कम्पनियों, होटलों और पर्यटन आदि के क्षेत्रों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों में तेजी से आ रही कमी को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। जो नई औद्योगिक और आर्थिक नीति, जिसमें निजीकरण पर बल दिया गया है, के कारण हुई, क्योंकि उससे उनकी आरक्षण फायदा उठाने की गुंजाइश सीमित हो गई है।" (389)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1043)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है और इन्हें रोकने के लिए कोई कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1044)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1986 से पूर्व के पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1045)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के युवकों में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किन्हीं कारगर उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में बढ़ रहे असन्तुलन को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कारगर कार्य योजना कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं और आम आदमी के इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के रुख को रोकने के लिए किए जाने वाले किन्हीं कारगर उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के खेतिहर मजदूरों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए किसी सकारात्मक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुटीर उद्योगों और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने

और इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक आर्थिक सहायता देने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में खासतौर पर गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई बढ़ाने की किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने की सरकार की मंशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वायु और जल प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय नवीकरण निधि, जो सरकार की एग्जिट नीति को कार्यान्वित करने और केन्द्र सरकार के कई कार्यालयों के कार्य को समेटने और पदों को समाप्त करने के लिए बनायी गयी है, जिससे बड़े पैमाने पर मजदूरों और कर्मचारियों की छंटनी होगी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्युत, इस्पात, विमान सेवा, नौवहन, रेलवे, दूर-संचार, रक्षा उत्पादक में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल होने की अनुमति देने और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 49 प्रतिशत पूंजी-निवेश कम करने की सरकार की नीति, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में अच्छी स्थिति प्राप्त कर चुके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (349)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकेल प्रारूप के प्रस्तावों की जटिलताओं जिससे कृषि, अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और देश के हितों को आघात पहुंचेगा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (350)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'इसरको', बर्नपुर, पश्चिम बंगाल के आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (351)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साईकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया, बर्न स्टेंडर्ड कंपनी के रिफैक्टरी यूनिटों के आधुनिकीकरण, विस्तार और उन्हें सक्षम बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (352)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जावे, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खान क्षेत्रों में और इनके के आस-पास के गांवों और शहरों को गैस, आग और अवैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करने के कारण भूमि धंसने से बचाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रभावित कोयला खान क्षेत्रों के लोगों के लिए एक-मुश्त पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जावे, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तथाकथित लगातार रुग्ण रहने वाले उद्योगों और खानों को बन्द होने से बचाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए उनका आधु-निकीकरण, विस्तार तथा अन्य विविध कार्य करने हेतु समुचित पूंजी निवेश करने के लिये उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर की चोरी रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (774)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फिलिस्तीनी शिविरों पर हाल ही में इस्राइली हमलों की भर्त्सना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (775)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्यूबा की आर्थिक नाकेबन्दी की भर्त्सना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (776)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए डाले जाने वाले दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (777)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण चुनावों के दौरान कदाचार तथा हिंसा को रोकने के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (778)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख है।" (779)

कि प्रस्ताव के अंत में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजीव लोंगोवाल समझौते को कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (801)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में आतंकवादी, गतिविधियों को रोकने में विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (802)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोडा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों में वृद्धि को रोकने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (803)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (804)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस दुर्घटना के शिकार लोगों को पर्याप्त तथा समय पर मुआवजा दिलवाने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (805)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई भी उपाय न किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (806)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में "काम के अधिकार" को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता का उल्लेख न किये जाने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (807)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय प्रसार भारती प्रसारण निगम अधिनियम, 1990 के प्रावधान के अनुसार प्रसार भारती निगम के अविलम्ब गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (808)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी तथा एकाधिकारी घरानों द्वारा इलेक्ट्रानिकी जनसंचार माध्यमों के खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (809)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकेल प्रारूप को अस्वीकृत करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (810)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के प्रति सरकार की अधीनता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (811)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के जारी रहने की निन्दा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (812)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या जो कि सरकार की नयी आर्थिक नीति के कारण और गम्भीर हो जायेगी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (813)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (814)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 356 को समाप्त करने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (815)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसमें सभी 14 आवश्यक जिंसों को शामिल करने और इसे ऐसे क्षेत्रों में भी लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (816)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिकी जनसंचार माध्यमों के निजीकरण तथा व्यावसायीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (817)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कालेधन को रोकने, अनावश्यक आयातों को रोकने तथा सरकारी अपव्यय को रोकने से बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (818)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के दबावों के कारण देश की आर्थिक सम्प्रभुता को खतरा पहुंचने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (819)

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद हैं कि अभिभाषण में भारत पर विदेशी ऋण के बढ़ते हुए दबाव से उत्पन्न स्थिति की वास्तविकता के बारे में तथा बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए किसी उपयुक्त नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ों जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी प्रणाली में लगातार अत्यधिक द्रवता के बने रहने, मुख्यतः कर से बचाए गए धन के रूप में, तथा ऐसे धन को निकालने के लिए छूट देने की योजनाओं के बुरी तरह असफल रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों की आवश्यकता तथा उनके उचित कार्यान्वियन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को रोजगार की गारण्टी देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में भारत के हितों पर डंकल ड्राफ्ट के प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा-स्फीति को बढ़ने से रोकने तथा कीमतों के स्तर को कम करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (362)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्धकों के मजदूर विरोधी रवैए के विरुद्ध पटसन मजदूरों के संघर्ष के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (363)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वित्तीय व्यवस्था के बारे में नरसिंघम समिति की सिफारिशों से बैंक उद्योगों, विशेषकर सरकारी

क्षेत्र के बैंक कमजोर होंगे और इससे देश के तथा कर्मकारों के हितों को नुकसान पहुंचेगा।" (364)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि एक्जिट नीति से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा लोगों की नैतिकता लड़खड़ा जाएगी।" (365)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में स्थाई रूप से विद्यमान मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिए उपयुक्त नीति बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (366)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक तर्कसंगत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (367)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (368)

[हिन्दी]

श्री कमला सिंह मधुकर (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक नीति के द्वारा लघु और मझौले क्षेत्र को होने वाले खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुटीर और लघु उद्योग का विकास करने और इस प्रकार बेरोजगारी दूर करने सम्बन्धी सरकार के निश्चय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्यात बढ़ाने पर बल देने के बावजूद निर्यात में कमी आने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई नीतियों के परिणामस्वरूप वर्तमान ढांचे में तीव्र परिवर्तनों की दृष्टि से श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरी रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास दर में वृद्धि, बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक धन देने और रायल्टी की दर में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने तथा उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण होने वाले विनाश को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में जिन लोगों ने अपनी जानें गवां दी है उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (723)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजीव लोंगोवाल समझौते को क्रियान्वित करने के लिए सरकार की ओर से किसी संकल्प और पंजाब की गुत्थी को सुलझाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (724)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किसी स्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (725)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक ताकतों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (726)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबावों जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (727)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति और जन विरोधी नीतियों के कारण लोगों द्वारा उठाई जा रही दिक्कतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (728)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान आर्थिक नीति जो जन विरोधी है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (729)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेहरू के समय बनाई गई औद्योगिक नीति में परिवर्तन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (730)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की सुस्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (731)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विस्तार की धीमी गति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (732)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि विकास में जैविक प्रौद्योगिकी उपयोग की समय-बद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (733)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु असम और पश्चिम बंगाल में मछली पालन के विकास में जैविक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (734)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की किसी विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (735)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (736)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में महात्मा बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसी महान विभूतियों से जुड़े स्थानों, विशेषकर चम्पारण जिले में, जहां गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (737)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जोए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई पीढ़ी को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से संक्षिप्त जानकारी के साथ प्रत्येक राज्य का पर्यटन मानचित्र जानकारी करने के प्रस्तावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (738)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को आधुनिकतम प्रौद्योगिकीय सुविधाओं, उत्तम बीज, उवर्रक और लाभकारी मूल्य दिलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (739)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि परिसीमन कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए किसी प्रभावी तथा समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (740)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में बाढ़ नियन्त्रण के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (741)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की धीमी प्रगति तथा इसकी प्रगति को तीव्र करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (742)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इन्दिरा आवास योजना में कदाचार को रोकने और किस्म नियन्त्रण को सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (743)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण स्तर पर समेकित ग्रामीण विकास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (744)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (मीरमपुर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खतरे, जो सरकार की नई आर्थिक नीति से और भी अधिक गंभीर हो गया है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (431)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप आम लोगों को हो रहे कष्ट के प्रति सरकार की चिंता का कोई उल्लेख नहीं है।" (432)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देशभर में साम्प्रायिक हिंसा और महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नही है।" (433)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार के मामले में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के बारे में तथा आदिवासी क्षेत्रों को स्वायतत्ता प्रदान करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (436)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (437)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के भाग-III में काम के अधिकार को सम्मिलित करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि नेस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के किसी उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार लागू करने, ग्रामीण गरीबों में अतिरिक्त भूमि वितरित करने और कृषि उत्पाद का लाभप्रद दिलाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक नीति को समाप्त करने, और भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को उच्च स्थान देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (441)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे एकस्व अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों और व्यापार सम्बन्धित निवेशों पर बाहरी दबावों को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (442)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 356 को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (443)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (444)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "टाडा" जैसे दमनकारी कानूनों को वापस लेने का कोई उल्लेख नहीं है।" (445)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन को रोकने, आयात में कटौती करने और गैर-जरूरी सरकारी खर्चे में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं है। (446)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इलेक्ट्रानिक मीडिया का निजीकरण और वाणिज्यकीकरण करने के प्रयास का कोई उल्लेख नहीं है।" (447)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में बहुराष्ट्रिक निगमों के प्रवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (448)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक के ऋण के कारण देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (449)

श्री मोरेश्वर साबे (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद को शीघ्र निपटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए उठाए गए किन्हीं ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण में पृथक विकास बोर्ड गठित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई आतंकवादी कार्यवाहियों और इस खतरे को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (499)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर प्रशासनिक और गैर-उत्पाद क्षेत्रों में भारी सरकारी खर्चे को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (500)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (501)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (502)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेत्रहीनों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (503)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिनेमा को उद्योग मानने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (504)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य होटलों को उद्योग मानने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (505)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर की जटिल समस्या का हल करने के लिए किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (506)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में बहुत अधिक प्रतियोगी बी०बी०सी० और स्टार टी०वी० के अवैध प्रवेश से दूरदर्शन के हितों की रक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई हाई में जलाई जा रही गैस के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यटन की दृष्टि से कोंकण क्षेत्र का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चंडीगढ़ के हस्तांतरण, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारण दोनों राज्यों के बीच नदी जल का बटवारा आदि जैसे लंबे समय से लम्बित मामलों के बारे में संघ सरकार के रवैये का कोई उल्लेख नहीं है।" (550)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या के दीर्घकालिक समाधान का पता लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (551)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान अनुच्छेद 370 समाप्त करने के सम्बन्ध में कुछ दलों की मांग पर सरकार के दृष्टिकोण का कोई उल्लेख नहीं है।" (552)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर में प्रजातन्त्र बहाल करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (553)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाबरी मस्जिद विवाद पर राष्ट्रीय एकता परिषद के संकल्प पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करने और चुनाव कराने के लिए किसी समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है।" (555)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बकाया विदेशी ऋणों अथवा जिन शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से यह ऋण लिया गया है उनका कोई उल्लेख नहीं है।" (556)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के अनियंत्रित, अनियमित और दिशाहीन प्रभाव से भारतीय उद्योग को खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (557)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1991-92 के दौरान विदेश व्यापार के निराशाजनक तुलनपत्र तथा हमारे निर्यात में कच्चे माल और कृषि पदार्थों के अनुपात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं है।" (558)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामान्यतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर और विशेषकर सरकारी क्षेत्र पर अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति पर सार्वजनिक नियन्त्रण और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से उत्पन्न सामाजिक अव्यवस्था के रूप में 'एग्जिट' नीति का पड़ने वाले प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (559)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1991-92 के दौरान वास्तविक मुद्रा स्फीति और उसे नियन्त्रित करने में तथा उसे जून, 1990 के स्तर पर लाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम डाक और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकारों की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (561)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विमान सेवा के किराए में तेजी से हुई वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (562)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ नियन्त्रण और देश के जल संसाधनों के उपयोग के बारे में किसी राष्ट्रीय योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (563)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष में युवाओं को निराश करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (654)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तिलहनों तथा दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (655)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नदी जल को विभिन्न राज्यों में बांटने के लिए सिद्धांत निर्धारित करने तथा जल को सम्पूर्ण देश की साझी सम्पत्ति मानकर एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (656)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में तथा रोजगार पैदा करने के लिए योजना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (657)

किन्तु प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेघर परिवारों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में सरकार की चिन्ता का कोई उल्लेख नहीं है।" (658)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (659)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने, वक्फ अधिनियम में संशोधन करने, अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में उचित हिस्सा प्रदान करने, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम की स्थापना करने या 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने सम्बन्धी वायदों को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (660)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ढील के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (661)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली आम जरूरत की आवश्यकता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (662)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षय रोग, कालाजार, कैंसर और कुष्ठ रोग जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए तथा ग्रामीण लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (663)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिभाषा फार्मूले को तोड़-मरोड़ कर लागू करने, जिनके परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चे अपनी मातृभाषा सीखने और अपनी स्कूली शिक्षा उसी माध्यम से प्राप्त करने से वंचित हो गए है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जामिया मिलिया इस्लामीया अधिनियम को उसका अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करने के लिए संशोधन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (665)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में राष्ट्रीय उर्दू माध्यम विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (666)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए श्याम पट योजना को लागू करने तथा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (667)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पड़ौसी देशों के साथ किसी बकाया समस्याओं को हल करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (668)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र संकल्प का उल्लंघन करने तथा पश्चिम एशिया के बारे में बातचीत में प्रगति न होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (669)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य एशियाई गणतन्त्रों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनके साथ वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाने के लिए उठाये गए या उठाये जाने वाले प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (670)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने कुटनीतिज्ञ संबंधों में परिवर्तन होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (671)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व को परमाणु रहित और शस्त्र रहित बनाने की दिशा में हमारी चिन्ता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (672)

श्री धर्मभिक्षम (नालगोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या के समाधान के लिए नीति पैकेज की घोषणा करने के वायदे को पूरा करने में सरकार की असफलता, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के कुछ लोग राज्य में चुनावों का बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो गये, का कोई उल्लेख नहीं है।" (591)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर पंजाब असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का मुख्य धारा से अलग होना और इस प्रकार वहां आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (592)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापार समझौतों के बारे में डंकेल के प्रारूप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे हमारी आर्थिक प्रभुता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।" (593)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में हो रहे विलम्ब का कोई उल्लेख नहीं है।" (594)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी जल-विवाद को हल करने के लिए सामयिक कदम उठाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (595)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (596)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के पुनर्गठन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (597)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (598)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में से प्रशासनिक सुधार करने और शक्ति के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (599)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अर्द्धविकसित पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (600)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बिना अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किसी विकल्प का पता लगाने के प्रयास करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (601)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में सरकार की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (602)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को मूल अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (603)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (603)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम कोई उल्लेख नहीं है।" (605)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना देने सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (606)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय विधान की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (607)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अपनी मांगों के लिए हड़ताल करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग न किया जाना सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (608)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (609)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय युवा नीति बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (610)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को संरक्षण प्रदान करने और उन राज्यों में जहां बड़ी संख्या में लोगों की मातृभाषा उर्दू है, उर्दू को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (611)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धन और बाहुबल समाप्त करने तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू करने के लिए चुनाव प्रणाली में प्रभावी सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (612)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के लिए अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे सभी अलोकतांत्रिक कानूनों को रद्द करके लोगों के लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (613)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में, जिससे आम आदमी को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके कोई उल्लेख नहीं है।" (614)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से पश्चिम देशों को निरन्तर प्रतिभाओं के बाहर जाने और इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता को गंभीरता से नोट नहीं किया गया।" (615)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों की घटना को गंभीरता से नोट नहीं किया गया है।" (616)

कि प्रस्ताव के अंत यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर विचार करते हुए कि उत्तर प्रदेश के नौ पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्याएं, भाषा और संस्कृति प्रदेश के अन्य भागों से अलग है उत्तर प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों अर्थात् देहरादून, चमौली, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, नेनीताल, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ को मिलाकर एक उत्तराखंड पर्वतीय राज्य बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (617)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बढ़ते हुए सरकारी ऋण, दोनों आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, और सकल घरेलू उत्पादन की निश्चित सीमा तक सरकारी ऋण सीमित करने के लिए एक कानून पारित करने की आवश्यकता को गंभीरता से नहीं लिया गया है।" (618)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन रक्षक औषधियों की कमी और इनके मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि, गंभीर चिंता और जीवन रक्षक औषधियां उपयुक्त मूल्यों पर शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (619)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी और तेजी से रोजगार अवसरों में कमी होने, जिससे पहले से ही विद्यमान शिक्षित और कुशल बेरोजगार लोगों की भीड़ में और बढ़ोतरी होगी के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गयी है।" (620)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में आदिवासी बाहुल्य के छोटा नागपुर और सन्थाल परगना को मिलाकर एक अलग जनजाति राज्य बनाने में विलम्ब पर गंभीर चिंता व्यक्त नहीं की गयी है।" (621)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक और आर्थिक नीति, जोकि अधिकाधिक गैर-सरकारी काम करने के लिए है अनुसरण करते हुए जो बैंकों, बीमा कम्पनियों, होटलों और पर्यटन सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के रोजगार अवसरों में कमी आने, जिसके परिणामस्वरूप वे आरक्षण के अधिकार से वंचित होंगे, के बारे में गंभीर चिंता नहीं व्यक्त की गयी है।" (622)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोल और थारू जनजातियों को भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (623)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों की सूची में बिहार के मुस्लिम मेतहर और धोबियों को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (624)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी किये जाने वाले एककों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सेवाओं में आरक्षण शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (625)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमेरिकी व्यापार कानून 301 जो भारत तथा कुछ उसके अन्य देशों को अमेरिका के एक राज्य के रूप में मानता है, के अंतर्गत आने वाले खतरे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (626)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकसित और विकासशील देशों के बीच विषम व्यापार, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देश, अधिकाधिक विदेश व्यापार में घाटा उठा रहे हैं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (627)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"कि खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तें ऐसी है जिनसे भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता खतरे में पड़ जाती है। (628)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकसित देशों द्वारा लगाई गई उन संरक्षणवादी शर्तों, जिनके कारण भारत सहित विकासशील देशों का विकसित देशों को निर्यात अत्यन्त सीमित हो जाता है के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गयी है।" (629)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है कि भारत सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण औद्योगिक विकास दर कम हो गयी है और दोपहिये तिपहिये वाहन बनाने वाले उद्योग टी०वी०, वी० सी० आर० बनाने वाले उद्योग मंदी का सामना कर रहे हैं पैट्रोलियम, बिजली,

इस्पात, कोयला, सीमेंट, दूर संचारी और उर्वरक कारखानों का कार्य निष्पादन अपेक्षा से नीचे रहा है।" (630)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर कर वंचना और काला धन पैदा होने के बारे में, जिसके कारण लगातार बजट घाटा हो रहा है और सरकारी भारी ऋण में डुबी हुई है, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (631)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है नई आर्थिक नीति के कारण बनी बनायी वस्तुओं का निर्यात कम हुआ है और कृषि, कच्चे खनिज माल का निर्यात बढ़ाये जो वापस तैयार होकर फिर यहीं आ जाता है।" (632)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि लगातार तीन बार खाद्यान्नों और चीनी के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद इस नयी आर्थिक नीति के कारण, खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई और आम आदमी भारी संकट में है।" (633)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि उत्पादक संघ उपभोक्ताओं पर कुठाघात कर रहे हैं।" (634)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि आम आदमी की भारी मुसिबतों के बावजूद भी निगमित क्षेत्र गत तीन वर्षों से लगातार अधिक और अधिक लाभ कमा रहा है।" (635)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारी उच्च लागत अर्थव्यवस्था में कटौती करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जोकि हमारे आर्थिक संकट का मुख्य कारण है।" (636)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार तथा उड़ीसा के गरीब क्षेत्रों की सहायता करने के लिए उपाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (637)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यद्यपि देश कुछ भागों में निर्धनता के कारण लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिये हैं फिर भी कृषि कर्मकारों लघु तथा सीमांत

किसानों के लिए किसी भी तरह के उपाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (638)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू किया जायेगा।" (639)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि निजी क्षेत्र को उसी संसदीय तथा नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जायेगा जो सरकारी क्षेत्रों पर लागू है। यद्यपि निजी क्षेत्र में सरकार का काफी धन लगा हुआ है।" (640)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (641)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने तथा गंगा कावेरी सम्पर्क योजनाएं जैसी योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (642)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में झारखंड, उत्तराखण्ड, बोडो आदि आंदोलनों को हल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (643)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर बढ़ते अत्याचार को देखते हुए बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार करने की आवश्यकता है।" (644)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर घेघे की बीमारी का हल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (645)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बड़े पैमाने पर अन्धेपन की बीमारी को एक समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (646)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अपंग व्यक्तियों के लिए सेवाओं के आरक्षण की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (647)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में पूर्ण रूप से निरक्षरता को समाप्त करने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (648)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (649)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षेस को उतना ही प्रभावी बनाने जितने कि विश्व के अन्य आर्थिक क्षेत्रीय ब्लाक हैं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (650)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोयले तथा अन्य खनिजों की रायल्टी में वृद्धि करने तथा प्रेषित माल पर बिक्रीकर लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (651)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के बौद्ध धार्मिक केन्द्रों का विकास करने जिनसे विदेशी पर्यटकों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (652)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा भारत के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (653)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असमान्य वृद्धि हुई है।" (780)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की गतिविधियों से प्रभावकारी ढंग से निपटने में विफल रही है, जोकि देश की एकता तथा अखंडता और सीमा की सार्वभौमिकता के लिए विघटनकारी है।" (781)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार ने विदेशी विनियमन अधिनियम के कार्यकरण में पर्याप्त परिवर्तन किए हैं जिससे देश के आर्थिक हितों को हानि पहुंचाकर विदेशी मुद्रा के कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों को और कई अवसर दिए गए हैं।" (782)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार नीतियों को अपनाने और उन्हें घोषित करने में विफल रही है।" (783)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की नीतियों से वित्तीय कठिनाईयों के कारण राज्य सरकारें गंभीर कठिनाईयों का सामना कर रहीं हैं और इन नीतियों से राज्यों की प्रगति व विकास में बाधा आ रही है।" (784)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में हाल में हुए चुनावों में भाग लेने के लिए सभी वर्गों के लोगों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करने में सरकारी असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (696)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का निरसन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (697)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवाद और नक्सलवाद के उत्पन्न होने के आधारभूत कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता तथा इन्हें कुशलतापूर्वक काबू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (698)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक प्रगति, कृषि उत्पादन, रुपए का अवमूल्यन किए जाने के बाद भी निर्यात में वृद्धि न होने तथा समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य में, सरकार की नगण्य उपलब्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (699)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने की विश्वसनीय कारणों का ब्यौरा देने में सरकार की असफलता तथा एग्जिट नीति को त्यागने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (700)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कीमतों को गिराने,

विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को गिराने के लिए प्रस्तावित प्रभावी कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (701)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सीमांत किसानों, तम्बाकू उत्पादकों, मछुआरों तथा ताड़ी निकालने वाले लोगों का शोषण रोकने के लिए उठाये गये प्रभावी कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (702)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा वस्त्र की 21 किस्मों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने जिससे देश के 2 करोड़ बुनकर परिवारों को काम मिलेगा, सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (703)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी अधिकारियों द्वारा ईंधन के उपभोग में किफायत बरतने के लिए केंद्रीय दिशा-निर्देश जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (704)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार राजीव-लोंगोवाल समझौता कार्यान्वित करने में और पंजाब के सभी बकाया मामलों के समाधान हेतु कोई उचित तथा सौहार्दपूर्ण हल निकालने में विफल रही है।" (785)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी तथा पृथकतावादी गतिविधियों पर काबू पाने और घाटी में शांति बहाल करने में विफल रही है।" (786)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार की नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास दर में पुनः कमी आई है जिसके कारण मंदी आयेगी, पश्चिमी बहुराष्ट्रों में भारत का घरेलू बाजार खुलेगा और लघु उद्योगों के लिए समस्याएं पैदा होंगी तथा पुनः रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।" (787)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में व्यापार नीति में परिवर्तन और भारतीय रुपए के मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप देश की निर्यात-आय में डालर के सम्बन्ध में कमी आने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (788)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में "नेशनल रेलवेज फंड" की एक्जेक्ट नीति बनाने के लिए और अनेक सरकारी कार्यालयों का कार्य बंद करने तथा पदों को समाप्त करने से कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी होगी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (789)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि पर सरकारी नियंत्रण और कतिपय और नीतिगत निर्णयों से सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने और मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (790)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में सरकार द्वारा किये गये वित्तीय नीति परिवर्तनों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (791)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिजली, इस्पात, एयरलाइनों, नौवहन, रेल, दूरसंचार, रक्षा उत्पादन जैसे कई आधारभूत क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र को मिल करने और सरकारी क्षेत्र में 49% तक निवेश समाप्त करने से देश की अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की सराहनीय स्थिति में गिरावट आने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (792)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कोई ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार उन डंकेल प्रस्तावों को रद्द करने में असफल रही है जो कृषि, अनुसंधान, विज्ञान और विकास के क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को बढ़ावा देंगे और देश में हितों को प्रभावित करेंगे।" (793)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे तथा आबंटन को बातचीत द्वारा सुलझाने में सरकार की असफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (794)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के उस नीतिगत निर्णय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें सरकारी क्षेत्र में विनिवेश करने की 49% तक अनुमति दी गई है और रेलवे, रक्षा, दूर-संचार आदि जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्य का निजीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिससे सरकारी प्रतिष्ठानों तथा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों में पर्याप्त गिरावट आयेगी।" (795)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किये जाने वाले चावल और गेहूं की कीमतों में वृद्धि के सरकारी आदेशों तथा दैनिक आवश्यकताओं वाली कुछ और वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने में असफलता के कारण इस प्रणाली को कमजोर बना दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (796)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि विभाजक-पृथकतावादी ताकतों तथा धार्मिक कट्टरवादियों के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के बढ़ते खतरे के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (797)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय निगमों के बढ़ते हुए प्रवेश के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (798)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि धरातल पर व्यापक दरिद्रता और व्यापक निराशा को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीति में विशिष्ट वर्ग के पक्षपात के बारे में अभिभाषण में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।" (799)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि संसाधनों तथा विकास के लाभों के संतुलित वितरण की कमी के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (800)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए काले धन का कोई उल्लेख नहीं है।" (869)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए विदेशी और आंतरिक ऋणों, जिसके कारण हम ऋण के बोझ से दबते जा रहे हैं का कोई उल्लेख नहीं है।" (870)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सीमेंट, इस्पात, कोयला और चावल के शासित मूल्यों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (871)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समझौते को लागू करने में सरकार की असफलता और पंजाब समस्या का समाधान ढूंढने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (872)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए केन्द्र सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (873)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक श्रमिकों के लिए नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (874)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध अन्तरित करके उसे गैर-सरकारी बनाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है।" (875)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिगड़ती हुई विद्युत स्थिति और देश के बड़े भाग में बढ़ती हुई बिजली कटौती के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (876)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की प्रौद्योगिकी के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए खतरा पैदा करने वाली प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध आयात के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (877)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केवल 38% जनसंख्या ही शिक्षित है और नई शिक्षा द्वारा केवल कुछ ही लोगों को शिक्षित करने तक ही सीमित है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (878)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की महिलाओं को अत्याचारों से बचाने में विफल होने और महिलाओं के लिए विद्यमान संरक्षणात्मक विधान को लागू करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (879)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की नीति के कारण उद्योगों में बढ़ती हुई

रुग्णता, जिसके कारण उद्योग बन्द हो रहे हैं और कारखानों में तालाबन्दी है, के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (880)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (881)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ऊंचे पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (882)

श्री आर्ज फर्नान्डीज (मुज्जफरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मल्यों में कमी लाने के किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (820)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चीन से आक्साइचिन सहित भारत के भूभाग को मुक्त कराने के लिए आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं है।" (821)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चीन से तिब्बत की आजादी के प्रश्न पर बातचीत करने के किसी आश्वासन का उल्लेख नहीं किया गया हैं।" (822)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषणों में मणीपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शमिल करने के किसी आश्वासन का उल्लेख नहीं किया गया है।" (823)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार को अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष सहायता देने के किसी आश्वासन का उल्लेख नहीं किया गया है।" (824)

कि प्रस्ताव के अप्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के किसी आश्वासन का उल्लेख नहीं किया गया है।" (825)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में टिहरी और नर्मदा बांधों के निर्माण के भयानक परिणामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (826)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किंतु खेद है कि अभिभाषणों में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (827)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्---

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सम्मुहतीव में आर्थिक हस्तियों की दौड़ रोकने के लिए पहल करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (828)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में कालाजार को नियन्त्रित करने हेतु किसी विशेष उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (829)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रक्षा व्यय में कटौती और उससे हुई बचत को गरीबी मिटाने के लिए खर्च करने हेतु पहल करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (830)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, जिसके परिणाम-स्वरूप गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भारी कठिनाई हो रही है, को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (938)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्--

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या जो श्रमिकों की छंटनी करने की सरकार की नीति से और भी गम्भीर हो गई है, से निपटने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (939)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, उनमें दक्षता का अभाव होने के कारण निजीकरण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (940)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी, जो कुल बजट का 32% है, के कारण गम्भीर स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (941)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का निश्चय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (942)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों और जम्मू-कश्मीर छोड़कर आए लोगों के आश्रितों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (943)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि भूभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप, अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता, आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने और अन्य अमैत्रीपूर्ण कार्यों का मुकाबला करने के लिए किसी कारगर कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (944)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में परमाणु, बम बनाने की पाकिस्तान की क्षमता की जानकारी मिलने के बावजूद भी परमाणु क्षमता विकसित करने और परमाणु शास्त्रों का निर्माण करने के लिए सरकार के निर्णय और संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (945)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान उपबन्ध करके बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (946)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश को योजना आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति कम धनराशि आवंटित करने के कारण राष्ट्रीय आय की तुलना में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट को देखते हुए राज्य में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (947)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, शिकोहाबाद, आगरा, खुर्जा, नोएडा तथा फिरोजाबाद के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने तथा फलस्वरूप इन क्षेत्रों को पर्यावरण रहित बनाने, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1033)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में गंगा के पानी को प्रदूषण रहित बनाने के

लिए गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1034)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यमुना पर पुल बनाने, घाटों को सुन्दर बनाने तथा आगरा में प्रदूषित जल की बजाय यमुना का साफ पानी पीने के लिए सप्लाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1035)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण मे आगरा हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने तथा विश्व में इसके महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के नाते यहां आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (1036)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आगरा के लोगों द्वारा कोयला, गोबर तथा लकड़ी को ईंधन के रूप में अधिक इस्तेमाल करने के कारण प्रदूषण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1037)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में 1984 से गैस कनैक्शनों के 55000 आवेदनों की प्रतीक्षा सूची को तुरन्त निपटाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1038)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उन दो ताप विद्युत संयंत्रों की बजाय जिन्हें प्रदूषण से ताज को बचाने के नाम पर बन्द किया जा सकता है की बजाय गैस पर आधारित संयंत्र लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1039)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में सिविल हवाई अड्डा ताज नेशनल पार्क, मनोरंजन केन्द्र जैसे डिज्नीलैंड, मथुरा और आगरा के बीच वृक्ष लगाने, निर्यात वृद्धि के लिए कार्गो सुविधाएं तथा स्थाई व्यापार मेला प्राधिकरण बनाने जैसी योजनाएं क्रियान्वित करके वहां पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (1040)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ग्राम लिंग सड़कों का विद्युतीकरण करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (1041)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में कुटीर उद्योगों, कृषि, मत्स्य पालन तथा खनिजों के विकास की समेकित तथा दीर्घावधि की योजना बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (1042)

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रों के दबाव में आकर सरकार द्वारा किए गये कार्यों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1005)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि विदेशी मुद्रा कोष में तथाकथित वृद्धि केवल विदेशी ऋणों के कारण ही हुई है।" (1006)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के विनाशकारी प्रभावों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1007)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने तथा छंटनी को बढ़ावा मिल रहा है तथा जो बहुराष्ट्रों को सस्ते श्रम का शोषण करने एवं तैयार माल को अपने देशों को निर्यात करके लाभ कमाने में सहायक होगी।" (1008)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयात-निर्यात के मामले में देश के हित की पूर्ण उपेक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1009)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रुपये के अवमूल्यन की शाश्वत प्रक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके फलस्वरूप रुपये की क्रय शक्ति में कमी हुई है तथा आवश्यक वस्तुओं सहित सभी वस्तुओ के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के रूप में अनेक बुराईयां पैदा हो गयी हैं।" (1010)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति के कारणों के गलत विश्लेषण से बचने

तथा ऊंची कीमतों से निपटने के गलत उपायों से बचने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1011)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अस्त-व्यस्त हो जाने तथा आम आदमी को जमाखोरों, काला-बाजारियों और मुनाफाखोरों के घातक प्रहार के सामने अनाश्रित छोड़ देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1012)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "एक्सिट" और "गोल्डन हेन्डशेक" जैसी गलत नीतियों को त्याग देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो श्रमिक वर्ग का दमन करेंगी।" (1013)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रस्तावित आठवीं योजना में आत्म-निर्भरता और आत्म-विकास की कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1014)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वारस) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (1094)

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजी के भण्डार में वृद्धि विदेशी ऋण का परिणाम है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (1095)

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश तथा विदेश से मिलने वाली भारी मात्रा में ऋण से पड़ने वाली विनाशकारी प्रभाव का उल्लेख नहीं है।" (1096)

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की जन विरोधी औद्योगिक नीति की ओर ध्यान देने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जिससे औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने और श्रमिकों की छंटनी को बढ़ावा मिल रहा है।" (1097)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयात-निर्यात से सम्बन्धित देश के हितों को पूर्णतया अनदेखा करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (1098)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवमूल्यन की ओर ध्यान देने में सरकार की असफलता की ओर ध्यान नहीं है जिसके फलस्वरूप रुपये की क्रय-शक्ति में कमी आयी है।" (1099)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भारी मूल्य वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करने का उल्लेख नहीं है।" (1101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अस्त-व्यस्त होने का उल्लेख नहीं है जिसके कारण आम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है।" (1101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "एग्जिट" और "गोल्डन हैंडशेक" नामक श्रमिक विरोधी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (1102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रस्तावित आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप का उल्लेख नहीं है जिससे आत्मनिर्भरता में वृद्धि नहीं होती।" (1103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश के आदिवासियों में बढ़ रहे असंतोष के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (1104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों के शीघ्र विकास तथा उचित प्रबन्धन के लिए छोटे राज्यों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।" (1105)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में झारखंड क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए एक झारखंड राज्य के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।" (1106)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोडो लैण्ड की समस्या के समाधान का कोई उल्लेख नहीं है।" (1107)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में उतरांचल नामक एक पर्वतीय राज्य का गठन करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (7108)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षित, कुशल तथा अकुशल युवकों के बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (1109)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन की बुराईयों के फलस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले कुप्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (1110)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऊंचे स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है।" (1111)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े बांध, औद्योगिक तथा अन्य विकासशील परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के सम्बन्ध में पुनर्वास नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (1112)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के रुग्ण उद्योगों को पुनः शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (1113)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों विशेषकर उड़ीसा में हुई भूख से मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है।" (1114)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि का वास्तविक जोत करने वालों के लिए भूमि सुधार नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (1115)

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में तूफान और उत्तरकाशी, उत्तर प्रदेश में भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए धन के आवंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1123)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी उत्पात को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (1124)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में डी० आर० डी० एल०, मिडाना, और डी० एल० आर० एल० आदि रक्षा कारखानों के लिए अधिगृहीत भूमि का भूस्वामियों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1125)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के स्कूलों, चिकित्सा, इंजीनियरिंग कालेजों और शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में प्रवेश-शुल्क पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1126)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1127)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किसी समय-बद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1128)

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी आवास समस्या का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1129)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों को साफ करने के लिए कारगर उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1130)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्--

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव के दौरान काले धन के प्रयोग को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (1131)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में निर्धन बुनकरों जो वास्तव में भूखे मर रहे हैं को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1132)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चावल और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने, में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (1133)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश की केन्द्र के पास लम्बित सिंचाई परि-योजना को मंजूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (1134)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार के पास लम्बित आंध्र प्रदेश में 33 चीनी मिलों के लाइसेंस का कोई उल्लेख नहीं है।" (1135)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में रंगीन पिक्चर ट्यूब का कारखाना

शीघ्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (1136)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में तकनीकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (1137)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रायलसीमा (आंध्र प्रदेश) के लोगों के लिए तेलगू गंगा परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1138)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1139)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को अधिक धनराशि प्रदान कराये जाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (1140)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये ठोस एवं समयबद्ध कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1141)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस तथा समयबद्ध कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1142)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों और अपंग व्यक्तियों के लिए आवासीय स्कूलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (1143)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाईयों में श्रमिकों की छंटनी के बारे में संरक्षण हेतु सरकारी आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं है।" (1144)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने और उन्हें बड़े कपड़ा उद्योगों से बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1145)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दस आवश्यक वस्तुओं को कम कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1146)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को तथा पिछड़े वर्गों के सभी बच्चों को आवास सहित एक समान तथा निःशुल्क शिक्षा दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1147)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश के दूरदराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1148)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में दूसरे चैनल के कार्यक्रम दिखाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1149)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1150)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक कार्यों से बड़े राज्यों का छोटे राज्यों में पुनर्गठन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1151)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिणी गैस ग्रिड का गठन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1152)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर-राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1153)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में परमाणु बम्ब बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि पाकिस्तान आणविक हथियार बना रहा है।" (1154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को विशेषकर तम्बाकू और कपास उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1155)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों को महानगर बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1156)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1157)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नागरिकों के लोकतान्त्रिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ऐसमा/रा० स० अ०, टांडा जैसी दमनकारी कानूनों को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1158)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों के कल्याण संबंधी योजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1159)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1160)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1161)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में हरिजनों और कमजोर वर्गों व्यक्तियों की हत्या रोकने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1162)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से रुग्ण उद्योगों के नवीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1163)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में और अधिक फसलों को विस्तृत फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1164)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए गंभीर प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं यद्यपि यहां नागार्जुन सागर, श्रीसैलम, त्रिपुति, चारमिनार और विशाखापट्टनम बीच जैसे पर्यटन स्थल है।" (1165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृष्णा, गोदावरी क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को तेज करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1166)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने और बहुत से टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने और उन्हें इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1167)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हैदराबाद में ठहरे हुए पाकिस्तानी व्यक्तियों को वापस भेजने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1168)

श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्मो चौधरी (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में बोडो और अन्य अन्य आदिवासियों के लिए स्थायी शांति और खुशाली लाने के लिए लम्बे समय से लम्बित बोडो लैंड मुद्दे का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (1184)

श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगार बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1302)

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय संकल्प के प्रस्तावक और अनुमोदक की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई है कि उन्होंने दूध और शहद की किस काल्पनिक भूमि का हवाला दिया है जिसमें निःसंदेह कुछ भी गलत नहीं है या कभी गलत हुआ ही नहीं और जहां इस सरकार और पिछली सभी कांग्रेस सरकारों ने हमेशा दक्षता व योग्यता के अनुसार कार्य किया है और निःसन्देह हम हमेशा गलत रहे हैं। लेकिन इससे अधिक हम हमेशा गलत तरीके से प्रेरित किए जाते रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की वास्तविकता और शालीनता की कमी की प्रतिक्रिया का व्यक्त कैसे किया जाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद पिछले कार्यों का एक अवलोकन है। इसके सरकार पिछले कार्यों का अवलोकन और आगामी कार्य की कार्यवाही योजना प्रस्तुत करती है। अतः इस चर्चा में सरकार के दावों की एक प्रकार की राजनैतिक लेखापरीक्षा हो जाती है।

इस राजनैतिक लेखापरीक्षा करने में मैं अपना विचार मुख्य रूप से पांच बातों पर केन्द्रित रखूंगा। पहला, राजनैतिक आंतरिक प्रबन्धन दूसरा अर्थव्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्योंकि पहले दो वक्ताओं की तरह नहीं। वास्तव में अर्थव्यवस्था पर चर्चा बजट और वित्त विधेयक के दौरान होती है।

तीसरे यदि मेरे पास समय हुआ तो मैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रबन्ध का उल्लेख करूंगा जो मेरे विचार से 1990 के दशक की जो प्राथमिकताएं हैं, इसके आगे मैं विश्व परिवर्तनों के प्रश्न का हमारे विदेशी सम्बन्धों का प्रबन्ध का, हमारी विदेश नीति का उल्लेख करूंगा अन्त में, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का प्रश्न। मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मुझे खेद है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विषय पर एक भी वाक्य नहीं कहा गया।

महोदय, मैंने कहा है कि मैं पांच मुख्य विषयों पर विचार करूंगा और उनमें से पहला था राज्यतन्त्र का प्रबन्ध। राज्यतन्त्र के प्रबन्ध से जो विभिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ भारत के शरीर के कुछ रिसते जख्मों का उल्लेख करूंगा। ये हैंपंजाब, जम्मू और कश्मीर और असम।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं पंजाब का उल्लेख करूंगा। इस पताड़ित राज्य की गाथा आज की नहीं बल्कि दशकों की लम्बी गाथा है। किन्तु मैं सारी भूमिका और 1980 के दशक की पूरी गाथा नहीं सुनाना चाहता। जब हम पंजाब की बात करते हैं, तो वास्तव में प्रारम्भिक बिन्दु ये दो 'बायकाट्स' ही हैं। 1991 के चुनावों में कांग्रेस ने चुनावों का बायकाट अर्थात बहिष्कार किया। अपने सत्ता पक्ष के मित्रों को, जिन्होंने अभी लोकतन्त्र में कांग्रेस के योगदान के गीत गाए है, उन्हें याद दिला दूं कि 1991 के चुनावों में यह कांग्रेस दल ही था, जिसने पंजाब में चुनावों का बहिष्कार किया था। और सभी ने भाग लिया था किन्तु कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, किन्तु सिर्फ बहिष्कार से ही उसे संतोष नहीं हुआ। उपन्तिम समय में जबकि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इस सरकार कांग्रेस सरकार ने पंजाब में चुनाव स्थगित करवा दिए।

वह दिन 1992 के इन चुनावों का उद्गम है और यह सरकार और कांग्रेस दल सिर्फ चुनावों को स्थगित करवा कर ही संतुष्ट नहीं हुए। परन्तु यही सरकार है जिसने हमारी चुनाव प्रक्रिया के उल्लंघन न करने की लक्ष्मण रेखा को पार किया जो कि पहले कभी भी पार नहीं की गई थी। हमारी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विशेष कृत्य की मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने 1977 के चुनावों में, जबकि हर किसी को यह दिखाई देता था और उनके सलाहकारों ने भी यह कहा कि चूंकि उनका दल हारेगा अतः देश में चुनावों को रद्द कर दें। उन्होंने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। पंजाब में 1991 के चुनावों में इस सरकार ने इस अदृश्य लक्ष्मण रेखा को लांघा और ऐसा उस समय किया गया जब कि चुनाव प्रक्रिया अपने अन्तिम चरण में थी, उस समय चुनावों को रद्द और निरस्त का दिया गया। मैं सदन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर हमने कुछ ऐसा किया है अध्यक्ष महोदय, कि आने वाले दशकों में भी जिसका दुष्परिणाम हमारा पीछा करता रहेगा। कई प्रकार के राजनैतिक दल आ और जा सकते हैं। आज आप इस ओर बैठे हैं कल आप उस ओर भी हो सकते हैं अगर इस प्रकार से हमने दलगत हितों के लिए चुनावी प्रक्रिया की अनुल्लंघनीयता से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया तो हम कई पूर्णतः अनुत्तरणीय प्रश्नों का पिटारा खोल देंगे। हमने इस दल के हित के लिए चुनावी प्रक्रिया से खेलने की रीति शुरू कर दी है। इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। जिनकी व्याख्या करना अभी भी शेष है। यह सरकार और यह दल पूरे राष्ट्र को और इस सभा को यह उत्तर देने के लिए बचनबद्ध है और हमें अभी सूचित करना शेष है कि 1991 के चुनाव किस कारणवश रद्द

[श्री जसवन्त सिंह]

किए गए थे; सरकार ने किस कारणवश यह आवश्यक समझा कि इस लक्ष्मण रेखा को पार किया जाए और इसे रद्द करने के क्या परिणाम हुए हैं । इस पृष्ठभूमि में हमें 1992 में पंजाब में हुए चुनावों पर विचार करना है और दूसरे बहिष्कार की जांच करनी है । यह मेरे लिए एक खेद का विषय है कि अकाली दल के कई घटकों ने एक धीमी प्रक्रिया में चुनावों का बहिष्कार किया है । मैं इसे एक धीमी बहिष्कार की प्रक्रिया कहूंगा क्योंकि यह पहले एक घटक से शुरू हुई और धीरे-धीरे बहिष्कार में परिवर्तित होती गई। मैं खेद के साथ कहता हूं कि ये लोग भय और घृणा के विचारों को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए, ना कि पंजाब राज्य के हित को। धीरे-धीरे एक अकाली दल के बाद दूसरे दल ने 1992 के चुनावों का बहिष्कार किया ।

इन चुनावों का परिणाम क्या रहा ? जैसाकि मुझे सूचित किया गया है कांग्रेस दल ने कुल मतों के 20% डाले गए मतों में से 9% मत प्राप्त कर 83% सीटें जीत लीं। इस परिणाम के अन्तर्गत छिपी भंगुरता और असंतुलन की स्थिति से प्रतिबिम्बित करना कांग्रेस और इस सरकार का काम है । मैं यह मानता हूं कि हमारे दल ने इन चुनावों में पूरी तरह से भाग लिया। परन्तु मैं साथ ही यह भी कहता हूं कि पंजाब के चुनाव परिणाम लोगों की इच्छा के सर्वथा अनुरूप होने की वास्तविकता के आधार को और सरकार से अपेक्षित न्यूनतम सदाशयता को भी प्रतिबिम्बित नहीं करते । मेरे दिमाग में यह आशंका है कि मैं माननीय प्रधानमन्त्री से उनके एक वक्तव्य पर एक स्पष्टीकरण मांगूं, जोकि उनके द्वारा एक पत्रिका में दिया गया बताते हैं कि वह पंजाब राज्य को विशेष दर्जा देने के विचार के विरुद्ध नहीं हैं अथवा वे इस पर विचार कर रहे है । हमें यह जानने का अधिकार हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमन्त्री पंजाब राज्य के लिए किस प्रकार के विशेष दर्जे के लिए सोच रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पजाब राज्य की स्थिति से, हम यहां से किस दिशा में कदम उठा रहे हैं। मैं यह आप पर छोड़ता हूं। मैं यह समझता हूं कि जिस समय पंजाब का आंदोलन कुछ ऐसे गैर-कानूनी विघटनकारियों के हाथ में जा रहा है जोकि एक उद्देश्य के लिए लड़ने का आदर्श सामने रखते हैं । वह उद्देश्य चाहे कितना भी तर्कहीन और अशोचनीय हो, उसी समय आपने अन्याय दर्शाने वाला एक लक्ष्य उन्हें दे दिया है । आपने जैसाकि पिछले दशक में किया वैसा ही पुनः किया है। कांग्रेस पंजाब राज्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप एक भिंडरा वाले को जन्म देते हैं और बाद में अपने ही सृजन से मुक्ति पाते हैं। आप सिख धर्म के आर्थिक चिन्हों को जाकर नष्ट कर देते हैं । जब इसके बाद बेवकूफी भरा और अक्षम्य प्रतिशोध शुरू होता है तो दिल्ली में हजारों को मार दिया जाता है । और आज तक किसी एक को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया गया। आप पंजाब में एक समझौता करते हैं परन्तु उसे क्रियान्वित नहीं करते । सरदार सुरजीत सिंह बरनाला राज्य के मुख्य मन्त्री चुने जाते हैं और केन्द्र उन्हें अपदस्थ कर देता है । जबकि पंजाब राज्य सांस लेने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है कांग्रेस पार्टी जाती है और दूसरा सिर फिर पानी के नीचे धकेल देती है। इस पर विश्वास करना मुश्किल है पर हमेशा ही स्वार्थपूर्ण हितों के लिए कांग्रेस दल ने ऐसा किया है ।

प्रस्ताव के माननीय अनुमोदन ने पंजाब में सहयोग की भावना और मिल-झुलकर काम करने की भावना और ऐसी ही बातों के बारे में बोला । पंजाब में हमारे दल ने सहयोग का हाथ बढ़ाया, हर किसी के साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव किया, एक जन मोर्चा बनाने का प्रस्ताव किया, किन्तु आपने

वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। आपने अपना निर्णय स्वयं लिया। मैं कहता हूं कि कांग्रेस दल ने पंजाब में जो किया है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। मुझे दुःख यह है कि पंजाब में जो हुआ है उसकी यंत्रणा जनता को भोगनी होगी और परिणामस्वरूप भारत का घाव रिसता रहेगा।

असम में, अस्सी के दशक में हुए दुराचार और आपराधिक दायित्वहीनता का एक और उदाहरण हम पाते हैं। असम राज्य के मूल कारणों में से एक पर भी पूरी तरह चर्चा नहीं हुई है, उसके समाधान की तो बात ही अलग है। मौन एवं जनसांख्यिकीय आक्रमण जारी है। इस क्षेत्र की जनता के मस्तिष्क, अंतः मन और दिलों में विखण्डन बढ़ रहा है। उस राज्य में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इस सबके होते हुए 'उल्फा' की उपस्थिति अपरिहार्य हो जाती है। मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रथमतः क्या यह सही नहीं है कि अभी हाल ही में, पिछले सप्ताह या दस दिन पूर्व, सेना ने 'उल्फा' के विरुद्ध कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया था। और लगभग चौदह घण्टों तक उसने ऐसा किया। चौदह घंटे पूरे होते ही अचानक आपने सेना को अपनी कार्यवाही रोक देने का आदेश दे दिया। वास्तव में, हमें इस बारे में जानने का पूरा हक है; क्योंकि आप स्वयं आतंकवाद, विद्रोह का सामना नहीं कर सकते जोकि बेरोकटोक बढ़ता ही जा रहा है। जब आप विद्रोह के खिलाफ लड़ते हैं तब आप केवल साधारण तरीकों से ही इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि सेना ने 'अल्फा' के खिलाफ कार्रवाई पुनः शुरू कर दी थी तब उन्हें आपने चौदह घंटे के अन्दर ही क्यों रोक दिया? हमें यह सब जानने का पूरा हक है।

आपने "अल्फा" से बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है। आप किसी के भी साथ बातचीत करें, हम इसके खिलाफ नहीं हैं परन्तु हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है। क्या आप "अल्फा" उग्रवादियों से वह अरबों रुपया वसूल करेंगे जो उन्होंने बल प्रयोग, अपहरण और असम में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से एकत्रित किया था? क्या आपकी उस धनराशि के बारे में जरा सी भी जानकारी है और यदि है, तो आपने उसकी वसूली के सन्दर्भ में क्या कार्रवाई की है?

तीसरे, हमें इस बारे में जानने का हक है। "अल्फा" के साथ इस प्रकार की बातचीत की वास्तविक स्थिति क्या है? अल्फा के प्रवक्ता ने हमें सूचित किया था कि जो दल दिल्ली आया है वह बातचीत करने को तैयार है। भारत-सरकार और वास्तव में असम सरकार ने सूचना दी है वे काफी व्यापक स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। संसद को इस बारे में जानने का पूरा अधिकार है। हम इस अन्तराल को कैसे स्वीकारें जोकि केन्द्रीय सरकार और असम सरकार के बीच उत्पन्न इस अन्तराल को किस प्रकार दूर करें, जोकि परस्पर बातचीत से उभरा है जबकि अल्फा का कहना है कि मात्र बातचीत ही की जा रही है। अब मैं अनिच्छापूर्वक और अप्रसन्नतापूर्वक जम्मू और कश्मीर की समस्या का जिक्र करूंगा। मैंने अकसर इस बारे में प्रश्न किया है। और वह इसलिए चूंकि सरकार इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देती है। इसलिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि हमेशा किसी सदस्य द्वारा क्या प्रश्न किया जाता है और वास्तव में वह किस प्रकार की चुनौती है जिसका सामना भारत को जम्मू और कश्मीर राज्य में करना पड रहा है? क्या यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है? और यदि केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है तब किस समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके समक्ष इसे एक विचार और प्रश्न दोनों के रूप में रखता हूं कि यदि उस कश्मीर घाटी के ये तीन पक्ष नहीं होते तब क्या हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ता—पहले, यदि वहां पर 85 प्रतिशत मुस्लिम जनता न होती, दूसरे यदि यह उस स्थान के समीपस्थ नहीं होता जोकि गलती से पाक

[श्री जसवन्त सिंह]

अधिकृत कश्मीर नाम से जाना जाता है और तीसरे यदि पाकिस्तान का समर्थन रहा होता तब भी क्या उस घाटी में हमारे समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती ? जब तक कि हम कश्मीर घाटी में व्याप्त इन समस्याओं के मूलभूत पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम इस समस्या के समाधान की शुरूआत की दिशा में भी अग्रसर नहीं होंगे। खैर, वहां पर केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है और यदि बाहर से इसे उकसाया जा रहा है और विद्रोहियों को सहायता दी जा रही है तब हम बारे में क्या कर रहे हैं। वहां पर बाहरी मदद और विद्रोहियों को सहायता देने का काम किसी न किसी रूप में पिछले कई वर्षों से जारी है और पिछले तीन वर्षों से इसने और अधिक उग्र रूप धारण कर लिया है। संघ सरकार की इस बारे में क्या करने की योजना है ? क्या सरकार का काम केवल ब्रिटेन में एक कमजोर और पक्षपातपूर्ण शिष्टमंडल भेजना ही है जो अविश्वसनीय दर्शकों के समक्ष हमारी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास भर करेगा।

मैं माननीय प्रधानमन्त्री से एक और स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्योंकि अपने ब्रिटिश दौरे के दौरान इस शिष्टमंडल ने यह घोषणा की थी कि पंजाब में चुनाव के पश्चात् जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव तुरन्त कराए जायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि किस अधिकार, आधार के बलबूते पर ब्रिटेन में यह आश्वासन दिया गया था ? और यह सरकार का फर्ज बनता है कि वह इस संसद में उस वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण दे जिसे एक ऐसे शिष्ट मंडल ने जारी किया था.जिसे सरकारीतौर पर वहां भेजा गया था।

मैं जम्मू और कश्मीर की इस सुन्दर घाटी में पाकिस्तान के संलिप्त होने के कारण का विश्लेषण करता हूं और मैं 5 से 12 फरवरी के सप्ताह में घटने वाली घटनाओं का केवल जिक्र मात्र करूंगा और उसके माध्यम से मैं आपके और सरकार के समक्ष पाकिस्तान के उद्देश्यों को रखता हूं और यह भी बताता हूं कि मेरे विचार से अब भारत सरकार को इन सबके प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। दिनांक 5 फरवरी को दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों की भेंट वार्ता हुई। मुझे अत्यन्त हैरानी होती है कि जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री मिलते हैं तो हमेशा समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है कि काफी सौहार्द्रपूर्ण वार्ता रही। हमें भारत में भी यही बताया गया था कि हमारे प्रधानमन्त्री और पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री के मध्य काफी उत्साहपूर्ण, सौहार्द्रपूर्ण वार्ता सम्पन्न हुई। इस सौहार्द्रपूर्ण वार्ता के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने से पूर्व ही पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री अपने देश लौट गये और वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सरकार द्वारा प्रायोजित आम हड़ताल का आह्वान किया और उन्होंने पाकिस्तान नेशनल असेम्बली की एक विशेष बैठक हेतु बुलायी। इसके साथ-साथ दिनांक 6 फरवरी को पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शहरयार खान ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता की घोषणा करके और नाभिकीय पहलू को सम्मिलित करके एक नया दांव रखा। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने एक आपत्तिजनक वक्तव्य जारी किया जो उन्होंने दिल्ली में ही रहकर किया। फिर दिनांक 7 फरवरी को पाकिस्तान नेशनल असेम्बली की बैठक हुई और इसमें एक संकल्प पारित किया गया जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया गया। फिर 8 फरवरी को संपूर्ण पाकिस्तान में एक आम हड़ताल की गई। 9 फरवरी को पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री मुजफ्फराबाद गये और एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत कटु शब्द बोले।

11 फरवरी को अमानुल्ला खान के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा, जो संयोग से

पाकिस्तानी पारपत्र से यात्रा करता है तथा पाकिस्तान के प्रत्याख्यान जो कुछ भी हों, जो पाकिस्तान के समर्थन से कार्यरत है तथा जिसे ब्रिटेन से निष्कासित किया गया था और उसने पाकिस्तान में शरण ली थी, उस मुक्ति मोर्चा ने हमारे यहां की वास्तविक नियन्त्रण रेखा की ओर प्रमाण करने का अभियान किया। मैं अत्यन्त संक्षेप में दिनांक 5 से 12 फरवरी की अवधि घटनाओं और पाकिस्तान के जो पहले दो उद्देश्य थे और जो अभी भी हैं, का उल्लेख करना अपने विचार से आवश्यक समझता हूं—

पहला तो यह कि घाटी में वर्ष 1990 के समान ही राजनैतिक विद्रोह का वातावरण उत्पन्न करना, और

दूसरे जम्मू और कश्मीर घाटी की स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देना।

मैं अब आपसे पूछता हूं कि अब सरकार हमें स्पष्टीकरण दें कि किस सीमा तक पाकिस्तान अपने पहले मकसद में कामयाब हुआ है। परन्तु जहां तक दूसरे उद्देश्य का सवाल है, मेरे मन में कुछ गम्भीर गम्भीर शंकाएं हैं और उनसे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि दिनांक 5 से 12 फरवरी की दौरान घाटी इन घटनाओं से क्या प्रकट हो रहा था। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधियों को क्यों बुलाया था और उनके साथ परामर्श क्यों किया था? चाहे यह कदम पूर्णरूपेण सुविचारित हो परंतु यह पहलू अस्पष्ट ही रहा कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आयी जो पाकिस्तान चाहता था और फिर ऐसे में उनके प्रति हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए थे। सरकार का यह दायित्व है कि वह संसद में इसका स्पष्टीकरण दें और केवल इन घटनाओं के बारे में ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से इस रवैये के बारे में स्पष्टीकरण दे।

इस सन्दर्भ में यद्यपि मैं पुनः इस मामले का जिक्र करूंगा क्योंकि मैं इसे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय मानता हूं और मैं सरकार को यथार्थता और जिम्मेवारी के भाव से सतर्क करना चाहता हूं और मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर पूरी तरह से नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं। और यदि वे स्थिति पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक यह कहूंगा कि दोनों देश परस्पर विरोधी बनते जा रहे हैं। मैं इसे कुछ हद तक इस प्रकार से भी कहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की सबसे बड़ी खामी यह थी कि उनके अभिभाषण में रक्षा और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया था परन्तु जम्मू और कश्मीर के प्रसंग में इसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं यद्यपि ऐसा करके मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं।

जैसाकि मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही कहा था अर्थात् मेरे भाषण का दूसरा पहलू, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह आर्थिक पहलू है। मैंने उस समय भी यही कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित आर्थिक पक्ष पर किसी भी रूप में चर्चा करने का यह सही अवसर नहीं है। परन्तु मैं केवल दो या तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

कांग्रेस दल द्वारा इस मार्ग को अपनाये जाने से काफी पहले से ही हमारे दल का यह विचार था कि नियन्त्रण समाप्त किया जाए। अधिकारी-तन्त्र के अनावश्यक नियन्त्रण को समाप्त किया जाए और अपनी अर्थ-व्यवस्था को उदार बनाया जाए ताकि देश की सृजनात्मक प्रतिभा पूर्णरूप से उभर कर सामने आये। परन्तु यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश की सृजनात्मकता की यह

[श्री जसवन्त सिंह]

बेतुकी स्थिति हमारे द्वारा स्वीकार्य नहीं है ठीक उसी प्रकार से यदि देश की अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक के नियन्त्रण में चला जाता है, तो इस चीज को भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा को यह विश्वास है कि इतना बड़ा राष्ट्र, अपार सर्जनात्मक संपदा वाला राष्ट्र और भारत की क्षमता किसी का भी आर्थिक विषय सरलता से नहीं बन सकता । यह विदेशी पूंजी को देश में आमन्त्रित करना है, यदि विदेशी उद्यमियों को देश में आकर्षित करना है, तो हम उसे प्रतिकूल विकास नहीं कह सकते हैं । लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि विदेशी उद्यमियों को हमारी अर्थ-व्यवस्था में प्रवेश देने की इस उदारता से पहले, हमें अपने लोगों को देश की अर्थव्यवस्था में स्थान देना चाहिए था जिससे कि हमारा उद्योग, जोकि एक लम्बे अर्से से कई कृत्रिम अड़चनों से घिरा हुआ है, विदेशी क्षतिस्पर्धा प्रारम्भ होने से पहले इस प्रतिस्पर्धा का आदी हो सके । और दूसरी बात जो हमारे समझ में नहीं आई तो यह है कि ब्रेकफास्ट पदार्थ, पेय या फास्ट फूड्स आदि विदेशी उद्यमता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है विदेशी पूंजी आवश्यक है जिसकी जरूरत भारत को है ।

मैं अर्थव्यवस्था के बारे में एक विचार रखना चाहता हूं । हमने पहले केन्द्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं किया था । हमने उसका समर्थन नहीं किया था । क्योंकि हम उससे विश्वास नहीं रखते हैं । उसी तरह हम बाजारी ताकतों का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं । यदि पहली व्यवस्था झूठी थी, जैसाकि आप अब कहते हैं, तो हम ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जिस व्यवस्था को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं वो सही है । मैंने पहले भी कहा था, यदि 35 करोड़ भारतवासी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और जो इस बाजार के अंग नहीं हैं वे किस तरह बाजारी ताकतों को प्रवर्तित करने से लाभ उठाएंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

यदि अर्थव्यवस्था के पहलू को लें, तो जब बजट पर चर्चा होगी तब उसके लिए समय का अवसर मिलेगा ।

मैंने पाया कि मुझे परिस्थिती विज्ञान और पर्यावरण के प्रबन्धन पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । हमारे देश के पर्यावरण या सम्पूर्ण परिस्थिति विज्ञान के प्रबन्धन में जनता का सहयोग होना चाहिए, जनता की स्वयं ये महसूस क्या चाहिए कि ये उनके अपने संस्कृति का हिस्सा है, वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनका अपना है । अन्यथा पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी । इस बिन्दू को विस्तार करने का मेरे पास समय नहीं है । मैं ये कहकर यहां से जाना चाहता हूं कि वर्तमान समय में पर्यावरण जागरूकता, क्रिया परिस्थिति विज्ञान आदि का सम्पूर्ण क्षेत्र केवल बड़े लोगों के चर्चा का विषय बनकर रह गया है । और दूसरी बात ये है कि ये सरकारोन्मुखी भी हो गया है । जब तक आप इसे बदलकर जनता तक नहीं पहुंचाओगे हम उस दिशा में सन्तोषजनक कदम नहीं बढ़ा सकते ।

महोदय, मुझे दो महत्वपूर्ण बातें कहनी है । एक बाह्य सम्बन्धों और हमारे विदेश नीति के प्रबंधन में होने वाले सार्वभौम परिवर्तन का सामना करने के लिए इस सरकार द्वारा किए गए प्रयास और दूसरा हमारी सुरक्षा नीति और रक्षा के विषय में है ।

सरकार ने संक्षिप्त में विवरण दिया है और इस विवरण से मुझे ये महसूस होता है कि सरकार की विदेश नीति प्राथमिकताएं, भारत की एकता और क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखना, हमारे क्षेत्र

में स्थिरता एवं शान्ति का टिकाऊ माहौल बनाकर भौगोलिक राजनैतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा स्वस्थ बाह्य आर्थिक माहौल को प्रोत्साहन देकर जनता के आर्थिक कल्याण के लिए एक ढांचा का निर्माण करना है। और एक आशा ये भी है कि 21वीं सदी, में एशिया आगे होगा।

मुझे इन उद्देश्यों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे हमारे विदेश नीति के प्रबन्धन को, स्वीकार करने में आपत्ति है इन उद्देश्यों की प्राप्ती में मुझे आपत्ति हैं और मैं केवल इन दो विषयों को ही लूंगा। एक तो ऐसा माहौला बनाने के लिए है जो हमारे दीर्घकाल तथा स्थिर सुरक्षा के लिए सहायक है। दूसरा विदेश आर्थिक नीति के बारे में है। जैसाकि मैंने पहले कहा था कि यदि विदेश नीति के उद्देश्यों में से स्थिर सुरक्षा के माहौल का निर्णय करना भी एक उद्देश्य है तथा यदि विदेश और रक्षा नीति एक ही सिक्के के दो पहलू है और यदि हमें विदेश नीति पर, रक्षा बजट के जितना खर्च करना पड़ता है तब मुझे एकमात्र आपत्ति इस बात की है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में रक्षा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। मुझे सरकार के विचार एवं सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों के प्रक्षेपण में कमी नजर आई है। इसका रक्षा पहलू क्या है, मैं इस विषय पर भी बोलूंगा लेकिन पहले मैं विदेश नीति के विषय में संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। विदेश आर्थिक नीति के भी तीन उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है, अनुकूल परिवेश तैयार करना जिससे कि हमारे विदेशी आर्थिक हितों को नुकसान न पहुंचे। राष्ट्रपति के इस भाषण में भी विदेश आर्थिक नीति के तथ्यों पर कुछ भी नहीं कहा गया। सरकार ने ही यह सूचना दी थी कि हमारी नियति एशिया में है और ये आशा व्यक्त की, कि 21वीं सदी एशियाई सदी होगी। मैं चाहता हूं कि वे एशिया की परिभाषा दें, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हैं कि जो कुछ सरकार कह रही है, उसके विषय में सरकार की कोई स्पष्ट धारणा है। केवल भौगोलिकता से ही नहीं अपितु सांस्कृतिक रूप से भी। यह एशिया क्या है? मैं सरकार से इस एशिया की परिभाषा चाहता हूं।

दूसरे, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के भाषण में अफगानिस्तान पर पुनः इतनी चुप्पी क्यों साधी गई है। क्या अफगानिस्तान इस एशिया का हिस्सा नहीं है? क्या अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा से सीधा सम्बन्धित नहीं है?

तीसरा, मैं सरकार से हमारी आर्थिक नीति के बारे में ये जानना चाहता हूं कि इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया का कोई भी उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। और इस क्षेत्र में एशियाई और हमारी विदेश आर्थिक नीति को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मैं इस पर विचार विनिमय करूंगा। मुझे विश्वास है कि 1989 के अन्त में इस पृथ्वी ग्रह से एक बड़ी विश्वव्यापी 'फाल्ट लाइन गुजरी थी और वह विश्व व्यापी फाल्ट लाइन बरलीन की दीवार तक पहुंची थी। 1989 और 1991 के मध्य में इस फाल्ट लाइन को ठीक कर दिया गया था। मुझे यह सन्देह है कि इस नई 'हैयर लाईन' के प्रारम्भ से ही विश्वव्यापी दरार दिखाई दे रही है और यह विश्वव्यापी दरार कहीं न कहीं पहुंचेगी। मेरा यह मानना है कि ये दरार कहीं न कहीं पश्चिम एशिया में पहुंचेगी और यह पश्चिम एशिया को अफ्रीका से और गरीब और अमीर के सवाल से जोड़ेंगी। मैं सरकार से ये चाहता हूं कि वो हमें ये सूचित करें कि भविष्य के और प्रादुर्भाव विश्व स्थिति के विषय में सरकार का क्या प्रक्षेपण है क्योंकि जब तक वो स्पष्ट नहीं होता, ये तीन उद्देश्य, जिसका कि सरकार विदेश नीति के सम्बन्ध में जिक्र करती है वे प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मैं अफगानिस्तान के मामले पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं। अफगानिस्तान, एक नए समझौते का जिक्र होता है। लेकिन समझौता तभी अच्छा हो सकता है यदि ये पहले, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए किया गया हो, उसके बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान के युद्ध-

[श्री जसवन्त सिंह]

नीति के बारे में किया गया हो, और उसके बाद मध्य एशियाई मानवजाति के दबाव के विषय में हो, और उसके बाद पहले संयुक्त राष्ट्र समझौते की पश्चात् विषय में हो ।

5.00 म० प०

क्योंकि उस संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थे । अब सोवियत संघ नहीं रहा । अतः इससे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता सोवियत संघ के साथ हीं समाप्त हो चुका है और अफगानिस्तान के साथ हमारी 50,000 टन गेहूं विनिमय-व्यापार के बावजूद, वास्तव में भारत, अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति पर अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या कर रहा है जिससे कि हमारे राष्ट्रीय हित इस प्रकार की उभरी स्थिति में संरक्षित रहे ? और मैं अफगानिस्तान की इस कमी का विशेष तौर पर जिक्र करता हूं क्योंकि सरकार विश्वव्यापी स्थिति में भारत के अत्याधिक हित में एक ओर क्षेत्र के बारे में लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और भारत के हित का यह क्षेत्र है मध्य एशियाई गणराज्यों का समूह । जिन मध्य एशियाई गणराज्यों से भारत की लम्बी ऐतिहासिक घनिष्ठता रही है । वह केवल चंगेज या तैमूर के समय से ही नहीं, बल्कि मध्ययुग के शीर्षस्थ नेता-बाबर के समय से है जो इस देश में प्रविष्ठ कर भारत के इतिहास को बदल दिया है । मध्य एशिया से भारत का सम्पर्क आज से ही नहीं है । वे प्राचीन है और वे ऐतिहासिक हैं और यदि हम इन सम्पर्कों को भूल जाते हैं, तो हम केवल अपने राष्ट्र के हित को खतरे में डालकर ही ऐसा कर सकते हैं ।

मैं मध्य एशिया के बारे में कुछ विचार आदान-प्रदान करना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है । अभी कुछ समय पहले ही, सरकार ने कुछ प्रसिद्ध सांसदों, सत्ताधारी पक्ष से कुछ मित्रों का एक शिष्टमण्डल भेजा है परन्तु जहां ये नए गणराज्य अचानक प्रकट हुए हैं वहां पर ये वास्तविक कार्यवाही का विकल्प नहीं हो सकता ।

ये गणराज्य जो अब बने हैं वे इस परिवर्तन के अनिच्छुक भागीदार थे । वे यह परिवर्तन नहीं चाहते थे । भूतपूर्व सोवियत संघ में यह जो परिवर्तन हुआ है, मध्य एशिया गणराज्यों के बावजूद हुआ है । वे एकमात्र केन्द्रीय प्राधिकार को जारी रखना चाहते थे और वे मानव शक्ति के लिए रूस से आर्थिक और तकनीकी तौर पर बंधे रहे । फिर भी उनमें रूस से अनेक मतभेद है जो विकसित अथवा प्रकट हो गए हैं । इन गणराज्यों में जो प्रश्न उठे हैं, वे हैं, क्या उनकी राष्ट्रीय सीमायें तय हो गयी हैं, क्या उनका वास्तविक स्वभाव इस्लामी है; अथवा क्या आदिवासी मानवजातीय निष्ठाएं अधिक प्रबल हैं ?

जब तक हमारे विदेश नीति विचारक, हमारे विदेश नीति के कर्मचारी गण और सरकार स्वयं से यह प्रश्न नहीं करती मध्य एशिया में हम सन्तोषजनक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते । परन्तु, मध्य एशियाई गणराज्यों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वे हमारी चुनौतियों से भिन्न नहीं है । उन्होंने आर्थिक चुनौतियों, सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों और राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी चुनौतियों का सामना किया । वे इससे पहले राष्ट्रवाद या अन्य किसी रूप को नहीं जान पाए । हमारे हित की एकमात्र बात क्या हैं ? हमारे लिए मुख्य चिन्ता का विषय यह है कि यदि पाकिस्तान इन गणराज्यों में उस सामरिक गहनता को देखता है जिसे यह हमेशा से चाहता रहा है और यदि गणराज्य भी एक मार्ग, निर्गमन का मार्ग, एक भू-मार्ग चाहते हैं जो कि उन्हें इस सीमा प्रान्त से बन्दरगाह तक ले जाएगा और यदि कराची को प्रस्तावित किया जा रहा हो तथा यदि यह मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सम्बन्ध बनाकर सामरिक गहनता प्राप्त करने का पाकिस्तान का उद्देश्य रहा हो फिर स्पष्ट रूप से उन्हें इस सामाजिक

उद्देश्य से वंचित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि कैसपियन इकोनोमिक कोओपरेटिव काऊंसिल तर्की और इराक के बीच विवाद का मुद्दा बना चुका है तो पुनः यह हमारे लिए एक अवसर है।

मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों मुद्दों के बारे में भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

जहां पहल समय पर की जाती है तथा भारतीय राष्ट्रीयता की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए की जाती हों और न कि हमारे निर्णय किसी दूसरे की सहमति अन्यथा निषेधाधिकार के अधीन हो, वहां मुझे पहल किए जाने से सम्बन्धित मामले पर विचार करने का समय नहीं है।

इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूं कि क्या ताईवान और दक्षिणी अफ्रीका के साथ वाणिज्य तथा व्यापार सम्बन्धी हितों को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस समय जबकि दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय मूल के बहुत से लोग रह रहे हैं, क्या यह भारत के लिए उचित समय अथवा उचित कार्यवाही नहीं होगी कि सांस्कृतिक, व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धों को अधिक बढ़ाया जाए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सरकार के विचारों को जानना चाहेंगे।

महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा सम्बन्धी मामले पर भी कुछ कहना चाहूंगा। जैसाकि मैंने शुरू में ही तथा अपने हस्तक्षेप के बीच में कहा था कि इस पूरे अभिभाषण में रक्षा के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यहां तक कि "राष्ट्रीय सुरक्षा" शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है। महोदय, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता हूं कि यह एक असावधानी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ऐसी असावधानी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और यदि यह गलती नहीं है तो यह और भी दुःख की बात है क्योंकि क्या इससे हम यह अनुमान लगा ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी कोई भी मुद्दा सरकार को चिन्तित नहीं करता है, हमारी रक्षा सम्बन्धी तैयारी इतनी अच्छी है कि यह स्वतः प्रमाणित है और इस सम्बन्ध में कुछ बताने की या कोई सफाई देने की अथवा इसका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है ? महोदय, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर त्रुटि है।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के पांच पहलुओं पर जोर देना चाहता हूं। प्रथम तो विवाद में पड़ने का खतरा द्वितीय हमारी रक्षा के सेनाओं की युद्ध सम्बन्धी तैयारी की स्थिति, तीसरे हथियारों को प्राप्त करने, चौथे सामरिक कच्चे माल तेल पर हमारी संकटपूर्ण निर्भरता और महोदय पांचवीं नागरिक प्रशासन की सहायता करने की भूमिका लम्बे समय तक निभाने के कारण रक्षा सेनाओं पर पड़ने वाले हानिकारक परिणाम। महोदय, रक्षा सम्बन्धी मामलों के अन्तर्गत मैं सरकार को अभी भी यह परामर्श देने चाहता हूं कि पुनः···(व्यवधान) महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं पुनः सरकार को बोफोर्स में परामर्श देने के लिए बाध्य हूं। लेकिन फिर विवाद में पड़ने का खतरा क्या है···

श्री पी० एम० सईद : क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोफोर्स का उल्लेख है ?

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह वही संशोधन है जो प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं सिर्फ यह अनुरोध कर रहा हूं कि राष्ट्र के विवाद में पड़ने का खतरा है। मैं निष्कर्ष में फिर इसका उल्लेख करूंगा। अतः इसे मुझे यही छोड़ देना चाहिए और हमारी तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में इस विवाद में पड़ने के सम्बन्ध में मैं क्यों चिन्तित हूं क्योंकि पूरे उत्तरदायित्व की भावना के साथ मैं आपको यह बताता हूं कि युद्ध सम्बन्धी हमारे रक्षा सेनाओं की तैयारी पूरी तरह से अच्छी नहीं होने का मुख्य कारण युद्धनीति सम्बन्धी तीन कमियां हैं। पहली कमी जिसके बारे में हमने चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले को समझती है, लेकिन अभी तक जिसका हमें कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिल पाया है और वह हथियारों की प्राप्ति का प्रश्न है। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हथियारों, गोला-बारूद तथा अतिरिक्त समानों के लिए चाहे पूर्वी शिविर के देशों अथवा सोवियत शिविर पर हमारी 70 प्रतिशत निर्भरता के बारे में अब पूर्ण से आशंका है। यह सिर्फ हथियारों की आपूर्ति का वैकल्पिक स्त्रोत ढूंढने का प्रश्न नहीं है क्योंकि विकल्प ढूंढने से पूर्व आपको एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, प्रथम तो युद्ध सम्बन्धी तैयारी की स्थिति में वर्तमान के साथ निरन्तरता बनाए रखनी है तथा कमी की स्थिति ने भी जहां कि आपूर्ति का स्त्रोत खत्म हो गया है, वर्तमान के साथ निरन्तरता बरकरार रखना है और युद्ध सम्बन्धी तैयारी भी पूरी रखनी है। मुझे विश्वास नहीं है कि इन सभी तीन मामलों पर सरकार मुझे सकारात्मक उत्तर देगी। दूसरे हथियारों की प्राप्ति तथा आपूर्ति के विकल्प स्त्रोत की व्यवस्था करने में भी एक रिक्तता है। जिस समय तक एक वैकल्पिक स्त्रोत की व्यवस्था होती है तथा आपूर्ति शुरू होगी, खालीपन उत्पन्न हो जाएगा और उस स्थिति में आपके सैनिकों को रहना है, उन हथियारों को समझना हैं, उन पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है और इस हथियार के इस्तेमाल के सक्षम बनना है। हम रक्षा सम्बन्धी हथियारों की चर्चा कर रहे हैं। यह पन्सारी का सामान नहीं है कि आप दुकान में जायें, इसे खरीदें और तुरन्त ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। मेरे लिए यह गम्भीर चिन्ता का विषय है और यह एक ऐसा मामला है जिसके कारण मैं यह बताने के लिए बाध्य हूं कि हमारी रक्षा सेनाओं की युद्ध संबंधी तैयारी संतोषप्रद नहीं है और यह सामरिक असंतुलन का वह पहलू है जिसमें वर्तमान स्थिति में भारत है।

रक्षा मन्त्रालय के लिए अन्य गम्भीर चिन्ता का विषय जिसका कि एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है, वह है सामरिक कच्चे माल, तेल पर हमारी निर्भरता की संकटपूर्ण अवस्था। हम सोवियत संघ से पूर्ति पर निर्भर थे। चाहे सोवियत संघ द्वारा पूर्ति की जाती थी अथवा सोवियत संघ द्वारा ईराक के माध्यम से पूर्ति की व्यवस्था की जाती थी। ये दोनों ही स्त्रोत अब उपलब्ध नहीं है। मूल रूप से मैं यह बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ये ही स्त्रोत थे। यदि ये दोनों स्त्रोत अब उपलब्ध नहीं हैं और यदि अस्थाई रूप से वित्त मन्त्री पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि नहीं करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें संकटपूर्ण सामरिक असन्तुलन की स्थिति की जानकारी नहीं है बल्कि ऐसा इसलिए कि वे झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान न करे कि ऐसा हो जाए लेकिन यदि किसी समय तेल की पूर्ति अचानक बन्द हो जाए, तो मैं गम्भीरता से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे हमारी रक्षा सेनायें बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। यह दूसरी त्रुटि है और यह सामरिक त्रुटि है।

तीसरी त्रुटि, मैं कहता हूं कि नागरिक अधिकारियों की सहायता में सैन्य बल को अधिक समय

तक लगाए रखने के कारण उन पर पड़ने वाला हानिकारक परिणाम है। मैं आपको यह बताता हूं कि सेना को इस प्रकार के प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है और यदि सेना को इस प्रकार के प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिला है और यदि आप उन्हें वर्ष दर वर्ष, माह-दर-माह एक ऐसे कार्य में लगाए रहते हैं जिनके लिए उनका गठन नहीं किया गया है फिर कहीं न कहीं तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वह कीमत युद्ध सम्बन्धी तैयारी है। इसी वजह मैं आपसे यह कहता हूं कि सामरिक महत्व की इन तीन त्रुटियों के कारण पर्याप्त युद्ध सम्बन्धी तैयारी के अभाव में मैं बार-बार इस सरकार को विवाद में पड़ने पर होने वाले खतरे के बारे से अगाह करना चाहता हूं।

महोदय, बोफोर्स के सम्बन्ध में उल्लेख करने में मुझे दुःख है लेकिन मुझे इसका उल्लेख अवश्य करना है। यहां, मेरे पास 7 फरवरी का स्वीडन का एक समाचारपत्र 'डाग्जेन नचहतर' है। मैं इससे पढ़ूंगा नहीं, बल्कि मैं आपको इनके शीर्षक दिखाऊंगा। मैं इसे आपके समक्ष रखता हूं कि शीर्षक देखने के पश्चात् आप सरकार और सत्तापक्ष को समझायें। चार या पांच ऐसे बहुत ही उचित कारण है जिसकी वजह से बोफोर्स मुद्दे पर चर्चा निरन्तर जारी रखना चाहिए और इस प्रकार से नहीं कि इसे बस निपटाना है जैसाकि पहले किया गया है क्योंकि बोफोर्स का एक अपना ही महत्व है। हर समय जब भी किसी ने इसे छिपाने की कोशिश की, यह मामला पुनः चर्चा का विषय बन गया है। इस सरकार को एक चेतावनी के रूप में मैं इसे आपके समक्ष रखता हूं कि जब तक आप बोफोर्स मामले में दोषी व्यक्तियों को दण्डित नहीं करते हैं, बोफोर्स का मुद्दा उठता ही रहेगा। यह सिर्फ एक चेतावनी है। यह आवश्यक है कि यह सरकार बोफोर्स की जांच में जानबूझ कर विलम्ब करने के अपने वर्तमान रवैये को कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही में परिणत करे क्योंकि इसमें चार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित है। इसमें भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री का नाम भी शामिल है। भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री का नाम वे हर अवसर पर लेने में नहीं झिझकते है। यदि इस प्रकार का एक सम्मानीय नाम इसमें शामिल हो और वह शीर्षक बन जाए तो यह एक ऐसा शब्द बन जाता है जिस पर समाचारपत्रों में हर प्रकार का दोषारोपण किया जाता है। फिर यह इस सरकार के लिए आवश्यक होता है, यद्यपि कि वे अब उनके दल के नेता नहीं रहे, फिर भी यह इस सरकार के लिए आवश्यक होगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के नाम को इसमें शामिल न होने दें। यह एक कारण है जिसकी वजह से इस सरकार को बोफोर्स के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए!

एक अन्य कारणवश भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में जिसे मैं दुहराने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने भारतीय राजनीतियों की एकजुटता के सम्बन्ध में बहुत ही आपत्तिजनक वक्तव्य दिए हैं, दोषारोपण किया गया है। यदि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की एकजुटता के सम्बन्ध में इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते रहे, तो ये वक्तव्य सिर्फ भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के सम्बन्ध में ही नहीं हैं, ये भारत की प्रकृति के सम्बन्ध में भी कहे गये हैं। यदि भारत की प्रकृति के सम्बन्ध में इस प्रकार की निन्दा की गयी है तो भारत के लिए अपने नाम को निर्दोष साबित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए भी सरकार के लिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना आवश्यक है।

फिर मैं हथियारों की प्राप्ति का उल्लेख करना चाहता हूं। तीसरा कारण, बोफोर्स सौदे के समय से रक्षा मन्त्रालय में हथियारों को प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही ठप्प पड़ी हुई है। लोग निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि आप दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत के लिए भगवान के लिए रक्षा मन्त्रालय में विश्वास की भावना को पुनः जाग्रत करना होगा। आप तब तक विश्वास नहीं ला सकेंगे जब तक आप बोफोर्स के मामले पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, यह तीसरा कारण है।

[श्री जसवन्त सिंह]

चौथा कारण भारत में पुन: विश्वसनीयता की भावना पैदा करनी चाहिए । मैंने महसूस किया है कि यह बहुत हतोत्साहित करने वाला मामला है। भष्टाचार कोई मामूली मामला नहीं है बल्कि भष्टाचार केवल हमारे देश में ही नहीं है आपने जापान में डेनमार्क में और पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार के बारे में सुना है। आपने संयुक्त राज्य अमरीका और सभी स्थानों पर इस बारे में सुना है। इन सभी मामलों में कोई न कोई इसका मूल्य चुकाता है। किसी न किसी व्यक्ति को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है यह केवल हमारे यहां होता है कि चाहे भ्रष्टाचार साबित हो जाए और चाहे कितना ही बड़ा गलत कार्य हो जाए चाहे उसको किया जाए फिर उसकी जिम्मेदारी के लिए किसी को पकड़ा नहीं जाता है। बोफोर्स को ही लीजिए, जिसमें शस्त्र व्यापार का एक बहुत बड़ा घोटाला जो भारत में पहली बार हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी पर भी अभी नहीं डाली गई है। ये कई कारण है। इसके चार या पांच कारण हैं जिनको मैंने महसूस किया है मैं सरकार को बोफोर्स मामले पर कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं यदि आप इस पर कार्यवाही नहीं करेंग तो यह मामला बार-बार उठता रहेगा।

मैं केवल दो बातों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री पवन कुमार बंसल भारतीय समाज के पुनर्जागरण के बारे में बोले थे। मैं उनके आशावाद और विचारों से सहमत हूं। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण के सन्दर्भ में वास्तव में इस समय सरकार के सामने दो मुख्य चुनौतियां है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण और इस देश की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करना जोकि सरकार का अनिवार्य दायित्व है।

मैं कुछ पंक्तियां अिनकी मैंने खाली समय में लिखा था, कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मैं यह कहूंगा कि मार्क्स ने जो कुछ भविष्यवाणी की थी वह बहुत अधिक सही साबित नहीं हुई। सिवाय इस महत्वपूर्ण तथ्य के कि प्रौद्योगिकी संस्कृति को बदलती है। औद्योगिकरण प्रौद्योगिकी परिणामी तथा प्रौद्योगिकी में नवीकरण को जन्म देने वाली है। हम भारत में यथार्थ में उसी अवस्था में है और हमारी संस्कृति पर प्रहार है।

श्री पवन कुमार बंसल ने जो कुछ कहा है मैं उनसे सहमत हूं कि आज हमारे समाज पर जितना संकट है उतना पहले कभी नहीं हुआ। मेरे विचार से इस सरकार का यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारी राष्ट्रीयता का सुदृढ़ आधार भारतीय समाज ही है। आप भारतीय समाज का विनाश कर दे तो राष्ट्र का विनाश स्वत: हो जाएगा। अत: सरकार को समाज की रक्षा करते हुए व्यवस्था लानी होगी और इसके लिए आपको राष्ट्रीय नीति को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम यही करना होगा।

सरकार को भारत के विद्यमान राजनीतिक ढ़ांचे के अन्तर्गत सांस्कृतिक विकास करने के लिए भारत की आत्मा को पुन: जाग्रत करना होगा। यही मुख्य मुद्दा है।

दूसरा, शासन की प्रकृति तथा भारत के ऊपर तीन खूनी घावों को देखकर मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि एक दिन शीघ्र ही यह खूनी प्रवाह शान्त हो जायेगा। लेकिन यह तब तक शान्त नहीं होगा जब तक दयालु लोग और अच्छी सरकार नहीं होगी। मैं यह संयम के साथ कह सकता हूं कि जब तक दयालु लोग और अच्छी सरकार इस रक्त प्रवाह को नहीं रोकेगी और घावों को भरने के

लिए उन पर पट्टी नहीं बांधेगी चाहे धब्बे रह जाएं, तब तक मैं समझता हूं कि यह बुरा समय चलता रहेगा।

अन्त में, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यदि यही स्थिति जारी रहेगी तो मैं उत्तरदायित्व की भावना और सच्चाई से यह कहना चाहूंगा कि फिर किसी युद्ध का सामना हमारी जनता और देश को करना पड़ेगा। इस समय जब हमारा स्थानीय संतुलन प्रतिकूल है और जब विश्व वातावरण भी प्रतिकूल हो जायेगा तो राष्ट्र को अन्तिम परीक्षा के लिए तैयार करने का एक ही तरीका रह जाएगा—युद्ध। यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को सचेत करना मेरा कर्त्तव्य है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के समय मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि आज देश एक संकट में से गुजर रहा है और इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब सदन में बहस होती है और हो रही है तो सिर्फ संसद् में ही नहीं, देश में लोग इन्तजार में रहते हैं कि संसद् में हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किस तरह के तर्क, किस तरह की डिबेट करते हैं।

मैं कांग्रेस दल की ओर से जो दो दोस्त बोले, जो दो सदस्य बोले, उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ कहने के लिए कुछ पाइण्ट्स तो उन्होंने उठाये नहीं, जिन पर हमें बोलना पड़ेगा लेकिन, उपाध्यक्ष जी, मेरा मन कहता है कि मैं आपके सामने पहले संविधान के प्रिएम्बल को पढ़कर सुना दूं ताकि आज का जो वितर्क है, जो डिबेट है, उसको हम एक नये ढंग से शुरूकर सकें। मैं यह प्रिएम्बल आपके समक्ष इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि प्रिएम्बल में जो लिखा हुआ है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

[अनुवाद]

मैं संविधान की प्रस्तावना को उद्धृत करता हूं :

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की, स्वतन्त्रता—,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह भारतीय संविधान, देश में अस्सी करोड़ जनता का है, मैं कह सकता हूं कि उन लोगों के लिए यह वेद, बाइबल और कुरान भी है। इस संविधान में जो राष्ट्र का लक्ष्य रखा जाता है, रखा गया है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के भाग को पढ़कर टिप्पणी करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केन्द्रीय कैबिनेट की ओर से कहा गया है—

[अनुवाद]

".....नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य पिछले दस वर्षों में हुए लाभों को बनाए रखना और भारतीय उद्योगों को अपनी क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करना है। इस नीति के सार्थक परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं....."

[हिन्दी]

इससे बढ़कर कोई असत्य चीज भारतीय पार्लियामेंट में नहीं रखी जा सकती है। इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है। देश की मौजूदा स्थिति क्या है, उससे कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस मौके पर मैं कर्त्तव्य च्युत होऊंगा, यदि मैं गांधी जी के नाम को ही नहीं बल्कि 72 साल पहले, 1919 में, देश में बुनकर जाति के बारे में उनके जो विचार थे, उनको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। यह मैं आपको इसलिए सुनाना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनके विचारों को भारत सरकार के कर्म में, भारत सरकार के कार्यक्रम में भुलाया ही नहीं गया, बल्कि खत्म कर दिया गया है। स्वदेशी, स्वराज, स्वावलम्बन और रोजगार इन चारों आदर्शों को प्रिएम्बल से निकाल दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और देश को गुलाम बना दिया गया है। अस्सी करोड़ के देश में, जब मैं देशवासियों के बारे में कहता हूं, तो उनमें 95 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते है। गांधी जी ने 14 सितम्बर, 1919 में बहनों के नाम पर एक चिट्ठी लिखी थी, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

मेरा बहनों को :

"मैं आप लोगों से एक साधारण परन्तु महत्वपूर्ण मामले पर बात करना चाहता हूं। एक ऐसा मामला जिस पर भारत का उद्धार निर्भर है और जिसके बगैर यह असंभव है। आदमी अपनी अज्ञानतावश महिलाओं के प्रति अपने कर्त्तव्य को भूल जा सकता है परन्तु क्या यह महिलाओं को अपनी बहनों के प्रति कर्त्तव्य से रोक सकता है?....."

[हिन्दी]

हमारे दोस्त श्री राम विलास पासवान शून्यकाल के दर्मियान आंध्र प्रदेश में हरिजनों के बारे में जिक्र करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से सरकार की इस घोषणा के बावजूद कि हम लोग उस पर पूरा विचार करेंगे, विचार किया गया और सरकार की गलती से सब बरी हो गए। इसी सिलसिले में गांधी जी ने जो लिखा है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"मुझे दोहाद से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें ऐसी खबर है जो हम सबों के लिए शर्मनाक हैं। संवाददाता लिखता है कि दोहाद सम्प्रदाय की औरतें, जिन्हें घर में करने लायक काम नहीं मिल पाता है मजदूरी करने के लिए बाहर जाती हैं और अपने सतीत्व की कीमत चुका कर ऐसा कार्य करती है। इन औरतों के परिवारों के पुरुष जो कायर हैं, इस तथ्य को जानते हैं परन्तु वे इसे अनदेखा कर देते हैं। मैंने इस सम्प्रदाय के लिए दहेद शब्द का प्रयोग किया परन्तु वे लोग बुनकर है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों कुछ बुनकरों को दहेद कहा जाता है। लेकिन यदि हम हमेशा यह दुःखद तथ्य दिमाग में रखें कि उनके अच्छे सम्बोधन के बावजूद अछूत समझा जाता है। हममें से कुछ को यह विश्वास है कि किसी दिन अस्पृश्यता के पाप

मुक्ति मिलेगी। जैसे कि महिलाओं को अन्य काम के अभाव में मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसी प्रकार पुरुषों को भी जाना पड़ता है। अतः जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें सूत देने के लिए तैयार था तो उन्होंने यह कसम खाई कि वे कताई के अलावा अन्य कार्य नहीं करेंगे बशर्ते कि मैं उन्हें प्रतिदिन एक मन सूत की नियमित पूर्ति करता रहूं। मेरे संवाददाता ने मुझे यह भी सूचित किया है कि इस शपथ के उठाने का उनका मुख्य कारण उनके साथ की जा रही उस अनैतिकता की उनकी जानकारी थी जिसका मैंने उल्लेख किया है। इस अत्याचार का एकमात्र शिकार दोहाद ही नहीं है। जब मैं उमरेथ में था तो मुझसे कहा गया था कि वहां अधिकांश महिलाएं व्यापारियों के लिए दालें साफ कर थोड़ी बहुत कमाई कर लेती हैं। उन्हें स्वयं दालें लेने और लौटाने के लिए जाना पड़ता है और वहां उनसे सभी प्रकार के भद्दे मजाक किये जाते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं। मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि अपने चार वर्षों के भारत भ्रमण के दौरान मुझे अनेकों जगह इस प्रकार की दर्द भरी कहानियां सुनने को मिली। मुझे ऐसा प्रतित होता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जब हमारी लाखों बहनें सूत कातने का कार्य करती थी तो ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। इसलिए, मैं अपनी सम्पन्न और शिक्षित बहनों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे अपने निर्धन बहनों की सतीत्व की रक्षा करने के लिए चिन्तित हैं तो उन्हें हथकरघा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, इसको मैंने पढ़ करके सुनाया, जो गांधी जी ने लिखा था बहनों के नाम पर, आज से 72 साल पहले जिस हिन्दुस्तान के बारे में यहां कहा गया है कि नयी औद्योगिक नीति के चलते पूरे लोगों को काम मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि इण्डिया टूडे एक खोज करने वाला विषय है, इण्डिया टूडे में कहा जाता है, गांधी जी ने 72 साल पहले जो लिखा था आज मौजूद हिन्दुस्तान में वह चीज हो रही है :

[अनुवाद]

"कुम्हारों के गांव ओरवाकोड़ में कताई का कार्य रुक गया है। और यहां के निवासियों की जिन्दगी उसी तरह ढल गयी है जो ज्यादा पुरानी नहीं है। अपने परम्परागत व्यापार को छोड़कर केरल के मलापपुरम जिले के हरी भरी पहाड़ियों से युक्त इस गांव की महिलाओं ने अपनी जीविका हेतु एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का व्यवसाय—वेश्यावृत्ति को अपना लिया है। और एक प्रकार से पूरा गांव ही एक वेश्यालय में बदल गया है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं पूरा पढ़ूंगा तो आप दंग रह जाएंगे, गांधी जी ने 72 साल पहले जो लिखा था। आज हमारे केरल राज्य में किस तरीके से ओरवाकोड़ गांधी में जो कुम्हार हैं उनकी महिलाओं की क्या स्थिति है और अन्त में मैं कहता हूं कि :

[अनुवाद]

"ओरवाकोड़ की महिलाओं को फंसाया गया है। खाड़ी देशों से लौट रहे अनेक मलयाली सीधे गांवों में जाते हैं। और यद्यपि कि ये महिलाएं जांच हेतु नियमित रूप से निलम्बुर में स्थित सरकारी अस्पताल में जाती हैं, उनमें से अनेक शारीरिक सम्बन्ध के कारण होने वाली

[श्री रवि राय]

बिमारियों का शिकार हैं। डा० ई० के० उम्मर कहते हैं, "उनमें से करीब 99 प्रतिशत में सिफिलिटिक वाइरस मौजूद हैं। यहां तक कि एड्स की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहां इसकी पहचान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।" फिर भी वे अप्रभावित हुए इस कार्य इस कार्य में लिप्त हैं। ओनम उत्सव के दौरान वे अपनी कुल देवी मरीयम्मा की अराधना कर यह वर मांगते हैं कि "हमारी औरतों की सहायता हेतु आज अधिक ग्राहक भेजें।" और प्रत्येक वर्ष ऐसा लगता है कि देवी उनकी प्रार्थना सुन रही है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से बुनकर बिना खाए मर रहे हैं जब यह सब स्थिति है तो फिर संसद में बैठ करके हम अन्तर्मुखी नहीं बनेंगे, इस चीज पर गौर नहीं करेंगे ? क्या संसद सदस्य के नाते देश के 80 करोड़ लोगों के प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है, क्या उस कर्त्तव्य को हम निभा पाएंगे।

उपाध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा जाता है कि नयी औद्योगिक नीति के चलते देश हरा-भरा हो गया है तो मैं आज आपके समक्ष एक चीज कहना चाहता हूं जिस तरीके से देश में कहा जाता है कि बजट जब आया तो अमरीका में जो एन० आर० आई० एस० हैं वे बजट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आज जो कुछ नौजवान अर्थनीतिज्ञ अमरीका में हैं और अमरीका से वे चिट्ठी लिख रहे हैं और वह चिट्ठी सब अखबार में प्रसारित हुआ है तो मैं यह कहता हूं कि यह जो नौजवान इकोनोमिस्ट और बुद्धिजीवी अमरीका में रहते हैं उनके नाम मैं कहना चाहता हूं एसोसिएशन आफ इण्डियन इकनोमिक्स स्टडीस के तहत सेमिनार करके, उनके नाम हैं नन्द कुमार चौधरी, प्रोफेसर आफ इकनोमिक्स यूनिवर्सिटी आफ टोरेंटो, कैनेडा, सुरेश देसाई, रमेश दीवान, वामन राव वह दुख के साथ चिट्ठी लिख करके हिन्दुस्तानियों से कहना चाहते हैं :

[अनुवाद]

"सार्वजनिक क्षेत्र की चाहे जो भी कमियां रही हो, यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि एक बार इन उद्योगों का निजिकरण हो जाने से अपने आप वे अधिक दक्ष हो जायेंगे। निजी क्षेत्र के उद्योगों का रिकार्ड भी कोई अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है और निजीकरण का अनुभव उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने में अपनी कार्यकुशलता में विश्वास पैदा करने में असफल रहा है।"

[हिन्दी]

क्या यह एन० आर० आई० एस० वालों का जो हिन्दुस्तान से भाग करके वहां कालेधन को रखने के लिए गए थे और जब मौका मिलता है हिन्दुस्तान से रुपया ले जाते हैं। ये जब सारे सरकार की आर्थिक नीति को समर्थन देते हैं तो अखबार उसको छाप देता है लेकिन इन लोगों का, इन नौजवानों का, जो अमरीका में रह करके देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान किस तरीके से तबाह हो रहा है, हम अपनी आर्थिक आजादी खोते जा रहे हैं तो उनको तकलीफ होती है और उसके चलते ये आपको लिखे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं, अमरीका के जो विशिष्ट नागरिक हैं

उनका नाम है जान हेंस मेमवाले को यू० एस० ए० के रहने वाले हैं, वे हिंदुस्तानियों को चिट्ठी लिखकर कहते हैं—

[अनुवाद]

"मैं तीसरे विश्व के देशों अथवा किसी देश से यह प्रश्न करूंगा, "कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रभुसत्ता और परम्परा धीरे-धीरे समाप्त हो जाये ? क्या आप अन्तरराष्ट्रीय पूंजीवाद के गुलाग बनना चाहते हैं? अथवा क्या आप अपने क्षेत्रीय समूह बनाकर और अपने पड़ौसियों के साथ स्वतन्त्र रूप से व्यापार करके और पहल करके ठोस नींव द्वारा अपने देश का निर्माण करना चाहेंगे ? आपको विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति को त्यागना नहीं पड़ेगा। इनका उपयोग किसी के भी द्वारा किया जा सकता है और कोई भी इन्हें प्राप्त कर सकता है। परन्तु किसी विदेशी सत्ता के सामने समर्पण करने की अपेक्षा सुविधाजनक रूप से धीरे-धीरे उन्हें प्राप्त करना बेहतर है। यदि एक देश के नाते अगर आप स्वतन्त्रता खो देते हैं। तो इसे पुनः प्राप्त करना असम्भव हो सकता है।

यदि वास्तव में आपके देश के भाग्य, भविष्य को सुधारे जाने की आवश्यकता है, और ऐसा किया भी जाना चाहिए, तब आप स्वयं आत्मनिर्भर बनकर इस काम को करो। किसी भी विदेशी सहायता अथवा ऋण से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। वे आपके कार्य में व्यवधान पहुंचा सकते हैं परन्तु वे आपको सहायता नहीं करेंगे। वे कुछ व्यक्तियों को धनी बना सकते है परन्तु सम्पूर्ण देश की सहायता नहीं करेंगे। आप जो सुनते हैं, उसे भूल जाइये कि विश्वभर में सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। वह तो केवल विदेशियों का प्रचार मात्र है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अमरीका में हिन्दुस्तानी अध्यापक रहते हैं, देशप्रेमी नौजवान रहते हैं और वे अमरीकन जो हिन्दुस्तान से प्यार करते हैं, उनके विचार मैंने आपको पढ़कर सुनाए, जिससे पता चलता है कि देश किस तरह से गड्ढे में, जा रहा है और किस तरीके से हम लोग देश की रक्षा कर पाएंगे, यह हम लोगों के सामने प्रश्न है, जिसको शेक्सपीयर की भाषा में कहते हैं "टू बी आर नाट टू बी" हम राष्ट्र के नाते रह पायेंगे या नहीं रह पायेंगे, यह सवाल है। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पिटे-पिटाए तक रखकर घिसीपिटी बातें न करके, इन चीजों से ऊपर उठकर राष्ट्र को बचाने का यहां पर काम करना है, इसके लिए हम यहां पर खड़े हुए हैं और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि "दिस गवर्नमेंट आफ नेशनल ह्यूमिलिएशन" और यह राष्ट्र के लिए शर्म की सरकार है जो सरकार देश को गिरवी रख सकती है। मेरे जैसे आदमी के मन में यह बात आती है, आपके मस्तिष्क में भी यही बात आती होगी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम पर व्यापारी बनकर यहां जो आए थे, उन्होंने यहां के राजा को फुसलाया और फिर बाद में युद्ध किए और 200 साल तक हम लोग गुलाम रहे। क्या इस संसद को गुलामी और आजादी, स्लेवरी और फ्रीडम में कोई भेद नजर नहीं आता। क्या ये पर्यायवाची शब्द हैं, क्या दोनों में कोई अन्तर नहीं है ? राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उनके मुखारबिंद से केबीनेट की दृष्टि का पता चलता है, इसलिए मैं यह बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि क्या हम आजाद नहीं हैं—

[अनुवाद]

अपने राजनैतिक और आर्थिक भविष्य का निर्णय करने के लिए हम स्वतन्त्र नहीं हैं। यह संसद तो मात्र औपचारिक स्वीकृति देने वाली संस्था बनकर रह गई है।

[हिन्दी]

इसलिए जिस तरीके से जान हेंस (अमरीका के) कह रहे हैं कि हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पिछलग्गू, बन्धुआ मजदूर हो जाएंगे और हम बन्धुआ मजदूर हो गए हैं, इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। इतना ही फर्क है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी गनबोट लेकर आया था और बैटल आफ प्लासी में उसने हम लोगों को हराया। आज जो थी-सेवन देश हैं, इनकी ताकत है, इन्डस्ट्रियलिस्ट नेशंस हैं, जिनकी ताकत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पीछे हैं, वे भले ही गनबोट लेकर न आए, लेकिन उन्होंने हमारे पेट और मन पर हमला किया है। वे हमारे मन और पेट पर हमला कर चुके हैं। इसलिए मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अभी कुछ और बाकी है। यह मेरे हाथ में "सनडे इकनामिस्ट" अखबार है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री श्री लारेंस समर्स ने दिनांक 12 दिसम्बर को अपने कुछ मित्रों को एक ज्ञापन भेजा। उनके पास उसकी एक प्रतिलिपि है। कुछ ज्ञापनों से बैंक में काफी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्री लारेंस समर कहते हैं—

> "यह केवल मेरे और आपके बीच की बात है कि क्या विश्व बैंक ऋण उद्योगों को कम विकसित देशों में सम्मिलित करने के लिए और प्रोत्साहित नहीं कर रहा है? मुझे इसके तीन कारण समझ में आते हैं।
>
> स्वास्थ्य के लिए हानिकर प्रदूषण से हानि का आकलन, बढ़ी हुई रोगग्रस्तता तथा मृत्यु-दर के कारण आय की हो सकने वाली हानि पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य के लिए हानिकर प्रदूषण, एक निश्चित मात्रा तक, ऐसे देश में किया जाना चाहिए जहां मजदूरी की दरें न्यूनतम हैं ताकि आर्थिक हानि न्यूनतम हो। मैं समझता हूं, कि न्यूनतम मजदूरी वाले देश में नशीले अपशिष्टों के अण्डारण के पीछे यह आर्थिक तर्क एक त्रुटिहीन सिद्धान्त है और हमें इसे इस सीमा तक वहन करना चाहिये।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कैसे हिम्मत वाले हैं। हम लोगों का जो देश है वह पिछड़ा हुआ देश है जिसमें टाक्सिक इण्डस्टरी, डर्टी इण्डस्टरी डंप की। हम गिनी पैक्स हैं। यह हिम्मत इसलिए हुई कि नरसिंह राव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने सरेण्डर किया है हमारे आर्थिक मामलों को विश्व बैंक के पास। इसलिए हिम्मत हुई है। कौन जाने उनकी हिम्मत बढ़ गयी है। इन्होंने कहा होगा कि तुम लाओ, डंप करो हिन्दुस्तान में टाक्सिक इण्डस्टरी और डर्टी इण्डस्टरीज। इकोनामिस्ट लिखता है कि तुमने क्यों लिख दिया। ऐसा लिखने से एक्सप्लोजर हो गया, भंडाफोड़ हो गया, लोग जान गए।

यहां मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो खतरनाक स्वरूप है यह तीनों संस्थाओं का है—विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गेट 11 इन तीनों संस्थाओं का जिस तरीके के खतरनाक स्वरूप है, चेहरा है यह आपके समक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनियां में उपाध्यक्ष जी, जिस-जिस देश में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्जा गया वहां दुर्भिक्ष अकाल और एकछत्रवाद हुआ। इस तरह के 17 देश हैं। मैं जब स्पीकर था, मुझे अर्जेंटीना जाने का मौका मिला। मैंने वहां देखा कि जब चाहे मिलिटरी

गवर्नमेंट हाथ में ले लेगी। अभी वहां प्रजातन्त्र है। क्योंकि विश्व बैंक के तहत् अर्जेंटीना जो चुका है। चिली के बारे में मैं आपको कहता हूं। अभी वहां प्रजातन्त्र है। 15-20 साल पहले आयंदे एक मार्क्सवादी जबरदस्त नेता थे। जिस तरीके से नंबदरीपाद वोट के बल पर सरकार में आए थे केरल में इसी तरह वोट के जरिए आंयदे साहब चिली के राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका की जो सम्पत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए वे अडिग थे। उनका वचन था, उन्होंने चीली राष्ट्र को वचन दिया था। जब वे ऐसा करने लगे तो उनकी राष्ट्रपति भवन में हत्या कर दी गई। उसके बाद डिक्टेटरशिप आ गयी। मैं उस दिन देखकर खुश हुआ। जो चिली की राजधानी है वहां जब उनकी पत्नी पहुंची, जो एक्साइल में थी तो 10-15 लाख लोग मिलिट्री डिक्टेटर की परवाह न करके सड़क पर आ गए थे। तब मिलिट्री डिक्टेटर को महसूस हो गया था कि मैं नहीं चल पाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, अभी वहां प्रजातन्त्र आया है। क्या हिन्दुस्तान लैटिन अमेरिका की तरह बन जाएगा? आज हमारे देश के बुजुर्ग नेता नम्बूदरी पाद ने बयान दिया है कि जो कर्जे का ट्रैंड है यह हमको लेटिन अमेरिका जैसा देश बना देगा। मैं उनके साथ पूर्णतयः सहमत हूं।

तो फिर अब उपाध्यक्ष महोदय, यह हो गया है, सरकार ने कर लिया है, इस संसद की क्या प्रभुसत्ता है? क्या संसद आजाद है? संसद सार्वभौम है। 80 करोड़ जनता के नुमाइंदे के नाते जो हमारी प्रभुसत्ता है वह बरकरार है क्या? यह सवाल में संसद से पूछ रहा हूं। हिन्दुस्तान की संसद से पूछ रहा हूं कि क्या हम लोगों की प्रभुसत्ता राष्ट्र की प्रभुसत्ता बरकरार है? अपनी आर्थिक आजादी यदि हम खो देंगे, राजनीतिक आजादी खो जाना लाजिमी है। इसमें दो राय नहीं हैं। तो फिर क्या हम राष्ट्रपति अभिभाषण को पारित करेंगे? क्या यह जायज है। इसलिए मैं आज आपके सामने इस चीजको रख रहा हूं। बहुत तकलीफ हो रही है। हम हिन्दुस्तान में जब गर्व से कह रहे है कि हम प्रजातन्त्र हैं, हमारी यह पंचायत दुनियां में सबसे बड़ी पंचायत है, तो सबसे बड़ी पंचायत जब मैं कहता हूं तो मेरा मन कहता है कि रवि राय सब भूल जाओ तुम्हारे देश की सरकार ने इस देश की सार्वभौम को, प्रभुसत्ता को गिरवी रख दिया है।

क्या किया जाए। यहां से हम लोग कहां जाएं। किस तरीके से राष्ट्रवासियों के पेट के ऊपर हमला हो रहा है। सरकार इससे साझेदारी कर रही है और यह सरकार के जरिये हो रहा है, यह बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो डिबेट हो रही है, यह पिटे-पिटाए रास्ते पर न होकर बुनियादी चीजों पर होनी चाहिए। इस डिबेट को मैं दूसरे स्तर पर ले जाना चाहता हूं। आठ दिन पहले हमको बहुत तकलीफ हुई। अमेरीका के सीनेटर एलान क्रेन्स्टन कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रभूसत्ता है और उनके सीनेट की प्रभुसत्ता है। उन्होंने सीनेट के सदस्य के नाते डवलपिंग कन्ट्री-डी-मिलिट्राइजेशन एक्ट-1992 एक विधेयक रखा। विधेयक के तहत कहा कि हिन्दुस्तान में तुम्हारा रक्षा के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है, तुम्हारी जी० डी० पी० के 3.6 प्रतिशत से ज्यादा है इसलिए तुमको नहीं करना चाहिए। हिन्तुस्तान में हम संसद वाले घटायेंगे या बढ़ायेंगे तो यह हिन्दुस्तान की संसद का काम है। यह हमारा अन्दरूनी मसला है। यहां हम झगड़ा कर सकते हैं। क्या यह अमेरीकन सीनेटर हमको आदेश देगा कि हम किस तरीके से मिलिटरी एक्सपेंडीचर को घटाएं या बढ़ाएं। किसी अमेरीकन सेनों के लिए यह लागू होगा।

नयी औद्योगिक नीति की किताब पढ़ने से मेरे मन में यह आता है कि यह पराधीनता का द्योतक है। श्री जार्ज फर्नान्डीज 1977 से 1979 तक उद्योग मंत्री थे। उस समय बहुराष्ट्रीय कम्पनी कोका-कोला का हिन्दुस्तान से बहिष्कार किया था इसलिए कि एक लाख या दो लाख रुपया लोग लेकर आए

[श्री रवि राय]

और 10-15 साल में 21 करोड़ लोगों ने रोपेट्रीयेट करके उनको मदर कन्ट्री में भेज दिया। सोमनाथ जी और जार्ज फर्नान्डीज भी देख रहे हैं कि एक महीने से कोका-कोला फिर क्यों आ गया। कोका-कोला, पेप्सी कोला और यूनियन कारबाइड के चलते क्या हमारे छोटे उद्योग रह पायेंगे, "केलोग" के चलते रह पायेंगे। देश में तीन प्रतिशत बड़े लोग हैं जो अमेरीकन स्टैंडर्ड के बन गए है जिनके लिए हम विदेशी सामग्री इम्पोर्ट करके तबाह हो गए हैं। इतना अपमान देशवासियों के लिए संसद कैसे बर्दाश्त करेगी। इसके लिए हमको और आपको भी तकलीफ होगी। हमारे एक आई० ए० एस० आफिसर अर्थ मंत्रालय के सचिव श्री एस० पी० शुक्ला हैं। उनके बारे में मैंने सुना कि उनको कोई पोस्टिंग नहीं की गई। इनका दोष क्या था। 1989 में ये हमारे जेनेवा में वाणिज्य प्रतिनिधि थे। इनको मल्टी नेशनल कारपोरेशन और आई० एम० एफ० के साथ बातचीत करनी थी। वे हिन्दुस्तान के लिए ज्यादा बोलते होंगे। विश्व बैंक और आई० एम० एफ० का दबाव पड़ा कि इनको क्यों रखा गया। इस तरह की इस अड़चन डाल रहे थे इसलिए इनको निकाल दिया गया। इनको निकालने के बाद आई० एम० एफ० के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आरनेस्ट स्टैण्ड हिन्दुस्तान के अफसर से बोले। कि जिस दिन यह हटा तो अर्नस्ट्रेन जो कि आई० एम० एफ० के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको मैं कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

आप पहले ही एक मिलियन डालर अर्जित कर चुके हैं। वास्तविकता यह है कि आपने शुक्ल जी जो भारतीय नागरिकों के लिए संघर्षरत थे, उनको आपने निकाल दिया है।

[हिन्दी]

उनकी जगह पर कोई और आदमी गया होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आदेश को मानेगा। हम जानबूझ मीर जाफरों को पैदा करते हैं और देशद्रोही पैदा करते हैं तथा उनको रिवार्ड देते है। यह जो सवाल हमारे सामने आता है यह कोई मामूली सवाल नहीं है। यह देश की अस्मिता और गौरव का सवाल है, खासकर स्वदेशी, स्वावलम्बन और स्वरोजगार ये जो तीन आदर्श थे हमारे फाऊंडिंग फादर गांधी जी के ये सब अब खत्म हो चुके हैं। मैं इसीलिए संसद से, माथुर साहब यहां बैठे हैं बुजुर्ग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग देखते ही रहेंगे, जिस तरीके से देश पिछड़ गया है।

[अनुवाद]

यह दूसरा लैटिन अमरीकी देश बनकर रह जायेगा।

[हिन्दी]

पता नहीं हम लोग इस चीज को रोक पायेंगे या नहीं। क्योंकि यह हो रही हैं और हो जायेगी। भारत सरकार की मौजूदा आर्थिक नीति का लाजिमी नतीजा है कि हम आर्थिक आजादी को खोकर रहेंगे। इस बात का मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है। सारी दुनिया के जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है वे बार-बार आगाह कर रहे है भारतीयों को कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और गैट के चंगुल में न आयें। वरना हिन्दुस्तान बर्बाद हो जायेगा। इसलिए इसको बर्बादी से बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

मैंने सुना कि पंजाब में चुनाव के दो दिन पहले चण्डीगढ़ में दो अखबार, इंडियन एक्सप्रेस और

'अजीत' जब आधी रात में छप रहे थे तो वहां पर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहुंचा और कहा कि दिखाइये आप क्या लिख रहे हो और उसको लेकर उपने फेंक दिया। जून 1975 को हिन्दुस्तान में डिक्टेटरशिप को लाया गया, इमर्जेंसी के नाम से। उसको संसद में पारित भी किया गया था, मैं उसको भूला नहीं हूं। मैं भी अम्बाला जेल में बन्द था। जार्ज फर्नान्डीज साहब अपनी जान हथेली पर रखकर कामकर रहे थे और तकरीबन डेढ़ लाख लोग जेलों में बन्द थे। हमने कहा कि इसको खत्म करो। इसको लोगों ने 1977 में खत्म करवाया। वैसे ही अब इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, प्रेस की आजादी के ऊपर जब पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे एक प्रकार से नरसिंह राव की सरकार ही वहां थी तो यह शुरूआत है विश्व बैंक, गेट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा तमाम मल्टी नेशनल कार्पोरेशंस को यहां लाने की, उनकी बात मानने की। इसलिए हम सांसदों का कर्त्तव्य है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, रोजगार के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलम्बन के लिए कटिबद्ध हों। हम जब यह करेंगे तो शायद देश को बचा पायेंगे। हमारा कांग्रेसी सांसदों से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हम लोग नीति के लिए और विचार के लिए लड़ रहे हैं। विचार के लिए संघर्ष होना चाहिए। यह संसद ऐसी जगह है जहां विचारों में संघर्ष हो सकता है, इससे ठीक नतीजा निकलता है। मैं मुरली देवड़ा साहब से कहूंगा कि आपका चुनाव घोषणा पत्र मायाजाल है, मैं इसको पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। चूंकि दसवीं लोकसभा चुनाव के समय आपने लोगों से वायदा किया था, उसकी न केवल खिलाफत ही की है बल्कि उसको खत्म कर दिया है इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाना चाहिए, इसका कोई मूल्य नहीं रहा है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपने घोषणा पत्र को बेचकर वे स्वय बड़े परेशान है। यह अत्यन्त रुचिकर···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैं कह रहा हूं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैनिफैस्टो को कबाड़ियों को बेच दो।

श्री रवि राय : जब मैं इस अभिभाषण पर बहस कर रहा हूं, मेरे दिमाग में आता है तो यहां के सभी सांसदों के दिमाग में आता है कि हम इस सरकार को नहीं चलने देंगे। तो क्या हमारी आर्थिक परतन्त्रता अनिवार्य है, तो हम लोगों का क्या कर्त्तव्य है। यह कि पहले मौके पर इस सरकार को गिराने का कर्त्तव्य है क्योंकि एक दिन यह सरकार देश को बरबाद कर देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य ने संविधान पढ़ा है और उसके प्रति निष्ठा रखता है तो फिर उसका पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार को गिराना है और मैं उस पक्ष के लोगों से कह रहा हूं और वे भी चाहेंगे कि हमारा देश आर्थिक परतन्त्रता की तरफ न जाये तो और कुछ सदस्य ईमानदारी से सोचते होंगे कि अन्तर्मुखी क्या है? वह देश के सामने आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अन्त में कांग्रेसी दोस्तों श्री मुरली जी, माथुर साहब से कहूंगा कि मैं यहां अन्तर्मुख होकर बोल रहा हूं, वे भी सोचें, राजनीति से ऊपर उठकर सोचें कि सरकार के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रेड बटन दबाकर इस सरकार को गिरायेंगे उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए, मैं आज कहता हूं कि वे इस बात को सोचें···

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई-दक्षिण) : आप अपनी पार्टी के लोगों से तो पूछिये।

श्री रवि राय : मैं जो कह रहा हूं वह अपनी पार्टी के विचार कह रहा हूं। आपके समक्ष रख रहा हूं। आपकी सेवा में और इस सदन की सेवा में एक चीज कहकर अपना भाषण खत्म करूंगा।

[अनुवाद]

श्री भास्कर फर्नान्डीज (उदुप्पी) : मैं माननीय सदस्य से थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करूंगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप हमारा मार्गदर्शन एवं सहायता करने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं ताकि हमें उनसे मदद मिल सके। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं श्री ओस्कार फर्नान्डीज से कहूंगा कि मैं जो अन्तिम प्रोपोजल्स कह रहा हूं, वे सुनेंगे। मैं इस बात को तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से गांधी जी ने हमको आजादी दिलायी और आर्थिक आजादी के लिए सारी जिन्दगी लड़े, तो मैं श्री देवड़ा, श्री फर्नान्डीज और श्री माथुर जी से कहूंगा कि मैं जो यह पढ़ रहा हूं, यह देश के अन्दर की बात नहीं है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ने एक होने के बाद एक म्युजियम में गांधी जी के लिए एक हाल रखा है जिसमें यह लिखा है :

[अनुवाद]

6.00 म० प०

महात्मा गांधी जी ने कक्ष की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार पर एलबर्ट माइंसटाइन के शब्द लिखे हुए हैं :

> "अनेक पीढ़ियां आयेंगी और मुश्किल से विश्वास करेंगी कि ऐसा हाड़ मांस का बना व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था।"

गांधी जी का एक काफी बड़ा चित्र जिस पर उनके द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कथन लिखा हुआ है, वह दर्शक का स्वागत करता है :

> "सत्याग्रह एक ऐसा शस्त्र है जो धीरे-धीरेम का करता है और सभी को धीरे-धीरे दृश्य होता है। वास्तव में सत्याग्रह के सदृश ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इतने प्रत्यक्ष रूप से और तेजी से अपना प्रभाव दिखाता है।"

यह उल्लेख करते हुए कि पोलैंड में लैह वालसा ने भी अपने साथी नागरिकों के लिए मार्क्सवादी सत्ताधारियों से स्वतन्त्रता हासिल करने के लिए ऐसे ही साधनों का उपयोग किया था तब भी संग्रहालय के प्राधिकारियों ने सुझाव दिया है कि गांधी जी के अहिंसापूर्ण विरोध रूपी उपहार को विभिन्न देशों के स्वतन्त्रता संग्रामियों द्वारा अपने यहां के अधिनायकीय शासन के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए।

राजनैतिक ताकत के रूप में अहिंसात्मक विरोध अभी भी अपने आप में कमजोर है। इसकी संभावनाओं के बारे में अभी तक कोई अधिक नहीं जान पाया है और इसीलिए इसको न तो जनता का और न ही समाचार माध्यमों का समर्थन मिल पाता है, ये वाक्य गांधी जी के चित्र के साथ ही एक शिलालेख पर लिखे हुए हैं।

तथापि ऐसा कहा जाता है कि तानाशाही, अस्त्र-शस्त्र-युग और अधिशासी तन्त्र की शक्ति के

समक्ष अहिंसा सदैव-बढ़ने वाली शक्ति है। एक सबसे अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली ताकत है जिसका इस्तेमाल किसी भी हिंसा के खिलाफ किया जा सकता है।

गांधी जी के सम्बन्ध में लिखे गए अंश में लोगों को फोटोग्राफ द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके अहिंसात्मक विरोध के बारे में संक्षेप में बताया गया है जिसमें महात्मा जी के जीवन के सर्वाधिक प्रसिद्ध दृश्य जैसे मानचेस्टर वस्त्र कामगरों के साथ उनकी बैठक, ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्स को किया गया उनके द्वारा सम्बोधन, स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने का उनका आह्वान, विदेशी वस्तुओं को जलाना, नमक-आन्दोलन, 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन इत्यादि भी हैं।

[हिन्दी]

अन्त में मैं यह इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं कि इससे सारे सदन और सारे देशवासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे देश को इस सरकार के चलते परतन्त्रता की तरफ ले जाया जा रहा है और हमें पराधीन कर दिया गया है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, इस तरह से आजादी को स्लेवरी में परिवर्तित कर दिया गया है, उसको दूर करने के लिए गांधी जी से प्रेरणा लेंगे और उसके लिए हमारा पहला पग है इस सरकार को अलियेस्ट मोमेंट में इस सदन में हरायेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 मार्च, 1992/14 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/8/7/92 (एस.)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सलमाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित